सप्तम माला, खंड 49, अंक 8 बुधवार, 1 अगस्त, 1984/10 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी-संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खंड 49 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

1 अगस्त, 1984/10 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 6, पंक्ति 5, "1080-81" के स्थान पर "1980-81" पढ़िये।

पृष्ठ 6, † और †† पर दिये पाद-टिप्पणी को यहां के स्थान पर पृष्ठ 7 के अंत में पढ़िये।

पृष्ठ 19, पंक्ति 4, "मारले" के स्थान पर "मामले" पढ़िये।

पृष्ठ 33, नीचे से पंक्ति 7, "ता0प्र0स0 (x61)" के स्थान पर "x161" पढ़िये।

पृष्ठ 45, पंक्ति 8, अं0प्र0संख्या "135" के स्थान पर "1395" पढ़िये।

पृष्ठ 60, नीचे से पंक्ति 2, अं0प्र0संख्या "140" के स्थान पर 1409" पढ़िये।

पृष्ठ 67, पंक्ति 7, अं0प्र0संख्या "147" के स्थान पर "1417" पढ़िये।

पृष्ठ 86, पंक्ति 7, 15 तथा पृष्ठ 95, नीचे से पंक्ति 7, "श्री दिग्विजय-सिंह" के स्थान पर "श्री दिग्विजय सिंह" पढ़िये।

पृष्ठ 93, पंक्ति 5, अं0प्र0संख्या "1451" के स्थान पर "1454" पढ़िये।

पृष्ठ 101, पंक्ति नीचे से 6, अं0प्र0सं0 "144" के स्थान पर "1464" पढ़िये।

पृष्ठ 112, अंतिम पंक्ति, "श्री वो0डो0सिंह" के स्थान पर "श्री बो0डो0सिंह" पढ़िये।

पृष्ठ 121, पंक्ति नीचे से 12, अं0प्र0संख्या "149" के स्थान पर "1489" पढ़िये।

पृष्ठ 123, पंक्ति 13, "1966-69^x" के स्थान पर "1966-69^x" पढ़िये।

पृष्ठ 127, पंक्ति 21, "परिजय" के स्थान पर "परिचय" पढ़िये।

पृष्ठ 129, पंक्ति 20, शीर्षक में "उनके" का लोप कीजिये ।

पृष्ठ 134, पंक्ति 13, "नो त के अनसार" के स्थान पर "नीति के अनुसार" पढ़िये ।

पृष्ठ 149, पंक्ति 13, "050" के स्थान पर "2·50" पढ़िये ।

पृष्ठ 154, नीचे से पंक्ति 2, "चोषणा" के स्थान पर "घोषणा" पढ़िये ।

पृष्ठ 159, पंक्ति 7, अं0प्र0सं0 "158" के स्थान पर "1538" पढ़िये ।

पृष्ठ 186, नीचे से पंक्ति 5 और 9, "डामणजूडी" के स्थान पर "दामनजोड़ी" पढ़िये ।

पृष्ठ 187, पंक्ति 15, अं0प्र0सं0 "154" के स्थान पर "1574" पढ़िये ।

पृष्ठ 199, पंक्ति 15, "सूचना और प्रसारण मंत्री" के स्थान पर "सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री" पढ़िये ।

पृष्ठ 208, पंक्ति 2, "को" के स्थान पर "के" पढ़िये ।

पृष्ठ 213, पंक्ति 19, "श्री विलास मुत्तमवार" के स्थान पर "श्री विलास मुत्तेमवार" पढ़िये ।

पृष्ठ 278, पंक्ति 17, "तो कहिये।" के पश्चात "सभापति जी, मैं कह रहा था कि पंजाब को" का लोप कीजिये तथा पंक्ति 19 के आरंभ में "प्रो० अजित कुमार मेहता: सभापति जी, मैं कह रहा था कि पंजाब को" पढ़िये ।

पृष्ठ 281, पंक्ति 4, "कार येवा" के स्थान पर "कार-सेवा" पढ़िये ।

विषय-सूची

अंक 8, बुधवार, 1 अगस्त, 1984/10 श्रावण, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 143, 145, 149, 151 और 153	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	26—195
तारांकित प्रश्न संख्या : 142, 144, 146 से 148, 150, 152, 154 से 156 और 158 से 166	26—38
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1387 से 1396, 1398 से 1428, 1430 से 1443, 1445 से 1448, 1450 से 1471 और 1473 से 1578	38—193
सभा पटल पर रखे गये पत्र	196—198 व 303—304
राज्य सभा से संदेश	198—199
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	199
78वां प्रतिवेदन	
कार्य-मंत्रणा समिति	199—207
64वां प्रतिवेदन	
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) का नीति-पत्र के बारे में चर्चा	208
श्री प्रकाश चन्द सेठी	
नियम 377 के अधीन मामले	208—215
(एक) बिरसा भगवान की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की आवश्यकता	208—209
प्रो० अजित कुमार मेहता	

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग में अध्यापन संबंधी पदों में मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम के जनजातीय व्यक्तियों की प्रतिशतता बढ़ाने की आवश्यकता 209—210

श्री बाजूबन आर० खारलुखी

(तीन) डूंगरपुर-बांसवाड़ा तथा देश के अन्य भागों में "नहरुआ कृमि" के कारण एक बीमारी का बहुत फैल जाना 210

श्री भीखाभाई

(चार) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को हिमाचल प्रदेश के छोटे पहाड़ी कस्बों में आरम्भ करने की आवश्यकता 211

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी

(पांच) सारनाथ मन्दिर के निकट अवैध रूप से बने हुए खोखों तथा दुकानों को हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश दिये जाने की आवश्यकता 211—212

श्री चन्द्रपाल शैलानी

(छः) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी 212

श्री नारायण चौबे

(सात) हनुमानगढ़ (राजस्थान) में 100 लाइन वाले एक टेलीफोन बोर्ड की व्यवस्था करने की मांग 212

श्री बीरबल

(आठ) केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों के प्रस्तावित आन्दोलन को रोकने हेतु उनके साथ तुरन्त बातचीत करने की आवश्यकता 212—213

श्री अजित बाग

(नौ) विदर्भ (महाराष्ट्र) में प्रस्तावित रेल माल डिब्बा तथा सवारी डिब्बा निर्माण कारखाने की स्थापना 213—214

श्री विलास मुत्तेमवार

(दस) जम्मू और कश्मीर का औद्योगिक विकास 214

प्रो० सैफुद्दीन सोज

(ग्यारह) कोल इंडिया लिमिटेड के प्राधिकारियों की श्रमिक विरोधी नीति 214—215

श्री बाबूराव परांजपे

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1984 215—253

विचार किये जाने का प्रस्ताव

श्री धर्मवीर 215

श्री एम० एम० लारेंस 217

श्री जेवियर अराकल 221

श्री के० ए० राजन 222

श्री गिरधारी लाल व्यास 226

श्री राजेश कुमार सिंह 230

श्री मूलचन्द डागा 231

श्री ईरा मोहन 233

श्री राम प्यारे पनिका 235

श्री बाबूराव परांजपे 238

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 240

श्री चित्त बसु 242

श्री पी० नामग्याल 243

प्रो० सत्यदेव सिंह 244

श्री वीरेन्द्र पाटिल 245

खंड 2 से 15 और 1

पारित करने का प्रस्ताव

श्री वीरेन्द्र पाटिल 250

प्रो० एन० जी० रंगा 250

आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन पर चर्चा 254—255

श्री प्रणव मुखर्जी

अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1984-85 255—284

श्री रामावतार शास्त्री 260

आचार्य भगवान देव 262

श्री जगपाल सिंह 263

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 265

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती 267

श्री राम प्यारे पनिका 271

प्रो० अजित कुमार मेहता 275

श्री हरीश कुमार गंगवार 279

श्री सुन्दर सिंह 282

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 283

आधे घण्टे की चर्चा 284—303

बिजली की आवश्यकता और उत्पादन

श्री रामविलास पासवान 284

श्री आरिफ मोहम्मद खां 289

श्री हरिकेश बहादुर 295

श्री सुधीर गिरि 297

प्रो० अजित कुमार मेहता 299

श्री चन्द्रपाल शैलानी 300

लोक सभा

बुधवार, 1 अगस्त, 1984/10 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा म०पू० 11.01 पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने दो भूतपूर्व सदस्यों अर्थात् सर्वश्री देवुलापल्ली वेंकटेश्वर राव और श्री पी०एन० राजभोज के दुखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है ।

श्री देवुलापल्ली वेंकटेश्वर राव आंध्र प्रदेश के नालगोंडा निर्वाचन क्षेत्र से 1957-62 के दौरान दूसरी लोक सभा के एक सदस्य थे ।

व्यवसाय से कृषक, श्री राव, तेलंगाना किसान सभा के उपाध्यक्ष थे और उन्होंने तेलंगाना में भूमि सुधारों के लिए कार्य किया ।

एक सुविख्यात राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हैदराबाद राज्य में निरंकुश सरकार के विरूद्ध निरन्तर लड़ाई लड़ी और 1939 में छात्रों द्वारा शुरू किए गए "वन्दे मातृम" आन्दोलन को संगठित किया । वह तेलगू में कुछ प्रकाशनों के लेखक भी थें ।

श्री देवुलापल्ली वेंकटेश्वर राव का निधन 12 जुलाई, 1984 को 66 वर्ष की आयु में हैदराबाद में हुआ ।

श्री पी०एन० राजभोज 1952-57 के दौरान पहली लोक सभा के सदस्य थे और महाराष्ट्र के शोलापुर निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे । बाद में वह 1957-62 के दौरान राज्य सभा के सदस्य रहे ।

एक योग्य सांसद के रूप में उन्होंने सभा की कार्यवाही में गहरी रुचि ली और दलित वर्गों के हितों की जोरदार वकालत की । उन्होंने 1953-57 के दौरान प्राक्कलन समिति में भी कार्य किया । एक विख्यात सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता श्री राजभोज ने 1925 मे सरकारी सेवा छोड़ दी और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए स्वयं को समर्पित किया और इस कारण उन्हें कारावास हुआ । वह दलित वर्गों के कल्याण से सम्बन्धित कई सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे । वह हरिजन कल्याण के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य रहे ।

श्री राजभोज ने उन्होंने सुदूर देशों का भ्रमण किया और श्रीलंका, टोकियो और थाईलैंड में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया ।

एक विख्यात पत्रकार होने के नाते वह मराठी और अंग्रेजी में प्रकाशित कुछ साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं के सम्पादक थे और वह बौद्ध धर्म और अनुसूचित

जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अन्य साहित्य के कई प्रकाशनों के लेखक थे।

श्री राजभोज का 79 वर्ष की आयु में पूणे में 22 जुलाई, 1984 को निधन हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सदन संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भेजने में मेरा साथ देगा।

सभा के समस्त सदस्य अपना शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षण के लिए मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गरीबी हटाने सम्बन्धी कार्यक्रमों की उपलब्धियां

*143. प्रो० अजित कुमार मेहता † :

श्री रशीद मसूद : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गरीबी हटाने के लिए सरकार द्वारा अब तक शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में यदि कोई रुकावटें हैं, तो वे क्या हैं और उन्हे दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) गरीबी दूर करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम ये हैं : (1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ए०ग्रा०वि० का०), (2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा०ग्रा०रो०का०), (3) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (ग्रा०भू०रो०गा०का०)। इन कार्यक्रमों की मुख्य बातें निम्न-लिखित हैं :—

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी राजसहायता और संस्थागत ऋण के जरिए वित्त व्यवस्था की जाने वाले आय सृजन कारी उत्पादक परिसम्पत्तियों की व्यवस्था करके प्रति खण्ड 3000 परिवारों की दर से 15 मिलियन परिवारों की सहायता करना है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तीन प्रकार के उद्देश्य हैं, जो ये हैं :—

1) प्रति वर्ष 300 से 400 मिलियन की सीमा तक ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त लाभकारी रोजगार सृजित करना;

2) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन; और

3) बढ़ी हुई आय और आंशिक रूप में वेतन की खाद्यान्न के रूप में अदायगी करके मजदूरों (कर्मचारियों) के पोशाहार स्तर में सुधार करना ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम 1983-84 में आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराना है ।

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों के ब्यौरे अनुलग्नक-1 और 2 में दिए गए हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में प्रमुख बाधाएं ये हैं—ऋण के सुचारु प्रवाह में कठिनाइयां; अपर्याप्त आधार संरचना समर्थन और प्रशासनिक तंत्र की सीमाएं ।

ऋण प्रवाह की समस्या की समीक्षा करने के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय में एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित की गई है। इसके परिणामस्वरूप, ऋण को आसानी से सुलभ कराने के लिए सरकार, भारतीय रिर्जव बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास (रा०कृ०ग्रा०वि०) बैंक द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं ।

जहां तक आधार संरचनात्मक समर्थन का सम्बन्ध है, सामान्य क्षेत्रकीय कार्यक्रमों के जरिए अधिकतम सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है । इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम विशिष्ट आधार संरचनात्मक प्रबन्धों के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की 10 प्रतिशत तक की धनराशियों के प्रयोग के लिए व्यवस्था की गई है ।

जहां तक प्रशासनिक तंत्र का सम्बन्ध है, खण्ड स्तरीय तंत्र को सुदृढ़ करने और राज्यस्तर पर प्रबोधन एकक की व्यवस्था करने के लिए एक स्कीम चल रही है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार 50 प्रतिशत लागत की पूर्ति करती है । इसके अतिरिक्त, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और गरीबी दूर करने के लिए अन्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के

लिए उपयुक्त स्टाफिंग पैटर्न सहित प्रत्येक जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की पहले ही स्थापना की जा चुकी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में जो प्रमुख समस्याएं देखने में आई है उनमें से कुछ हैं—परियोजनाओं के उपयुक्त शैल्फ (समावेशन) का अभाव और क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय भाषाओं में मार्गदर्शी मानकों और तकनीकी मैनुअलों की अनुपलब्धता जिसका परियोजना की गुणवत्ता और स्थाईपन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

राज्य सरकारों का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकृट किया गया है। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं को उपयुक्त योजना और पर्यवेक्षण के लिए, विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक आधार संरचना के उपयुक्त सुदृढ़ीकरण के लिए उन्हें आवंटन के 5 प्रतिशत तक का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

यह कार्यक्रम क्योंकि हाल ही में शुरू किया गया है, इसलिए कोई प्रमुख बाध्यकारिता अभी तक देखने में नहीं आई है।

अनुलग्नक—1

छठी पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय और भौतिक प्रगति का विवरण

मद	इकाई	1980-85	1980-83	1983-84	1984-85
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम					
1. वित्तीय आवंटन	(करोड़ रु०)	1500.00	952.09	407.36	451.94
2. उपयोग	(करोड़ रु०)		782.88	406.09	
3. आवंटन के प्रतिशत के रूप में उपयोग	प्रतिशत		82.23 प्रतिशत	99.7 प्रतिशत	
4. जुटाया गया आवधिक ऋण	(करोड़ रु०)	3000.00	1470.62	773.51	
5. लाभाग्राहियों की संख्या					
क) परिकल्पित लक्ष्य	(मिलियन)	15.00	9.00	3.05	3.00
ख) वास्तव में सहायता प्रदान की गई †	,,		8.90	3.05	
ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या	,,		3.19	1.54	
घ) लाभाग्राहियों के कुल प्र०श० के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत	प्र०श०		35.8 प्रतिशत	50.49 प्रतिशत	

† कार्यक्रम में यह परिकल्पना की गई है कि लाभग्राहियों का कम से कम 30 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के होने चाहिए।

अनुलग्नक—2

छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय और भौतिक प्रगति का विवरण ।

	इकाई	छठी योजना का परिव्यय (1980-85) 1620 करोड़ रु०				
		1080-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7
1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम						
1. योजना परिव्यय	(करोड़ रु०)	340.00	360.00	380.00	397.52†	457.53
2. उपयोग	(करोड़ रु०)	217.33	317.70	394.73	390.06	7.56 मई, 1984 तक (अनन्तिम)
3. उपलब्ध कराया गया खाद्यान्न	(लाख मैट्रिकटन)	15.28	3.79	3.92	4.46††	3.29
4. खाद्यान्न का उपयोग	,,	13.34	2.29	1.59	1.45††	0.35 मई, 1984 तक (अनन्तिम)

† यह अनन्तिम है क्योंकि सभी राज्यों ने अभी मार्च, 1984 तक सूचना नहीं भेजी है ।

†† कुछ राज्यों के सम्बन्ध में मार्च, 1984 तक की सूचना अपेक्षित है ।

1	2	3	4	5	6	7
5. रोजगार के श्रम दिवसों का सृजन	(मिलियन श्रमदिवस)	413.58	354.52	350.10	302.02 (अनन्तिम)	18.90 (अनन्तिम मई, 1984 तक)
2. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम						
1. परिव्यय	(करोड़ रु०)				100.00	400.00
2. रोजगार का लक्ष्य	(मिलियन श्रम दिवस)				300.00	
3. अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	(संख्या)				220.00	
4. अनुमोदित परियोजनाओं की लागत	(करोड़ रु०)				616.95	

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, गरीबी हटाने के लिए जिन तीन कार्यक्रमों, आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० का उल्लेख किया गया है। उनको कार्यान्वित करने के लिए जिस तन्त्र की स्थापना हुई है उसके शीर्ष पर जिलाधिकारी को रखा गया है। लेकिन जिलाधिकारी प्रशासनिक बोझ से इतने दबे हुए रहते हैं कि बहुधा उनको इन सब विकास कार्यों के लिएसमय निकाल पाना सम्भव नहीं होता। इस तन्त्र के शीर्ष पर जो बैठे उसमें लचीलापन, प्रवीणता और अनुभव होना आवश्यक है और इसके साथ साथ आवश्यक है कि जिन लोगों को लाभ पहुंचता हो, निर्णय लेने के स्थान पर इनकी सक्रिय भागीदारी हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुधा इसका दुरुपयोग हो जाता है। लोग ऐसी सहायता को या तो संशय की दृष्टि से देखते हैं या उसको अवदान समझते हैं और अनुदान समझते हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं होता, कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता। एफ० ए० ओ० और आई० एल० ओ० ने भी अपने अध्ययन और अनुभव से यही पाया है। ऐसी परिस्थिति में जनता पार्टी के शासन में 1978 में जो ड्राफ्ट प्लान था उसमें इसका उल्लेख किया गया था, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस विषय में उनकी क्या राय है ?

श्री प्रकाश वीर सेठी : जब तक इस प्लान को इम्पलीमेंट करने के लिए कोई सक्षम अधिकारी नहीं रखा जाएगा, यह बात सही है कि वह प्लान ठीक तरह से इम्लीमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन जिलाधिकारी से बेहतर अधिकारी कोई जिले में नहीं हो सकता है। उनको असिस्ट करने के लिए उनके अधीन बहुत सारे अधिकारी होते हैं। उनका भी उपयोग किया जाता है। इसलिए यह ठीक से काम कर रहा है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंटस को हिदायत दी गई है कि वे इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को सूचना दें कि वह इस काम को ठीक से इम्लीमेंट करें।

जनता पार्टी के समय में जहां तक प्लान का सवाल है उस समय तो कोई प्लान था नहीं और प्लान के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं थी।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैंने ड्राफ्ट प्लान का उद्धरण दिया था। प्लान था या नहीं था, यह मैंने नहीं पूछा था। मैंने पहले ही कहा था कि जरूर जिलाधिकारी इसके लिए सुयोग्य कर्मचारी है परन्तु मैंने यह सवाल उठाया था कि प्रशासनिक बोझ से वह इतने दबे हुए होते हैं कि विकास कार्यों के लिए बहुधा समय नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए वह कर्त्तव्य का निर्वाह अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। यह मैंने कहा था।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि ग्रामीण मजदूरों के संगठन पर आई० एल० ओ० के० 141वें कन्वेंशन में तय पाया गया था जिसे 1978 में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था कि ग्रामीण विकास बिना प्रभावशाली ग्रामीण सह-श्रमिक-संगठन के सम्भव नहीं हो सकता। इन सगठनों को आर्गेनाइज करने के लिए अवैतनिक आर्गेनाइजर की भी नियुक्ति हुई थी। मैं जानना चाहता हूं कि कितने राज्यों के लिए कितनी कितनी बहाली हुई थी और उसका क्या परिणाम निकला। अगर अपेक्षित परिणाम नहीं निकला क्योंकि ग्रामीण श्रमिकों के

कोई प्रभावशाली संगठन कहीं भी नहीं हैं तो सरकार ने इसके बारे में क्या सोचा और प्रभावशाली संगठन के निर्माण के विषय में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : गैर-सरकारी संस्थाओं का इसमें सहयोग लिया जाता है। ये आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं कि ऐसे लोगों की बहाली किस किस जगह हुई है और किस किस जगह नहीं हुई है। लेकिन मैं आँकड़े इकट्ठा करके माननीय सदस्य को पहुंचा दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने रूरल लैंडलैस गारन्टी प्रोग्राम में रखा है कि 50 प्रतिशत उसका मैटीरियल कम्पोनेन्ट होगा और 50 प्रतिशत लेबर के लिए देंगे और सिर्फ 5 परसेंट आपने सुपरविजन चार्जेज रखा है। पिछले कामों से यह अनुभव किया गया है कि मैटीरियल सीमेंट चूना, पत्थर और अन्य वस्तुओं से 50 परसेंट से काम नहीं चलता। 75 परसेंट जब तक नहीं बनायेंगे या 65 परसेंट और 35 परसेंट का रेशियो नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। इस तरह से काम अधूरे रह जाते हैं। क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया है कि हम परिवारों को काम देना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं उन 100 परिवारों को तब ही आप काम दे सकते हैं जब कि आप 50 परसेंट ज्यादा कम्पोनेन्ट देंगे। यह 50 परसेंट में आता नहीं है और इससे एस्सेट नहीं बनता, देश में पूंजी नहीं बनती। क्या आप इस पर विचार करेंगे और इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस समय तो प्लान में 50 परसेंट ही उसके लिए रखा गया है, यदि धन और उपलब्ध हुआ तो इस 50 प्रतिशत को बढ़ाने के लिये विचार किया जा सकता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं माननीय मन्त्री महोदय जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अथवा योजना आयोग ने उन लोगों की संख्या के अनुमानों को अन्तिम रूप दिया है जिन्हें गरीबी विरोधी इन कार्यक्रमों के कारण गरीबी के रेखा से ऊपर लाया गया है। सरकार ने स्वीकार किया है कि गरीबी की रेखा से ऊपर लाये जा रहे इन व्यक्तियों की संख्या के बारे में विवाद है। इस विवाद को देखते हुए क्या सरकार ने अब गरीबी की रेखा से ऊपर लाये गये इन व्यक्तियों की संख्या के अनुमानों को अन्तिम रूप दिया है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : छठी योजनावधि के दौरान इन व्यक्तियों की कुल संख्या 12 करोड़ है। जहां तक विवाद का सम्बन्ध है मेरे से पूर्ववर्ती योजना मन्त्री ने 5 करोड़ 70 लाख व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख किया था जबकि प्रधान मन्त्री ने 12 करोड़ व्यक्तियों का उल्लेख किया है। सदन में पहले जैसा स्पष्ट किया गया है। 12 करोड़ व्यक्तियों की संख्या भी ठीक है।

श्री शिव प्रसाद साहू : मैं योजना मन्त्री जी का ध्यान खासतौर से बिहार के छोटानागपुर की तरफ दिलाना चाहूंगा। बहुत सारे काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं,

विशेषकर 2,3 कामों के बारे में जानना चाहूंगा कि क्या वहां के बैंक गरीबों और पहाड़ों में बसने वालों को सही ढंग से ऋण दे रहे हैं या नहीं ?

इसके अलावा बहुत सारे गरीब और आदिवासी झगड़े में फंसते हैं, इस तरह की गड़बड़ देखने को मिल रही है कि उनसे 1500 रुपये बैल के लिए मिले, की सही करा लेते हैं और 800, 900 रुपये का बैल खरीदकर उनको दिया जाता है। क्या मन्त्री जी एक जांच कमेटी पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में ऐसी बनाना चाहते हैं जो यह देख सके कि हमारे प्रधान मन्त्री और योजना मन्त्री जो गरीबों को गरीबी-रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, और उनको जो लाभ पहुंचाना चाहते हैं वह उनको सही ढंग से मिल रहा है या नहीं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : बैंकों ने पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की शाखाएं खोली हैं और उन्होंने पहाड़ी लोगों की मदद के लिए उन्हें पैसा दिया है। जहां तक कमेटी बनाने का सवाल है, ऐसी कोई कमेटी नहीं है, लेकिन इसके बनाने पर विचार किया जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुपूरक प्रश्नों की संख्या में वृद्धि नहीं करना चाहता हूं।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

*145. **श्री बालकृष्ण वासनिक**† :

श्री गुफरान आजम : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के मूल्यों में 15 प्रतिशत वृद्धि के समग्र प्रभाव और थोक मूल्य सूचकांक पर इसके विशिष्ट प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) क्या इस मूल्य वृद्धि की जरूरत न होती, यदि सरकार लागत, भारी प्रशासनिक व्यय और इस्पात संयंत्रों से चोरी को कम करने के लिये निरन्तर निगरानी प्रणाली लागू करती, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस्पात व्यापार में इस अहितकर चक्र को तोड़ने के लिए मूल्य वृद्धि के विकल्प के रूप में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अनुमान है कि लोहे तथा इस्पात के मूल्यों में की गई 15 प्रतिशत की औसतन वृद्धि का समग्र रूप से मामूली प्रभाव पड़ेगा।

(ख) और (ग) कच्ची सामग्री (कोयला भी शामिल है), उपभोज्य सामग्री, वेतन तथा मजूरी, स्टोर्स तथा फालतू पुर्जों और औसतन रेल भाड़े में हुई वृद्धि उत्पादकों के नियंत्रण से बाहर हो गई थी। इस वृद्धि तथा इन्जीनियरी साज-सामान के निर्यातकों की सहायता हेतु एक कोष बनाने की आवश्यकता को देखते हुए लोहे तथा इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करना अपरिहार्य हो गया था। लोहे तथा इस्पात के मूल्यों में की गई इस वृद्धि से उत्पादन-लागत में हुई वृद्धि की आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। एकीकृत उत्पादक उत्पादन लागत पर कठोरतापूर्वक यथासंभव नियंत्रण रखने तथा चोरी की छुट-पुट घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ('सेल" के कारखानों में सुरक्षा का कार्य केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा किया जाता है)।

श्री बालकृष्ण वासनिक : महोदय, यह बताया गया है कि कच्चे माल, उपभोग्य सामग्री, की लागत, वेतन तथा मजूरी आदि की वृद्धि के कारण लोहे तथा इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करना अत्यन्त अपरिहार्य हो गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सामान्य उद्योगों में भी गैर-सरकारी क्षेत्र है ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन की लागत सरकारी क्षेत्र की उत्पादन की लागत की तुलना में ठीक है और यदि नहीं, तो सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने जा रही है ताकि सरकारी क्षेत्र में भी उत्पादकता और कार्य-कुशलता में सुधार हो सके ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : सरकारी क्षेत्र में पाँच समेकित इस्पात संयंत्रों की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल टाटा कम्पनी का ही समेकित इस्पात संयंत्र है। अन्य बातों के अलावा टाटा कम्पनी द्वारा उत्पादित प्रति टन इस्पात की लागत सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयन्त्रों द्वारा उत्पादित इस्पात की तुलना में ठीक नहीं हो सकती क्योंकि 18.7 लाख टन उत्पादित इस्पात के लिये टाटा कम्पनी के लिखित मूल्य की इस समय समग्र लागत 500 करोड़ रुपये हैं। दूसरे मूल तत्वों, लौह अयस्क और कोयल के बारे में टाटा कम्पनी के पास एक रक्षित कोयला खान है और उस कोयला खान से वे कोकिंग कोल निकाल सकते हैं जिसमें राख का अंश बहुत कम है और यह अच्छी किस्म की है और इसलिए हमारे मुकाबले उत्पादकता के सन्दर्भ में उन्हें गर्म धातु बहुत अधिक मिलती है।

इस मामले के अन्य पहलुओं के बारे में जो माननीय सदस्य ने उठाये हैं कि क्या चोरी, उत्पादन लागत नियन्त्रण रखने में हमारी असमर्थता तथा अन्य कारणों से हमें घाटा हो रहा है, लेकिन यह वास्तव में ऐसा नहीं है। सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ गैर सरकारी क्षेत्र में भी उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है। गैर-सरकारी क्षेत्र में भी इस वर्ष घाटा हुआ होता यदि इस्पात के मूल्य में यह न्यूनतम वृद्धि न की जाती और इस वृद्धि का थोक मूल्य सूचकांक पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा।

श्री बालकृष्ण वासनिक : इस्पात के मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण कच्चे माल की लागत में तथा रेल माल भाड़े आदि में वृद्धि होना है। विभिन्न मन्त्रालय अपने माल के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं और रेल मन्त्रालय भी माल भाड़े आदि में वृद्धि कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसको देखते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सभी मन्त्रालयों को शामिल करके एक समन्वित प्रयास करेगी ताकि इस्पात की मूल्य वृद्धि करने के लिए किसी प्रकार का एक मार्गदर्शी सिद्धांत बनाया जा सके।

श्री एन०के०पो० साल्वे : विभिन्न मन्त्रालयों के बीच तालमेल है। मुद्रास्फीति एक अनिवार्य स्थिति है जो विश्व भर में है। भारत में यह अत्यधिक कम है। अन्य विकासशील देशों में मुद्रा-स्फीति 3 अंकों तक अर्थात 300 प्रतिशत अथवा 400 प्रतिशत तक हो जाती है। हम इससे संतोष नहीं करते हैं। हम इसे समन्वित तरीके से करते हैं। मुद्रा स्फीति के परिणाम स्वरूप मूल्यों में वृद्धि करनी पड़ी है। मूल्यों में वृद्धि मेरे मंत्रालय द्वारा नहीं की गई है, यह वृद्धि जे० पी० सी० अथवा रेल मन्त्रालय द्वारा अपनी मर्जी से की गई है। यह अवश्यम्भावी सहवर्ती और मुद्रा स्फीति का परिणाम है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, टाटा इन्डस्ट्री को 50 करोड़ का लाभ था जबकि प्राइसेज नहीं बढ़ी थीं और आपने प्राइसेज बढ़ाकर उनका लाभ 75 करोड़ करवा दिया। दूसरी तरफ आपके यहां 100 करोड़ का नुकसान पहले था और प्राइसेज बढ़ने के बाद नुकसान भी 200 करोड़ हो गया है। प्राइसेज बढ़ने की हालत में भी आपकी इण्डस्ट्री को नुकसान हो रहा है।

इस सवाल में आपसे पूछा गया है : "क्या इस मूल्य वृद्धि की जरूरत न होती यदि सरकार लागत, भारी प्रशासनिक व्यय और इस्पात संयन्त्रों से चोरी को कम करने के लिए निरन्तर निगरानी प्रणाली लागू रहती ?"

इन सारी व्यवस्थाओं को यदि आप पूरी तरह से लागू कर देते तो क्या इस इन्डस्ट्री में जो लासेज हो रहे हैं, उनको कम किया जा सकता था ?

मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि जो आपके यहाँ से स्टील लेते हैं, तो उसमें लाखों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं और आपकी इन्डस्ट्री को स्टील की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : अनुपात तो ठीक लगता है।

***(व्यवधान)

श्री एन० के० पो० साल्वे : मान्यवर, माननीय सदस्य का मूल आधार है, वह कुछ गलत है। सबसे पहले यह कि टाटाज के बारे में बड़ी गलतफहमी है। टाटाज कम्पनी में

टाटाज के शेयर खुद के 3 प्रतिशत से कम है। फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन्स, बैंक्स, गवर्नमेंट के शेयर 47 प्रतिशत हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इससे क्या मतलब है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : इससे मतलब यह है कि बुनियादी तौर से अगर कुछ फायदा टाटा को होता है तो सार्वजनिक क्षेत्र से ज्यादा है। टाटाज को तीन प्रतिशत है।

***(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : टाटा लूट रहा है। टाटा***को आप बचा रहे हैं। मैनेजमेंट में डाका डाल रहा है।

***(व्यवधान)

श्री एन० के० पी० साल्वे : टाटा का मुनाफा 75 करोड़ कह रहे हैं। हमारे को प्राइज इन्क्रीज की वजह से 250 करोड़ मिला। उसी के अनुपात में मिलेगा।

***(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा खा जाता है, उसको कैसे रोकोगे ? ***(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कोयले का एक आदमी के पीछे 0.58 टन प्रोडक्शन है, जबकि अमेरिका में 12.5 टन है। कोयले का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन दाम बढ़ा सकते हैं।

***(व्यवधान)

श्री एन० के० पी० साल्वे : माननीय सदस्य मेरे से आकर चर्चा करें तो उनको क्या गलतफहमी है और इगनोरेंस में निकाल पाऊंगा। यहां पर तो बड़ा मुश्किल है।

***(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ ए, बैठिए।

***(व्यवधान)

श्री एन० के० पी० साल्वे : जवाब तो सुन लीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपको गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी कौन निकालेगा। ***(व्यवधान)

श्री एन० के० पी० साल्वे : मेरी गलतफहमी अनुमान से नहीं निकलेगी, तथ्यों से बात करें, तो चर्चा हो सकती है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 75 करोड़ का प्रश्न किया

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

है, अगर टाटा को प्राइस राइस की वजह से 75 करोड़ मिलेंगे तो हम 250 करोड़ पायेंगे। जितना हमारा प्रोडक्शन है, उतना हमको मिल पाएगा। जितना टाटा को है उतना टाटा को मिलेगा।

जहां तक पिलफरेज की बात है, हमारा निवेदन यह है कि हमने हर स्टील प्लान्ट में सी० आई० एस० एफ० के माध्यम से रोकने की कोशिश की है। क्योंकि इसमें खुद अपनी व्यवस्था है और हर वक्त यह कहा जाता है कि बेशुमार चोरियां हो रही हैं। यदि माननीय सदस्य मुझे कोई स्पैसिफिक मामला लिख कर भेजें तो मैं उसकी जांच करवा सकता हूं। लेकिन ऐसा कोई स्पैसिफिक मामला किसी माननीय सदस्य ने लिख कर नहीं भेजा है। ***(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने मूल्यों में 15 प्रतिशत की वृद्धि और केरल जैसे राज्यों में विशेषकर इस्पात पर आधारित उद्योगों में माल भाड़ा समानीकरण योजना को समाप्त करने के प्रभाव का अध्ययन किया है और इसका किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और क्या केरल सरकार ने इस बारे में अभ्यावेदन दिया है ? आप इस मामले में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री एन०के०पी० साल्वे : राष्ट्रीय परिवहन नीति आयोग में बी०डी० पांडे आयोग ने सिफारिश की है कि माल भाड़ा समानीकरण योजना को धीरे-धीरे समाप्त किया जाए। हम इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। माल भाड़ा समानीकरण कोष से एकदम मुक्ति पाना सभव नहीं है लेकिन जब हमें यह सिफारिश मिल जाती है तो हमें अपनी माल भाड़े की नीति में भी संशोधन करना पड़ेगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित राज्यों को इस्पात खरीदते समय अनावश्यक रूप से अधिक भार न वहन करना पड़े अथवा अधिक राशि का भुगतान न करना पड़े।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : टाटा इस्पात संयंत्र और हमारे इस्पात संयंत्रों के बीच मूल अन्तर यह है कि टाटा इस्पात संयंत्र की स्थापना अत्यन्त कम लागत पर बहुत पहले की गई थी और अब हमारे इस्पात संयंत्र नए हैं और वे पूंजी प्रधान हैं। जब माननीय मंत्री महोदय ने इस्पात के मूल्य में वृद्धि की है तो मूल्य में यह वृद्धि टाटा कम्पनी पर क्यों लागू नहीं होनी चाहिए ? चीनी उद्योग में भी हाल में स्थापित कारखानों को अधिक प्रोत्साहन दिए गए हैं जबकि बहुत से अन्य कारखानों को ये प्रोत्साहन नहीं मिल रहे हैं। मैं जानना चाहता हू कि क्या माननीय मन्त्री महोदय यह विचार करेंगे कि हाल ही में स्थापित पूंजी प्रधान कारखानों को कुछ रियायतें दी जाए और सभी कारखानों को नहीं।

श्री एन०के०पी० साल्वे : इस्पात के मूल्य पर तो किसी भी प्रकार का सांविधिक नियन्त्रण नहीं है। यह तो जे०पी०सी० है जो मूल्य निर्धारण करती है। इसमें विभिन्न

एकीकृत इस्पात संयंत्रों, जिनमें टाटा भी शामिल हैं, के प्रतिनिधि होते हैं। व्यावहारिक रूप से एक ही वस्तु और इस्पात के उसी उत्पादन के लिए अलग मूल्य रखना आवश्यक है।

इस्लामाबाद में भारत-पाकिस्तान वार्ता

*149. **श्री उत्तम राठौर†** :

श्री धर्मदास शास्त्री : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में इस्लामाबाद में हुई बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ किन-किन मुद्दों पर बातचीत की गई;

(ख) क्या उक्त बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच "मित्रता के समझौते" और "अनाक्रमण संधि" पर भी चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस चर्चा के क्या परिणाम रहे ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) से (ग) 19 से 23 मई, 1984 तक की अपनी इस्लामाबाद की यात्रा के दौरान हमारे विदेश सचिव ने भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के विभिन्न पहलुओं पर पाकिस्तान के विदेश सचिव के साथ व्यापक बातचीत की थी।

मित्रता-सन्धि और अनाक्रमण सन्धि के दो प्रारूपों पर भी विचार-विमर्श किया गया था। इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप इन प्रारूपों पर कुछ हद तक मतैक्य तो हुआ लेकिन बुनियादी पहलुओं पर मतभेद बने रहे।

दोनों विदेश सचिवों ने समूह पर्यटन सम्बन्धी एक प्रोटोकोल पर भी हस्ताक्षर किए। 1974 के वीजा करार में संशोधन के लिए पत्रों का आदान-प्रदान भी हुआ; ये संशोधन दोनों देशों के बीच यात्रा सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किए गए हैं।

श्री उत्तम राठौर : इस बैठक के बाद हमारे देश विशेष कर पंजाब और काश्मीर में हालात बदल गए और पड़ौसी देशों के साथ उनके कुछ सम्बन्ध हैं। अतः मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि विदेशी तत्वों द्वारा पंजाब और काश्मीर में शस्त्रों की सप्लाई तथा वहां गड़बड़ी कराने के मामले पर अगली बार चर्चा करेंगे ?

बिना विभाग के मन्त्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : प्रश्न का सम्बन्ध विदेश सचिव की पाकिस्तान यात्रा और वहां हुई चर्चा के बारे में है। बाद में पंजाब में हुई घटनाओं और पाकिस्तान को शस्त्र दिए जाने की प्रतिक्रिया भारत में हुई। यही वे मामले थे जिन पर वास्तव में विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई थी लेकिन विदेश सचिव की यात्रा के समय उस पर बात नहीं हुई।

श्री उत्तम राठौर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सचिव या मन्त्रियों के स्तर की अगली वार्ता में हमारे देश में अल्पसंख्यकों के बारे में जनरल जिया के वक्तव्य और अपहरणकर्ताओं को वापस करने से इन्कार करने के प्रश्न पर चर्चा की जाएगी ।

श्री एस०बी० चव्हाण : राष्ट्रपति जिया के हाल के वक्तव्य के बारे में पाकिस्तान के दूतावास से बात की गई थी और भारत में उनके राजदूत को कड़ा विरोध पत्र दिया गया ।

अपहरणकर्ताओं के बारे में तथ्य यह है कि मामला उनके साथ उठाया गया था और यात्रियों तथा विमान कर्मचारियों को मुक्त कराने में पाकिस्तान की भूमिका की हमने सराहना की है । लेकिन कुछ अपहरणकर्ताओं को जो महान बता कर ऐसा प्रचार किया गया जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हो, हमने इसे भारत-विरोधी कृत्य बताया है और उस पर आपत्ति की है ।

श्री ममीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, भारत के कुछ जवान जो 8-10 वर्षों से पाकिस्तान की कैद में हैं, उनमें से एक मेरा दोहता भी है, जिसको मैं निजी तौर पर जानता हूं । वह कैप्टेन है और ऐसे 125 आदमियों के नामों की नई सूची और प्रधान मन्त्री जो ने निजी इसके अन्दर दिलचस्पी लेकर आपस में तबादला करके छोड़ने की बात की थी । वह लड़का चुटाले में व्हाया गया है, मैं आपको पूरा सम्बन्ध बताता हूं । 10-12 साल पहले तक के फौजी अफसर और जवान पाकिस्तान की जेलों में हैं और उनके बारे में पाकिस्तान यह शर्त लगाता है कि पहले हिन्दुस्तान से कैदी छोड़े जाएं । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके बारे में कोई बातचीत की थी और अगर नहीं की है, तो क्या आप तुरन्त इसके बारे में पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, जिससे दोनों तरफ के और खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा हिन्दुस्तान के कैदी छोड़े जा सके । आखिर प्रधान मन्त्री मां का दिल रखती हैं और वे रोती हैं कि हमारे बेटे अभी तक जेल में हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उनके बारे में आपने कोई बातचीत की है और अगर नहीं की है, तो क्या करने वाले हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस विषय को हर दफा जब भी मौका आया है, उनके साथ उठाया गया है । इस वक्त वहाँ पर जो डिफेन्स परसोनेल हैं, लापता उनको कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि एक भी नहीं है, वे 43 हैं ऐसी हमारे पास इत्तिला है । इनमें से जब से हमारा शिमला एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें यह था कि वे बदले जाएंगे, तब से कोई भी डिफेन्स वाला वापस नहीं आया है । 15 सिविलियन पिछले दो महीने में लौट गए हैं । हम समझते है कि पूरा नम्बर यानी डिफेन्स वालों को जोड़ते हुए वहाँ पर करीब 500 होना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, जब दोनों देशों के विदेश सचिवों की बैठक हुई थी, तो क्या यह मामला पाकिस्तान के साथ उठाया गया कि पंजाब के आतंक-

वादियों को पाकिस्तान में सैनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस तरह का एक निश्चित आरोप उस सदन में सत्तारूढ़ दल के एक प्रमुख सदस्य ने लगाया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कूटनीतिक स्तर पर यह मामला कभी उठाया गया है और उठाया गया है, तो कब उठाया गया, किस स्तर पर उठाया गया और पाकिस्तान का जवाब क्या था ?

श्री एस०बी० चव्हाण : एक्सट्रीमिस्ट्स एलीमेंट्स को पाकिस्तान में ट्रेनिंग देने के बारे में अलग-अलग स्तर पर यह सवाल उठाया गया था लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई सैटिसफैक्टरी रेस्पोंस पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिला है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : इसका उससे भी सम्बन्ध है। वास्तव में रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान में प्रशिक्षण शिविर हैं जहाँ पाकिस्तानी सेना द्वारा उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है—यह एक अमैत्री पूर्ण कार्य है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं। मुझे पता नहीं है कि वास्तव में विदेश मन्त्री कौन है; आप तो बिना विभाग के मन्त्री हैं। क्या ऐसा नहीं है ? किसी न किसी को तो उत्तर देना ही है। क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसा प्रमाण है कि वास्तव में पाकिस्तान में प्रशिक्षण केन्द्र हैं यदि है तो वह किस प्रकार का है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य इस बात को समझते होंगे कि जानकारी किस प्रकार की है, इसका विवरण हम नहीं दे सकते या यह नहीं बता सकते कि हमें यह कैसे प्राप्त हुई। लेकिन हमारे पास ऐसी जानकारी है। जैसे मेरे सहयोगी ने अभी कहा है, पाकिस्तान ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है।

श्री पी० नामग्याल : मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के उन नागरिकों को, जो एक दूसरे के देश की यात्रा करना चाहते हैं, वीसा जारी करने के मामले में कुछ छूट दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि जम्मू और काश्मीर के उन लोगों को भी, पाकिस्तान अनधिकृत काश्मीर घाटी में जाने और उन लोगों के इधर आने के बारे में भी यह छूट दी गई है। इस बारे में कुछ कठिनाइयां हैं।

श्री एस०बी० चव्हाण : यह छूट सामान्य तौर पर दी गई है लेकिन वीसा जारी करते समय सम्बन्धित अधिकारी यह देखते हैं कि यात्रा का प्रयोजन क्या है और उस विशेष क्षेत्र की ही यात्रा क्यों की जा रही है ? किस क्षेत्र में जाने की अनुमति देनी है और कहां के लिए अनुमति नहीं देनी है, इसका निर्णय वे अधिकारी ही करते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी जेलों में भारतीय कैदियों की पहचान करने हेतु वहाँ की यात्रा के लिए अनुरोध किया है ? यदि हाँ, तो पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री एस०बी० चव्हाण : मेरे पास जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। यदि सदस्य महोदय चाहते हैं तो···

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : सारे राष्ट्र को रुचि है।

श्री एस०बी० चव्हाण : यदि सदस्य महोदय को इतनी रुचि है तो वह विशिष्ट प्रश्न पूछें ? हम उत्तर देंगे।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) : यात्रा की व्यवस्था हो गई थी और हमने जेलों की यात्रा कर ली है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं इसमें यह भी कहना चाहती हूं कि जेल देखने की व्यवस्था हो गई थी लेकिन हमें यह अनुभव हुआ कि जो लोग गए थे उन्हें ठीक तरह से देखने नहीं दिया गया। यह संतोषजनक यात्रा न थी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : किन लोगों को वहां भेजा गया ? इस साल में इसके बारे में कोई प्रोटेस्ट किया, कोई लिखत-पढ़त की गई ? यह नरसिंह राव जी को मालूम होगा, वे बता देंगे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वास्तव में सम्बन्धियों को जेल में जाकर देखने की अनुमति दी गई थी।

पाकिस्तान के प्रचार-साध्यमों द्वारा भारत विरोधी प्रचार

*151. **श्री मोती भाई आर० चौधरी**† :

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1984 के पहले सप्ताह में पाकिस्तान दूरदर्शन ने स्वर्ण मन्दिर के कई भागों को विध्वंस अवस्था में दिखाया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) भारत सरकार द्वारा इस दिशा में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) और (ग) 4 जून को पाकिस्तान टेलीविजन ने जरनैल सिंह भिंडरावाले के एक भड़काने वाले भाषण के कुछ अंश दिखाए और उसके बाद स्वर्ण मन्दिर की एक दीवार पर गोलियों के निशान के दृश्य दिखाए गए। इसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन पर पंजाब की घटनाओं के बारे में जो कुछ दिखाया गया वह एक-तरफा, शरारतपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण और उत्तेजनापूर्ण था।

(ख) विदेश सचिव ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी राजदूत को और इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय को हमारी चिन्ता और विक्षोभ से अवगत करा दिया था। पाकिस्तानी प्राधिकारियों को बताया गया कि पाकिस्तानी प्रचार-माध्यमों, जिसमें टेली-

विजन भी शामिल है, द्वारा दिखाई गई दुर्भावना अहस्तक्षेप की नीति के विरुद्ध है और वह द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों के अनुकूल नहीं है।

पाकिस्तान की यात्रा के दौरान सूचना एवं प्रसारण मन्त्री श्री एच०के०एल० भगत ने भी पाकिस्तान के नेताओं के साथ इस मामले को उठाया था।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : जब स्वर्ण मन्दिर सेना के हाथ में था तो फिर पाकिस्तान ने यह दृश्य टेलीविजन पर कैसे दिखाया, वह दृश्य कैसे खींचा गया ? क्या यह दृश्य पाकिस्तान की ओर से खींचा गया या किसी और एजेन्सी के द्वारा खींचा गया ? किसी एजेंसी के द्वारा खींचा गया तो वह एजेन्सी कौन है ? हम इन चीजों का क्या ख्याल रखते हैं ?

बिना विभाग के मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मिलिट्री एक्शन से पहले जो फोरन मीडिया और फोरन टी० वी० के लोग वहाँ थे उन्होंने यह तस्वीर खींची थी। जो बुलट मार्क्स उसके ऊपर बताये जाते हैं उनके नीचे 1 जून, 1984 की तारीख इंस्क्राइब हुई पाई गई है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनका प्रश्न यह है कि क्या यह फिल्म पाकिस्तानियों ने तैयार की या किसी और ने ?

श्री एस० बी० चव्हाण : सरकार के लिए यह बताना कठिन है। अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी हैं जिनके पास दूरदर्शन के लिए फिल्में तैयार करने की सुविधा है। वे फोटोग्राफ और चित्र ले लेते हैं। बाद में उन्हें इकट्ठा करके अलग-अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है। लगता है पाकिस्तान को यह फिल्म शायद बी० बी० सी० या किसी अन्य विदेशी एजेंसी से प्राप्त हुई हैं।

श्री हेमव्रती नन्दन बहुगुणा : जबकि सरकार को पता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बहुगुणा, मैं अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान)**

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं इसे स्पष्ट कर दूं। हमने पाकिस्तान पर दूरदर्शन कार्यक्रम देखा है। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से विभिन्न चीजें प्राप्त की हैं। कुछ बी० बी० सी० से, कुछ अमेरिका से, कुछ यहां से और कुछ वहाँ से लेकर जोड़ा गया है। ऐसा ही जोड़ा हुआ कार्यक्रम उन्होंने दिखाया और हमने उस पर बहुत आपत्ति की है। उन्होंने कहा है कि हमने विभिन्न स्रोतों से इसे लिया है। हमने कहा कि इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। हमें इस पर आपत्ति रहेगी।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : अध्यक्ष जी, मई 19 से 23 तक तो हमारे विदेश सचिव उनसे बात कर रहे थे। इसके बारे में पाकिस्तान के राजदूत से भी बातचीत की है, इस्लामाबाद में भी की है। मंत्री जी ने भी बात की है। तो मैं जानता हूं कि ये जो शरारतपूर्ण दृश्य बताए गए हैं, इसके बारे में उन्होंने खेद प्रकट किया है या नहीं किया है। आपसे क्या बातचीत हुई है ?

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मैंने पहले भी ऐसे ही प्रश्न का उत्तर दिया था। कल भी ऐसा ही प्रश्न आया था।

श्री मनीराम बागड़ी : पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सवाल किसका है और जवाब कौन दे रहा है। एक्सटर्नल अफ़ेयर मिनिस्टर से पूछा गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : आप उनको करने देते हैं, लेकिन हमको नही करने देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मन्त्रिमण्डल का संयुक्त दायित्व है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जाइंट रेसपोंसिबिलिटी का यह मतलब नहीं है। हां यह हो सकता है कि एक दूसरे से मदद ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मदद ही तो ली है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह साफ हो गया है कि विदेश मन्त्रालय कुछ कमजोर हो गया है।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय, पहली बात तो यह है कि कोई भी मन्त्री किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इस विशेष प्रश्न का सम्बंध विशेष रूप से मेरे सहयोगी श्री भगत की यात्रा से हैं। अतः किसी अन्य की अपेक्षा उन्हें इसकी बेहतर जानकारी है।

एक माननीय सदस्य : अन्यथा उन्हें पता नही···?

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इसमें विदेश मन्त्रालय से प्रश्न पूछा गया है।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : हम जवाब देने के लिए किसी भी मन्त्री से कह सकते हैं जवाब देने के लिए। उन्होंने खेद प्रकट किया या नहीं, जहाँ तक हमें मालूम है ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस प्रश्न का उत्तर सम्बन्धित द्वारा नहीं दिया गया। आप स्थायी रूप से विदेश मन्त्री क्यों नहीं नियुक्त करते ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है, उससे पता चलता है कि इस आरोप में बहुत सच्चाई है कि पाकिस्तान की ओर से दुर्भावनापूर्ण प्रचार, अपने प्रचार माध्यमों के द्वारा किया जा रहा है और इसकी जानकारी सरकार को भी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्वेत पत्र में इस पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार का कहीं उल्लेख नहीं है। तो क्या इससे पता नहीं चलता कि सरकार इसको गंभीरता पूर्वक नहीं ले रही है। क्या यह इसलिए है कि इसमें कहीं पर टेलीविजन में जो कुछ दिखाया गया है, कहीं पर प्रधानमन्त्री जी का नाम नहीं है, इसलिए सरकार ने इसको गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया ? क्योंकि बी० बी० सी० से जब ऐसा प्रचार होता है तो बहुत जन-आक्रोश दिखाने का प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन, पाकिस्तान ने ऐसा किया तो हम लोगों ने क्या किया ? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसको गम्भीरतापूर्वक ले रही है या नहीं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह तो एक बहुत आश्चर्यजनक प्रश्न है। क्योंकि, जाहिर है कि बहुत गम्भीरतापूर्वक हम इसको ले रहे हैं। इसमें किसका नाम है और किसका नाम नहीं है, यह सवाल नहीं है। जहां भी ऐसा होता है और हमें यह लगता है कि हमारे देश के विरुद्ध कोई कार्यक्रम है या कोई प्रचार है तो उसका यहां से प्रोटेस्ट होता है। उस चीज को यहां से उठाया जाता है। पाकिस्तान के संग एक दफा नहीं, अनेकों बार दूसरे देशों की अपेक्षा उठाया जाता है उनके संग तो हर समय हर लेवल पर उठाया जाता है। जब भी कोई वहाँ से आया, प्रचार के बारे में भी मेरी बातचीत हुई तो मैंने भी बहुत जोरों से उठाया है। जाहिर है कि उठाते जायेंगे। साथ ही साथ हमारी कोशिश यह भी रही है कि अगर हम ऐसा वातावरण बना सकें, जिसमें दोस्ती हो सके और खाली प्रचार के कारण नहीं लेकिन और कुछ दूसरे ध्यान से कि दो पड़ोसी हैं, जिनके बहुत से प्रश्न एक से है और आपस में अगर सम्बन्ध अच्छा रहता है तो हम दोनों ही अपने जो असली काम हैं, गरीबी हटाने के, उन पर ज्यादा जोर दे सकते हैं तथा ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। इसलिए दोनों चीजें हैं। एक तो यह कि गलत प्रचार नहीं होना चाहिए, उसको भी उठाए और दूसरे दृष्टिकोण से भी क्योंकि इसके कारण वातावरण बिगड़ता है और टैन्शन भी बढ़ती है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : जब आप गम्भीरतापूर्वक लेते है तो श्वेत पत्र में इसका

उल्लेख क्यों नहीं किया गया है ? इसका जवाब नहीं आया है ।

श्री सतीश अग्रवाल : मुख्य प्रश्न का जवाब देते समय सूचना एवं प्रसारण मन्त्री ने सदन में बताया कि वे पाकिस्तान टेलिविजन द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रमों पर निगरानी रख रहे हैं । अगर ऐसा है तो किस प्रकार से हम, संसद सदस्यों को साउथ ब्लाक में जून के अन्तिम सप्ताह में वीडियो फिल्म दिखाई गई थी । पाकिस्तान में हमारे उच्चायुक्त ने वीडिजो टेप भेजा था और हमें यह फिल्म दिखाई गई, तकि हम देख सकें कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने इस तरह का प्रचार किया था । अगर आप सम्पूर्ण कार्यक्रम पर निगरानी रख रहे हैं तो वह वीडियो टेप क्यों पाकिस्तान से लाया गया और हमें फिल्म दिखाई गई । पाकिस्तान द्वारा हमारे विरुद्ध किए जा रहे प्रचार के बारे में वीडियो टेप को हमें पहले क्यों नहीं दिखाया गया ?

इसके अलावा, जब मैंने विदेश मन्त्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से प्रश्न किया कि हमारे कार्यक्रमों की तुलना यह कैसा है । उन्होंने बताया कि हमारे कार्यक्रम का स्तर बहुत ही खराब है । इसको ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन के कार्यक्रमों आदि के स्तर में सुधार करने के लिए मैं सरकार से 10 करोड़ रुपये मंजूर करने के लिए अनुरोध करता हूं ।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : हमने हाल ही में पाकिस्तान दूरदर्शन कार्यक्रमों पर निगरानी रखनी शुरू की है जबकि पंजाब में घटनाएं हुई । ऐसा अमृतसर में किया गया है । मैं नहीं जानता, पहले क्या दिखाया गया था, परन्तु वीडियो टेप वहां पर हमारे उच्चायुक्त द्वारा लाया गया होगा । जैसा कि मैंने कहा, हमने ऐसा करना हाल ही में शुरू किया है, हर रोज हम इसे अमृतसर से प्राप्त करते हैं और देखते हैं ।

जहां तक दूरदर्शन को सुदृढ़ करने का सम्बन्ध है, उसके लिए हमने पहले ही काफी प्रस्ताव रखे हैं और उन्हें स्वीकार कर लिया गया है । हमें आशा है कि दूरदर्शन की मशीनरी तथा कार्यक्रमों में भी काफी हद तक सुधार आयेगा ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह न सिर्फ पंजाब की घटनाओं के समाचारों को भेजने के सम्बन्ध में है, परन्तु रक्षा मन्त्री श्री तालपुर पाकिस्तान के विदेश मन्त्री भद्र एवं विवेकी श्री याकूब खान जैसे जिया सरकार के वरिष्ठ मन्त्रियों द्वारा भड़काने वाला और उत्तेजक वक्तव्य दिए गए है । वे भारत में अल्पसंख्यक के हत्याकांड की बात करते हैं जबकि उन्होंने स्वयं ही बहुत पहले ही अल्पसंख्यकों को समाप्त कर दिया है । जिया प्रशासन के मन्त्रियों द्वारा ये वक्तव्य स्पष्ट रूप से जिया के आदेशानुसार दिए गए हैं । हम उस शासन को जानते हैं । विरोध प्रकट करने के अतिरिक्त, क्या सरकार उन्हें स्पष्ट करेगी युद्धवर्जन-सन्धि तथा मैत्री सन्धि पर चर्चा करने वार्ता करने का ही कोई अर्थ नहीं है, जिनसे एक प्रकार से राष्ट्रपति जिया को उनके जन सम्पर्क अभियान में मदद मिलती हो और न केवल जिया

प्रशासन को बल्कि पाकिस्तान की जनता को भी गलत संकेत भेजे जाएं कि ये पाकिस्तान के इस निरंकुश शासन को हमारा समर्थन प्राप्त है। क्या आप उन्हें स्पष्ट रूप से बतायेंगे कि जब तक इन सज्जन व्यक्तियों तथा उनकी सरकार का हमारी सरकार तथा हमारे लोगों के प्रति वास्तविक रूप से हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक वार्ता करने का कोई फायदा नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारे विदेश सचिव की वहां जो वार्ता हुई तथा हमने उनके साथ जो बातचीत की उसका समनुरूप से यही सार है। पाकिस्तान में तथा वहां के लोगों द्वारा अन्यत्र दिए गए भारत विरोधी भाषणों, वक्तव्यों पर हमने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसीलिए समझौते नहीं हुए हैं। जब तक ऐसे समझौतों के अनुरूप वातावरण नहीं बनता, जिसमें हम जान सकें कि इस प्रकार के समझौते प्रभावी होंगे और उचित ढंग से कार्यान्वित होंगे, तब तक हम उन्हें नहीं कर सकते। इसीलिए हम शांति, मैत्री एवं सहयोग के समझौते को प्राथमिकता देते है। यही मुख्य आधार है। अगर इस पर निणय लिया जाता है और समझौता होता है, तो हम स्वतः ही बेहतर सम्बन्धों की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

अमरीका के उप-राष्ट्रपति का दौरा

*153. **श्री एन० डेनिस** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के उप-राष्ट्रपति, हाल ही में भारत में सरकारी दौरे पर आए थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई और उनके इस आश्वासन कि इनको भारत के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाया जायेगा के बारे में अपने पिछले अनुभव को देखते हुए क्या भारत ने कोई आवाज उठायी थी; और

(ग) यदि हाँ, तो बातचीत का निष्कर्ष क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां, अमरीका के उप-राष्ट्रपति 12 से 15 मई तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे।

(ख) और (ग) अमरीका द्वारा पाकिस्तान को भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार दिए जाने पर भारत की गम्भीर चिन्ता को एक से अधिक बार अमरीकी उप-राष्ट्रपति के सामने दोहराया गया।

श्री एन० डेनिस : श्रीमन्, समाचार पत्रों की रिपोर्टों से पता चलता है कि अमरीका के उप-राष्ट्रपति ने यह आश्वास देने से इन्कार कर दिया है कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को जो हथियार दिए गए हैं उनका प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जाएगा।

इसके समर्थन में उन्होंने कहा कि ये भारत के विरुद्ध नहीं हैं और गलत तुलना करते हुए कहा कि हमारे द्वारा भी अन्य देशों से हथियार खरीदे जा रहे हैं। अफगानिस्तान को बहाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब है पाकिस्तान इन हथियारों को भारत समेत अन्य देशों के विरुद्ध प्रयोग करने में स्वतन्त्र है। यह हमारा अनुभव है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस निराकरण को अग्रिम चेतावनी के रूप में लिया जा सकता है कि अमेरिकी प्रशासन की यह मंशा है कि इस देश में घेराबन्दी या अस्थिरता की स्थिति पैदा हो, जो कि हमारी शान्ति और सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : श्रीमन्, मैं यह नहीं कह सकती कि अमेरिकी प्रशासन की यह मंशा है। लेकिन यह भी सत्य है कि हमारे पड़ोसी देशों और हिन्द महासागर में भारी मात्रा में नवीनतम हथियारों के जमाव से हमें काफी चिन्ता है। विशेषकर उस स्थिति में जबकि हथियारबन्द सेना और हथियार हमारी सीमा के साथ जमा हुए हैं। हमें इस बात में जरा भी सन्देह नहीं है कि इन हथियारों का प्रयोग किसी अन्य देश के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। हमने कई अवसरों पर इस मामले को अमेरीका सरकार से उठाया है। जैसा कि माननीय सभा जानती है। उनका तर्क यह है कि अफगानिस्तान की स्थिति को देखते हुए, मजबूरन उन्हें हथियार देने पड़ रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि, इन हथियारों का जमाव उस ओर नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की स्थिति का पूरी तरह लाभ उठा रहा है ताकि वह अधिक से अधिक सहायता प्राप्त कर सके। इस सबसे हमारे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है।

श्री एन० डेनिस : क्या मैं यह जान सकता हूं कि हमारे देश द्वारा उनको, पाकिस्तान को हथियार दिए जाने के सम्बन्ध में प्रकट की गई चिन्ता के परिणामस्वरूप क्या भारत-पाक सम्बन्धों में कोई परिवर्तन या संशोधन होने की सम्भावना है ? और क्या इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बनाने के लिए भारत भी अमेरिकी सहायता प्राप्त करेगा। श्री बुश की भारत यात्रा के फलस्वरूप हमारे देश ने क्या ठोस उपलब्धि हासिल की है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने पहले ही कहा है कि इन नवीनतम हथियारों के आ जाने से इस क्षेत्र में तनाव में वृद्धि हुई है, वातावरण बिगड़ा है। हम मैत्री का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे यह बिगड़ा है। इससे हमारे ऊपर भी भारी बोझा पड़ा है, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा को नजरन्दाज नहीं कर सकते। इन सभी मुद्दों से उपराष्ट्रपति श्री बुश को और विभिन्न स्तरों पर अमेरिकी सरकार को अवगत करा दिया गया है। लेकिन हमारी इन चिन्ताओं को वहां सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा गया है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जब अमरीका के उप-राष्ट्रपति आए थे उस समय में पेपर्स में निकला था कि दोनों देशों के नेताओं में बातचीत काफी हद तक अच्छी रही। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जहां सरकार

विदेशी हाथ का इस्तेमाल करती है प्रत्येक चीज में वहां सरकार का जो मतलब है वह सी० आई० ए० से भी होता है । तो क्या सरकार ने उप-राष्ट्रपति से इस सम्बन्ध में जिक्र किया था कि हिन्दुस्तान के आन्तरिक मामले में सी०आई०ए० का दखल होता है ? और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? और मैं प्रधान मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी उन्होंने पढ़ा होगा जो एस० गोपाल हैं, श्री राधाकृष्णन के लड़के उन्होंने रहस्योद्घाटन किया है डा० एस० ओ० मथाई के सम्बन्ध में इनका भी सम्बन्ध सी०आई०ए० से रहा है । इस सम्बन्ध में आपने कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो क्या है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जहां तक ताल्लुक है आपके आखिरी प्रश्न का जहां तक मुझे मालूम है कोई जांच अभी नहीं हुई है । उस वक्त उनके खिलाफ कुछ दूसरे आरोप लगे थे और उसमें जरूर जांच हुई थी । और यही कारण था कि वह हटाए गए थे ।

जहां तक आपने बातचीत का जिक्र किया है तो अब बातचीत जब ऐसे लोग आते हैं तो हमेशा ही फ्रेंक और फ्रेंडली, यह दो शब्द हैं, जो हमेशा ही कहे जाते हैं, और बातचीत उस स्तर पर होती भी है । यानी उनसे हम कोई लड़ाई तो करते नहीं हैं जो बात चीत करने आए हैं । लेकिन बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिसमें हमारी राय बहुत ही डायमीट्रिकली अपोज्ड भी होती है, कभी थोड़ा फर्क होता है और वह हम जाहिर कर देते हैं । और हम समझते हैं कि इसमें कुछ लाभ है कि वह मालूम ही जाने हमारी क्या राय है । वह मानें या नहीं यह दूसरी बात है । लेकिन यह जरूरी है कि वह हमसे जानें, क्योंकि कभी कभी यह होता है कि अगर हम गुल नहीं मचा रहे हैं तो स्वीकार कर लिया कि यह चीज ठीक है । इसलिए घड़ी-घड़ी हमें बताना होता है कि हमारा असेसमेंट यह है, यह हो रहा है ।

मगर माननीय सदस्य ने एक बड़ी अजब चीज ऐसी कही है कि सरकार ने विदेशी हाथ का इस्तेमाल किया है । सरकार ने किसी विदेशी शक्ति को इस्तेमाल नहीं किया है ।

श्री राम विलास पासवान : सरकार ने आरोप लगाया था कि विदेशी हाथ यानि-सी०आई०ए० का हाथ था ।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : आपने कहा गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया, जहां तक मैंने सुना । शायद गलत सुना हो । हमने कोई फौरेन हैंड अपना कहीं डाला नहीं है ।

और जहां तक जो दूसरी बात आपने कही उसके बारे में अभी पंजाब पर जब यहां बहस हुई तो उस पर भी मैंने जवाब दिया था कि इन बातों का कोई बहुत फूलप्रूफ ऐवीडेंस, फूलप्रूफ सबूत कभी नहीं मिलता है । जहां दूसरे देशों में भी ऐसी बातें हुई हैं वहाँ भी उस समय कई लोगों को लगता था कि ऐसा हुआ है । लेकिन बहुत से लोगों ने

इन्कार किया । आखिर में जब उनकी पुस्तक निकली और आर्टिकिल्स इत्यादि निकले तब जाकर पता चला कि ऐसा हुआ था । उसमें उस प्रकार का सबूत कभी होता नहीं है ।

प्रो० के०के० तिवारी : हमारे पड़ोस में, विशेषकर पाकिस्तान के पास नवीनतम हथियार होने से हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है । और जैसे कि हमारा पिछला अनुभव बताता है कि अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों का प्रयोग हमेशा हमारे विरुद्ध ही किया गया है । लेकिन इससे ज्यादा चिन्ता कि बात पाकिस्तान और चीन के बीच परमाणु क्षेत्र में हुए समझौते से है । इससे और भी ज्यादा चिन्ता हो जाती है क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच परमाणु क्षेत्र की जानकारी का आदान-प्रदान करने की सन्धि हुई है । क्या इस बात पर विचार किया गया ? क्या मैं जान सकता हूं कि अफगानिस्तान के विरुद्ध मुजाहिदों को प्रशिक्षण देने हेतु सी०आई०ए० द्वारा दी गई राशि का उपयोग कहीं जम्मू और काश्मीर में खालिस्तान समर्थकों और उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए लगाए गए प्रशिक्षण शिविरों में तो नहीं किया जा रहा है ?

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : पैसे का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जा रहा है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, यह सत्य है कि चीन ने परमाणु जानकारी स्पलाई करने की बात से इन्कार किया है, आपने भी समाचार पत्रों से ऐसा पढ़ा होगा । लेकिन अमेरिका स्रोत खुद खबर दे रहे है कि यह एक तथ्य है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

त्रिपुरा में उग्रवादियों द्वारा लोगों की हत्या

***142. श्री बी०बी० देसाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में उग्रवादियों ने अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दी है और वे पिछले एक माह से राज्य में अनेक लोगों की हत्या कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उग्रवादियों की गतिविधियों के कारण मरने वालों कुल संख्या कितनी है;

(ग) सुरक्षा बलों द्वारा अब तक कुल कितने उग्रवादी पकड़े गए हैं; और

(घ) उग्रवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए उनसे निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जुलाई, 1984 में सात व्यक्तियों की हत्या की गई।

(ग) 1984 के दौरान अब तक सुरक्षा बलों द्वारा 24 उग्रवादियों को पकड़ा गया है।

(घ) त्रिपुरा राज्य सरकार के अनुसार उग्रवादियों को पकड़ने के लिए छानबीन का गहन संयुक्त कार्रवाइयाँ आरम्भ की गई है। सीमा सुरक्षा ड्यूटियों के लिए और सीमा पार से त्रिपुरा में विद्रोहियों की घुसपैठ को रोकने की दृष्टि से केन्द्रीय सुरक्षा बलों की सख्या बढ़ा दी गई है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ हुई वार्ता

*144. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :**

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका के राष्ट्रपति, जो हाल में भारत की यात्रा पर आए थे, के साथ इस देश में जातीय समस्या के सम्बन्ध में हुए विचार विमर्श के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या किसी पक्ष ने विचारार्थ कोई नए प्रस्ताव रखे थे; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) राष्ट्रपति जयवर्धने की भारत यात्रा के दौरान श्रीलंका की जातीय समस्या पर कुछ विस्तार से विचार-विमर्श हुआ था।

सरकार ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि इस समस्या का राजनीतिक समाधान खोजने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन में कोई ठोस पहल की जानी चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें यह बताया कि सर्वदलीय सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। यह सम्मेलन 23 जुलाई को हुआ जिसमें राष्ट्रपति ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। 17 अगस्त को इस सम्मेलन की बैठक पुनः आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त ज्ञापन पर विचार किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक आयोग का गठन

*146 **श्री सुभाष चन्द्र यादव : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े

वर्गों के लोगों की स्थिति की जांच करने के लिए एक नया आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं श्रीमान ।

(ख) विद्यमान प्रबन्ध पर्याप्त समझे जाते हैं ।

परमाणु बिजली घरों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों का सर्वेक्षण

*147. **श्री जी० देवराय नायक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु बिजली घरों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों का पता लगाने के हेतु सर्वेक्षण किया है;

(ख) इन परमाणु बिजली घरों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु बिजली घर लगाने के लिए उपयुक्त स्थलों का अध्ययन करने और उनके बारे में सिफारिश देने के लिए एक स्थल-चयन समिति गठित की है ।

(ख) तथा (ग) स्थल-चयन समिति की रिपोर्ट दक्षिणी क्षेत्र के बारे में मिल चुकी है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के बारे में रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

आदिवासी सलाहकार परिषदों में संसद सदस्यों को शामिल करना

*148. **श्री भाऊ साहिब थोरट** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आदिवासी क्षेत्रों के संसद सदस्य और विधायक लम्बे अर्से से यह मांग कर रहे हैं कि संसद सदस्यों को आदिवासी सलाहाकार परिषदों में शामिल किया जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) आदिवासी सलाहकार परिषदों में संसद सदस्यों को शामिल किए जाने के लिए सुझाव दिए गए हैं।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों को संविधान की पांचवी अनुसूची के उपबन्धों के अधीन आदिवासी सलाहकार परिषदों में संसद सदस्यों को शामिल करने की सलाह दी गई है।

आंध्र प्रदेश में सोने के भण्डार

*150. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्थान ने हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में चिगारगुंटा और मल्लाप्पाकोंडा क्षेत्र में और अनन्तपुर जिले के कोटापल्ले ब्लाक में भारी स्वर्ण भंडारों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या ब्योरा है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षणों के फलस्वरूप, आन्ध्र प्रदेश में चित्तूर और अनन्तपुर जिलों के भूभागों में प्रचुर स्वर्ण खनिजीकरण का पता चला है। चित्तूर जिले में अब तक कि खोजों के फलस्वरूप, चिगारगुन्टा और मालप्पाकोंडा क्षेत्र में क्रमश: 4-5 ग्राम प्रतिटन वाले लगभग 4.19 मि० टन तथा 2.47 से 4 ग्राम प्रतिटन वाले 0.7 मि० टन भंडार होने का अनुमान है। येप्पामाना खान में 4.69 ग्राम प्रतिटन ग्रेड के 5.69 लाख टन खनन योग्य स्वर्ण अयस्क होने का अनुमान है। कोटापल्ली ब्लाक में परिणाम उत्साहवर्धक नहीं हैं।

भारत-बंगला देश सीमा पर कांटेदार तार लगाना

*152. **श्री रवीन्द्र वर्मा** :

श्री बापू साहिब परूलेकर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशियों की घुसपैठ रोकने के लिये बंगलादेश सीमा में हमारे क्षेत्र में कांटेदार तारों की बाढ़ लगाने का काम आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह काम अधूरा छोड़ दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) बाड़ का वास्तविक निर्माण विशेष रूप से कठिन मैदानी परिस्थितियों के

कारण व्यापक सर्वेक्षण के बाद प्रारम्भ होना है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने असम के धुबरी जिले में भारतीय क्षेत्र में सीमा स्तम्भ 1001 के निकट 27 मार्च, 1984 को सर्वेक्षण कार्य शुरू किया। पहला स्तम्भ 5 अप्रैल, 1984 को असम, बंगलादेश और पश्चिम बंगाल के त्रि-संगम पर लगाया गया था। सर्वेक्षण और निर्माण दोनों कार्य अप्रैल, 1984 के अन्तिम सप्ताह तक जारी रहे।

(ग) और (घ) : फिलहाल मानसून आदि के कारण कार्य स्थगित है।

दिल्ली में उग्रवादियों के गुप्त अड्डों का पता लगाना

*154. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उग्रवादियों के गुप्त अड्डों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या उन स्थानों से कोई गोला-बारूद प्राप्त हुआ है और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) (क) से (ग) : दिल्ली पुलिस इस सम्बन्ध में सतर्क है और जब कभी आन्दोलनकारियों/उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त होती है, छापे मारे जाते हैं। कुछ सक्रिय कार्यकर्ताओं को शस्त्र और गोला-बारूद सहित गिरफ्तार किया गया है लेकिन शस्त्र और गोला-बारूद वाले इस प्रकार के गुप्त अड्डों का पता नहीं लगा।

तांबे आदि से बहुमूल्य धातुएं निकालने के लिए भुवनेश्वर में एक प्रायोगिक संयत्र की स्थापना

*155 **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से तांबा, सिक्के और जस्ते से मूल्यवान धातुएं निकालने के लिए भुवनेश्वर में एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रायोगिक संयंत्र पर कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या उक्त परियोजना की स्थापना का कार्य क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर को सौंपा गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त संयंत्र के कब तक चालू हो जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी की तकनीकी सहायता से निम्न कोटि के बहु-धातु सल्फाइडों से मूल्यवान धातुएं, तांबा, लेड और जस्ता निकालने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर०आर०एल०), भुवनेश्वर में आरम्भिक संयंत्र (पायलट प्लांट) स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) आरम्भिक संयंत्र की अनुमानित स्थापना लागत रु० 3.74 करोड़ है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1986 के मध्य तक आरम्भिक संयंत्र के कमीशन किए जाने की आशा है।

(ङ) कार्य निर्धारण कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है।

जगजीत सिंह चौहान का प्रत्यर्पण

*156 **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन के अधिकारियों से खालिस्तान के तथाकथित नेता जगजीत सिंह चौहान के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : लन्दन स्थित हमारे हाई कमीशन ने 1976 में ब्रिटेन की सरकार को सूचित किया था कि डा० जगजीत सिंह चौहान को पासपोर्ट सुविधाएं अस्वीकार कर दी गई हैं और साथ ही यह भी कहा था कि उन्हें वापस भेज दिया जाए। ब्रिटेन की सरकार ने यह अनुरोध इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि इस तरह के अनुरोधों को स्वीकार करने के लिए निर्वासन के प्रावधान स्थिर नहीं किए गए हैं।

'तीसरा दक्षिण गंगोत्री अभियान (अन्टार्कटिका)"

*158. **प्रो० मधु दण्डवते** :

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे दक्षिण गंगोत्री (अन्टार्कटिका) अभियान दल ने दक्षिण गंगोत्री में पहुंचने पर दूसरे अभियान के दौरान वहां पर किए गए प्रयोगों के परिणामों की पुष्टि अथवा पुनर्सत्यापन के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट दी है;

(ख) क्या उसने तीसरे अभियान के दौरान अपने निष्कर्षों के सम्बन्ध में कोई जानकारी भेजी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) मौसम-विज्ञान, ऊपरी वायुमण्डलीय भौतिक विज्ञान, भूविज्ञान, जीवविज्ञान, सूक्ष्म जीव-विज्ञान, रेडियो-वेव संचारण, हिमक्रिया विज्ञान (ग्लेशियोलाजी) के क्षेत्रों में प्रथम अभियान के दौरान किए गए प्रयोगों को दूसरे और तीसरे अभियानों के दौरान जारी रखा गया है ।

भिवन्डी के उपद्रवों में जान-माल की क्षति

*150. **श्री वीरेन घोष :**

श्री उत्तम राठौर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-भिवंडी उपद्रवों में जान-माल की कुल कितनी क्षति हुई है;

(ख) इन उपद्रवों में कुल कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है;

(ग) कितने लोगों के घर-परिवार नष्ट हुए हैं;

(घ) उनके पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) इन दंगों के लिए कौन जिम्मेदार है ?

गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) महाराष्ट्र सरकार के अनुसार साम्प्रदायिक दंगों में 30-6-1984 तक 278 व्यक्तियों की जानें गईं ।

(ख) लगभग 766.23 लाख रुपये की सम्पत्ति नष्ट/क्षतिग्रस्त हुई ।

(ग) लगभग 6500 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त/नष्ट हुई ।

(घ) जो व्यक्ति मारे गए उनके परिवार को 5000/-रु० और जो जख्मी हुए उनको 1000/-रु०—2000/-रु० की दर से वित्तीय सहायता दी गई । इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की झोंपड़ियां क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गई थी उनको मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और भवन निर्माण सामग्री दी गई थी । दंगों से प्रभावित पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 1002 झोपड़ियों का निर्माण भी किया जा रहा है । सरकार ने राष्ट्रीय कृत बैंकों और सहायता कोष के जरिए वाणिजिक तथा औद्योगिक एककों को सहायता करने का भी फैसला किया है ।

(ङ) महाराष्ट्र सरकार के अनुसार शिव सेना के नेताओं द्वारा दिए गए भड़काने वाले भाषण और प्रेस में तोड़-मरोड़ कर दिये गए कथित समाचार जिसमें पैगम्बर मुहम्मद के प्रति निन्दाजनक उल्लेख है उन घटनाओं में से थे, जिनके कारण साम्प्रदायि दंगे हुए ।

आई० आई० एस० सी० ओ० के बर्नपुर और कुल्टी एककों में संकट

*160. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०आई०एस०सी०ओ० की बर्नपुर और कुल्टी स्थित दोनों राष्ट्रीय-कृत एकक गहरे संकट में है;

(ख) क्या इनको सक्षम बनाने के लिए दोनों एककों का नवीकरण करने की आवश्यकता है; और

(ग) क्या सरकार उक्त दोनों एककों का नवीकरण करने और इनका प्रौद्योगिकीय दर्जा बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य-मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बर्नपुर और कुल्टी के इस्पात कारखानों में उत्पादन में कमी मुख्यत: संयंत्र तथा उपस्करों की स्थिति अच्छी न होने और काफी मंहगी प्रौद्योगिकी के कारण हुई हैं। परिणामस्वरूप कम्पनी को काफी हानि हुई है।

(ख) जी, हां।

(ग) बर्नपुर के इस्पात कारखाने में नवीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन का एकीकृत प्रस्ताव तैयार किया गया है : वर्ष 1983 की तीसरी तिमाही के मूल्यों के आधार पर इसकी अनुमानित लागत 931.5 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कुल्टी के कारखाने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन का इसी प्रकार का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है।

देश के आर्थिक विकास के साथ जनसंख्या का सम्बन्ध

* 61. श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :

श्री टी० एस० नेगी : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस मत की जानकारी है कि अधिक जनसंख्या प्रगति और आर्थिक विकास में वास्तविक बाधा नहीं है;

(ख) क्या ये मत योजना आयोग और पश्चिमी समाज शास्त्रियों के विचारों से बिल्कुल भिन्न है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस महत्वपूर्ण मत की जांच करने और यदि आवश्यक हो तो अपनी योजना नीति में परिवर्तन करने का है ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय, जनसंख्या और आर्थिक विकास के बीच पारस्परिक क्रिया के विभिन्न पहलुओं की जांच अभिप्रेत है ।

बड़ौदा में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग समूह की स्थापना

*162. **श्री आर० जी० गायकवाड़** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए अपेक्षित कच्चे माल के उत्पादन के लिए बड़ौदा में एक इलेक्ट्रानिक्स उद्योग समूह की स्थापना की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि का निवेश किए जाने का अनुमोदन है और यह कब पूरा हो जाएगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) से (ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय सिलिकन सुविधा के अन्तर्गत भारतीय पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से बड़ौदा में पालिसिलिकन संयंत्र तथा सिलिकन अभिलक्षण केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में इलेक्ट्रानिकी विभाग को अनुमोदन प्रदान किया है । यह संयंत्र विशिष्ट पराशुद्ध पालिसिलिकन का उत्पादन करेगा जो इलेक्ट्रानिकी उद्योग, विशेषकर "माइक्रो-चिपो" तथा "सौर प्रकाश-वोल्टता सेलों" के लिए मूलभूत सामग्री है । 200 टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता से युक्त इस संयंत्र की स्थापना मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका के मेसर्स हेमलाक सेमीकन्डक्टर कारपोरेशन नामक कम्पनी के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की मेसर्स डो कार्डिंग कारपोरेशन की एक सहायक कंपनी है । सहयोग सम्बन्धी यह करार 8 वर्ष तक लागू रहेगा । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ हेमलाक द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी तकनीकी जानकारी तथा मूलभूत इंजीनियरिंग की आपूर्ति की जाएगी । संयंत्र के सभी विस्तृत इंजीनियरी कार्य, उपस्करों की खरीद तथा उनका प्रतिष्ठापन तथा तकनीकी भवनों के निर्माण से सम्बन्धित सभी कार्यकलाप, विशिष्ट उपयोगिताओं की स्थापना आदि कार्य इंजीनियर्स इण्डिया लि० नामक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा किए जाएंगे । संयंत्र के लिए लगभग 70 प्रतिशत उपस्करों का उत्पादन स्वदेश में ही किया जाएगा । उक्त संयत्र तथा सिलिकन अभिलक्षण केन्द्र में लगभग 90 करोड़ रु० के पूंजी-निवेश की आवश्यकता होगी । उत्पादन वर्ष 1988 के प्रारम्भ में शुरू होने की सम्भावना है ।

अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना

*163. श्री दलीप सिंह भूरिया :

प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रथम भारतीय अन्तरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा को भारत-रूस मैत्री के अन्तर्गत रूसी सहयोग से अन्तरिक्ष में भेजा गया था;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में अपना निजी अन्तरिक्ष केन्द्र स्थापित करने और भविष्य में एक अन्य अन्तरिक्ष यात्री को अन्तरिक्ष में भेजने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह प्राप्त करना कब तक सम्भव हो सकेगा ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख स्वीकृत भारतीय आन्तरिक्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में राष्ट्रीय रेंज से मानव-युक्त उड़ान के लिए क्षमता प्राप्त करने का कार्यक्रम फिलहाल शामिल नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसूर सोना खानों को हानि

*164. श्री मूल चन्द डागा : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सोना खानों में अयस्क की किस्म में निरन्तर गिरावट आ रही है जबकि पहिले प्रतिटन अयस्क चूर्ण से 47.75 ग्राम स्वर्ण प्राप्त होता था वह 1983-84 में घटकर 3.77 ग्राम रह गया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त कम्पनी का घाटा 1981-82 में 84.00 लाख रुपये से बढ़कर 1983-84 में 553.00 लाख रुपये हो गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और इसके कार्यकरण में सुधार करने तथा इसे मुनाफे की स्थिति तक लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) से (ग) भारत गोल्ड माइन्स के कोलार स्वर्ण क्षेत्र में 47.50 ग्राम प्रतिटन औसत अयस्क ग्रेड केवल 1880-1890 में और उससे पूर्व दशक में उपलब्ध था । भारत गोल्ड माइन्स लि० के गठन के समय अयस्क ग्रेड घटकर 5.20 ग्राम प्रतिटन था । 1983-84 में औसत अयस्क ग्रेड पुन: घटकर प्रतिटन 3.47 ग्राम रह गया । सम्पन्न ग्रेड के अयस्क के समाप्त होने का मुख्य कारण है कि इन खानों में एक शताब्दी से अधिक समय से स्वर्ण खनन हो चुका है ।

भारत गोल्ड माइन्स को 1981-82 में जहां 83.88 लाख रुपए का घाटा हुआ था वहां यह घाटा 1983-84 में बढ़कर 560.87 लाख रुपए हो गया । घाटे के मुख्य कारण हैं :—

(1) 1983-84 में भीषण चट्टान विस्फोटों के कारण अपेक्षाकृत सम्पन्न अयस्क ग्रेड के अनेक खनन स्थलों का खनन योग्य न रहना ।

(2) 1981-82 में अयस्क ग्रेड के 3.81 ग्रामप्रतिटन से घटकर 1983-84 में 3.47 ग्राम प्रतिटन रह जाना ।

(3) जून, 1983 में बिजली कटौतियां लागू करना ।

(4) 1981-82 के स्वर्ण मूल्य की तुलना में 1983-84 में स्वर्ण का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम हो जाना ।

(5) खानों की गहराई में वृद्धि होने तथा प्रतिकूल खनन दशाओं के कारण उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होना ।

अच्छी उत्पादकता और संतोषजनक वित्तीय परिणाम हासिल करने के लिए कम्पनी ने सरकार की सहायता से त्रि-सूत्री नीति अपनाई है, जिसमें निम्नलिखित का समावेश है :—

1) तकनीकी और प्रौद्योगकीय सुधार :

कम्पनी ढेर-प्रक्षालन तकनीकों द्वारा मिल अपशिष्ट भण्डारों से स्वर्ण निकालने जा रही है । इसी प्रकार प्लवन विधि द्वारा रिफेक्टरी अयस्क से स्वर्ण निकाला जाएगा । स्वर्ण गवेषण और विदोहन की वर्तमान विधियों पर तकनीकी और प्रोद्योगकीय सुधार का एक कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से चल रहा है ।

2) स्वर्ण अयस्क के वैकल्पिक स्त्रोतों का विकास :

इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर रामगिरि (आन्ध्र प्रदेश) में येप्पामाना खान का विकास किया गया है । चिगारगुंटा में एक अन्य नए निक्षेप का विकास किया जा रहा है ताकि तो कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में पहले से उत्पादित अयस्क में वृद्धि की जा सकें ।

3) विविधीकरण :

कम्पनी अपशिष्ट ढेरों से शीलाइट का उत्पादन कर रही है । टंगस्टन-कारबाइट-टिप्पड ड्रिल राड्स और अन्य खनन उपकरण और मशीनों का निर्माण कर रही है । वह अन्य सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों के लिए शाफ्ट लगाने और खान निर्माण के ठेके भी लेती है । सोवियत प्रौद्योगिकी की सहायता से कम्पनी बड़े पैमाने पर तेजगति से शाफ्ट लगाने के ठेके लेने जा रही है ।

सिर पर मल ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए राज्यों को निदेश

* 165. **श्री छोटू भाई गामित :**

श्री के० मालन्ना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सिर पर मल ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए राज्यों को निदेश जारी करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें यह प्रथा अभी तक जारी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) भारत सरकार इस बात को इच्छुक है कि सिर पर मल ढोने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन गृह मन्त्रालय "सम्पूर्ण कस्बे" के आधार पर चुने हुए कस्बों में शुष्क शौचालयों को जलप्रवाही शौचालयों में बदल कर सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिए बराबर अनुदान के आधार पर राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता दे रहा है और मुक्त किए गए सफाई कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार की भी व्यवस्था करता है। इसी प्रकार, निर्माण तथा आवास मन्त्रालय की एक अन्य केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, अर्थात "छोटे तथा मध्य कस्बों की समेकित विकास योजना" के अधीन राज्य सरकारों को कम खर्च के सफाई कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य क्षेत्र के कार्यक्रम के अधीन भी ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

(ग) श्री एन०आर० मलकानी की अध्यक्षता में "सफाई की स्थिति से सम्बन्ध जाँच समिति की रिपोर्ट" जो 1960 में प्रस्तुत की गई थी, में यथा उपलब्ध सूचना के अनुसार सिर पर मल ढोने की प्रथा पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों और दिल्ली में प्रचलित है।

इस्पात के लिए निर्माण में कोकिंग कोल का प्रयोग समाप्त करने की योजना

*166. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री राम विलास पासवान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित लागत वाली एक ऐसी नई प्रौद्योगिकी का विकास करने का कोई प्रस्ताव है, जिसमें कोकिंग कोल पर आश्रित धमन भट्टियों के परम्परागत माध्यम से इस्पात निर्माण के लिए कोकिंग कोल प्रयोग न करना पड़े;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश में इस्पात की उत्पादन लागत में कितनी कमी आएगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी०साल्वे) : (क) से (ग) जी, हां। कोककर कोयले की घटिया क्वालिटी, संसाधनों की कमी तथा सीमित स्रोतों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार किया गया है कि इस प्रकार की प्रौद्योगिकी का विकास करना लाभप्रद होगा जिससे कोककर कोयले के इस्तेमाल से बचा जा सके। तीन प्रक्रियाएं, जिनसे किसी भी कोककर कोयले के इस्तेमाल से बचा जा सकता है और जो प्रथम दृष्टि में आकर्षक प्रतीत होती हैं, विस्तृत अध्ययन के लिए चुनी गई हैं। एक प्रक्रिया के अनुसार स्पंज लोहे के उत्पादन (बेकार जाने वाली ऊष्मा को प्राप्ति भी शामिल है) से उच्च कोटि की वैद्युतिक भट्टी में इस्पात बनाया जा सकता है : दूसरी दो प्रक्रियाओं का उद्देश्य तप्त धातु का उत्पादन करना है। प्रारम्भिक विश्लेषणों से पता चला है कि इन प्रक्रियाओं से उत्पादन की लागत परम्परागत धमन भट्टी प्रक्रिया की उत्पादन लागत से 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक कम हो सकती है।

योजना आयोग द्वारा गृह निर्माण अग्रिम प्रदान करना

1387. **श्री भीखा भाई** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 198 -83 के दौरान योजना आयोग में गृह निर्माण राशि के रूप में कितनी धन राशि, कितने व्यक्तियों को प्रदान की गई;

(ख) क्या उनकी जानकारी में कोई ऐसा मामला आया है कि सरकारी अधिकारियों ने उन मकानों के लिए अग्रिम राशि प्राप्त कर ली गई है, जिनका बिल्कुल निर्माण हो नहीं हुआ या ऐसे भूखण्ड के लिए अग्रिम ले लिया गया हो, जिस पर मकान बना हो न हो; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई अथवा करने का विचार है ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान 35 व्यक्तियों को भवन निर्माण अग्रिम के रूप में 17,55,063.00 रु० की राशि की स्वीकृति दी गई थी।

(ख) जी, हां। एक ऐसा मामला था जिसमें 70,000 रु० को भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति दी गई थी और जमीन के प्लाट को खरीदने के लिए 14,000 रु० की राशि दी गई थी। अभी तक इस प्लाट पर कोई निमाण नहीं किया गया है और न ही 56,000 रु० का शेष अग्रिम लिया गया है।

(ग) भवन निर्माण के लिए योजनाएं और अनुमान प्रस्तुत करने के लिए अधिकारी को 15 दिन का नोटिस दिया गया है जिसके न प्रस्तुत करने पर अधिकारी से अद्यतन ब्याज सहित 14,000 रु० की राशि वसूल करनी होगी।

"नाल्को" द्वारा दमनजोदी गांव के निवासियों का पुनर्वास

1388. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमनजोदी गाँव के निवासी किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं और इस कारण से अल्यूमीनियम संयंत्र के समीप रेल लाइन का निर्माण रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या "नाल्को" अधिकारियों और उड़ीसा सरकार द्वारा क्षति-पूर्ति और पुनर्वास के साथ-साथ रोजगार के अवसर देने के सम्बन्ध में समझौता बातचीत करने के बाद इन लोगों को दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में शान्ति बनाए रखने के लिए गाँव के निवासियों को जबर्दस्ती बेदखल न करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) (क) से (घ) दमनजोड़ी ग्राम के सभी ग्रामीणों को जुलाई, 1984 के तीसरे सप्ताह में वैकल्पिक स्थान पर ले जाया गया है। ग्रामीणों को दूसरे स्थान पर ले जाते समय जबरदस्ती बेदखली का कोई मामला नहीं है।

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (नाल्को) ने विस्थापित परिवारों को आश्वासन दिया है कि प्रत्येक विस्थापित परिवार से एक स्वस्थ व्यक्ति को नाल्को में रोजगार दिया जाएगा बशर्ते कि वह पद के लिए उपयुक्त हो। कम्पनी द्वारा प्रत्येक विस्थापित परिवार को 2,500 रु० की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है।

ग्रामीण जनता का शहरीकरण

1389. श्री एन० डेनिस : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार ग्रामीण जनता के तेजी से हो रहे शहरीकरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है;

(ख) क्या सरकार के पास ग्रामीण जनता के लिए उनके क्षेत्रों में ही लाभकारी व्यवसाय प्रदान करने के कोई रचनात्मक प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में

कई विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से जिनसे अन्य बातों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित प्रव्रजन रोकने की आशा की जाती है, ग्रामीण लोगों में गरीबी और बेरोजगारी कम करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ।

(ख) ये विशेष कार्यक्रम हैं : ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण सहित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ए०ग्रा०वि०का०), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा०ग्रा०रो०का०) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (ग्रा० भू०रो०गा०का०) ।

(ग) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम को छोड़कर, इन कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा, छठी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के पैरा 11.9 से 11.38 तक में दिया गया गया है । ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम एक वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार के एक सदस्य को 100 दिन तक रोजगार देकर ग्रामीण भूमिहीन गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए 1983-84 में आरम्भ किया गया था ।

अप्रैल, 1984 के दौरान परमाणु बिजलीघरों का उत्पादन

1390. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1984 के प्रथम पखवाड़े के विभिन्न दिनों में तारापुर, राजस्थान और कलपाक्कम परमाणु बिजली घरों की विभिन्न यूनिटों में कितना उत्पादन हुआ और उन दिनों के दौरान विभिन्न ग्रिडों में वास्तव में कितनी ऊर्जा सप्लाई की गई;

(ख) उत्तरी ग्रिड के पोषण हेतु नरोरा परमाणु बिजली घर को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार ने परमाणु बिजली घरों के आर्थिक पहलू पर विचार करने और नया परमाणु कार्यक्रम तैयार करने के लिए श्री जे०सी० शाह की अध्यक्षता में कोई कार्यवाही दल बनाया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1 से 15 अप्रैल, 1984 तक की अवधि में तारापुर, राजस्थान और मद्रास परमाणु बिजली घरों के विभिन्न यूनिटों में पैदा हुई बिजली और उसी अवधि में विभिन्न ग्रिडों को दी गई बिजली की वास्तविक मात्रा संलग्न विवरण में बताई गई है ।

(ख) आशा है कि नरोरा परमाणु बिजली घर के दो यूनिट क्रमश: वर्ष 1987-88 और 1988-89 में चालू कर दिए जाएंगे ।

(ग) परमाणु बिजली के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने और उनके बारे में परमाणु ऊर्जा विभाग को सलाह देने के लिए श्री जे०सी० शाह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है ।

विवरण

(क) सूचना नीचे दी जा रही है :

सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में दिए गए हैं :

तारीख	तारापुर परमाणु बिजली घर पहला यूनिट	तारापुर परमाणु बिजली घर दूसरा यूनिट	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को दी गई बिजली	गुजरात विद्युत बोर्ड को दी गई बिजली	राजस्थान परमाणु बिजली घर का दूसरा यूनिट/पैदा हुई बिजली/राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को दी गई बिजली	मद्रास परमाणु बिजलीघर को पहला यूनिट/ पैदा हुई बिजली/ तामिलनाडु विद्युत बोर्ड को दी गई बिजली
अप्रैल 1	2.655		(—) 0.412	3.067	4.292	1.964
अप्रैल 2	2.601		(—) 2.944	5.545	4.21	1.050
अप्रैल 3	—		—	—	4.296	यूनिट
अप्रैल 4	—		—	—	4.207	बद रहा
अप्रैल 5	—		—	—	4.171	1.347
अप्रैल 6	—		—	—	4.131	2.523
अप्रैल 7	—		—	—	2.32	3.842
अप्रैल 8	—		—	—	—	4.114
अप्रैल 9	—		—	—	—	4.178
अप्रैल 10	—		—	—	—	4.19
अप्रैल 11	—		—	—	—	4.176
अप्रैल 12	0.402		(—) 0.658	1.06	2.592	4.185
अप्रैल 13	0.593		(—) 0.95	1.543	2.846	4.257
अप्रैल 14	2.481		0.354	2.127	1.434	4.201
अप्रैल 15	2.764		0.621	2.143	—	4.195

रहा है। अनुरक्षण के लिए बंद है — यूनिट ईंधन बदलने के लिए बंद है — यूनिट बंद रहा

दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

1391. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण तथा भिलाई तथा बोकारो इस्पात संयंत्रों में अवरोधों को दूर करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है ;

(ख) उक्त योजना इस समय किस स्थिति में है;

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस योजना का कार्यान्वयन कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य-मन्त्री (श्री एन०के०पी०साल्वे) : (क) से (घ) जी, हां । दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर के इस्पात कारखानों के नवीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन की योजनाएं तैयार कर ली गई हैं और सरकार द्वारा उन पर भिन्न भिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है । इन योजनाओं के लिए सरकार की स्वीकृति मिलने के पश्चात् ही इस बात का पता चल सकेगा कि ये योजनाएं कितने समय में कार्यान्वित की जाएंगी तथा इनकी लागत कितनी होगी ।

भिलाई तथा बोकारो के इस्पात कारखानों के लिए भी इस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं ।

दिल्ली में पासपोर्ट गिरोह का पकड़ा जाना

1392. **श्री नवीन रावणी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जाली पासपोर्ट तैयार करने वालों का एक गिरोह पकड़ा गया है;

(ख) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे बरामद हुए सामान का ब्योरा क्या है;

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान पकड़े गए ऐसे अन्य गिरोहों का ब्योरा क्या है; और

(घ) देश में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) 1 अप्रैल, 1983 से 31 मार्च, 1984 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसे 3 गिरोह पकड़े गए हैं ।

(ख) इन मामलों में 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जाली पासपोर्ट, जाली वीजा, रबर की मोहरें और विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री बरामद की गई है।

(ग) इस अवधि के दौरान पारपत्रों पर फोटोग्राफ बदल कर, वीजा और प्रतिरूपण में जालसाजी के 68 और मामले दिल्ली पुलिस को सूचित किए गए हैं।

(घ) पुलिस हमेशा सतर्क रहती है और जब कभी ऐसी कोई गतिविधि ध्यान में आती है तो तुरन्त कारवाई की जाती है।

मन्त्रालयों में नियमित पदों के स्थान पर दैनिक मजूरी कर्मचारियों को रोजगार

1393. **श्री एन०ई०होरो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कार्यालयों में नियमित पदों के स्थान पर दैनिक मजूरी कर्मचारियों को किस आधार पर रोजगार में रखा जाता है;

(ख) क्या इस प्रकार के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए अपेक्षित 240 दिनों की गणना वित्तीय वर्ष के आधार पर अथवा कलैण्डर वर्ष के अनुसार अथवा दो वर्ष लगातार पूरा करने के आधार पर की जाती है ;

(ग) विभिन्न मन्त्रालयों में नियमित पदों के रिक्त होने पर भी तदर्थ कर्मचारियों तथा ठेका आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को रोजगार में न रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दैनिक मजूरी कर्मचारियों/तदर्थ आधार पर कर्मचारियों तथा अनुबन्ध के आधार पर कर्मचारियों को रोजगार में लगाने और स्पष्ट रिक्त पदों पर उनको सीधे नियमित संवर्ग में भर्ती न करने के सम्बन्ध में कोई नियम/परिपत्र हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) नियमित पदों के लिए दैनिक मजदूरी के आधार पर व्यक्तियों के लगाए जाने के सम्बन्ध में 21.3.79 को एक प्रतिबन्ध लगाया गया था। फिर भी इस आशय के आदेश हैं जिनके अधीन पूर्णतः सामयिक/अस्थायी/ अन्तर्विरोधी कार्य पर लगे हुए दिहाड़ी के श्रमिकों को, रोजगार कार्यालय की प्रक्रिया में छूट देते हुए समूह "घ" पदों की नियमित रिक्तियों पर नियमित आधार पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वे कतिपय शर्तें पूरी करते हों।

(ख) ऐसे दो वर्षों की अवधि की गणना जिनमें से प्रत्येक वर्ष में दिहाड़ी के मजदूर के रूप में कम से कम 240 दिन की सेवा की गयी हो, सम्बन्धित व्यक्ति की नैमित्तिक मजदूर के रूप में नियुक्ति की तारीख से की जाएगी।

(ग) से (ङ) : तदर्थ नियुक्तियों का सहारा केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में अल्पावधियों के लिए केवल तभी लिया जाना चाहिए जबकि किसी न किसी कारण से संगत भर्ती नियमों के अनुसार रिक्तियों को नियमित आधार पर भरना संभव न हो। चूंकि तदर्थ नियुक्तियां केवल अन्तःकालीन व्यवस्थाओं के लिए होती हैं, इसलिए वे तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति का नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करती जिनकी भर्ती अनिवार्यतः संगत भर्ती नियमों में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार की जानी होती है।

संविदा के आधार पर नियुक्तियां करना केन्द्रीय सरकार के अधीन भर्ती की नियमित प्रणालियों में से एक प्रणाली है। ऐसी नियुक्तियाँ केवल उन्हीं पदों के लिए की जाती हैं जिनके भर्ती नियमों में इस प्रकार की नियुक्ति की विशेष रूप से व्यवस्था की गई हो। ऐसे कोई अनुदेश नहीं है, जिनके अधीन दिहाड़ी के मजदूरों को तदर्थ आधार पर नियमित पदों पर नियुक्ति करना आवश्यक हो। जहाँ तक नियमित समूह "घ" पदों के लिए पूर्णतः सामयिक/अस्थायी/अन्तर्विरोधी कार्य पर नियुक्त दैनिक मजदूरों के व्यक्तियों का सम्बन्ध है, कृपया उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर देखें।

कोककर कोयले का आयात

1394. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख कोककर कोयले की 7.8 मिलियन टन की दर्शायी गयी मांग के मुकाबले में स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड ने लगभग 5 लाख टन के आयात का कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कुल कितनी धनराशि खर्च होगी और आयात किस तरीके से किया जाएगा;

(ग) क्या कोल इन्डिया लिमिटेड को इसका संकेत दिया गया है और क्या यह स्टील अथारिटी आफ इन्डिया के संयंत्रों की प्रमुख कोककर कोयले की पूरी आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में है; यदि हाँ, तो उसका क्या रूख है; और

(घ) देशी कोयले का प्रयोग न करने के क्या कारण है और देशी कोककर कोयले और आयातित कोयले के मूल्यों में कितना अन्तर है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी०साल्वे) (क) से (ग) : कोल इन्डिया से परामर्श करके यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1984-85 के लिए "सेल" के कारखाने के लिए बढ़िया किस्म के कोककर कोयले की प्रक्षिप्त मांग तथा उसकी अनुमानित देशीय उपलब्धि में 6.6 लाख टन की कमी रहेगी। इतनी मात्रा में कोयले का आयात करने की सम्भावना है। वर्तमान संकेतों के अनुसार इस पर लगभग 54 करोड़ रुपये की लागत (लागत तथा भाड़ा) आएगी।

(घ) "सेल" को आवश्यकता तथा देशीय उपलब्धि के अन्तर को पूरा करने के लिए हर वर्ष बढ़िया किस्म के कोककर कोयले का थोड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है। आयातित शोधित कोककर कोयले, जिसमें राख की मात्रा 10 प्रतिशत से कम है, का भारतीय बन्दरगाहों पर लागत-भाड़ा मूल्य लगभग 800/-रुपये प्रतिटन है। देशीय कोककर कोयले, जिसमें राख की मात्रा 21 प्रतिशत से अधिक है, के वाल्प शोधनशाला औसत मूल्य लगभग 450/-रुपये प्रतिटन है।

एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए विदेशी बाजार

1395. **श्री विगम्बर सिंह** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एल्यूमिनियम के उत्पादन का अनुमान लगाते समय सरकारी दल ने यह प्रकट किया है कि इस हिसाब से कि नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड में वर्ष 1987-88 में अनुमानत: 114,000 टन का तथा उसके बाद के वर्षों में अनमानत: 218,000 टन का अनुमानित उत्पादन करेगी तो भारत इस मद के मामले में मांग से अधिक उत्पादन करने वाला देश बन जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो यह देखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि० में परियोजना तैयार होने के बाद इसमें किया गया करोड़ों रुपयों का निवेश कहीं अवरुद्ध न हो जाए और कि देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में उसके उत्पादन की मांग बहुत कम अथवा इसके लिए पर्याप्त खरीददार ही न हो ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी०साल्वे) : (क) और (ख) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रसंग में, योजना आयोग ने अलौह धातुओं पर एक कार्यकारी दल गठित किया गया था, जिसने एल्यूमिनियम पर अपनी रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुसार, फालतू एल्यूमिनियम, धातु यदि कोई हो, कि बिक्री में कोई कठिनाई आने की सम्भावना नहीं है।

सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की भागीदारी सम्बन्धी योजना

1396. **श्री जी०वाई०कृष्णन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में खान विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की भागीदारी की एक नई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो इस नई योजना सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क)

जी हां। सरकार ने ऐसी नई योजना श्रम मन्त्रालय की मार्फत शुरू की है जो सभी मन्त्रालयों/विभागों के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू है।

(ख) योजना की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता सम्बन्धी योजना

संख्या : एल-56011/1/83-डैस्क 1 (बी) :—भारत सरकार के संकल्प संख्या एस-61011/4/75-डैस्क 1 (बी), तारीख 30 अक्तूबर, 1975 द्वारा उद्योग में शाप-फ्लोर और प्लांट स्तरों पर श्रमिकों की सहभागिता सम्बन्धी योजना सरकार ने 30 अक्तूबर, 1975 को शुरू की थी और इसे केवल सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रों के विनिर्माण और खनन एककों तथा विभागीय रूप से चलाई जा रही ऐसी यूनिटों पर लागू किया गया था जिनमें 500 या उससे अधिक श्रमिक नियोजित हों। भारत सरकार के संकल्प संख्या एल-55025/4/75-डैस्क 1 (बी), तारीख 4 जनवरी, 1977 द्वारा सरकार ने श्रमिक सहभागिता सम्बन्धी अन्य योजना सरकारी क्षेत्र में उन वाणिज्यिक और सेवक संगठनों में शुरू की, जो बड़े पैमाने पर लोक कार्य करते हों ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। सरकार ने उपर्युक्त योजनाओं की कार्य-प्रणाली का पुनरीक्षण किया है। इस पुनरीक्षण और अब तक प्राप्त किए गए अनुभव को दृष्टि में रखते हुए, सरकार ने निर्णय किया है कि इस योजना के स्थान पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक में सहभागिता की नई व्यापक योजना शुरू की जाए। इस उद्देश्य हेतु, निम्नलिखित योजना तैयार की गई है :—

प्रस्तावना :

1. यह योजना केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों पर लागू होगी लेकिन उन उपक्रमों पर लागू नहीं होगी जिन्हें श्रम विभाग के साथ परामर्श करके सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग द्वारा योजना के प्रचालन से छूट प्रदान की गई हो, परन्तु उपक्रम के स्वरूप, उन वस्तुओं, जिसका यह निर्माण कर रहा है, आदि का ध्यान रखा जाएगा।

तथापि, केन्द्रीय सरकार के किसी भी उपक्रम को, जो विभागीय रूप से चलाया जाता है, इस नई योजना से बाहर रखा जाएगा।

योजना का ढांचा :

2. इस योजना को सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में शाप-फ्लोर और प्लांट दोनों पर लागू किया जाएगा (सिविलसिवाय उन्हें छोड़कर जिन्हें विशेष रूप से छूट प्रदान की गई है)। जहां तक बोर्ड स्तर पर सहभागिता का सम्बन्ध है, सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग, (जो उपक्रम का इंचार्ज है) श्रम विभाग से परामर्श करके, उन उपक्रमों

की सूची तैयार करेगा, जिन्हें वह बोर्ड स्तर पर भी इस योजना को शुरू करने के लिए उपयुक्त समझेगा इन सूची की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाएगी ताकि इसके कार्यक्षेत्र के अन्दर यथासम्भव अधिक से अधिक उपक्रमों को लाया जा सके।

प्रतिनिधित्व :

3. शाप-फ्लोर और प्लांट स्तरों पर श्रमिकों के प्रतिनिधित्व में कुशल और अकुशल, तकनीकी और गैर-तकनीकी जैसे श्रमिकों के विभिन्न वर्ग शामिल होंगे। प्रबन्धकीय कार्मिकों को इससे बाहर रखा जाएगा, लेकिन फोरमैन-चार्जमैन आदि जैसे पर्यवेक्षी वर्गों को इसमें शामिल किया जाएगा। शाप-फ्लोर और प्लांट स्तर मंचों पर श्रमिकों और प्रबन्धकों दोनों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्रत्येक पक्ष के पाँच से दस सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा जो श्रमिकों की संख्या के आकार पर निर्भर करेगा। सही संख्या का निर्धारण प्रबन्ध-तंत्र द्वारा उपक्रम में ट्रेड यूनियन के साथ परामर्श करके किया जाएगा। प्रबन्ध तंत्र ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ भी परामर्श करेगा और सर्व सम्मति से उन सभी स्तरों पर श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के लिए पद्धति को प्रस्तुत करेगा जिस पर इस योजना को लागू किया जाएगा। मतैक्य पर पहुचने के लिए यूनियन के नेताओं को राजी करने में प्रबन्धतंत्र यह बता सकता है कि ऐसे मतैक्य के अभाव में यह योजना लागू करने के काबिल नहीं होगी। प्रबन्धतत्र और ट्रेड यूनियन नेता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहभागी मंचों में महिला का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो जहाँ महिला श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिकों की संख्या का 10 प्रतिशत या उससे अधिक है। प्रबन्धक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रबन्धतंत्र के दबावों से महिलाओं की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाती है, ताकि किसी प्रकार से सताने या उत्पीड़न से श्रमिकों को संरक्षण प्रदान किया जा सके।

कार्य :

4. सहभागी व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित कार्य अन्तर्गत आएंगे :

(क) शॉप स्तर : उत्पादन सुविधाएं, शाप में भण्डार व्यवस्था, सामग्री में किफायत, परिचालन समस्याएं, क्षति नियंत्रण, जोखिम, सुरक्षा समस्याएं स्तर में सुधार सफाई मासिक लक्ष्य और उत्पादन कार्यक्रम, लागत में कटौती सम्बन्धी कार्यक्रम, कार्य पद्धति बनाना और कार्यान्वित करना, डिजाइन, सामूहिक कार्य, कल्याण उपाय, विशेष रूप से शाप से सम्बन्धित उपाए।

(ख) प्लांट स्तर :

परिचालन क्षेत्र :—

(1) स्थानीय दशाओं को देखते हुए उत्पादकता योजनाएं बनाना।

(2) मासिक लक्ष्यों और कार्यक्रमों की योजना तैयार करना, इन्हें कार्यान्वित करना और पूरा करना तथा इनकी पुनरीक्षा करना।

(3) सामग्री आपूर्ति और इसमें कमियां ।

(4) भण्डार और वस्तु सूची ।

(5) हाऊस कीपिंग ।

(6) सामान्यतः उत्पादकता में सुधार और विशेष रूप से नाजुक क्षेत्रों में ।

(7) सुझावों को प्रोत्साहन देना और इन पर विचार करना ।

(8) कोटि और प्रौद्योगिकी में सुधार ।

(9) मशीन का उपयोग, नए उत्पादों की जानकारी और विकास ।

(10) परिचालन निष्पादन आंकड़े ।

(11) वे मामले, जिनका शाप स्तर पर निपटान नहीं हो पाया या जो एक से अधिक शाप से सम्बन्धित है ।

(12) शाप स्तर निकायों के कार्यकरण की पुनरीक्षा ।

आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र :

(1) लाभ और हानि विवरण, तुलन-पत्र ।

(2) परिचालन व्ययों, वित्तीय परिणामों, बिक्री लागत की पुनरीक्षा ।

(3) वित्तीय शर्तों, श्रम और प्रबन्धकीय लागतों, बाजार दशाओं, आदि में प्लांट निष्पादन ।

वैयक्तिक मामले :

(1) अनुपस्थिति ।

(2) महिला श्रमिकों की विशेष समस्याएं ।

(3) श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आरम्भ और पर्यवेक्षण ।

(4) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रशासन ।

कल्याण क्षेत्र :

(1) परिचालन ब्यौरा ।

(2) कल्याण योजनाओं, चिकित्सा सुविधाओं और परिवहन सुविधाओं का कार्यान्वयन ।

(3) सुरक्षा उपाय ।

(4) खेल कूद ।

(5) आवास ।

(6) टाउनशिप का प्रशासन, कैन्टीन, आदि ।

(7) जुआ खेलने, शराब पीने, ऋण ग्रस्तता, आदि पर नियंत्रण ।

पर्यावरिक क्षेत्र :

(1) विस्तार कार्यकलाप और समुदाय विकास परियोजनाएं ।

(2) प्रदूषण नियंत्रण ।

(ग) बोर्ड स्तर : बोर्ड स्तर पर, श्रमिकों के प्रतिनिधि बोर्ड के सभी कार्यों में भाग लेंगे । बोर्ड को सौंपे गए विशेष कार्यों में एक कार्य शाप और प्लांट स्तर पर सहभागी मंचों के कार्य की पुनरीक्षा करना होगा ।

मंचों का कार्यकरण :

5. शाप-फ्लोर और प्लांट स्तरों पर, सहभागी मंच मतैक्य द्वारा निर्णय लेने का प्रयास करेंगे, परन्तु जहां कोई पारस्परिक स्वीकार्य मतैक्य नहीं हो पाता, वहां वे मामले को अगले उच्च मंच में भेजेंगे ।

मंचों के कार्यों में संशोधन :

6. श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच पारस्परिक मतैक्य द्वारा कार्यों के क्षेत्र में संशोधन किया जा सकता है ।

योजना की मानिटरिंग :

7. योजना को एक वर्ष के भीतर कार्यान्वित करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किया जाएगा । प्रत्येक उपक्रम में योजना के कार्यकरण की प्रगति की तिमाही पुनरीक्षा की जाएगी ।

योजना के कार्यान्वियन को मानिटर करने और समय-समय पर इसके कार्यकरण की भी पुनरीक्षा करने तथा उपकारी उपायों का सुझाव देने के उद्देश्य से, श्रम विभाग में एक त्रिपक्षीय तंत्र स्थापित किया जाएगा ।

सामान्य :

8. योजना को कानूनी समर्थन देने के लिए तत्काल कोई कानून नहीं बनाया जायेगा । तथापि ऐसी कार्यवाही पर योजना के कार्यकरण में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो जाने के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे यह योजना अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रारम्भ करें । निजी क्षेत्र के उपक्रमों को भी यह योजना कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि योजना के कार्यकरण में अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद यथासमय कानून बनाया जाए । अतः यह निजी क्षेत्र के भी हित में है कि इसे लाभकारी समझें और इस दिशा में शीघ्र स्वयं पहल करें ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मन्त्री सचिवालय, भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों, योजना आयोग, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र (असाधारण) में सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

(बी०जी० देशमुख)
सचिव

प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए नार्वे की सहायता

1398. श्री के० प्रधानी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और पर्यावरण को बचाने सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यदि इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है तो वह क्या है; और

(ग) क्या इस नार्वे सहायता के अन्तर्गत उड़ीसा में भी कुछ कार्यक्रम शुरु किए जाएंगे और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) पर्यावरणीय विज्ञानों तथा पर्यावरणीय प्रबन्ध में अनुसंधान तथा विकास से सम्बन्धित विशेष क्षेत्रों के अभिनिर्धारण को ध्यान में रखते हुए तथा पारस्परिक लाभ की विशेष परियोजनाएं तैयार करने के भारत तथा नार्वे के बीच पर्यावरणीय क्षेत्र में सहयोग के लिए जून, 1983 में समझौते के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

यद्यपि, सहयोग के क्षेत्रों के अभिनिर्धारण के लिए दोनों देशों के बीच कुछ प्रारम्भिक बात-चीत हुई है, किन्तु, अभी तक कोई विशेष कार्यक्रम/परियोजनाएं नहीं बनाई गई हैं। इन विस्तृत क्षेत्रों में, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा, प्रकृति-संरक्षण तथा पर्यावरणीय अनुप्रभाव आंकलन आते हैं।

"मादा" (एम०ए०डी०ए०) कार्यक्रम में प्रगति

1399. श्री ए०के० राय : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद तथा गिरिडीह जिलों में "मादा" (एम०ए०डी०ए०) कार्यक्रम तथा विशेष संघटक योजना में क्या प्रगति हुई है और पिछले तीन वर्षों

के तथ्यों का ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा कितने लोगों को इससे लाभ हुआ तथा उन क्षेत्रों के नाम क्या है जहां पर इनको चलाया जा रहा है;

(ख) क्या इन कार्यक्रमों में निर्धारित धनराशि व्यय नहीं की जा सकी और उसे किसी दूसरे कार्यक्रम में प्रयोग में लाया गया है अथवा वापस किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) गृह मन्त्रालय द्वारा "मादा" और एस०सी०पी० के अधीन योजनाओं के बारे जिला-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

रंगीन टी०वी० सेटों का निर्माण करने वाले कारखानों के स्थापना स्थल

1400. **श्री विरदा राम फुलवरिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में पहले से स्थापित रंगीन टी० वी० सेटों का निर्माण करने वाले कारखानों की संख्या कितनी है तथा कितने कारखानों की स्थापना की जानी है;

(ख) टी०वी०सेटों का निर्माण करने वाले वर्तमान कारखाने कहां-कहां पर स्थित हैं तथा उनके द्वारा वर्ष 1983-84 तथा जून, 1984-1985 तक कितने टी०वी० सेटों का निर्माण किया गया; और

(ग) देश में बने रंगीन टी०वी० सेटों का क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) रंगीन दूरदर्शन सेटों (सी०टी०वी०) के विनिर्माण के लिए आज की तारीख तक 88 आशय-पत्र तथा 372 लघु क्षेत्र के अनुमोदन जारी किए गए हैं। इनमें से 69 कम्पनियों ने रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए कारखाने स्थापित कर लिए हैं ।

(ख) विद्यमान रंगीन दूरदर्शन सेटों की विनिर्माता-कम्पनियों के नाम तथा उनके स्थापना-स्थल संलग्न विवरण में दिए गए हैं । इन कम्पनियों द्वारा वर्ष 1983-84 के दौरान रंगीन दूरदर्शन सेटों का किया गया उत्पादन नगण्य था । रंगीन दूरदर्शन सेटों का नियमित उत्पादन अभी हाल ही में शुरू हुआ है । इन कम्पनियों द्वारा अप्रैल से जून, 1984 की अवधि के दौरान लगभग ५0000 दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण किया गया है ।

(ग) सरकार ने रंगीन दूरदर्शन सेटों का कोई मूल्य निश्चित नहीं किया है ।

विवरण

विद्यमान रंगीन दूरदर्शन कारखानों तथा उनके स्थापना-स्थलों की सूची

क्रम सं०	नाम	स्थापना-स्थल
1	2	3
1.	मेसर्स हाई-बीम इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०, मद्रास-20	मद्रास
2.	मेसर्स जोली रेडियो एण्ड साऊण्ड सर्विस, रामपुर	रामपुर
3.	मेसर्स जिनेन्द्र इलेक्ट्रानिक्स (इण्डिया) प्रा० लि०, कानपुर	कानपुर
4.	मेसर्स मेक (इण्डिया) (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	नई दिल्ली
5.	मेसर्स मुस्तांग इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०, मद्रास	मद्रास
6.	मेसर्स बेलटेक इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०, दिल्ली	दिल्ली
7.	मेसर्स डिस्को इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०, दिल्ली	दिल्ली
8.	मेसर्स एस०के० इलेक्ट्रानिक्स (आई०) प्रा० लि०, दिल्ली	दिल्ली
9.	मेसर्स वीडियोकांन इण्डिया, अहमदनगर, महाराष्ट्र	अहमदाबाद
10.	मेसर्स मोनिका इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०, दिल्ली	दिल्ली
11.	मेसर्स किंग्स्टन इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०, दिल्ली	दिल्ली
12.	मेसर्स जुपिटर रेडियो (रजि०) दिल्ली	दिल्ली
13.	मेसर्स कंवर एस०एम० कार्पोरेशन, दिल्ली	दिल्ली
14.	मेसर्स सोनोडायन टेलीविजन कम्पनी (प्रा०) लि०, कलकत्ता	कलकत्ता
15.	मेसर्स वेलविन टी०वी० (प्रा०) लि०, मद्रास	मद्रास
16.	मेसर्स हैप्पी हाऊस, मद्रास	मद्रास
17.	मेसर्स डायनेमिक इलेक्ट्रानिक्स (आई०) प्रा०लि०, बंगलौर	बंगलौर
18.	मेसर्स जयर्सा इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, बंगलौर	बंगलौर
19.	मेसर्स वीडियो टेक्नीका (प्रा०) लि०, बंगलौर	बंगलौर
20.	मेसर्स केजरीवाल इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०, जयानगर (24 परगना), पश्चिम बंगाल	परगना
21.	मेसर्स कलकत्ता ग्रामोफोन कम्पनी, दिल्ली	दिल्ली
22.	मेसर्स वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स, मद्रास	मद्रास
23.	मेसर्स सकुरा इलेक्ट्रानिक्स, मद्रास	मद्रास

1	2	3
24.	मेसर्स वीडिग्रोन, नई दिल्ली	दिल्ली
25	मेसर्स विजय इलेक्ट्रानिक्स, वेल्लोर, मद्रास	मद्रास
26.	मेसर्स हटारी इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०, मद्रास	मद्रास
27.	मेसर्स निकी ताशा, हरियाणा	फरीदाबाद
28.	मेसर्स गणपति प्रापर्टीज (प्रा०) लि०, दिल्ली	दिल्ली
29.	मेसर्स सिस्टम इलेक्ट्रानिक्स, दिल्ली	दिल्ली
30.	मेसर्स सिंह रेडियो कम्पनी (आई०) प्रा० लि०, दिल्ली	दिल्ली
31.	मेसर्स नागपाल इलेक्ट्रानिक्स, दिल्ली	दिल्ली
32.	मेसर्स सनजिन सिस्टम्स (प्रा०) लि०, सोलन (हि०प्र०)	सोलन
33.	मेसर्स जे०के०सी० इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०, प० बंगाल	कलकत्ता
34.	मेसर्स ट्राइडेन्ट इलेक्ट्रानिक्स, कलकत्ता	कलकत्ता
35.	मेसर्स जी०सी०जी० रेडियो कार्पोरेशन, दिल्ली	दिल्ली
36.	मेसर्स एम्पायर ट्रेडिंग कम्पनी, दिल्ली	दिल्ली
37.	मेसर्स इलेक्ट्रानिक्स सिटिजन कार्पोरेशन, दिल्ली	दिल्ली
38.	मेसर्स टेलीवोक्स इण्डिया (प्रा०) लि०, दिल्ली	दिल्ली
39	मेसर्स के०डी० एण्ड सन्स, दिल्ली	दिल्ली
40.	मेसर्स स्केन्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०, जयपुर	जयपुर
41.	मेसर्स फिल्मिका इलेक्ट्रानिक्स, डुजाना (हरियाणा)	डुजाना
42.	मेसर्स यूनिरेक्स मोलर्डा (प्रा०) लि०, सी-4 औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर)	बुलन्दशहर
43.	मेसर्स निहारिका इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०, नोएडा, गाजियाबाद	नोएडा गाजियाबाद
44.	मेसर्स अनदिगी इन्स्ट्रूमेंट्स (प्रा०) लि०, हैदराबाद	हैदराबाद
45.	मेसर्स भारत टी०वी०, हैदराबाद	हैदराबाद
46.	मेसर्स वीडियो इलेक्ट्रानिक्स लि०, साहिबाबाद	साहिबाबाद
47.	मेसर्स टी०वी० एण्ड कम्पोनेन्ट्स लि०, नरोदा	नरोदा
48.	मेसर्स अपट्रान इण्डिया लि०, लखनऊ	मोहनलाल गंज लखनऊ
49.	मेसर्स भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लि०, हैदराबाद	हैदराबाद

1	2	3
50.	मेसर्स हरियाणा टी०वी० लि०, फरीदाबाद	फरीदाबाद
51.	मेसर्स केलट्रान लि०, त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम
52.	मेसर्स इलेक्ट्रानिक्स कन्सोर्टियम, नई दिल्ली	दिल्ली
53.	मेसर्स कोणार्क टी०वी० लि०, भुवनेश्वर	भुवनेश्वर
54.	मेसर्स डयनाविजन, मद्रास	मद्रास
55.	मेसर्स टेलिविस्टा इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	दिल्ली
56.	मेसर्स क्योनिक्स, बगलौर	बंगलौर
57.	मेसर्स बी०पी०एल० इण्डिया लि०, पालघाट	पालघाट
58.	मेसर्स वेबेल, कलकत्ता	कलकत्ता
59.	मेसर्स बिहार राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम, पटना	पटना
60.	मेसर्स बुश इण्डिया लि०, बम्बई	बम्बई
61.	मेसर्स सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड, साहिबाबाद	साहिबाबाद
62.	मेसर्स रघुनन्दन इलेक्ट्रानिक्स, बंगलौर	बंगलौर
63.	मेसर्स जम्मू और कश्मीर औद्योगिक विकास निगम, श्रीनगर	श्रीनगर
64.	मेसर्स सी०डी०आई०एल०, नई दिल्ली	दिल्ली
65.	मेसर्स बी०पी०एल० इण्डिया लिमिटेड, बंगलौर	बंगलौर
66.	मेसर्स आर०आई०आई०सी०ओ०, जयपुर	जयपुर
67.	मेसर्स सीअर इण्डिया मल्टीट्रानिक्स, दिल्ली	गुड़गांवा
68.	मेसर्स सिगमा इंजीनियर्स पूना	पूना
69.	मेसर्स महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम, बम्बई	नागपुर

परमाणु रिऐक्टरों की स्थापना का प्रस्ताव

1401. **श्री एस०ए० दोराई सेवुस्तियन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल में घोषित प्रस्तावित 20 परमाणु रिऐक्टरों का राज्यवार विवरण किया है; और

(ख) देश में विद्यमान परमाणु बिजली घरों में संयंत्र वार कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर

विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस बारे में कि परमाणु बिजली घर कहां-कहां लगाए जाएं अन्तिम रूप से निर्णय विभिन्न क्षेत्रों के बारे में स्थल-चयन समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार कर लिया जाने के बाद ही लिया जा सकता है।

(ख) देश के वर्तमान परमाणु बिजली घरों में संयंत्रवार बिजली का उत्पादन अलग-अलग दिनों में एक जैसा नहीं रहता। बिजली घरों के वर्तमान उत्पादन-स्तर नीचे दिए जा रहे हैं :

तारापुर परमाणु बिजली घर—पहला यूनिट—125 मेगावाट
तारापुर परमाणु बिजली घर—दूसरा यूनिट—155 मेगावाट
राजस्थान परमाणु बिजली घर—दूसरा यूनिट—200 मेगावाट
मद्रास परमाणु बिजली घर—पहला यूनिट—220 मेगावाट

जनवरी से जून 1984 तक की अवधि में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए अत्याचार

1402. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1984 से जून, 1984 तक की अवधि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार किए जाने सम्बन्धी मामलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है, उन पर क्या कानूनी कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा जनवरी, से जून, 1984 तक की अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति सूचित किए गये अपराधों के मामलों की संख्या का विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	अपराध के मामलों की संख्या		तक सूचना
		अनुसूचित जातियों पर	अनुसूचित जन-जातियों पर	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	61	21	अप्रैल
2.	बिहार	140	उ०न०	जनवरी
3.	गुजरात	184	36	अप्रैल

1 2	3	4	5
4. हरियाणा	73	शून्य	जून
5. हिमाचल प्रदेश	31	शून्य	जून
6. जम्मू व कश्मीर	4	शून्य	फरवरी
7. कर्नाटक	81	01	मई
8. केरल	23	06	फरवरी
9. मध्य प्रदेश	2454	1458	मई
10. महाराष्ट्र	222	72	अप्रैल
11. उड़ीसा	50	21	अप्रैल
12. पंजाब	28	शून्य	मई
13. राजस्थान	610	146	मई
14. तमिलनाडु	199	01	अप्रैल
15. उत्तर प्रदेश	1708	शून्य	मई
16. पश्चिमी बंगाल	4	6	अप्रैल

टिप्पणी :—1. अन्य राज्यों के सम्बन्ध में सूचना "शून्य" है।

2. उ०न० अर्थ है "उपलब्ध नहीं"

ये मामले विभिन्न राज्यों में विभिन्न थानों में दर्ज किए गए हैं। जांच के बाद आरोप पत्र अथवा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं। आरोप-पत्र प्रस्तुत करते ही मामले न्यायालय में पेश कर दिए जाते हैं।

खाटवा और जाटवा जातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन

1403. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री खाटवा और जाटवा जातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन के बारे में 14 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2814 और 11 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न सख्या 734 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाकी राज्य सरकारों से अपेक्षित टिप्पणियां प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि नहीं तो उन्हें निश्चित समय सीमा के भीतर मंगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के रूप में खाटवा और जाटवा और चम्पारन जिले

में अनुसूचित जनजाति के रूप में थारू के सामाजिक छुआछूत, आर्थिक गरीबों और शैक्षणिक पिछड़ेपन की वेदना से कुछ राहत देने के लिए, वर्तमान संसद के कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी विशिष्ट ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सूची में संशोधन होने तक इन जातियों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान कुछ राज्य सरकारों से अभी टिप्पणियों की प्रतीक्षा है ।

(ख) चूक करने वाले राज्यों को टिप्पणियां शीघ्र भेजने के लिए निरन्तर अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) अनुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए विधेयक सभी राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद संसद में पुर:स्थापित किया जाएगा । अनुसूचित जातियों की सूची में खाटवा और टाटवा (जाटवा नहीं) तथा चम्पारन जिले में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर भी ऐसे अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जा रहा है ।

(ङ) गरीबी निरोध योजना कार्यक्रमों का प्रयोजन सभी गरीब लोगों की दशा सुधारना है ।

अखिल भारतीय सेवाओं में अधिकारों की सेवानिवृत्ति और निलम्बन

1404. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं में कितने अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किया गया, हटाया अथवा बर्खास्त किया गया;

(ख) क्या इस प्रकार की कार्रवाई करने से पूर्व उन्हें कोई कारण बताये गए थे; और

(ग) क्या इस प्रकार की कार्रवाई राज्य सरकार के कहने पर की गई अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी ओर से की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1969 में निर्धारित पद्धति का अनुपा-

लन करने के बाद गत दो वर्षों के दौरान सेवा से अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त आदि किए गए अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :—

	भा० प्रशा०सेवा	भा०पु०से०	भा०वन सेवा
सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए	1	—	—
सेवा से हटाए गए	1	—	—
सेवा से बर्खास्त किए गए	2	1	1

(ग) इन सभी मामलों में सम्बन्धित राज्य सरकारों को कहने पर ही कार्रवाई की गई थी।

स्वतन्त्रता सेनानियों को सुविधाएं तथा उनके विशेषाधिकारों के बारे में पुस्तिका प्रकाशित करना

1405. **श्री गयूर अली खाँ** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तन्त्र है कि स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में पेंशन भोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं से, सभी ऐसे पेन्शन भोगियों को अवगत करा दिया गया है, जो पूरे देश में फैले हुए हैं ताकि वे उनका लाभ उठा सकें;

(ख) क्या सरकार सम्बद्ध आदेशों और अधिसूचनाओं का उल्लेख करते हुए ऐसी सभी सुविधाओं और विशेषाधिकारों को, समाविष्ट कर, एक व्यापक पुस्तिका प्रकाशित करने तथा पेन्शनभोगियों को उसकी प्रतियाँ सप्लाई करने की वांछनीयता पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना से सम्बन्धित एक विवरणिका अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रकाशित की जा चुकी है। इस विवरणिका की प्रतियाँ फरवरी, 1984 में संसदीय कार्य-विभाग द्वारा संसद सदस्यों के बीच भी परिचालित की गई थी। विवरणिका की प्रति स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। इस विवरणिका की कई हजार प्रतियाँ अब तक वितरित की जा चुकी हैं। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को विवरणिका की प्रतियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को काफी संख्या में प्रतियाँ भेजी गई है। विवरणिका के अतिरिक्त स्वतन्त्रता सेनानियों को दी गई विभिन्न सुविधाओं का जनसम्पर्क माध्यम के द्वारा व्यापक प्रचार किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को स्वतन्त्रता

सैनिक सम्मान पेंशन योजना आदि के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में सरकारी निर्णयों को परिचालित करते समय उनसे महत्वपूर्ण निर्णयों का विस्तृत प्रचार करने के लिए अनुरोध किया जाता है ताकि सूचना सम्बन्धित स्वतन्त्रता सेनानियों तक पहुच सकें। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे ब्लाक स्तर तक राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में आवेदन पत्र आदि उपलब्ध कराएं। स्वतन्त्रता सेनानियों के लाभ के लिए योजना के प्रचार के लिए उक्त सभी प्रयास सन्तोष जनक रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा

1406. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या इस्पात और खान मन्त्री सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति के ब्यौरे के बारे में 21 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3981 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य-मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) इस मन्त्रालय के अधीन अधिकांश उपक्रमों के बारे में अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है। पिछले सत्र के दौरान दिए गए आश्वासन की पूर्ति शीघ्र कर दी जाएगी।

केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1965 का संशोधन

1407. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1965 में हाल में कोई संशोधन किया गया था और उन्हें सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधनों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है और यदि हां, तो कब तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त संशोधन भारत के दिनांक 12-5-84 के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (II) में सांविधिक आदेश 1535 के रूप में प्रकाशित किया गया है। यह संशोधन

नियमों की अनुसूची के भाग I तथा V में किया गया है। इस संशोधन द्वारा, भारतीय प्रसारण (इंजीनियरी) सेवा को भाग I केन्द्रीय सिविल सेवा, श्रेणी I में शामिल किया गया है। रक्षा सेवाओं में सिविल पदों (समूह "क" को छोड़कर) से सम्बन्धित अनुसूची के भाग V का संशोधन मुख्यत: इस उद्देश्य से किया गया है कि जो शक्तियाँ संशोधन से पूर्व राष्ट्रपति के पास थी, उन्हें समुचित अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रदान किया जा सके तथा रक्षा सम्बन्धी सभी रिकार्ड कार्यालयों के, संशोधन में उल्लिखित कुछ कर्मचारियों को छोड़कर, समूह "ग" के सभी कर्मचारियों के मामले में एडजूटेंट जनरल की नियोक्ता/अनुशासनिक अधिकारिता को लागू किया जा सके।

लोहे और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

1408. **श्री सूरज भान** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली 21 जून को संयुक्त संयन्त्र समिति ने लोहा और इस्पात के मूल्यों में औसतन 15 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय किया था;

(ख) इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान और सातवीं योजना अवधि के दौरान (I) इससे प्राप्त होने वाले राजस्व (II) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की लागत में और (III) बढ़ी हुई लागत के वहन करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा वित्तीय संस्थाओं से धन की मांग में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पो० साल्वे): (क) जी, हां।

(ख) मूल्यों में की गई इस वृद्धि से स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० को लगभग 250 करोड़ रुपए, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को लगभग 18 करोड़ रुपए तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को लगभग 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में अतिरिक्त आय इस बात पर निर्भर करेगी कि प्राडक्ट-मिक्स किस प्रकार का होगा तथा इन वर्षों में लोहे तथा इस्पात का वास्तविक उत्पादन कितना होगा। सरकारी क्षेत्र में परियोजनाओं की लागतों में वृद्धि और लागतों में इस वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिए निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की आवश्यकता इस बात पर निर्भर करेगी कि उनकी इस्पात की खपत कितनी होगी। भिन्न-भिन्न परियोजनाओं में इस्पात के इस्तेमाल में काफी अन्तर रहेगा। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की अतिरिक्त लागत तथा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा

1409. **श्री शिबु सोरन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन संयंत्रों के नाम क्या हैं और उनमें प्रत्येक पर वर्ष 1983-84 तक कितनी पूंजी लगाई जा चुकी है; और

(ग) प्रत्येक संयंत्र के सम्बन्ध में लाभ अथवा हानि का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० सालवे) : (क), (ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के बारे में जानकारी इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

कारखाने का नाम	दीर्घकालिक पूंजी-निवेश† की 31-3-84 की स्थिति (आकड़े अस्थायी हैं)	वर्ष 1983-84 के लिए लाभ+/हानि— (आंकड़े स्थायी हैं)††	
भिलाई इस्पात कारखाना	2062.75	(—)	3.38
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	475.92	(—)	63.72
राउरकेला इस्पात कारखाना	946.35	(—)	100.06
बोकारो इस्पात कारखाना	2698.49	(—)	3.67
मिश्र इस्पात कारखाना	110.61	(—)	33.81
सेलम इस्पात कारखाना	163.71	(—)	18.07
"इस्को"	319.00	(—)	114.51

†सकल स्थायी परिसम्पत्ति में चल रहे पूंजीगत कार्य भी शामिल हैं ।

††वर्ष 1983-84 में लाभ और हानि के जाँचे गए आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है परन्तु ऐसी सम्भावना है कि हानि उतनी ही होगी जितनी कि इस कालम में दिखाई गई है ।

हानि का मुख्य कारण यह है कि वसूली में हुई वास्तविक वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कम रही है, जैसा कि नीचे तालिका में "सेल" के चार सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के बारे में बताया गया है :—

(सभी आँकड़े करोड़ रुपयों में हैं)

	1981-82	1982-83	1983-84 (अस्थायी)
पिछले वर्ष की तुलना में "सेल" की बिक्री से हुई वसूली में अनुमानित वृद्धि (इस्पात तथा कच्चा लोहा)	319	231	164
पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे माल, वेतन तथा मजूरी, रख-रखाव आदि की लागत में अनुमानित वृद्धि इस प्रकार है :	304	345	231
— (कच्चा माल, स्टोर पुर्जे, बिजली)	(232)	(199)	(154)
— (वेतन तथा मजूरी)	(42)	(57)	(57)
— (रख-रखाव)	(10)	(3)	(47)

हानि को कम करने तथा कार्यकरण में सुधार लाने के लिए "सेल" मांग के अनुरूप प्राडक्ट-मिक्स में परिवर्तन लाने, विपणन के लिए अथक प्रयास करके बिक्री में वृद्धि करने और इस प्रकार तैयार माल, कच्ची सामग्री, स्टोर्स तथा फालतू पुर्जों के स्टाक में कमी करने तथा निर्यात के लिए अधिक उत्पादन करने हेतु हर सम्भव प्रयास कर रही है। प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं में सुधार करके लागत में कमी करने, उपस्करों की समय पर मरम्मत करके तथा बेहतर रख-रखाव द्वारा उनकी उपलब्धि में वृद्धि करने, स्टोर्स तथा फालतू पुर्जों की खरीद कम से कम करने और हर प्रकार से खर्च में कमी करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

द्रुत प्रजनन टेक्नोलाजी

1410. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आणविक ऊर्जा आयोग ने द्रुत प्रजनन (फास्ट ब्रीडर) टेक्नोलाजी का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके रिएक्टर स्वदेशी होंगे अथवा किसी अन्य देश से सहायता मांगी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस देश के साथ समझौता किए जाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) कलपाक्कम में जिस फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर का काम अब पूरा किया जा रहा है वह मूलत: फ्रेंच डिजायन का है। तथापि, उसके लिए सामान तैयार करने के काम का बड़ा भाग भारतीय उद्योगों द्वारा पूरा किया गया है। और भी बड़े आकार के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर (500 मेगावाट) को लगाने के लिए भी देश में पर्याप्त क्षमता विद्यमान है। फिर भी, निर्माण में लगने वाले समय में कमी लाने के उद्देश्य से किसी ऐसे देश के साथ विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग करने की संभावना का पता लगाया जाएगा जिसका फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर बनाने और चलाने का रिकार्ड अच्छा हो।

भारत में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

1411. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री दौलत राम सारण : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पाकिस्तानियों की घुसपैठ रोकने के लिए सीमा क्षेत्रों में क्या सुरक्षा प्रबन्ध किए गए हैं;

(ख) भारत में मई और जून, 1984 के बीच कितने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा गया है, मारा गया है और जेल भेजा गया है; और

(ग) क्या वे घुसपैठिए खालीस्तानी वेषभूषा में थे और यदि हां तो उन्हें पहचानने के लिए क्या कारवाई की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) भारत में किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए सभी सुरक्षा बल सतर्क हैं।

(ख) संख्या बताना लोकहित में नहीं है।

(ग) खालिस्तानी वेश-भूषा में घुसपैठ के सम्बन्ध में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

जहाज के पुर्जे अलग-अलग करने का उद्योग

1412. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाज के पुर्जे अलग-अलग करने के उद्योग कितने स्थानों पर स्थापित किए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात में अलंग के समुद्री तट पर अब तक कितने जहानों के पुर्जे अलग-अलग किए गए हैं और अगले वर्ष कितने जहाजों के पुर्जे अलग-अलग करने के लिए भेजे जाने की संभावना है;

(ग) पुर्जे अलग-अलग करने के लिए जहाजों का आवंटन किसके द्वारा तथा किस आधार पर किया जाता है; और

(घ) क्या जहाजों का आवंटन गलत ढंग से करने के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य-मन्त्री (श्री एन०के०पी०साल्वे) : (क) इस समय देश में आठ स्थानों में जहाज तोड़ने के उद्योग चल रहे हैं। ये स्थान हैं—गुजरात में अलंग और सचना, महाराष्ट्र में बम्बई, कर्नाटक में तादरी और कश्वार, केरल में बेपुर, आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता।

(ख) अब तक अलंग को कुल 63 जहाज दिए गए हैं। इनमें से पूरी तरह से तोड़े गए जहाजों की संख्या 37 है। वर्ष 1984-85 में अलंग में जहाज तोड़ने वालों को आवंटित किए जाने वाले जहाजों की संख्या वर्ष 1983-84 के लिए जहाजों के आवंटन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत पहले से करवाए गए पंजीकरण और वर्ष 1984-85 के लिए जहाजों के आवंटन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार एम०एस०टी०सी० के पास किए जाने वाले पंजीकरण के अनुसार होगी।

(ग) तोड़ने के लिए विदेशी ध्वज पोतों का आवंटन मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन करती है जो तोड़ने के लिए पुराने जहाजों आदि का माध्यम अभिकरण है। एम०एस०टी० सी० द्वारा यह आवंटन वर्ष 1984-85 के लिए जहाज तोड़ने के उद्देश्य के लिए एम०एस० टी०सी० के पास जहाज तोड़ने वालों के पंजीकरण के लिए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों और विदेशी ध्वजपोतों की सप्लाई के लिए मांग के पंजीकरण के सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है।

(घ) गुजरात में सचना के जहाजों के आवंटन के बारे में एम०एस०टी०सी० को आयरन एण्ड स्टील स्क्रैप एसोसिएशन आफ इन्डिया से हाल में एक शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत में यह कहा गया है कि सचना की कुछेक इकाईयों के सम्बन्ध में "एक समय में एक इकाई को एक जहाज" देने के सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया। "स्क्रैप बनाने के उद्देश्य के लिए विदेशी ध्वज पोतों/जहाजों की खरीद के सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त-वर्ष 1983-84 की अवधि की नीति के अन्तर्गत एम०एस०टी०सी० माध्यम अभिकरण" में यह व्यवस्था है कि एक समय में केवल एक ही जहाज की मांग स्वीकार की जाएगी। इसमें यह भी व्यवस्था है कि जब पहले से जहाजों की पन्जीकृत माँग आवंटित करने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही और जहाजों की माँग पन्जीकृत की जाएगी। सचना

में आवंटन उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत एम०एस०टी०सी० द्वारा मांग के पञ्जीकरण के अनुसार किया गया था, जबकि अलग में इकाइयों की संख्या बढ़ जाने के कारण दूसरा जहाज और बाद में और जहाजों का आवंटन करने के लिए इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अक्तूबर, 1983 में ही संशोधन कर दिया गया था। अलंग में दूसरा जहाज और बाद में और जहाजों का आवंटन वित्तीय औपचारिकताएं पूरी करने पर पहले से आवंटित जहाजों को तोड़ने के कार्य में की गई प्रगति के आधार पर किया जाना था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की मुख्य-मुख्य बातें

1413. **श्री चतुर्भुज :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर पूरी तरह विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उसमें कुल कितना परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) क्या राजस्थान की सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार कर ली गई है और उस पर पूरी तरह विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1983 के व्यय की तुलना में, वर्ष 1984 में सिंचाई, बिजली, सड़कों, ग्रामीण विकास, शिक्षा, रेल, उद्योगों और कृषि पर कितना अतिरिक्त प्रति व्यक्ति व्यय किया जाएगा; और

(ङ) अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान को आवंटित धन का तुलनात्मक विवरण क्या है और क्या इस सम्बन्ध में ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं। तथापि सातवीं योजना 1985-90 की नीति पर दिनांक 12 और 13 जुलाई, 1984 को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

भारत-बंग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों वाली बाढ़ लगाने के मामले पर गोलाबारी

1414. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंग्लादेश की सेनाओं अथवा पुलिस ने भारत-बंग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों वाली बाढ़ लगाने के मामले पर गोलाबारी की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो हताहतों और उसके परिणाम स्वरूप हुई हानि का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) इस विवाद पर बंग्लादेश राइफल्स ने गोलाबारी की और सीमा सुरक्षा बल को आत्म रक्षा में गोली चलानी पड़ी थी।

(ख) विश्वास किया जाता है कि बंग्लादेश राइफल का एक कान्सटेबल मारा गया और एक नायक जख्मी हुआ। हमारी ओर हताहतों में, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एक मजदूर मारा गया था और सीमा सुरक्षा बल के एक उप-निरीक्षक को गोली लगी।

दिल्ली में नकली (डुप्लीकेट) कैसेटों की बिक्री

1415. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जुलाई, 1984 के "ट्रिब्यून" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि देश में हर 10 प्रिरिकार्डिड संगीत कैसेटों में से आठ नकली हैं जिन्हें "न्यू टी" "प्ले बाय" "ए" "डोल" "फिल्म सिरीज" जैसे चुराए गए ब्रांड नामों से बेचा जाता है और ऐसी सम्भावना है कि दिल्ली के बाजारों में हर तीन कसेटों में से एक कैसेट का डुप्लीकेट तैयार किया जाता है।

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार के चोरों की गतिविधियों के कारण सरकार को राजस्व का भारी घटा हुआ है, और कलाकारों तथा फिल्म निर्माताओं को रायल्टी का भारी नुकसान हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दल बदल विरोधी कानून पुनः स्थापित किया जाना

1416. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी आम चुनाव से पहले संसद में दल-बदल विरोधी विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) से (ग) चुनाव सुधार एक मुख्य मुद्दा है, दल बदल उसका भाग है, जिसे अलग से नहीं देखा जा सकता है। अतः केन्द्र सरकार इस समस्या पर चुनाव सुधार से सम्बन्धित अन्य मामलों के साथ विचार कर रही है।

सोवियत संघ से हल्के पानी के रियेटरों की खरीद

14 7 **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ से हल्के पानी के दो रिऐक्टर खरीदने का समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं और भुगतान का स्वरूप क्या होगा;

(ग) क्या सोवियत रिऐक्टर खरीदने का निर्णय लेने से पूर्व विश्वव्यापी निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सोवियत संघ की पेशकश पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत में यूरेनियम की किस्म में सुधार

1418. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में यूरेनियम की किस्म विश्व के अन्य देशों के यूरेनियम की किस्म की तुलना में निम्न है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यूरेनियम की किस्म में सुधार लाने के लिए कुछ कदम उठाने का विचार हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) क्या देश में यूरेनियम की कोई कमी नहीं है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत में मिले अयस्क

में यूरेनियम की प्रतिशतता कुछ अन्य देशों में मिलने वाले अयस्क में विद्यमान यूरेनियम की प्रतिशतता की तुलना में कम है ।

(ख) तथा (ग) किसी भी अयस्क का ग्रेड प्राकृतिक होता है तथा इसलिए उसमें सुधार लाने का कोई भी तरीका नहीं है । सभी विदित भण्डारों से खनिज निकाला जा रहा है तथा यह प्रयास किया जा रहा है कि निकाले जाने वाले खनिज की मात्रा में वृद्धि हो ।

(घ) आशा है कि यूरेनियम के जिन भण्डारों का पता अब तक लगाया जा चुका है वे सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले उन परमाणु बिजलीघरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं जिन्हें लगाने की परिकल्पना की गई है ।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर की बिजली उत्पादन क्षमता

1419. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा के निकट राजस्थान परमाणु बिजलीघर की उत्पादन क्षमता कितनी है तथा इस समय इसमें कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है;

(ख) निर्धारित क्षमता के अनुसार बिजली का पूरा उत्पादन करने में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या राजस्थान परमाणु बिजलीघर की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का भी विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर में दो यूनिट हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 2.0 मेगावाट है । पहले यूनिट को उसकी एक एंड-शील्ड से हल्का पानी रिसने के कारण 4 मार्च, 1982 से बन्द रखा गया है । दूसरा यूनिट लगभग 200 मेगावाट के विद्युत-स्तर पर सन्तोषजनक रूप से काम कर रहा है ।

(ख) पहले विद्युत की एड-शील्ड की मरम्मत पूरी होने वाली है तथा यूनिट को यथाशीघ्र फिर से चालू करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(ग) वर्तमान स्थलों पर, जिनमें राजस्थान परमाणु बिजलीघर भी शामिल है, क्षमता का विस्तार करना स्थल-चयन समिति के विचाराधीन है । रिपोर्ट मिल जाने और सरकार द्वारा उस पर विचार कर लिया जाने के बाद इस बारे में निर्णय लिया जाएगा ।

रंगीन टेलीविजन सेटों और टी० वी० ट्यूबों के आयात पर खर्च की गई धनराशि

1420. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) रंगीन टेलीविजन सेटों अथवा रंगीन टी० वी० ट्यूबों के आयात पर वर्ष 1982-83 और 1983-84 में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) निकट भविष्य में इनके आयात पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टेकनोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई० टी० एंड टी०) द्वारा वर्ष 1982 में सामयिक तदर्थ नीति के अन्तर्गत 90,000 रंगीन दूरदर्शन किट (न कि सेट) एशियाड-1982 के दौरान रंगीन दूरदर्शन सेटों के संयोजन के लिए आयात किए गए थे। इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टेकनोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा रंगीन दूरदर्शन किटों तथा रंगीन दूरदर्शन ट्यूबों के आयात पर किए गए व्यय की राशि नीचे दिए अनुसार है :

(1) **वर्ष 1982-83 के दौरान आयात किए गए रंगीन दूरदर्शन किटों की कीमत, जिसमें ट्यूबें भी शामिल है :**

मात्रा (नग)	कीमत (लाख रु० में)
90,000 किट (जिसमें रंगीन पिक्चर ट्यूब शामिल है)† 4,877 रंगीन पिक्चर ट्यूबें	1,125.00 (जहाज पर्यन्त नि:शुल्क)

वर्ष 1982-83 में इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेकनोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा एक भी रंगीन दूरदर्शन सेट का आयात नही किया गया।

(2) **वर्ष 1983-84 के दौरान आयात किए गए रगीन पिक्चर ट्यूबों की कीमत :**

मात्रा (नग)	(कीमत लाख रु० में)
39,857	282.00 (जहाज पर्यन्त नि:शुल्क)

वर्ष 1983-84 में इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेकनोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा एक भी रंगीन दूरदर्शन सेट/किट का आयात नहीं किया गया।

(ख) अप्रैल, 1984 से मार्च, 1985 की अवधि के दौरान कुल लगभग 45 करोड़ रु० (जहाज पर्यन्त नि:शुल्क) मूल्य के रंगीन दूरदर्शन ट्यूबों का आयात करने की इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेकनोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन की योजना है जिसके फलस्वरूप लगभग 480 करोड़ रु० मूल्य के रंगीन दूरदर्शन सेटों का उत्पादन होगा।

गृह मन्त्रालय लिपिकों/अपर श्रेणी लिपिकों/सहायकों/आशुलिपिकों/ अनुभाग अधिकारियों को स्थायी बनाना

1421. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री लिपिकों/अपर श्रेणी लिपिकों/सहायकों/आशुलिपिकों/अनुभाग अधिकारियों को स्थायी बनाए जाने के बारे में 2 मई 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9592 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी योग्य अधिकारियों को स्थायी बनाकर लिपिकों/अपर श्रेणी लिपिकों/सहायकों/आशुलिपिकों/और अनुभाग अधिकारियों के ग्रेडों में सभी स्थायी पदों को भर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो ये सभी रिक्तियां कितने समय में भर ली जाएंगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) 2 मई 1984 के बाद पात्र अधिकारियों को स्थायी बना कर भरे गए स्थायी पदों की संख्या का विवरण संलग्न है। शेष स्थायी रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इन पदों पर पात्र कर्मचारियों को स्थायी किए जाने के आदेश निकट भविष्य में जारी किए जाने की आशा है।

विवरण

क्रम सं०	ग्रेड	2-5-1984 के आगे आज तक स्थायी बनाए गए
1.	अनुभाग अधिकारी	2
2.	आशुलिपिक ग्रेड 'डी"	25
3.	उच्च श्रेणी लिपिक	27
4.	अपर श्रेणी लिपिक	52

छठी योजना के दौरान इलेक्ट्रानिक्स परियोजनाओं के लिए धनराशि मंजूर करना

1422. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार द्वारा छठी योजना अवधि के दौरान विभिन्न इलेक्ट्रानिक्स परियोजनाओं के लिए अब तक मंजूर की गयी धनराशियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने छठी योजना अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक्स परियोजनाएं स्थापित करने के कितने प्रस्तावों को नामंजूर किया है; और

(घ) उन्हें नामंजूर करने के क्या कारण है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० सजीवी राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

वर्ष 1983 के दौरान परमाणु बिजली उत्पादन

1423. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के अन्त तक लक्ष्य की तुलना में परमाणु बिजली उत्पादन में वास्तविक उपलब्धि कितनी रही;

(ख) परमाणु बिजली उत्पादन के अनुमानित लक्ष्य को उपलब्ध न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ग) कौन-कौन से परमाणु बिजली संयंत्रों में लगातार अव्यवस्थित ढंग से काम हो रहा है और सरकार ने स्थिति में सुधार लाने और बिजली उत्पादन के लक्ष्यों को अधिकतम सीमा तक उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1983-84 में परमाणु बिजली का वास्तविक कुल उत्पादन 3,261 मिलियन यूनिट रहा, जबकि इस अवधि के लिए लक्ष्य यह था कि 2,975 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाए ।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

(ग) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट उसकी एंड-शील्ड की मरम्मत के लिए 4 मार्च, 1982 से बन्द है । मरम्मत पूरी होने वाली है तथा यूनिट को यथाशीघ्र फिर से चालू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है । अन्य सभी यूनिट सन्तोषजनक रूप से काम कर रहे हैं ।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

1424. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के मूल्यों में हाल की 15 प्रतिशत वृद्धि से सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की हानि काफी कम हो जाएगी;

(ख) क्या निजी क्षेत्र के "टिस्को" संयंत्र को इस वर्ष 78 करोड़ रुपये तक का कुल लाभ होगा; और

(ग) क्या इस्पात के मूल्यों में मंजूर की गई वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले स्फीति प्रभावों का कोई आकलन किया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे): (क) जी, हाँ ।

(ख) मूल्यों में इस वृद्धि से चालू वर्ष में टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड (टिस्को) को लगभग 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलने की सम्भावना है ।

(ग) ऐसी सम्भावना है कि लोहे और इस्पात के मूल्यों में इस वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर मामूली प्रभाव पड़ेगा ।

पाकिस्तान से खालिस्तान पासपोर्ट पर आए उग्रवादी

1425. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री । क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर में हाल में हुई सैनिक कार्यवाही के दौरान पकड़े गए अनेक दस्तावेजों से सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान से अनेक उग्रवादी आए थे और उनके पास 'खालिस्तान' के पासपोर्ट थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये उग्रवादी खालिस्तान के पासपोर्ट को लेकर विभिन्न चौकियों से भारत आने में किस प्रकार सफल हो गए और सरकार ने इस मामले में सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध लापरवाही बरतने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा): (क) और (ख) तथ्य मालूम किए जा रहे हैं और सभापटल पर रख दिए जाएंगे ।

1983-84 के दौरान इस्पात कम्पनियों को हुआ घाटा

1426. **श्री आर० आर० भोले** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की इस्पात कम्पनियों को 1983-84 में 211 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ है जबकि 1982-83 में 60 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था; और

(ख) इस अकुशलता के कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में "सेल" को घाटा हुआ है। वर्ष 1983-84 में "सेल" के कारखानों को हुई वास्तविक हानि का पता तभी चलेगा जब इस वर्ष का हिसाब-किताब अन्तिम रूप से तैयार हो जाएगा। "सेल" को हुई हानि का मुख्य कारण यह है कि वास्तविक वसूली लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कम होती रही है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है :—

(सभी आंकड़े करोड़ रुपयों में हैं)

	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
				(अस्थायी)
पिछले वर्ष की तुलना में "सेल" की बिक्री से हुई वसूली में अनुमानित वृद्धि (इस्पात तथा कच्चा लोहा)	125	319	231	164
पिछले वर्ष की तुलना में लागत में वृद्धि				
— कच्चा माल, स्टोर, फालतू पुर्जे, बिजली	124	232	199	154
— वेतन तथा मजूरी	29	42	57	57
— रख-रखाव	3	10	3	47
— मूल्य-ह्रास	—1	9	9	6
— ब्याज	15	11	78	(—)33
उपर्युक्त मदों के बारे में पिछले वर्ष की तुलना में लागत में हुई कुल वृद्धि	170	304	346	231

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड को हुआ घाटा

1427. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या इस्पात और खान मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड को गत तीन वर्षों के दौरान कितना घाटा हुआ है;

(ख) उक्त घाटे के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (बाल्को) को गत तीन वर्षों के दौरान हुई हानि निम्नलिखित है :—

वर्ष	(लाख रुपयों में) शुद्ध हानि
1981-82	3963
1982-83	5284
1983-84	3130

(ख) और (ग) : मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से बिजली की अपर्याप्त और अनियमित पूर्ति मिलने के कारण बाल्को अपनी स्थापित क्षमता के एक अंशमात्र का उपयोग करने के लिए विवश रही है । फलस्वरूप कम्पनी को घाटा हो रहा है । सरकार मध्य प्रदेश शासन/मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड से कोरबा संयन्त्र को पर्याप्त बिजली पूर्ति के लिए बराबर लिखा पढ़ी कर रही है । इन प्रयासों के फलस्वरूप विद्युत पूर्ति की मात्रा और किस्म में आंशिक सुधार हुआ और इससे, अधिक कार्यचालन क्षमता के साथ बाल्को 1981-82 के 34756 टन धातु उत्पादन की तुलना में 1983-84 में 61338 टन धातु उत्पादन करने में समर्थ हुई । मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड से और अधिक बिजली मिलने पर सरकार उत्पादन में और बढ़ोत्तरी की आशा कर रही है क्योंकि तब अक्टूबर, 1984 में चौथा चरण के भी पूरी तरह चालू हो जाने की आशा है । बाल्को ने तदनुसार 1984-85 में 80,000 टन एल्यूमिनियम उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इसके फलस्वरूप कम्पनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी ।

गरीबी निवारण और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में स्वदेशी संगठनों की भूमिका

1428. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या गरीबी निवारण और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कार्यान्वियन में स्वयंसेवी

संगठनों की भूमिका पर हाल ही में नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें हुई चर्चा का ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) विचार-विमर्श गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका तक ही सीमित था। इस सम्बन्ध में ऐसे संगठनों की सक्रिय भूमिका के बारे में सर्वसम्मति प्राप्त की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) की नीति में भी यह बताया गया है कि गरीबी दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रमों और न्यूनतम आवश्यकताओं को जनसंख्या को उपलब्ध कराने वाले विशेष प्रयत्नों को, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, अब स्वैच्छिक संगठनों को पहले से अधिक निकट और सक्रिय रूप से संबद्ध करना होगा।

हिमालय के कस्तूरी मृग का संरक्षण

1430. **श्री एम०एम० लारेंस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक महत्वपूर्ण वन्य जीव स्त्रोत, हिमालय का कस्तूरी मृग समाप्त हो रही नस्ल है :

(ख) यदि हां, तो इस नस्ल के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उठाए गए उन कदमों से अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) कस्तूरी मृग वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची —1 में शामिल है, इसलिए उसके शिकार तथा व्यापार के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। इसे वनस्पति जगत तथा जीव जगत के संकटापन्न-उपजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर किए गए अभिसमय के परिशिष्ट —1 में भी सूचीबद्ध किया गया है, जिसके अन्तर्गत इस प्रजाति (स्पीसीज) अथवा इसके व्युत्पादितों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सख्ती से नियमित किया जाता है। सरकार की निर्यात नीति कस्तूरी मृग तथा इसके व्युत्पादितों के व्यापार की अनुमति नहीं देती है। कुछ राज्यों में इस प्रजाति (स्पीशीज) का बंदी-प्रजनन शुरू किया गया है उन क्षेत्रों में जहाँ यह पाया जाता है वहां राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य बनकर, इस प्रजाति (स्पीशीज) के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा की गई है। इन कदमों को उठाने के परिणामस्वरूप, इस प्रजाति (स्पीशीज) की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण-पत्र

1431. श्री चित्त बसु :

श्री राम स्वरूप राम :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण-पत्र को स्वीकृति दे दी है;

(ख) उक्त पत्र में और छठी पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में स्पष्ट तौर पर किस तरह भिन्नता है;

(ग) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस दृष्टिकोण-पत्र को अनुमोदित कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) दस्तावेज सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है । मुख्य बातें सिंहावलोकन भाग में दी गई हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

डाकतार विभाग के हिन्दी पदों को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा से अलग रखा जाना

1432. श्री दयाराम शाक्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को डाकतार निदेशालय से उसके हिन्दी के पदों को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से अलग रखे जाने का कोई निवेदन प्राप्त हुआ है, जबकि इससे पूर्व इस सेवा के गठन के प्रारम्भिक दौर के दौरान उपर्युक्त निदेशालय ने हिन्दी के पदों के और पद-धारियों के सम्बन्ध में उनके गोपनीय रिकार्ड सहित सूचना राजभाषा विभाग को प्रस्तुत की थी;

(ख) क्या राजभाषा विभाग का विचार डाक-तार निदेशालय को अपने संवर्ग से अलग रखने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : डाक-तार बोर्ड के हिन्दी पदों को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष कारण नहीं हैं । अत: इन पदों के सेवा में बने रहने के सम्बन्ध में उनसे आग्रह किया जा रहा है ।

बांगलादेश से अवैध घुसपैठ

1433. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री जी० भूपति : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मई, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "ट्रेसपास कन्टीन्यूज फ्रांम बांग्ला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सीमा क्षेत्रों में तनाव के बावजूद बांग्लादेश के संदिग्ध 8 करोड़ राष्ट्रिक रोजगार की तलाश में असम के दुबरी जिले में प्रतिदिन प्रवेश करते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस घुसपैठ की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जनवरी से जून, 1984 की अवधि के दौरान अन्य एजेंसियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल को सुपुर्द किए गए घुसपैठियों सहित सीमा सुरक्षा बल द्वारा असम बंगलादेश सीमा पर पकड़े गए घुसपैठियों की संख्या 285 है । इन सभी घुसपैठियों को वापस भेज दिया गया ।

(ग) सीमा पर सीमा सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं । धुवरी जिले में 14 अतिरिक्त सीमा बाह्य चौकियाँ स्थापित की गई हैं । नदी-तटीय सीमान्त क्षेत्रों में देशी नावों और विद्युत चालित नावों को लगाया गया है । निरीक्षण स्तम्भ बनाये गए हैं ।

उग्रवादियों द्वारा सड़क पुल को विस्फोट से उड़ाने का प्रयास

1434. **श्री कमल नाथ :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 6 जुलाई, 1984 को पंजाब में उग्रवादियों ने एक सड़क पुल को विस्फोट से उड़ाने का प्रयास किया था; और

(ख) ऐसी कार्यवाहियों के विरुद्ध क्या एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 5 जुलाई, 1984 को जिला रोपढ़ में खरड़ के निकट एक सड़क पुल के नीचे दो विस्फोटक यंत्रों का पता लगाया गया था। इनमें एक यंत्र कारगर था और दूसरे का विस्फोट हो चुका था।

(ख) प्राधिकारियों ने सड़क पुलों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और पुलिस तथा अर्ध-सैनिक बलों द्वारा गश्त लगाने का आयोजन किया गया है।

दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज का जलाया जाना

1435. श्री जी०एस० निहाल सिंह वाला : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज जलाये जाने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह अपराध करने के लिए कितने लोग पकड़े गये और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा इस अपराध की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) और (ख) : दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज को जलाने की दो घटनाएं सूचित की गई हैं, एक 27 जून, को और दूसरी 1 जुलाई, 1984 को। राष्ट्रीय सम्मान के प्रति अनादर निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 और 3 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, सामरिक महत्व के स्थानों पर पुलिस तैनात की गई है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को वित्तीय सहायता

1436. श्री हरीश रावत : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए राज्य योजना प्रावधानों के अतिरिक्त विशेष वित्तीय सहायता की कितनी राशि आवंटित की गई और इसके परिणामत: इन क्षेत्रों के लिए योजना का क्या आकार रहा;

(ख) क्या उन्हें इस आशय की सूचना मिली थी कि यह धनराशि इन क्षेत्रों की पिछली योजना के साथ-साथ चालू योजना कार्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त सिद्ध हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या चालू योजना के शेष वर्षों और सातवीं योजना अवधि के लिए आवंटन का निर्धारण करते समय इन क्षेत्रों के कार्यों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार किया जायेगा ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) : छठी योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 351.50 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए छठी योजना अवधि के दौरान राज्य योजना में से 220 करोड़ रु० का प्रावधान अलग से रखा गया है। दोनों को मिलाकर उप योजना का आकार 571.50 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है।

(ख) योजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में तैयार की जाती है।

(ग) छठी योजना के अन्तिम वर्ष 1984-85 के दौरान उत्तर प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र उप योजना के लिए 91.84 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है। यह पिछले वर्ष के 86.50 करोड़ रु० के आवंटन से 14.3 प्रतिशत अधिक है। जहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, सहायता का स्तर समग्र योजना प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

सस्ते रंगीन टी०वी० सेटों का निर्माण

1437. **श्री आर० प्रभु : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या 5,000 रु० मूल्य के सस्ते रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के रंगीन टेलीविजन सेट बाजार में कब तक उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। किन्तु सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में की गई कटौती के आधार पर, जो 18 अगस्त, 1983 को सरकार द्वारा घोषित 'इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विकास में और आगे तेजी लाने के लिए किए गए उपायों' का ही एक भाग है, सरकार ने यह महसूस किया कि 51 से०मी० आकार के पर्दे के रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमत लगभग 5000 रु० + स्थानीय कर होनी चाहिए। दिल्ली में कुछ विनिर्माता ऐसे रंगीन दूरदर्शन सेटों को उपभोक्ता मूल्य पर बाजार में पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं अर्थात सभी स्थानीय करों और शुल्कों सहित इनका मूल्य 5600 रुपए से लेकर 5900 रुपए के बीच है।

लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति

1438. **श्री जी० भूपति : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्त करने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन पदों को कब तक भरा जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के लिए बारह सूत्री नीति

1439. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना के 35 वर्षों में किए गए गत पूंजी निवेश के लाभों को समेकित करने के लिए हाल ही में सातवीं योजना के लिए एक 12 सूत्री नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताओं और प्रारूप योजना के बारे में ब्यौरा क्या है और क्या ग्रामीण कारीगरों की क्षमता में सुधार करने के लिए उनकी परम्परागत कुशलता का दर्जा बढ़ाने पर जोर दिया गया है ?

योजना मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सातवीं योजना का नीति पत्र, जिसमें सातवीं योजना की मुख्य नीतियों को बताया गया है, सदन के सभा पटल पर रखा जा चुका है और इन ब्यौरों के लिए कृपया उसी को देखा जाए।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, बम्बई के अधिकारियों को समय पर वेतन का भुगतान न किया जाना

1440. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर०) बम्बई में कार्य कर रहे पूल अधिकारियों को उनका वेतन समय पर नहीं मिलता है;

(ख) क्या प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या ऐसे मामले प्रायः होते रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें वेतन का नियमित भुगतान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि उन्हे कोई असुविधा न हो ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) एक असाधारण मामले को छोड़कर, बम्बई में कार्यरत पूल अधिकारी अपना वेतन यथासमय प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) जी, हाँ। बम्बई से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (ख) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन को ध्यान में रखकर, पूल अधिकारियों के

वेतन भुगतान सम्बन्धी नियम और अधिक सरल करने के लिए सी०एस०आई०आर० उपाय कर रही है ताकि पूल अधिकारियों को कोई असुविधा न हो सके।

राज्यों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का पता लगाना

1441. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का पता लगाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में जिन प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का पता लगा है उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के मामले सम्बन्धित राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भेज दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह)। (क) जी हां।

(ख) बड़े तथा मंझले जल प्रदूषक उद्योगों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) तथा (ङ) राज्य प्रदूषण बोर्डों ने उद्योगों को सलाह दी है कि वे बहिस्राव उपचार संयंत्रों को स्थापित करें। दोषी उद्योगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

विवरण

बड़े-मंझले कुल जल प्रदूषक उद्योग तथा बहिस्राव उपचार संयंत्र-राज्य-वार

पृष्ठ संख्या—0001 31 दिसम्बर, 1983

सी०बी०पी०सी०डब्ल्यू०पी०—भारत के राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र

बड़े तथा मंझले उद्योग

क्रम सं०	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	कोड	बड़े उद्योग	मझले उद्योग	कुल उद्योग	ई०टी०पी० इकाईयां
1.	आन्ध्र प्रदेश	ए०एन०पी०	126	226	352	112
2.	आसाम	ए०एस०एम०	9	4	13	12
3.	बिहार	बी०आई०एच०	79	27	106	21
4.	गुजरात	जी०यू०जे०	211	208	419	366
5.	हरियाणा	एच०ए०आर०	62	240	302	49
6.	हिमाचल प्रदेश	एच०पी०आर०	5	25	30	30
7.	कर्नाटक	के०ए०आर०	114	167	281	274
8.	केरल	के०ई०आर०	49	85	138	60
9.	मध्य प्रदेश	एम०पी०आर०	68	170	238	91
10.	महाराष्ट्र	एम०ए०एच०	454	381	835	673
11.	उड़ीसा	ओ०आर०आई०	49	64	113	20
12.	पंजाब	पी०यू०एन०	58	71	129	37
13.	राजस्थान	आर०ए०जे०	87	46	133	41
14.	तमिलनाडु	टी०एन०डी०	67	238	307	50
15.	उत्तर प्रदेश	यू०पी०आर०	133	113	246	103
16.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यू०बी०एल०	98	263	361	22
17.	चण्डीगढ़	सी०एच०ए० एन०डी०	1	3	4	0
18.	दिल्ली	दिल्ली	18	43	61	16
19.	गोवा	गोवा	10	10	20	14
20.	पांडिचेरी	पी०ओ०एन० डी०वाई०	6	9	15	11
	योग		1706	2393	4099	2002

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का संशोधन

1442. श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को हाल ही में एक अध्यादेश के द्वारा संशोधित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और संशोधन किस आधार पर किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए अध्यादेश द्वारा संशोधन किया गया :

(I) निरोध के भिन्न भिन्न आधारों प्रत्येक दूसरे आधार से अलग किया जा सकेगा ताकि निरोध आदेश केवल इस कारण अमान्य न हो कि कुछ आधार स्पष्ट नहीं हैं, विद्यमान नहीं है, सुसंगत नहीं है, अविधिमान्य या निरुद्ध व्यक्ति से सम्बद्ध नहीं है या उससे निकटत: सम्बद्ध नहीं है ।

(II) किसी पूर्वत्तर निरोध आदेश के अवसान या वापस लिए जाने के पश्चात उसी व्यक्ति के विरूद्ध बाद में कोई निरोध-आदेश का किया जाना वर्जित नहीं होगा, ऐसे किसी मामले में, जिसमें ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध दिए गए पूर्वत्तर निरोध आदेश के अवसान या वापस लिए जाने के पश्चात कोई नए तथ्य उत्पन्न नहीं हुए हैं, उस अधिकतम अवधि की, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को पश्चातवर्ती निरोध-आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जा सकेगा, सीमा पूर्वत्तर निरोध आदेश की तारीख से बारह महीने की विद्यमान अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी । पंजाब राज्य और चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र में अधिनियम लागू करने के मामले में निरोध की अधिकतम अवधि दो वर्ष होगी ।

2. उपर्युक्त संशोधन व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने और कानून के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इसे अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से राज्य सरकारों के सुझावों पर किए गए हैं ।

जम्मू तथा काश्मीर के जनगणना विभाग के कर्मचारियों की छंटनी

1443. श्री जार्ज फर्नाण्डीज : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर के जनगणना विभाग के 154 कर्मचारियों को तीन वर्ष से अधिक की सेवा करने के पश्च त सेवा से हटा दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों को अन्य विभागों में खपाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो इनमें से कितने व्यक्तियों को अन्य कार्यालयों में नौकरी दी गई है और कितने व्यक्तियों को अभी नौकरी देना बाकी है; और

(घ) शेष कर्मचारियों को खपाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उनको किस अवधि तक खपा लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) इन 154 कर्मचारियों में से किसी में भी तीन वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी ।

(ख) तथा (घ) इन कर्मचारियों को स्पष्टत: इस शर्त पर भर्ती किया गया था कि उनकी सेवाएं पूर्ण अस्थायी हैं और वह कार्य पूरा होते ही जिसके लिए उनको भर्ती किया गया है, उनको सेवा में नहीं रखा जाएगा । किन्तु उनको पूर्णत: सहानुभूति के विचार से भारत सरकार के मन्त्रालय और विभाग तथा राज्य सरकारों से उनको पुन: रोजगार देने में सहायता करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

इन कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखिश रियायतों के लिए पात्रता दी गई है :

(I) जनगणना संगठन में उनके द्वारा की गई सेवा अवधि के बराबर आयु और खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम के अतिरिक्त सीधी भर्ती द्वारा पदों की भर्ती के लिए तीन वर्ष तक उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता ।

(II) रोजगार कार्यालयों के सबमीशन रोस्टरों में आग्रता—III की पात्रता ।

(III) 1985 के अन्त तक समूह 'क" के पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा देने के पात्र हैं चाहे उन्होंने विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे जनगणना संगठन में अपनी आरम्भिक भर्ती के समय कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए निर्धारित आयु सीमा में थे और वे अन्यथा सम्बन्धित पदों पर भर्ती के लिए नियमों के अनुसार निर्धारित शैक्षिणिक और अन्य अर्हताओं के आधार पर इन परीक्षाओं में बैठने के पात्र हैं ।

(IV) अपने रोजगार कार्यालयों द्वारा उनके नाम प्रायोजित किए बिना विभिन्न भर्ती प्राधिकरणों द्वारा विज्ञापित रिक्तियों के लिए भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं यद्यपि चाहे उन्होंने स्वयं को अग्रता—III की रियायत प्राप्त करने के लिए रोजगार कार्यालय में दर्ज करवा रखा हो ।

(V) इन कर्मचारियों को स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा पुन: प्रायोजन की

आवश्यकता के बिना कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार में न आने वाले जनगणना संगठन में ऐसे ग्रुप—ग पदों की रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए 31-12-1985 तक पात्रता दी गई है बशर्ते कि वे भर्ती नियमों की शर्तों को पूरा करते हों ।

उक्त रियायतें इन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध की गई हैं बशर्ते कि :

(I) उनको प्रारम्भिक रूप से रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किया गया हो ।

(II) उन्होंने लगातार छः महीने से कम सेवा न की हो ।

(III) सेवा से उनकी बर्खास्तगी स्थापना में कमी के कारण हो अर्थात इन कार्यालयों को उस कार्य की समाप्ति के पश्चात बन्द किया जाना जिसके लिए खोला गया था ।

जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने भी भर्ती अभिकरणों को सलाह दी है वे छंटनी किए गए जनगणना कर्मचारियों पर भर्ती के लिए विचार करें चाहे उन्होंने ऊपरी आयु सीमा पार कर ली है बशर्ते वे सम्बन्धित पद की भर्ती के लिए निधारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव पूरा करते हों ।

किन्तु यह कहना सम्भव नहीं है कि ये सब छंटनी किए गए कर्मचारी कब तक वैकल्पिक रोजगार में समायोजित किए जाएंगे ।

(ग) विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पदों पर भर्ती अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न स्रोतों और माध्यमों द्वारा भिन्न-भिन्न स्तरों पर अनेक नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा की जाती है और ऐसी कोई केन्द्रीकृत एजेंसी नहीं है जिससे यह सूचना उपलब्ध हो सके ।

सातवीं योजना के दौरान परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

1445. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान परमाणु ऊर्जा के विकास के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । परमाणु बिजली सम्बन्धी उस कार्यक्रम को, जिसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है, सम्बन्धित अभिकरणों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

नैनीताल में भूस्खलन

1446. **श्री रामलाल राही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल में बहुत से भूस्खलन हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भूस्खलन को रोकने के उपाय किए है, तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

गोवा में प्रदूषण

1447. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोवा में बढ़ते हुए प्रदूषण और वहां के उद्योगों द्वारा प्रदूषण के निरन्तर फैलाव की स्थानीय जानकारी है; और

(ख) गोवा के पर्यटन महत्व और इसकी प्राकृतिक सुन्दरता के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) गोवा, दमन और दीव सरकार प्रदूषण समस्या के प्रति पूर्णरूप से जागरूक है तथा इसको रोकने के समुचित कदम उठा रही है । उद्योगों को लाइसेंस देने से पूर्व उद्योग निदेशक, प्रदूषण नियंत्रण स्कन्ध से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त करने पर जोर देते हैं तथा स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रदूषण उन्मूलक उपायों की भी जाँच करते हैं । पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण स्कन्ध भी बहिस्राव की गुणवत्ता पर नियमित रोक रखता है । समुद्र तटों के प्रदूभण नियंत्रण से सम्बन्धित मामलों को विचार-विमर्श द्वारा सुलझाने के लिए, एक निगरानी-निकाय की तरह, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है ।

उड़ीसा में खनन क्षेत्र

1448. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) उड़ीसा में विभिन्न खनन क्षेत्र (लौह अयस्क और मैंगनीज) कौन से हैं;

(ख) क्या सरकार को उड़ीसा की गैर रक्षित खानों से इस्पात संयंत्रों को लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क कम मात्रा में प्राप्त होने की जानकारी हैं;

(ग) यदि हां, तो इस्पात संयंत्रों को गैर रक्षित खानों से कम मात्रा में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क मिलने के मुख्य कारण क्या है;

(घ) क्या इस्पात संयंत्रों को विभिन्न खनन क्षेत्रों से लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क की कम मात्रा में प्राप्ति के कारण पैदा होने वाली समस्याओं की सरकार को जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो उड़ीसा की गैर रक्षित खानों से लौह अयस्क और मैंगनीज की प्राप्ति बढ़ाने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा इस्पात संयंत्रों को भेजे गए निर्देशों का क्या ब्यौरा है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पो० साल्वे) : (क) उड़ीसा में लौह-अयस्क के खनन क्षेत्र गुमी-बादामपहाड़, गंधमर्धन—दैतारी-तोमका तथा बड़ाजामदा क्षेत्र हैं। उड़ीसा में मैंगनीज अयस्क के खनन क्षेत्र कुटिंग—नीशीखोल—बोलनगीर और बोनाए—क्योंझर क्षेत्र हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क की खरीद धातु तथा खनिज व्यापार निगम तथा उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन की मार्फत अगृहीत खानों (नान-कैप्टिव माइन्स) से की जाती है। इस्पात कारखानों द्वारा लौह अयस्क के डलों की खरीद में कमी मुख्यतः इस्पात कारखानों की अपनी खानों में हुई वृद्धि के कारण हुई है। इस्पात कारखाने अगृहीत खानों से लौह-अयस्क की खरीद केवल उतनी मात्रा में ही करते हैं जितनी की उनकी अवश्यकता की पूर्ति उनकी अपनी खानों से कम रहती है। गृहीत खानों की क्षमता के उपयोग को इष्टतम स्तर तक लाने के लिए गृहीत खानों से लौह-अयस्क की सप्लाई में वृद्धि की गई है। अगृहीत खानों से लौह-अयस्क की खरीद में कमी इसलिए भी हुई है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1983-84 में तप्त धातु के उत्पादन में कमी हुई है।

मैंगनीज अयस्क की प्राप्ति में कमी कुछ इस्पात कारखानों में तप्त धातु के उत्पादन में कमी तथा खपत की दर में कमी के कारण हुई है।

(घ) और (ङ) "सेल" के इस्पात कारखानों की लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क की आवश्यकताएं "सेल" की तप्त धातु के उत्पादन की योजना पर निर्भर है। इसके अलावा जहां तक लौह अयस्क का सम्बन्ध है अगृहीत खानों से लौह अयस्क की प्राप्ति उनकी गृहीत खानों के उत्पादन पर निर्भर करती है। फिर भी "सेल" ने वर्ष 1983-84 में उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन से लौह अयस्क की खरीद 120,000 टन से बढ़ाकर लगभग 150,000 टन करने पर स्वीकृति दी है।

पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना

1450. **श्री निर्मल सिन्हा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र मानने का मानदण्ड क्या है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल का सुन्दरवन क्षेत्र इन मानदण्ड को पूरा करता है और इसे पिछड़ा क्षेत्र माना जा सकता है; और

(ग) पिछड़े क्षेत्र के लोगों को किस प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति की सितम्बर, 1969 में हुई बैठक में हुए विचार-विमर्शों के अनुसरण में, आर्थिक और औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के निर्धारण के लिए योजना आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन के लिए दिसम्बर, 196 में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों का सुझाव दिया है :—

(1) इस बात पर निर्भर करते हुए कि क्या जिला मुख्य रूप से खाद्यान्न/नकदी फसलों का उत्पादक है, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन ।

(2) कुल जनसंख्या में खेतिहर मजदूरों का अनुपात ।

(3) प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन (सकल) ।

(4) प्रति लाख जनसंख्या में फैक्टरी कर्मचारियों की संख्या अथवा, वैकल्पिक रूप में, प्रति लाख जनसंख्या में द्वितीयक तथा तृतीयक कार्यकलापों में संलग्न व्यक्तियों कीसंख्या ।

(5) प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग ।

(6) जनसंख्या के सम्बन्ध में पक्की सड़कों की लम्बाई अथवा जनसंख्या के सम्बंध में रेल मील दूरी (रेलवे माइलेज) ।

यह भी बताया गया कि केवल राज्य औसत से काफी नीचे के सूचकांक वाले जिलों का ही वित्तीय सस्थाओं से उपयुक्त प्रोत्साहनों के लिए चयन किया जाएं ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सुन्दरवन को राज्य के भीतर पिछड़ा क्षेत्र निर्धारित किया है ।

(ग) औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए निर्धारित किए गए जिलों में, निवेश राज सहायता और रियायती वित्त के रूप में अथवा दोनों ही प्रोत्साहन उपबन्ध कराए जाते हैं । अन्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए योजना में विशेष अतिरिक्त धनराशियों की व्यवस्था की जाती है ताकि उनका त्वरित विकास किया जा सके ।

दिल्ली में 'कम्प्यूटर लर्निंग शाप्स'

1451. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून, 1984 के इण्डिया टुडे में 'कम्प्यूटर्स लर्निंग शार्प्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में कितने कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र हैं और उनका ब्यौरा क्या है तथा उनमें से कितनों को सरकार चला रही है, सरकार से मान्यता प्राप्त है और वे कितनी फीस लेते हैं तथा उनमें दिए जाने वाले प्रशिक्षण के ब्यौरे सहित प्रशिक्षण की अवधि क्या है; और

(ग) क्या विद्यार्थियों को रोजगार की गारन्टी का लालच दिया जाता है और जो विद्यार्थी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें उनका भविष्य क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तथा (ग) दिल्ली में कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन कम्प्यूटर मेंटनेंस कारपोरेशन (सी०एम०सी०) जैसी मान्यता प्राप्त कम्पनियों द्वारा किया जाता है । ये पाठ्यक्रम अनिवार्यत: कम्प्यूटर व्यवसायविदों की प्रगति में और अधिक सहायक होने के लिए बनाए गए हैं; और इस क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति आदि की जानकारी देकर उनके ज्ञान को अद्यतन बनाए रखा जाता है । भारतीत. प्रौद्योगिक संस्थान, दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पूर्णकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम (1—3वर्ष) भी चलाए जाते हैं । कम्प्यूटर सोसाइटी आफ इण्डिया, जो कि कम्प्यूटर विशेषज्ञों का एक व्यावसायिक निकाय है, भी 2 सप्ताहों से 2 माह की अवधि के ऐसे पाठ्यक्रम (अंश-कालीन) चला रही है ।

समझा जाता है कि दिल्ली के लगभग 25 निजी संस्थान भी कम्प्यूटर-उन्मुख प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहे हैं । इन संस्थानों द्वारा अल्पावधि एवं दीर्घावधि, दोनों ही, प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं । अल्पावधि पाठ्यक्रम सामान्यत: कम्प्यूटर प्रोग्रामन के क्षेत्र में होते हैं और इनमें "बेसिक", "फोट्रॉन" तथा "कोबाल" जैसी प्रोग्रामन भाषा पर विशिष्ट रूप से बल दिया जाता है तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आंकड़ा प्रविष्ट, आंकड़ा सत्यापन, शब्द-संसाधक, आदि विषय आते हैं । दीर्घावधि पाठ्य-क्रमों में प्रणाली-विश्लेषण कम्प्यूटर यंत्रेतर-सामग्री (साफ्टवेयर) की प्रौद्योगिकी, प्रबंध सूचना प्रणाली आदि पर पाठ्यक्रम शामिल हैं । यह देखा गया कि अल्पावधि पाठ्यक्रमों के लिए औसत फीस 200 से 400 रु० के रेंज में ली जाती है तथा दीर्घावधि पाठ्यक्रमों के लिए फीस 800 से 1500 रु० के रेंज में ली जाती है । दिल्ली स्थित ऐसे संस्थानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

हमारे देश में सुप्रशिक्षित कम्प्यूटर कार्मिकों की कमी है । निजी संस्थानों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उन उम्मीदवारों के लिए लाभदायक हो सकते हैं जो विभिन्न संगठनों में कम्प्यूटर से सम्बन्धित उच्च-पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं । जो उम्मीदवार

स्नातक नहीं हैं, उनके लिए ये पाठ्यक्रम आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालक आंकड़ा कोडर आदि जैसे कार्य कराने का अवसर प्रदान करते हैं। किन्तु इस प्रशिक्षण की प्रवृत्ति ज्यादातर सैद्धान्तिक होती है और कम्प्यूटरों पर "वास्तविक" कार्य करने का अनुभव एवं अध्ययन केवल सीमित मात्रा में ही कराया जाता है। आमतौर पर यह पाया गया है कि ऐसे कार्यक्रम चलाने वाले अधिकतर संस्थानों में सूक्ष्मकम्प्यूटर (माइक्रो कम्प्यूटरों) तथा/अथवा लघु कम्प्यूटरों (मिनी कम्प्यूटरों) के रूप में कम्प्यूटरों की सुविधाएं केवल सीमित संख्या में ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्रशिक्षणार्थियों को साधारणतया सरल अभ्यास कराए जाते हैं और वे प्रोग्राम बनाते हैं तथा प्रशिक्षण संस्थानों में ही उपलब्ध मशीनों पर कार्य करते हैं। इसके फलस्वरूप, कम्प्यूटरों के वास्तविक जीवन में आने वाले अनुप्रयोग में व्यावहारिक ज्ञान सीमित मात्रा में प्राप्त होता है। ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी मिलने की सम्भावना इस बात पर निर्भर करती है कि ऐसे पाठ्यक्रमों में उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान के अलावा उन्होंने स्वतः अध्ययन के जरिए तथा अन्य पाठ्यक्रमों में शामिल होकर, किस सीमा तक इस ज्ञान में वृद्धि की है।

जहां तक दिल्ली में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे निजी संस्थानों की संख्या का सम्बन्ध है, सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

पतों की सूची

1. डेटा इन्टरनेशनल
   104, सूर्य किरण, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-1
2. डेटामैटिक्स कारपोरेशन
   804, 8वीं मंजिल, आकाशदीप, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-1
3. दिल्ली कम्प्यूटर एण्ड कन्सल्टेंसी सर्विसिज, प्रा० लि०
   पो० ओ० बाक्स-7118, नई दिल्ली-110002
4. दिल्ली इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड सर्विसिज,
   301 आकाशदीप बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-1
5. दिल्ली पब्लिक कालेज आफ कम्पिटीशन्स
   5-बी, पुसा रोड, नई दिल्ली-110005
6. फोरसाइट अकादमी आफ कम्प्यूटर टेकनोलाजी
   10, अनारकली, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001
7. हिन्दुस्तान कन्सल्टेंट्स
   110, हेमकुण्ड हाऊस, 6 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
8. इण्डिया अजुकेशन सेन्टर
   एम-92, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

9. इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर्स एण्ड सिस्टम्स मैनेजमैंट भल्ला केसल्टेंसी सर्विसिज
6-7, सांची हाऊस,
77, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019.

10. इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर प्रोफेशनल्स.
सी०आर०पी०एफ०, ई०डी०पी० सेल, ईस्ट ब्लाक 10
रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110022

11. इन्टरऐक्टिव कम्प्यूटर सिस्टम्स
56, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

12. इन्टरनेशनल डेटा मैनेजमेंट प्रा० लि०,
नेहरू हाऊस, बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002

13. इन्टरनेशनल डेटा प्रोसेसिंग कं० लि०
77, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

14. इन्टरनेशल इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर स्टडीज,
ए-3, साऊथ एक्टेंशन पार्ट 1, रिंग रोड, नई दिल्ली-110049

15. इन्टरनेशनल सिस्टम्स सर्विसिज लि०
203, 77 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19

16. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड कम्प्यूटर स्टडीज,
ई-20१, ग्रेटर कैलाश 1, नई दिल्ली-48

17. नीलम कम्प्यूटर डेटा सर्विसिज
बी०-52 दयानन्द कालोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024

18. ओ०पी०जो० कम्प्यूटर एंडिड डिजाइन प्रा० लि०
डी०एल० एफ० सेन्टर ग्रेटर कैलाश II, नई दिल्ली-48

19. ओम्नीसिस्ट्म्स
जे०-1939, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली-19

20. एस०सी०एल० इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर स्टडीज
311 मेघदूत, 94, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19

21. साफ्टेक (प्रा०) लि०
एम-12, कमर्शियल काम्प्लेक्स, ग्रेटर कैलाश II, नई दिल्ली-48

22. तन्दीप (प्रा०) लि०
बी-15, 90 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के डाकुओं से प्रभावित जिलों का विकास

1452. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मन्त्री के कहने पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के डाकुओं से प्रभावित कुछ क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति और विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये की एक विशेष योजना मंजूर की है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के डाकुओं से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए चालू वर्ष के बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में सरकार की अन्य किसी योजना का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) 1984-85 की वार्षिक योजना में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के डाकू-ग्रस्त क्षेत्रों में सड़क निर्माण और खड्ड भूमि सुधार के लिए 2.10 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

अलगाववादियों से जुड़े राजनैतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

1453. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन राजनैतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिनके अलगाववादियों से सम्बन्ध है अथवा उन्हें समर्थन दे रहे हैं; और

(ख) सरकार का विचार देश में अलगाववादियों से निपटने के लिए क्या दीर्घविधि उपाय करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) और (ख) : सरकार को किसी राजनैतिक दल सहित किसी संघ को गैर कानूनी घोषित करने के लिए विधि विरुद्ध गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1967 के अधीन शक्तियां प्राप्त हैं, यदि वह अलगाववादी गतिविधियों से ग्रस्त है या उन्हें प्रोत्साहन देता है या ऐसे कार्य करने में व्यक्तियों की सहायता करता है। ऐसी गतिविधियों में लगे व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए भी अधिनियम के अधीन शक्तियां उपलब्ध हैं। अलगाववादी गतिविधियों से सरकार ढंग से निपटने के लिए सरकार द्वारा, जहां आवश्यक होता है, इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है।

सरकार देश की अखण्डता तथा सुरक्षा के संरक्षण के लिए निरन्तर सतर्कता बरत

रही है। अलगाववादी और व्यक्तियों तथा संघों की अन्य ऐसी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का पता लगाने प्रकाश में लाने और उनके विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्रवाई करने के लगातार प्रयास किए जाते हैं।

लौह अयस्क की वसूली

1451. श्री मदनमोहन टुडु : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के मयूरभंज जिले में गोरूमहीशनी और बदामपहाड़ क्षेत्र में लौह अयस्क की विभिन्न खानों से लौह अयस्क की वसूली में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 में मयूरभंज जिले की उक्त लौह-अयस्क खानों से सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों तथा खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा कुल कितना टन लौह अयस्क खरीदा गया है;

(ग) क्या वर्ष 934-85 में इस वसूली में वृद्धि करने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस्पात संयंत्रों तथा खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा उन खानों से लौह अयस्क की खरीद के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य-मन्त्री (श्री एन०के०पी०साल्वे) (क) : उड़ीसा में लौह अयस्क के विभिन्न खनन क्षेत्रों से लौह अयस्क की प्राप्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात के लिए नए बाजारों का पता लगाना, पारादीप बन्दरगाह में लौह अयस्क को उठाने-धरने की सुविधाओं में सुधार करना और पारादीप बन्दरगाह से लौह अयस्क उठाने के लिए विदेशी ग्राहकों को प्रोत्साहित करना शामिल है।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लि० ("सेल") के इस्पात कारखाने खनिज व धातु व्यापार निगम/उड़ीसा माईनिंग कारपोरेशन से लौह अयस्क खरीदते हैं जो बिहार और उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं। वर्ष 1983-84 में "सेल" ने खनिज व धातु व्यापार नियम से कुल मिलाकर लगभग 8.6 लाख टन लौह अयस्क खरीदा है जिसमें उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित खानों का हिस्सा 1.4 लाख टन था।

(ग) और (घ) : वर्ष 1984-85 में "सेल" के कारखानों द्वारा खनिज व धातु व्यापार निगम की मार्फत पूर्वी क्षेत्र से लौह अयस्क की प्राप्ति इनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होने की संभावना है। फिर भी वर्ष 1984-85 में खनिज व धातु व्यापार निगम

की मार्फत लगभग 8.2 लाख टन लौह अयस्क प्राप्त करने की योजना है। वर्ष 1984-85 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून 1984) में इस्पात कारखानों हेतु खनिज व धातु व्यापार निगम ने मयूरभंज जिले से 0.65 लाख टन लौह अयस्क प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष की प्रत्येक तिमाही की औसतन प्राप्ति की तुलना में अधिक है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी कर्मचारी

1455. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार की संस्थापनाओं में हिन्दी के कार्य के लिए कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) उनमें से कितने हिन्दी भाषी राज्यों तथा कितने गैर हिन्दी भाषी राज्यों के हैं;

(ग) क्या गैर हिन्दी भाषी राज्यों के योग्य उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों अथवा संस्थापनाओं में हिन्दी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति हेतु कोई प्राथमिकता दी जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अपने कार्यालयों में हिन्दी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति के मामले में गैर हिन्दी भाषी राज्य के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिए जाने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) तथा (ख) : अपेक्षित जानकारी भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार हिन्दी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति हेतु गैर हिन्दी भाषी राज्यों के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

1983-84 के दौरान इस्पात संयंत्रों के लिए कोकिंग कोयले की कमी

1456. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983-84 के दौरान देश के प्रमुख इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोयले की कमी का सामना करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) जी, हां। यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 1983-84 में देशीय स्रोतों से बढ़िया किस्म के कोककर कोयले की उपलब्धि 73.55 लाख टन होगी जबकि 'सेल' (इस्को भी शामिल) की बढ़िया किस्म के कोककर कोयले की मांग 84.21 लाख टन होगी। उपलब्धि में 10.66 लाख टन का अन्तर आयात द्वारा पूरा किए जाने की सम्भावना है। जून से सितम्बर, 1983 के दौरान देशीय तथा आयातित कोककर कोयले की उपलब्धि संतोषजनक नहीं थी और कोक ओवन पुशिंग की दर को विनियमित करना पड़ा। वर्ष 1983-84 के दौरान 4.63 लाख टन कोककर कोयला आयात किया गया।

(ग) सरकार ने कोककर कोयले की उपलब्धि में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाये हैं जैसे—नई शोधन शालाओं की स्थापना करना, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए खनन कार्यों में सुधार करना और कोयले की क्वालिटी में सुधार करने के लिए कोयले को साफ करने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकीयां अपनाना।

गैंडों को एक चिड़ियाघर से दूसरे में भेजना

1457. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में कितने गैंडे हैं;

(ख) क्या कुछ गैंडे हाल ही में मर गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी मृत्यु के क्या कारण हैं; और

(घ) एक चिड़ियाघर से दूसरे में गैंडों का समुचित पुनर्वास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में लगभग बीस गैंडे हैं।

(ख) हाल ही में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह देखा जाता है कि गैंडों के लिए चिड़ियाघर में विस्तृत बाड़े, भोग विलास करने तथा पशुचिकित्सा की देख-रेख आदि जैसे उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था है।

नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा हटाए गए दामनजोड़ी के ग्रामीणों का पुनर्वास

1458. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामन जोड़ी गाँव के आदिवासी लोगों ने अपने गाँव से किसी अन्य स्थान पर जाने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके क्या कारण हैं;

(ग) इन ग्रामीणों की माँगें क्या हैं;

(घ) क्या एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकारी विस्थापित लोगों के लिए मकानों का निर्माण करने के लिए सहमत हो गए थे और राज्य को दी गई धन राशि के अलावा इस कार्य के लिए धन रखा था; और

(ङ) यदि हाँ, तो नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा इस प्रस्ताव का अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) दामन जोड़ी के ग्रामीणों ने नाल्को प्राधिकारियों से कोई माँग नहीं रखी है । परन्तु परियोजना अधिकारियों और राज्य सरकार के बीच बातचीत के फलस्वरूप नाल्को ने विस्थापित परिवारों हेतु ट्रांजित शैडों के लिए उड़ीसा सरकार के पास 5 लाख रुपए जमा कर दिए हैं । भूमि के मुआवजे तथा ट्रांजिट आवास के प्रावधान के अलावा प्रत्येक विस्थापित परिवार को 2500/ रुपए की अनुग्रह राशि दी गयी है ताकि वे अपना निजी आवास बना सकें ।

नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा दामनजोड़ी के ग्रामीणों को मुआवजा और पुनर्वास निधि की अदायगी

1459. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकारियों ने उड़ीसा सरकार को दामनजोड़ी और अगुल क्षेत्र के लिए मुआवजा और पुनर्वास निधि की अदायगी कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो मुआवजा और पुनर्वास के लिए कुल कितना धन दिया गया है;

(ग) क्या अगुल की तुलना में दामनजोड़ी के स्वामियों को दी गई मुआवजे की राशि बहुत ही कम है; और

(घ) यदि हां, तो दामनजोड़ी और अगुल में प्रति एकड़ भूमि के मुआवजे के लिए कितनी राशि दी गई है तथा दोनों स्थानों पर गृह निर्माण के लिए सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) नाल्को प्राधिकारियों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अनुसार तैयार तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आकलनों के आधार पर कोरापुट और धेनकनाल भू-अधिग्रहण कलक्टरों द्वारा निर्धारित भू-अधिग्रहण मुआवजा राशि जमा करा दी है । अब तक कोरापुट में 1.38 करोड़ रुपए और धेनकनाल में 5 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है ।

(ग) और (घ) भू-अधिग्रहण कलैक्टरों द्वारा तैयार आकलनों के आधार पर मुआवजा की प्रति एकड़ लागत अंगुल सैक्टर में 17,000 रु० और दामनजोड़ी सैक्टर में 3,000 रु० प्रति एकड़ बैठती है । इसके अलावा दामनजोड़ी सैक्टर में अब तक प्रत्येक विस्थापित परिवार को अपना मकान बनाने के लिए 2,500/ रुपए की अनुग्रह राशि दी गई है । नाल्को ने विस्थापित परिवारों को बसाने हेतु ट्रांजिट शेडों के निर्माण के लिए जिला कलैक्टर कोरापुट के पास 5 लाख रुपए की राशि भी जमा करायी है ।

स्कूलों के लिए कम्प्यूटर

1460. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों के लिए कम्प्यूटर का बृहद कार्यक्रम खटाई में पड़ गया है और हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा ब्रिटेन से सैकड़ों 'कालटर बी० बी० सी० (माइक्रो)' कम्प्यूटर आयात किए जा चुके हैं और यदि हाँ, तो उनकी सही संख्या कितनी है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इन कम्प्यूटरों के वितरण हेतु स्कूलों के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार को कितने कम्प्यूटर उपलब्ध कराए जाने की

सम्भावना है और क्या आरम्भ में प्रदर्शन और सम्बद्ध कर्मचारियों को कम्प्यूटरों का प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न राज्यों में कम्प्यूटर विशेषज्ञ भी तैनात किए जाएंगे और यदि हां, तो योजना की मोटी रूपरेखा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दोनों सरकारों के बीच हुए एक, द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग करार के अन्तर्गत, ग्रेट ब्रिटेन सरकार द्वारा विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास) नामक प्रयोगिक परियोजना के लिए 900 कम्प्यूटर प्रणालियों की पूर्ति की जा रही है । इनमें से 170 कम्प्यूटर प्रणालियां प्राप्त हो चुकी हैं तथा शेष प्रणालियों के शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है । चूंकि इन कम्प्यूटर प्रणालियों की आपूर्ति सहायता के अन्तर्गत की गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत की गई है, अत: सरकार ने उनके आयात पर कोई विदेशी-मुद्रा अथवा रुपए के रूप में व्यय नहीं किया है । तथापि, यन्त्र-सामग्री (हार्डवेयर) का रुपयों में समतुल्य मूल्य 115 62 लाख रुपए होगा । इसके अलावा, 42 लाख रुपए मूल्य के यन्त्रेतर-सामग्री (साफ्टवेयर) पैकेज भी प्राप्त किए जा रहे हैं ।

(ग) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय ने प्रायोगिक परियोजना में भाग लेने वाले विद्यालयों के चयन के लिए निम्नलिखित कसौटियां निर्धारित की थीं ।

(i) विद्यालय की दूरी सहायता देने वाले संस्थान से 50 किलोमीटर के व्यास में होनी चाहिए ।

(ii) विद्यार्थियों तथा अध्यापकों में अंग्रेजी भाषा समझने की योग्यता । (प्रायोगिक चरण में ऐसा होना जरूरी है क्योंकि यन्त्रेतर-सामग्री अंग्रेज़ी भाषा में ही उपलब्ध होगी ।)

(iii) प्रशिक्षण कार्यों के लिए विद्यालय कम से कम तीन अध्यापकों को भेजेगा । यह प्रशिक्षण केवल 4 से लेकर 6 सप्ताह के लिए समिति रहेगा ।

(iv) विद्यालय द्वारा कम्प्यूटर प्रणाली लगाने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा; अच्छा हो यदि एक अलग कमरे की व्यवस्था की जाए ।

(v) पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक व्याख्यान के समय तथा व्यावहारिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में "प्रायोगिक कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन परियोजना (क्लास)" के लिए स्कूल की समय-सारणी में से ही कम से कम 5 घन्टे प्रति सप्ताह उपलब्ध कराएं जायें । शेष समय कार्यदिवसों अवकास दिवसों तथा छुट्टियों के दौरान अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करके उपलब्ध कराया जाएगा ।

(vi) विद्यालय "प्लस-टू" स्तर के होने चाहिए और इनमें भौतिकी, रसायन, गणित अथवा वाणिज्य पाठ्यक्रम उपलब्ध होने चाहिए ।

(vii) कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कम से कम 30 विद्यार्थी होने चाहिए ।

(viii) बिजली की उपलब्धता का सुनिश्य किया जाए ।

(ix) यदि सहायता देने वाले संस्थान के साथ किसी प्रकार का कोई सम्पर्क पहले से हो तो वह और भी लाभप्रद होगा ।

राज्यों को यह भी सलाह दी गई थी कि ग्रामीण क्षेत्र के कुछ विद्यालयों को भी चुना जाए ।

(घ) प्रायोगिक परियोजना में शामिल किए जाने के लिए पश्चिम बंगाल में 20 विद्यालयों तथा 3 संसाधन-केन्द्रों को चुना गया है । कुल मिलाकर 61 प्रणालियां जिनमें से 40 प्रणालियां विद्यालयों को तथा 21 प्रणालियां संसाधन-केन्द्रों को सप्लाई की जाएंगी । इसका आरंभिक अवस्था में ही, मई, 1984 के दौरान संसाधन केंद्र के कार्मिकों के लिए एक पुनश्चर्या-कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके अन्तर्गत सरकार ने प्रत्येक केन्द्र में कम्प्यूटर के विशेषज्ञों को तैनात किया था । भाग लेने वाले विद्यालयों के अध्यापकों के लिए जून/जुलाई, 1984 में एक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में दो केन्द्रों, अर्थात् खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और कलकत्ता स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय पर विशेषज्ञों को जानकारी देने के लिए नियुक्त किया गया था ।

रंगीन टी० वी० की पिक्चर ट्यूबों का आयात

1461. श्री छोटूभाई गामित : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय टी० वी० निर्माता संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि आयात माध्यम एजेन्सी इलेक्ट्रानिक व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा अपर्याप्त आयात किए जाने से उत्पन्न होने वाली सम्भावित कमी को पूरा करने के लिए उन्हें रंगीन टी० वी० की पिक्चर ट्यूबों का स्वयं आयात करने की अनुमति दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) हालांकि भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि रंगीन दूरदर्शन के उत्पादनकर्ताओं को स्वयं रंगीन पिक्चर ट्यूबों के आयात की अनुमति दी जाए, लेकिन सरकार का विचार ऐसी अनुमति देने का नहीं है । इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई० टी० एंड टी०) नामक एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी ने, जो वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत आयात करने वाला एक सरणीबद्ध अभिकरण है, लगभग 8.2 लाख रंगीन पिक्चर ट्यूबों के लिए क्रयादेश दे चुका है । इनमें से 76,000 रंगीन

पिक्चर ट्यूबें 30 जुलाई, 1984 तक उद्योग को वितरित की जा चुकी हैं तथा ऐसी योजना है कि 31 मार्च, 1985 तक उद्योग को 6 लाख और रंगीन पिक्चर ट्यूबें खरीदने के लिए कहा जाएगा। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टेकनोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन दो विश्वव्यापी टेंडर आमंत्रित करने के बाद इन्हें खरीदने के लिए बचनबद्ध भी है। इन दो टेंडरों में से एक 4 लाख रंगीन पिक्चर ट्यूबों के लिए है और दूसरा 5 लाख रंगीन पिक्चर ट्यूबों के लिए और इनके प्रत्युत्तर में समूचे विश्व के सभी प्रमुख रंगीन पिक्चर ट्यूब निर्माताओं ने अपने-अपने टेंडर भेजे हैं। इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा एक साथ इतनी अधिक मात्रा में खरीद करने के फलस्वरूप इन रंगीन पिक्चर ट्यूबों के लिए बहुत ही प्रतिस्पर्धा कीमतें उद्धृत की हैं। इसके परिणामस्वरूप, रंगीन दूरदर्शन विनिर्माता-गण यदि स्वयं विभिन्न स्रोतों से कम मात्रा में रंगीन पिक्चर ट्यूबों का आयात करते तो जितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की सम्भावना थी उसकी तुलना में सरकार ने काफी विदेशी मुद्रा की बचत की है। ऐसी मानकीकृत थोक खरीद से रंगीन दूरदर्शन सेटों के अन्य उत्पाद की क्वालिटी के सम्बन्ध में मानक तैयार करने में सुविधा होती है और इससे उपभोक्ता के हितों की रक्षा होती है। अन्त में, इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा इसकी विपणन, प्रौद्योगिकी तथा ब्रांड नाम (एम० टी० बी०) योजना के अन्तर्गत आमन्त्रित किए गए 5 लाख रंगीन पिक्चर ट्यूबों के टेंडर में रंगीन पिक्चर ट्यूबों का देश में विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के अन्तरण की भी व्यवस्था है ताकि आयात के साथ-साथ स्थानीय उत्पादन द्वारा आयात का प्रतिस्थापन हो सके। यदि रंगीन पिक्चर ट्यूबों का आयात रंगीन दूरदर्शन विनिर्माताओं द्वारा अलग-अलग किया जाता तो यह कभी भी सम्भव नहीं होता।

सातवीं योजना में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

1462. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने मध्यम और लघु उद्योगों को नियन्त्रण से मुक्त करने और बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशासनिक नियन्त्रण की बजाए वित्तीय नियन्त्रण पर बल देने के लिए सातवीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र में समायोजन करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र तथा कपड़ा मिलों, सीमेंट, जूट और कागज तथा लोह और इस्पात जैसे उद्योगों जहां पर बहुत पहले एकक स्थापित किए गए थे, सम्बन्धी नीति का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना की नीति 1985-90 में, जो हाल ही में योजना आयोग द्वारा तैयार की गई थी और जिसका राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया था, सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए कार्यनीति की व्यापक रूप रेखा दी गई है। यह सुझाव दिया गया है कि

औद्योगीकीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बल के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुरूप बल के प्रशासनिक से वित्तीय नियन्त्रणों में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार करना होगा। यह भी सुझाव दिया गया है कि उपभोक्ता वेतन (दिहाड़ी) माल के उत्पादन में लगी हुई मझोली और लघु उद्योग इकाइयों को सभी बाध्यकारिताओं तथा प्रतिबन्धों से मुक्त करने की आवश्यकता होगी।

नीतियों के ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

संचार एवं मौसम उपग्रह कार्यक्रम में समन्वय के लिए भारत तथा सोवियत संघ के बीच समझौता

1463. **श्री के० मालन्ना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हाल में ही भारत तथा सोवियत संघ के बीच उनके संचार एवं मौसम उपग्रह कार्यक्रम में समन्वय के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तों के बारे में ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत तथा सोवियत संघ के दूरसंचार प्रशासन के प्रतिनिधि 21 मई तथा 25 मई, 1984 के बीच भारत की इन्सैट उपग्रह प्रणाली तथा सोवियत उपग्रह प्रणाली के आपसी समन्वय के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए नई दिल्ली में मिले थे, जिसे दोनों प्रशासनों के बीच दिसम्बर 1976 के समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रस्तावित किया गया था। भू-स्थिर कक्षीय स्थानों/आवृत्ति बैण्डों के उपयोग इत्यादि के सन्दर्भ में आवश्यक आपसी समन्वय मई 25, 1984 को हस्ताक्षरित एक समझौता-ज्ञापन में निष्पादित तथा प्रलेखित किया गया था।

इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन

14 4. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के बारे में सिद्धान्त रूप से वर्ष 1983 में ही सहमत हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो ये दोनों सेवाएं सम्भवत: कब तक गठित कर दी जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इनके गठन में देरी के क्या कारण हैं तथा ये सेवाएं कब तक गठित हो जाने की आशा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

इन्जीनियरी और चिकित्सा के क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन

संसद ने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) में धारा 2ए जोड़कर, वर्ष 1963 में इसका संशोधन किया है जिसे निम्न प्रकार पढ़ा जाए :

"2-ए नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन—उस तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, निम्नलिखित अखिल भारतीय सेवाएं गठित की जाएंगी और विभिन्न के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी,

अर्थात :—

1. भारतीय इन्जीनियरी सेवा (सिंचाई, विद्युत, निर्माण तथा सड़कें);
2. भारतीय वन सेवा;
3. भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं;

2. इस अधिनियम के उपर्युक्त संशोधन के अनुसरण में 1 फरवरी, 1969 को भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा गठित की गई थी। विभिन्न राज्यों से सेवा के संवर्गों का गठन तथा सेवा में प्रारम्भिक भर्ती किए जाने से पूर्व ही कुछ राज्य सरकारों ने इस सेवा में शामिल होने की अपनी पूर्व सहमति वापस ले ली थी। भारतीय इन्जीनियरी सेवा का अभी गठन किया जाना है। मार्च, 1978 में तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय किया था कि भारतीय इन्जीनियरी सेवा और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के गठन करने के प्रश्न पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस स्थिति की पुनरीक्षा कर ली गई है तथा राज्य सरकारों से इस विषय में अनौपचारिक रूप से विचार-विमर्श किया जा रहा है। भारतीय इन्जीनियरी सेवा के गठन और भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के पुनर्गठन के सम्बन्ध के अन्तिम निर्णय राज्य सरकारों के विचार उपलब्ध हो जाने के पश्चात् किया जाएगा।

राज्यों में परिस्थिति की विकास सम्बन्धी कार्य दलों का गठन

1465. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जो मुख्यतः भूतपूर्व सैनिकों को लेकर गठित किए जाने वाले परिस्थिति की विकास सम्बन्धी कार्य-दलों का गठन करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस कार्य के लिए शेष राज्यों को भी राजी करने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में किस प्रकार के कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और शेष राज्यों को भी इसके लिए कौन सी तारीख तक राजी कर लिए जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के प्रत्येक राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के पारि-विकास सम्बन्धी कृतिक बल आजकल परिचालन में हैं।

(ख) से (घ) राज्य सरकारें पारि-विकास सम्बन्धी कृतिक बलों के गठन के प्रस्तावों को प्रस्तुत कर रही हैं। इन पर राष्ट्रीय पारि-विकास बोर्ड द्वारा विचार किया गया। कृतिक बलों के गठन का प्रस्ताव जम्मू तथा कश्मीर, महाराष्ट्र, सिक्कम तथा केरल राज्यों से भी प्राप्त हुए हैं। हिमालय प्रदेश में प्रस्तावित कृतिक बल के उपयोग के लिए पर्याप्त रोपण सामग्री एकत्र करने से सम्बन्धित कार्य चल रहा है।

इलेक्ट्रानिक पुर्जों के आयात को उदार बनाना

1466. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रानिक पुर्जों और उपकरणों के आयात को उदार बनाने के बाद इलेक्ट्रानिक उद्योग पर इसके प्रभाव का कोई अध्ययन करवाया है; और

(ख) सरकार का आगामी वर्षों में मुख्य उपकरणों के लिए आवश्यकता पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के पुर्जों की समस्या को किस प्रकार हल करने का विचार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) पिछले कुछ समय तक संगठक-पुर्जों तथा उपस्करों के आयात में कोई उदारीकरण नहीं किया गया है।

(ख) अब तक हमारा इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा उद्योग मुख्यत: उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक उपस्कर की आवश्यकताओं को ही पूरा कर रहा है। जैसाकि रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के विनिर्माण विषयक औद्योगिक तथा लाइसेंसिंग नीति से स्पष्ट होता है, सरकार की यह नीति है कि ऐसे उपस्कर के मानकीकृत विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाए ताकि उनमें अन्तर्ग्रस्त संघटक-पुर्जों की किस्मों में कमी की जा सके और साथ ही उनमें लगने वाले संघटक-पुर्जों की अपेक्षाकृत कम किस्मों का बड़े पैमाने पर उत्पादन भी किया जा सके। रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबें तथा उनमें लगने वाले विक्षेपण संघटक-पुर्जे इसके

उदाहरण हैं। अब तक केवल कुछ सुरक्षा इलेक्ट्रानिक उपस्करों व कुछ दूरसंचार उपस्करों को छोड़कर व्यावसायिक ग्रेड के इलेक्ट्रानिक संगठक-पुर्जों के बारे में एक समान नीति अपनाना संभव नहीं है। तथापि, सातवीं योजना के दौरान दूर संचार प्रणाली में काफी अधिक विस्तार होने की संभावना है। अत: इसके लिए व्यावसायिक किस्म के उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। अनेक प्रमुख सुरक्षा इलेक्ट्रानिक प्रणालियों/उपस्करों के मामले में भी ऐसी ही आवश्यकता होगी। सरकार द्वारा वर्ष 1983 के मध्य में चलाई गई विशेष दूरदर्शन विस्तार योजना के माध्यम से, जो इस समय अमल में लाई जा रही है। राष्ट्रीय दूरदर्शन प्रणाली में तेजी से हुए विस्तार से केवल जुलाई, 1984 तक ही लगभग 65 करोड़ रुपये मूल्य के उच्च प्रौद्योगिकी वाले ट्रांसमिशन तथा स्टूडियो उपस्करों का उत्पादन हुआ है। चूंकि लगभग यह समूचा उपस्कर मानकीकृत डिजाइन का है, ऐसे उपस्कर के उत्पादन से व्यावसायिक ग्रेड के सघटन पुर्जों की व्यवहार्य अतिरिक्त मांग पैदा हुई है। इससे यह पता चलता है कि सातवीं योजना में व्यावसायिक ग्रेड के इलेक्ट्रानिक सघटन-पुर्जों की बढ़ी हुई माँग पर सुरक्षा तथा दूर संचार उपस्कर उत्पादन के विस्तार का कितना अधिक प्रभाव पड़ेगा।

मन्त्रालयों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति का कार्यान्वयन

1467. **श्री भीखा भाई :** क्या गृह मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी मन्त्रालयों और उनके नियंत्रणाधीन सभी सरकारी उपक्रमों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोस्टर पाइन्ट और आरक्षण नीति बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या मन्त्रालय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के हितों का मुख्य संरक्षक होने के नाते आरक्षण लागू करने सम्बन्धी सभी गतिविधियों पर निगरानी रखने की संवैधानिक जिम्मेदारी है;

(ग) क्या वरिष्ठ अधिकारी भी रोस्टर पाइन्ट और आरक्षण नीति बनाने की प्रणाली नहीं जानते हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार रोस्टर रजिस्टरों की समय-समय पर जांच करने की व्यवस्था करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण सम्बन्धी नीति कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तैयार की जाती है जो नोडल एजेन्सी होने के नाते सभी मन्त्रालयों/विभागों को उक्त विषय पर समय समय पर आवश्यक अनुदेश जारी करता है और मुख्य रूप से उनके कार्यान्वयन पर निगाह रखता है। जहां तक केन्द्रीय सरकारी

उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लिए आरक्षणों का सम्बन्ध है, वित्त मन्त्रालय के सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण मे प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा अनुदेश जारी किए जाते हैं।

(ग) सभी सम्बन्धित अधिकारियों से आशा की जाती है कि वे सम्बन्धित अनुदेशों की जानकारी रखें।

(घ) विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के सम्पर्क अधिकारियों द्वारा रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण किए जाने के लिए उपयुक्त अनुदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

संसद सदस्यों और अन्दमान और निकोबार प्रदेश परिषद के सदस्यों को निकोबार द्वीप समूह का दौरा करने के लिए प्रवेशपत्र

1468. श्री टी०एस० नेगी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह आदिम अधिवासी सुरक्षा विनियम, 1956 के अन्तर्गत संसद सदस्यों और अन्दमान निकोबार प्रदेश परिषद के सदस्यों को निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्राओं के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो संसद सदस्यों और प्रदेश परिषद के सदस्यों को जून, 1981 से अब तक पृथक-पृथक ऐसे कितने प्रवेश पत्र जारी किये गए हैं; और

(ग) क्या संसद सदस्यों की तरह ही जो देश के किसी भी भाग का दौरा कर सकते हैं, प्रदेश परिषद के सदस्यों को भी निकोबार द्वीपसमूह का दौरा करने हेतु प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट देने के लिए उक्त विनिमय में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमत राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति

1469. श्री भीखा भाई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत में अन्तरिक्ष अनुसंधान किस चरण तक पहुंच गया है; और

(ख) सातवीं योजनवधि में इस क्षेत्र में और कितनी प्रगति होने की आशा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) उपग्रह

शैक्षणिक दूरदर्शन परीक्षण (साइट), उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना (स्टेप) के पूरा होने के साथ ही सुदूर संवेदन सम्बन्धी सर्वेक्षणों और उपयोगों के क्षेत्र में की गई प्रगति, आर्यभट और भास्कर-I के प्रमोचन तथा एस० एल० वी०—3 द्वारा रोहिणी के सफल प्रमोचन से अन्तरिक्ष प्रोफाइल 1970-80 में निर्दिष्ट सभी उद्देश्य काफी हद तक पूरे हो गए और कुछ क्षेत्रों में तो ये आगे भी बढ़ गये।

2. छठी योजना अवधि के दौरान भास्कर-II और एप्पल के सफलतापूर्वक निष्पादन से संचार और सुदूर संवेदन के लिए प्रचालनात्मक उपग्रहों के निर्माण की क्षमता अब विद्यमान है।

3. इन उपग्रहों के विकास के समानान्तर, इनके उपयोग के लिए एक कार्यक्रम को भी योजना बनाई गई थी; इस प्रकार उपयोग और उपग्रह प्रौद्योगिकी के धागों को जोड़ा गया। भास्कर-I और II का उपयोग कम पैमाने पर पूर्ण विस्तृत उपग्रह आधारित सुदूर संवेदन प्रणाली के प्रबन्ध में अनुभव प्राप्त करने के लिए किया गया। इस सम्बन्ध में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग आई० आर० एस० कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। भारत के प्रथम-भू-स्थायी संचार उपग्रह एप्पल ने संचार एवं उन्नत अन्तरिक्षयान प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव प्रदान किया है एप्पल उपयोग कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ववर्ती (स्टेप) परियोजना सम्बन्धी कई परीक्षणों का विस्तार किया गया। यह अनुभव, न केवल इन्सैट-II अन्तरिक्ष खण्ड के विकास के मूल्यवान होगा, अपितु इन्सैट अन्तरिक्षयान के इष्टतम उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।

4. एस०एल०वी०-3 डी०-2 द्वारा रोहिणी आर० एस०-डी०-2 के सफल प्रमोचन (अप्रैल1983) से प्रौद्योगिकी विकास के एक महत्वपूर्ण अवयव की सिद्धि हुई है। क्षमताओं में सन्तुलित होने के बावजूद एस० एल० वी०-3 राकेट संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट और ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन राकेट परियोजनाओं, जो अब प्रगति में है, का एक निर्णायक अग्रदूत था।

5. अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अनेक राकेट, बेलून आधारित तथा भू-आधारित परीक्षण आयोजित किए गए और कास्मिक-किरण सम्बन्धी परीक्षण (अनुराधा) नोडभार को "स्पेस-लेब" में जाएगा। भारतीय मध्य वायुमण्डलीय कार्यक्रम, जिसे कई राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से आयोजित किया गया और जिसमें एम०एस०टी० राडार जैसा उपस्कर शामिल है, की सुदृढ़ नींव डाली गई है।

6. अभी तक जो प्रगति प्राप्त की गई है, उससे भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के आत्मनिर्भर उपयोग के लक्ष्य की दिशा में निर्देशित है, तथा इसमें (1) विविध राष्ट्रीय उपयोगों के लिए उपग्रह संचार; (2) ससाधनों के सर्वेक्षण और प्रबन्ध, पर्यावरणीय मानीटरन तथा मौसम विज्ञानीय सेवाओं के लिए उपग्रह सुदूर संवेदन, और (3) इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए स्वदेशी उपग्रहों

और प्रमोचक राकेटों का विकास और प्रचालनीकरण पर मुख्य बल प्रदान किया गया है।

7. जबकि उपर्युक्त प्रमुख क्षेत्र राष्ट्रीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम में प्रभावी रहेंगे, योजना 1985-90 में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के सीधे और परोक्ष उपयोगों की नींव रखी जाएगी। मुख्य जोर निम्न पर होगा :

(1) अन्तरिक्ष कार्यक्रम के संक्रमण को, क्षमता निर्माण, उपयोगी प्रदर्शनों तथा प्रायोगिक मिशनों से संचार और सुदूर संवेदन उपग्रहों पर आधारित अर्ध प्रचालनात्मक तथा प्रचालनात्मक प्रणालियों की दिशा में यथाशीघ्र तीव्र करना।

(2) अन्तरिक्षयानों और प्रमोचक राकेटों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना; प्रमोचक राकेट, उपग्रह, उपयोगों, विकास तथा उपयोग कार्यक्रमों के बीच आंतरिक-सम्बन्धों को पूरा करने की दिशा में प्रगति करना; और प्राप्त प्रमोचकों के लिए विकल्पों को बन्द करना।

(3) विस्तृत निर्देशित अध्ययनों और अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से भावी उन्नत अन्तरिक्ष प्रणालियों के विकास की नींव रखना।

8. इस समय, अन्तरिक्ष प्रयास ने निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्ति में क्षमता निर्माण के प्रायोगिक चरण से राष्ट्रव्यापी अन्तरिक्ष सेवाओं के प्रचालीकरण के संक्रमण से एक नाजुक चरण में प्रवेश किया है।

9. भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम का ब्यौरा, इसके उद्देश्य, उपलब्धियाँ इत्यादि 1980-90 के स्वीकृत अन्तरिक्ष प्रोफाइल में दिया गया है, जिसकी प्रतियां 19-8-1981 को लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत की गई थी। अन्तरिक्ष विभाग का कार्य निष्पादन और कार्यक्रम का ब्यौरा वार्षिक रिपोर्टों में भी दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है।

सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बिलम्ब से दी गई पेंशन पर ब्याज का भुगतान

1470. श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या गृह मन्त्री सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बिलम्ब से दी गई पेंशन पर ब्याज के भुगतान के बारे में 4 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6294 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब ब्याज की दर (मृत्यु एवं सेवानिवृत्त उपदान के भुगतान में विलम्ब के कारण) बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के देरी से भुगतान किए जाने पर अब ब्याज की दर निम्न प्रकार होगी :

(I) तीन महीने से ऊपर तथा एक वर्ष तक	7 प्रतिशत प्रति वर्ष
(II)एक वर्ष से ऊपर	10 प्रतिशत प्रति वर्ष

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार विधान सभा के एक कर्मचारी की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच

1471. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या गृह मन्त्री बिहार विधान सभा में एक कर्मचारी की मृत्यु के सम्बन्ध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच के बारे में 4 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6417 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार विधानसभा के एक कर्मचारी की मृत्यु के बारे में जांच कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मामले की जांच पूरी करने के लिए अभी कितना समय और लगेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) : इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूरी कर ली गई थी और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में फाइल कर दी गई थी। यह क्लोजर रिपोर्ट 18.5.84 को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना द्वारा स्वीकृत कर ली गई है।

परमाणु ऊर्जा उत्पादक संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

1473. **श्री सूरज भान** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष में प्रत्येक परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की ऊर्जा पैदा करने की दर क्या रही है और प्रत्येक संयंत्र की क्षमता का वास्तविक उपयोग कितना हुआ;

(ख) क्या 1976 में क्षमता का बेहतर उपयोग हुआ; यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) एक वर्ष में उत्पादित प्रति मेगावाट ऊर्जा और उस पर निवेश का अनुपात क्या है तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रमुख ताप बिजलीघर के मामले में यह अनुपात क्या है और यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई बिजली संयंत्र हैं, तो उनमें ऊर्जा उत्पादन तथा निवेश का अनुपात क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) सूचना नीचे दी जा रही है :

क्षमता गुणक (प्रतिशत)

	स्थापित क्षमता मेगावाट	1981	1982	1983	1984 (जून तक)	1976
तरापुर परमाणु बिजलीघर						
पहला यूनिट	210	43.15	60.46	42.98	57.94	62.69
दूसरा यूनिट	210	52.40	30.27	57.14	21.89	61.69
राजस्थान परमाणु बिजलीघर						
पहला यूनिट	220	26.08	2.59*	—	—	46.60
दूसरा यूनिट	220	43.56	22.43	55.29	65.74	—
मद्रास परमाणु बिजलीघर						
पहला यूनिट	235	—	—	—	62.0	—

* यह यूनिट 4-3-1982 से उसकी एंड-शील्ड की मरम्मत के लिए बन्द है ।

सन् 1976 में तारापुर परमाणु बिजलीघर का कार्यनिष्पादन, उसके पिछले तीन वर्षों के कार्यनिष्पादन की तुलना में बेहतर था क्योंकि उस समय ईंधन की सप्लाई में कोई बाधा नहीं थी । राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट का कार्यनिष्पादन सन् 1979 में सबसे अच्छा रहा । उस वर्ष क्षमता गुणक 64.94 प्रतिशत रहा था ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

देश में कम लागत पर अधिक व्यक्तियों को ले जाने वाली यातायात व्यवस्था का प्रस्ताव

1474. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बढ़ती हुई यातायात समस्या को हल करने के लिए कम लागत पर अधिक व्यक्तियों को ले जाने वाली यातायात व्यवस्था को लागू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) परिवहन के क्षेत्र में आगे जो महत्वपूर्ण कार्य है वह सम्पूर्ण मांग का सामना करने के लिए प्रणाली की असमर्थता को प्रतिवर्तित करना है। जैसा कि सातवीं पचवर्षीय योजना (1985-90) के नीति पत्र में कहा गया है, इसका प्रबन्ध निवेश प्रयत्न बढ़ाकर, प्राथमिकताओं में परिवर्तन करके, तकनीक में उन्नयन करके और परिचालन स्तर पर क्षमता को इष्टतम करके करना चाहिए तथा परिवहन की वैकल्पिक प्रणालियों के बीच चुनाव ऊर्जा को समुचित महत्व देते हुए तुलनात्मक संसाधन लागत लाभ पर आधारित होना चाहिए।

कोटा स्थित परमाणु बिजली घरों में बिजली संकट

1475. **श्री बिरदाराम फुलवारिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोटा परमाणु बिजलीघर की किसी न किसी यूनिट के बार-बार खराबी हो जाने के कारण वहां हमेशा बिजली संकट रहता है और क्या सरकार ने इन यूनिटों के खराब होने के कारणों का पता लगाया है;

(ख) क्या सरकार ने बिजली संकट पर काबू पाने की दृष्टि से राज्य में और अधिक परमाणु बिजलीघर स्थापित करने की किसी योजना पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो ये परमाणु बिजलीघर कब तक स्थापित किए जाएंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। राजस्थान परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट इस समय संतोषजनक रूप से काम कर रहा है। दूसरे यूनिट से राजस्थान ग्रिड को दी जाने वाली बिजली उस राज्य की बिजली की कुल आवश्यकता का एक अंश है। पहले यूनिट को उसकी एंड-शील्ड की मरम्मत के लिए बन्द रखा गया है।

(ख) वर्तमान स्थलों पर, जिनमें राजस्थान परमाणु बिजलीघर भी शामिल है, क्षमता का विस्तार करना स्थल-चयन समिति के विचाराधीन है।

(ग) उत्तरी बिजली क्षेत्र में भविष्य में लगाए जाने वाले परमाणु बिजलीघरों के लिए स्थलों के बारे में निर्णय स्थल चयन समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने और उस पर सरकार द्वारा विचार कर लिया जाने के बाद लिया जा सकेगा।

जम्मू कश्मीर राज्य में पाकिस्तान से घुसपैठ

1476. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा सेना को यह आदेश दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य में घुसने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को गोली मार दी जाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पाकिस्तान से राज्य में घुसपैठ करने वालों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी करना आवश्यक हो गया था;

(ग) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर राज्यों में सुरक्षा सेना ने हाल ही में पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले कितने लोगों को अब तक पकड़ा है और गिरफ्तार किया है; और

(घ) सुरक्षा बलों ने स्थिति से निबटने के लिए क्या सुरक्षा उपाय अपनाएं हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर में तैनात किए गए सुरक्षा बलों को ये अनुदेश दिए गए हैं कि वे हमारे क्षेत्र में घुसपैठ से कारगर ढंग से निपटें।

(ग) सूचना देना लोक हित में नहीं है।

(घ) हमारे सुरक्षा बल घुसपैठ को रोकने के लिए पूरी सीमा और नियंत्रण रेखा पर सतर्क हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए नौकरी सम्बन्धी योजनाओं को अन्तिम रूप देना

1477. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

श्री राम विलास पासवान : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए नौकरी सम्बन्धी योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

योजना मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार से सम्बन्धित नीति "सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 की नीति" नामक दस्तावेज में बताई गई है। अन्य बातों के साथ, यह कहा गया है कि सातवीं योजना में क्षेत्रकीय उत्पादन योजनाओं के रोजगार योजनाओं से एकीकरण के जरिए लाभप्रद रोजगार सृजित करने और विशिष्ट लक्ष्य ग्रुपों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार करने पर बल दिया जायेगा। रोजगार स्कीमों का उद्देश्य स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना, कुशलता का निर्माण करना और बढ़ते हुए आय स्तरों के साथ स्थायी और सतत रोजगार का सृजन करना होगा। इसके अलावा, अपेक्षित प्रशिक्षण, ऋण विपणन और संगठनात्मक सम्बद्धताओं के समर्थन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कार्यकलापों में स्कीमें स्वरोजगार में सम्वृद्धि करती रहेंगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में स्कीमों के विशिष्ट ब्यौरे योजना प्रारूप तैयार करते समय तैयार करने होंगे।

जूनागढ़ में गिर वन में "सफारी पार्क" का विकास

1478. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को लोकप्रिय बनाने और शेरों को उनकी गुफाओं में देखने के लिए जूनागढ़ के गिर वन में "सफारी पार्क" के विकास का प्रस्ताव है;

(ख) क्या पूरे गिर क्षेत्र को "नेशनल पार्क" घोषित करने और वन्य जीवन के भारतीय बोर्ड के दिशानिदेशों के अनुसार इसका विकास करने का भी विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रस्तावित "सफारी पार्क" और "नेशनल पार्क" पर्यटकों के लिए कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) राज्य सरकार के पास सफारी उद्यान के विकास का एक प्रस्ताव है।

(ख) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के उपबन्धों के अन्तर्गत गिर वन के एक भाग को पहले ही एक राष्ट्रीय उद्यान तथा दूसरे भाग को एक अभयारण्य घोषित किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य क्षेत्र दर्शकों के देखने के लिए पहले ही सुलभ है। सफारी उद्यान की अभी तक स्थापना नहीं की गई है।

ताप बिजली संयंत्रों द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना

1479. **श्री रशीद मसूद :**

श्री वी०डी सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश के अधिकांश ताप बिजली घरों ने, इन बिजलीघरों द्वारा पैदा किए गए वायु-प्रदूषण की ओर उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया है और अधिकांश मामलों में प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली कार्य नहीं कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) ताप बिजली घर जो 1979 से पूर्व स्थापित किए गए थे, में अपर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर है जो उत्सर्जन को केन्द्रीय बोर्ड के नियमों में निर्धारित सीमा तक नियंत्रित नहीं करते हैं। इन इकाइयों का अभिनिर्धारण विद्युत विभाग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया गया है तथा इनका आधुनिकीकरण, जिसमें कुशल प्रदूषण नियंत्रण उपाय शामिल है पर कार्यवाही सातवीं योजना में की जाएगी जो कि निधियों पर आश्रित है। कोठागुडेम, तालचर आदि जैसे विद्युत संयंत्रों ने स्थिर वैद्युत अवक्षेपक आवर्धन हेतु अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में विद्युत संयंत्रों के लिए चिमनी उत्सर्जन के मानक निर्धारित किए हैं। विद्युत संयंत्रों के सम्बन्ध में इन मानकों को पूर्णरूप से पूरा करने के लिए कहा गया है। नये विद्युत संयंत्रों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की पर्यावरण विभाग में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जांच की जाती है। नई परियोजनाओं को सहमति देते समय, परियोजना प्राधिकारियों को द्रव्य निस्सारों को सम्यक उपचार सुविधाएं प्रदान करते समय उच्च सामर्थ्य वाले स्थिर-वैद्युत अवक्षेपक की स्थापना जैसी पर्यावरणीय सलाह दी जाती है। फ्लाई-ऐश के उचित व्ययन के लिए जो एहतियाती उपाय किए जाने हैं, का भी सुझाव दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्युत संयंत्रों के लिए राज्य/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त करना जरूरी होता है।

देश में आणविक बिजली घरों से उपलब्ध होने वाली बिजली

1480. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आणविक बिजली घरों से कहां-कहां पर बिजली का उत्पादन होगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार उत्पादित बिजली उपभोक्ताओं के प्रयोग हेतु कब तक उपलब्ध की जाएगी; और

(ग) आणविक बिजली घरों से बिजली का उत्पादन करने में कौन सी बाधाएं आ रही हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) देश के उन स्थानों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं जहां इस समय परमाणु बिजलीघरों में बिजली पैदा हो रही है और जहां परमाणु बिजलीघर निर्माणाधीन हैं;

बिजलीघर	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की तारीख
तारापुर परमाणु बिजलीघर	2 × 210 मेगावाट	1969
राजस्थान परमाणु बिजलीघर पहला यूनिट	220	1973
राजस्थान परमाणु बिजलीघर दूसरा यूनिट	220	1981
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना पहला यूनिट	235	1983
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना दूसरा यूनिट	235	1985
नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना पहला यूनिट	235	1987-88
नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना दूसरा यूनिट	235	1988-89
ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना पहला यूनिट	235	1990-91
ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना दूसरा यूनिट	235	1991-92

(ग) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को उसकी एण्ड शील्ड की मरम्मत के लिए 4 मार्च, 1982 से बन्द रखा गया है। मरम्मत पूरी होने वाली है तथा यूनिट को यथाशीघ्र फिर से चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। अन्य सभी परमाणु बिजलीघर संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं।

मैसर्स ओरियन्टल आर्म्स-एण्ड एम्यूनीशन कम्पनी, नई दिल्ली द्वारा उग्रवादियों को आग्नेयस्त्रों की सप्लाई

1481. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ओरियन्टल आर्म्स एण्ड एम्यूनीशन कम्पनी, नई दिल्ली ने आग्नेयस्त्रों की सप्लाई उन लाइसेंसधारियों को न करके जिसके नाम में वर्ष 1980 से बुक थे, इन आग्नेयस्त्रों की सप्लाई उग्रवादियों को उनकी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए की थी; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त कम्पनी द्वारा वर्ष 1980 से 1984 तक कितने व्यक्तियों के लिए हथियारों की बुकिंग की गई तथा आयात और अन्य विधियों से इसे कितनी संख्या में हथियार प्राप्त हुए और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए इस कम्पनी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) पुलिस उप-आयुक्त (लाइसेंस) दिल्ली के अनुसार, व्यापारी द्वारा रखे गए रिकार्ड जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है की जांच की गई थी। तथापि कोई अभिशंसी बात नहीं पायी गयी और आरोप सिद्ध नहीं हो सके। सन 1980 से 15 जुलाई, 1984 तक की अवधि के दौरान मैसर्स ओरियन्टल आर्म्स और अम्यूनिशन कम्पनी, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वैध शस्त्र लाईसेंसधारियों को 239 शाट गन, 93 राईफल, 39 रिवाल्वर और 22 पिस्तौल बेचे गए थे। व्यापारी द्वारा अग्नेयशस्त्रों के एडवांस बुकिंग के लिए कोई रजिस्टर या अन्य रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है।

कम्पनी द्वारा 1980-84 की अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आग्नेय-शस्त्रों की संख्या इस प्रकार है : - 68 रिवाल्वर/पिस्तौल, 251 गन और 76 राईफलें।

पंजाब में उग्रवादियों द्वारा काश्मीर के रास्ते हथियारों की प्राप्ति

1482. **श्री बी०बी० देसाई :**
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री गुफरान आजम : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या पंजाब में उग्रवादियों को काश्मीर के रास्ते से होकर हथियार प्राप्त हुए;

(ख) क्या बहुत से उग्रवादियों ने काश्मीर में हथियारों को जमाकर रखा है;

(ग) क्या सरकार ने सुरक्षा कर्मचारियों को जम्मू और काश्मीर में हथियारों का तस्करी का पता लगाने के लिए नहीं कहा था;

(घ) क्या जुलाई, 1984 में बड़ी संख्या में उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसे सभी स्थानों का पता लगाने का निर्णय किया है जहां उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो जुलाई, 1984 में उग्रवादियों से कुल कितना गोला-बारूद बरामद किया गया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नेशनल सिलिकान फेसिलिटी के लिए भारत-अमेरीका समझौता

1483. **श्री बी०डी० सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :**

(क) क्या इलेक्ट्रानिक विभाग ने महत्वाकांक्षी फोटोवोलटैक कार्यक्रम के लिए 200 टन नेशनल सिलिकान फेसिलिटी हेतु एक अमरीकी फर्म के साथ समझौता करने का निर्णय लिया है और यह प्रौद्योगिकी पुरानी मानी जाती है और यह बहुत अधिक लागत वाली है;

(ख) क्या नेशनल केमिकल्स लेबोरेटरी ने इस समय विश्व में कहीं भी प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं से अधिक अच्छी प्रक्रिया का विकास किया है; और

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से स्वदेशी क्षमता उपलब्ध होने पर भी पुरानी समझी जाने वाली प्रौद्योगिकी का चयन करने के कारण क्या हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हाँ इलेक्ट्रानिकी विभाग ने राष्ट्रीय सिलिकन सुविधा के 200 मी० टन वार्षिक क्षमता वाले पालिसिलिकन संयंत्र के लिए मेसर्स डो कार्निंग कार्पोरेशन, मिशिगन, संयुक्त राज्य अमरीका की एक सहायक कम्पनी, मेसर्स हेमलाक सेमीकण्डक्टर कार्पोरेशन, मिशिगन संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक तकनीकी-सहयोग विषयक करार किया है। इस प्रकार की अति-विशुद्ध पालिसिलिकन हमारे सेमीकण्डक्टर तथा फोटोवोल्टइक कार्यक्रम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा निर्णायक किस्म की सामग्री है।

राष्ट्रीय सिलिकन सुविधा के पालिसिलिकन संयंत्र के लिए चुनी गई प्रौद्योगिकी पुरानी प्रौद्योगिकी कदापि नहीं है। मेसर्स हेमलाक विश्व के पालिसिलिकन के द्वितीय सबसे बड़े उत्पादक हैं जो विश्व में 25 प्रतिशत भाग के बराबर पालिसिलिकन का उत्पादन करते हैं। विश्व में जो चोटी के चार पोलिसिलिकन के उत्पादक हैं, वे उसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं जिसका उपयोग मेसर्स हेमलाक द्वारा किया जा रहा है। इसे वे हमारी राष्ट्रीय सिलिकन सुविधा के लाभार्थ उसके पोलिसिलिकन संयंत्र के लिए, अन्तरित करेंगे। यह प्रौद्योगिकी फीड-स्टाक के रूप में ट्राइक्लोरेसिलेन (टी०सी०एस०) पर आधारित पोलिसिलिकन उत्पादन की प्रौद्योगिकी है। इसके अतिरिक्त, चोटी के तीन पोलिसिलिकन उत्पादकों ने या तो इसी मूल टी०सी०एस० प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले अपने संयंत्रों में पहले ही विस्तार कर लिया है या वे इनका विस्तार करने जा रहे हैं। इस प्रकार से, राष्ट्रीय सुविधा के पोलिसिलिकन संयंत्र के लिए जो प्रक्रिया चुनी गई है वह पूर्णतः समसामयिक है। सरकार ने वाणिज्यिक उत्पादन में अन्य वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों अर्थात् फीड-स्टाक के रूप में सिलेन पर आधारित प्रौद्योगिकी से पोलिसिलिकन का उत्पादन किए जाने पर आने वाली उत्पादन लागत का ट्राइक्लोरेसिलेन प्रक्रिया पर आने वाली उत्पादन-लागत की अपेक्षा काफी अधिक पाया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना का क्रियान्वयन

1484. **श्री भाऊसाहिब थोरट :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के कार्यकरण और क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए सरकार स्तर पर अथवा अधिकारी स्तर पर कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसी समिति नियुक्त करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के कार्यकरण और क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए सरकारी स्तर पर अथवा अधिकारी स्तर पर औपचारिक रूप से गठित कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति नहीं है। चूंकि विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत योजनाओं में राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की वार्षिक योजना को पूरे विस्तार के साथ शामिल किया जाता है अत: वार्षिक विशेष संघटक योजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान प्रगति की पूर्ण समीक्षा की जाती है और इस विचार-विमर्श का आयोजन गृह मन्त्रालय और योजना आयोग द्वारा किया जाता है। वरिष्ठ अधिकारी और गृह राज्य मन्त्री राज्यों में अपने दौरों के समय विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत योजनाओं का अध्ययन करते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संसदीय समिति भी विशेन संघटक योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन करती है।

(ख) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारियों के राज्यीय संवर्गों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

1485. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारियों के राज्यीय संवर्गों में परिवर्तन करने के लिए समुचित शक्तियाँ प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में तैनात किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावन है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) तीन अखिल भारतीय सेवाओं के अपने अपने संवर्ग नियमों में किसी संवर्ग अधिकारी को एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में स्थानान्तरित किए जाने का प्रावधान पहले से ही विद्यामान है ।

जेलों में कष्ट पा रहे बच्चों की संख्या

1486. श्री धर्मदास शास्त्री :

श्री के० लकप्पा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में जेलों में कष्ट पा रहे बाल बन्दियों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	30-6-1983 तक 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	29
2.	असम	96
3.	बिहार	266*
4.	गुजरात	शून्य
5.	हरियाणा	4
6.	हिमाचल प्रदेश	6
7.	जम्मू और कश्मीर	3
8.	कर्नाटक	शून्य
9.	केरल	1
10.	मध्य प्रदेश	26
11.	महाराष्ट्र	1
12.	मणिपुर	33
13.	मेघालय	27
14.	नागालैंड	12
15.	उड़ीसा	77

1	2	3
16.	पजाब	121
17.	राजस्थान	2
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडू	शून्य
20.	त्रिपुरा	4
21.	उत्तर प्रदेश	30
22.	पश्चिमी बंगाल	643
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1
24.	अरूणाचल प्रदेश	1
25.	चण्डीगढ़	शून्य
26.	दादरा और नगर हवेली	शून्य
27.	दिल्ली	शून्य
28.	गोवा, दमन और दीव	शून्य
29.	लक्षद्वीप	शून्य
30.	मिजोरम	शून्य
31.	पांडिचेरी	शून्य

* 31-12-82 तक

लौह और इस्पात के भाड़े की दरों का चरण-बद्ध तरीके से समानीकरण

1487. श्री नीरेन घोष : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना मन्त्री द्वारा बताए गए सरकार के निर्णय के अनुसार लौह और इस्पात के भाड़े की दरों का चरणबद्ध तरीके से समानीकरण कब शुरू हो जाएगा;

(ख) चरणबद्ध तरीके से समानीकरण करने सम्बन्धी इस कार्य के आरम्भ होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार लौह और इस्पात के भाड़े की दरों को चरणबद्ध तरीके से बराबर करने का कार्य कब तक पूरा करेंगी;

(घ) क्या संसद सदस्यों और कुछ वाणिज्य मण्डलों ने भाड़े की दरों में समता

सम्बन्धी इस नीति की आलोचना करते हुए कहा कि यह पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में औद्योगीकरण के प्रतिकूल है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने किन्हीं उपचारात्मक उपायों की माँग की है; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से लौह और इस्पात के सम्बन्ध में भाड़ा समीकरण योजना को हटाने के ढंग और इसके लिए समयावधि निश्चित करने की प्रक्रिया बनाई जा रही है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि यह योजना कितने समय में समाप्त की जाएगी।

(घ) से (च) संस्थाओं, संसद सदस्यों और राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जो लोग भाड़ा समीकरण को हटाने के पक्ष में हैं, उनका तर्क है कि इस योजना से पूर्वी क्षेत्र में औद्योगीकरण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जो इस योजना को चालू रखने के पक्ष में हैं, और जो मुख्यत: सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से दूर स्थित राज्यों से हैं, उनका कहना है कि यदि यह योजना हटा ली गयी तो उनके राज्यों को नुकसान होगा और परिणामस्वरूप उन्हें अधिक मूल्य देना पड़ेगा।

आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राज्यों को दिया गया धन

1488. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ते की अदायगी के लिए राज्य सरकारों को धन उपलब्ध करा रही है और तो कब से किया जा रहा है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए राज्यवार कितनी राशि दी गई है; और

(ग) यह सुविधा कौन-कौन से राज्य उपलब्ध करा रहे है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) 1979-84 की अवधि के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ता देने के लिए सातवें वित्त आयोग द्वारा 11 राज्यों को आवंटित की गई 2352 लाख रु० की धन राशि में से राज्यों को 2135.50 लाख रु० दिए गए थे। आवंटित की गई और दी गई धन राशि के ब्यौरे संलग्न है। 216.50 लाख रु० की शेष राशि असम तथा बिहार राज्यों को उपयोग रिपोर्ट न होने के कारण नहीं दी जा सकी।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	आवंटित धनराशि	(रु० लाखों में) दी गई धन राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	165.00	165.00
2.	असम	146.00	109.50
3.	बिहार	621.00	441.00
4	हिमाचल प्रदेश	20.00	20.00
5.	केरल	20.00	20.00
6.	मध्य प्रदेश	701.00	701.00
7.	उड़ीसा	503.00	503.00
8.	तमिलनाडु	22.00	22.00
9.	त्रिपुरा	95.00	95.00
10.	उत्तर प्रदेश	1.00	1.00
11.	पश्चिमी बंगाल	58.00	58.00
	जोड़ :	2352.00	2135.50

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में भर्ती किए गए तथा त्याग-पत्र देने वाले इंजीनियर

14 9. **श्री मूल चंद डागा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं में कार्यरत इंजीनियरों ने अनेक वर्षों तक काम करने के बाद त्याग-पत्र दे दिया है जब कि सरकार ने उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए बहुत बड़ी धनराशि खर्च की है, यदि हां, इसके क्या कारण हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितने इंजीनियर भर्ती किए हैं और उनमें से इस समय कितने कार्यरत हैं और उनमें से नौकरी छोड़ने वालों की वर्ष-वार संख्या का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) कुछ प्रशिक्षित इंजीनियरों ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से त्यागपत्र उच्चतर अध्ययन करने के लिए/नौकरी के बेहतर अवसर के कारण अथवा व्यक्तिगत कारणों से दिए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में 180 इंजीनियर भर्ती किए गए थे जिनमें से 163 इस समय काम कर रहे हैं। इन इंजीनियरों में से 11 ने सन् 1982 में और 6 ने सन् 1983 में त्यागपत्र दिए थे।

किसी राज्य में अन्य राज्यों के प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त करने के बारे में प्रधानमन्त्री के निर्देश

1490. **श्री मूल चन्द डागा :**
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री के० लक्कप्पा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने हाल ही में बुलाई गई विभिन्न मन्त्रालयों के सचिवों की एक दिवसीय विशेष बैठक में यह सुझाव दिया है कि किसी भी राज्य में नियुक्त 50 प्रतिशत अधिकारी उससे अन्य राज्यों के होने चाहिए;

(ख) क्या ऐसा करने से प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार होगा, कार्य निपटाने में तेजी आएगी तथा भ्रष्टाचार और लालफीताशाही को कम करने में मदद मिलेगी;

(ग) क्या प्रधान मन्त्री के निर्देशों का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कब से पालन किया जाएगा और क्या इस सम्बन्ध में कोई रूप रेखा तैयार कर ली गई है और इसके अन्तर्गत किस श्रेणी के अधिकारी आयेंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) 22 जून, 1984 को हुई सचिवों की एक बैठक में, प्रधान मन्त्री ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आवश्यकता का उल्लेख किया था कि राष्ट्रीय एकता तथा प्रशासन में बेहतर कार्यकुशलता के हित को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के 50 प्रतिशत अधिकारी उनके अपने मूल राज्यों से भिन्न दूसरे राज्य से लिए जाने चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं में भविष्य में किए जाने वाले आबंटनों में सीधी भर्ती के कोटे के "बाहरी व्यक्तियों" के कोटे को बढ़ाए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ताकि प्रत्येक राज्य संवर्ग में पदोन्नत अधिकारियों सहित "भीतरी व्यक्तियों" तथा "बाहरी व्यक्तियों" का सम्पूर्ण अनुपात लगभग 1 : 1 बना रहे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए खर्च की गई धनराशि

1491. **श्री छोटू भाई वसावा :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक छठी पंचवर्षीय योजना में खर्च की गई कुल धनराशि में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास पर योजनावार कुल कितने प्रतिशत धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इन योजनाओं के परिणामस्वरूप कितने प्रतिशत ग्रामीण लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया है तथा उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) छः वर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए सरकारी क्षेत्रक में किए गए कुल योजना व्यय का प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

पहली योजना*	1.33
दूसरी योजना*	1.53
तीसरी योजना*	1.07
1966-68*	1.01
चौथी योजना*	0.96
पांचवी योजना (1974-79)*	3.46
1979-80*	6.93
छठी योजना** (परिव्यय)	9.04

*व्यय केवल "पिछड़े वर्गों" के विशेष क्षेत्रक से सम्बन्धित है। इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास पर अन्य क्षेत्रकों से व्यय शामिल नहीं है।

**जनजातीय उपयोजना, पांचवीं योजना में आरम्भ की गई थी और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना 1979-80 के बाद से शुरू की गई थी।

(ख) गरीबी-रेखा की वर्तमान संकल्पना और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या योजना आयोग द्वारा स्थापित न्यूनतम आवश्यकताएं और प्रभावी उपभोग से सम्बन्धित कृतिक बल की सिफारिशों पर आधारित है। इस कृतिक बल की रिपोर्ट जनवरी, 1979 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, गरीबी का अनुमान लगाने की इस कार्यप्रणाली का वर्तमान छठी योजना तैयार करने में उपयोग किया गया था। पिछली योजनाओं में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत के कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। इसलिए ग्रामीण लोगों के प्रतिशत के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिनमें अनुसूचित जातियां और अनु-

सूचित जनजातियां शामिल हैं, जिन्हें पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए प्रयत्नों के परिणामस्वरूप गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया।

बांगलादेश वासियों द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करना

1492. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल का यह अनुमान है कि अकेले 1982 में ही वैध पासपोर्टों पर आए एक लाख बंगलादेश वासियों में से लगभग 47,000 लोग गलत तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त करके यहो रह गए;

(ख) वर्ष 1981, 1982, 1983 और चालू वर्ष की अनुमानित संख्या क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगलादेश से अवैध अप्रवासियों के अवैध प्रवेश पर गहरी चिन्ता प्रकट की है और वह यह महसूस करती है कि बंगलादेश से भारी संख्या में लोगों को अवैध प्रवेश को रोकने के लिए 1974 का इन्दिरा-मुजीब समझौता रद्द कर दिया जाना चाहिए; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों की अनुमानित संख्या क्या है (जम्मू काश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में आए) 1981, 1982, 1983 और चालू वर्ष में इसी प्रकार वैध पासपोर्टों पर आए, किन्तु यहीं पर रह गए और जिन्होंने गलत तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए आदिवासियों का पुनर्वास

1493. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा अन्य केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों को जारी किए गए नीति सम्बन्धी मार्ग निर्देश क्या है;

(ख) उक्त नीति के आधार पर सम्बन्धित मन्त्रालयों और विभागों द्वारा मन्त्रालय-वार, अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या विस्थापित हुए आदिवासियों के हितों की रक्षा हेतु समुचित उपाय करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भी वही मार्ग निर्देश भेजे गए हैं; और

(घ यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) बड़ी परियोजनाएं स्थापित करने के कारण विस्थापित हुए आदिवासियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में फरवरी, 1983 में केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों को परिचालित किए गए नीति सम्बन्धी मार्गनिर्देशों में निम्नलिखित ब्यौरे शामिल हैं :—

(1) विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए परियोजना रिपोर्ट, उनके वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्तर, सांस्कृतिक रूपरेखा और खपने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर काफी समय पहले तैयार की जानी चाहिए और पुनर्वास की लागत परियोजना की कुल लागत में शामिल की जानी चाहिए।

(2) जहां तक सम्भव हो, आदिवासियों की भूमि का अधिग्रहण न किया जाए।

(3) भूमि पर कब्जा लेने से पहले पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए।

(4) हर हालत में वास्तविक पुनर्वास कार्यक्रमों के स्थान पर नकद भुगतान किया जाना चाहिए।

(5) जहां तक सम्भव हो, पुनर्वास में भूमि के बदले में भूमि दी जानी चाहिए लेकिन यदि भूमि उपलब्ध नहीं है तो पुनर्वास के दूसरे तरीके अपनाए जाने चाहिए।

(6) जहां सम्भव हो परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाना चाहिए।

(ख) सम्बन्धित मन्त्रालयों और विभागों द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है :

(1) सिंचाई मन्त्रालय एक सिंचाई परियोजना के लाभकारी लागत के अनुपात का हिसाब लगाते समय पुनर्वास की लागत को ध्यान में रख रहा है। राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी गई है कि वे गृह मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए नीति सम्बन्धी मार्ग-निदेशों को ध्यान में रखें।

(2) उद्योग मन्त्रालय विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भर्ती करते समय विस्थापित हुए व्यक्तियों को प्राथमिकता दे रहा है। परन्तु, इस समय किसी उद्योग के लिए लाभकारी लागत अनुपात का हिसाब लगाते समय पुनर्वास की लागत का हिसाब नहीं लगाया जाता।

(3) इस्पात और खान मन्त्रालय परियोजना अनुमानों में पुनर्वास की लागत को ध्यान में रख रहा है। इसमें आदिवासी क्षेत्रों में खान तथा खनिज पर आधारित उद्योगों की योजना पर नजर रखने के लिए एक स्थाई समिति स्थापित की है।

(4) पर्यावरण विभाग को राष्ट्रीय उद्यान तथा जीव-मण्डल के सृजन के कारण विस्थापित हुए आदिवासियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी निर्णय अभी लेना है।

(ग) जी, हां श्रीमान् ।

(घ) राज्य सरकारों ने मार्ग-निदेशों के कार्यान्वयन के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए हैं और वे उपयुक्त पुनर्वास कानून बनाने की कार्रवाई कर रही है ।

त्रिपुरा में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बल पर घात लगाकर हमला

1494. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री बी० डी० सिंह :
श्री रशीद मसूद :
श्री चिन्तामणि जेना : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में त्रिपुरा में सुरक्षा बलों पर हमला करने की घटनाएं बढ़ी है जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष हुए हैं और काफी संख्या में लोग हताहत हुए है;

(ख) यदि हां, तो जून और जुलाई के दौरान इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) 1983 में मारे गए लोगों की तुलना में 1984 (आज तक) के दौरान उग्रवादियों द्वारा केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के कितने कार्मिक मारे गए;

(घ) त्रिपुरा नेशनल वलियन्टर्स की गतिविधियां बढ़ने और उनकी सफलता के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उस क्षेत्र के आदिवासी लोगों की शिकायतें भी इसका एक कारण है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां, श्रीमान् ।

(ख) जून और जुलाई 1984 में हुई गम्भीर गटनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए है;

28 जून, 1984 को 40 से अधिक उग्रवादियों के एक गिरोह ने रायाबारी थाना बईकुरा, दक्षिणी जिला के निकट सिविल पुलिस और के० रि० पु० बल के एक दल पर घात लगाकर हमला किया जिसमें के० रि० पु० बल के छः कार्मियों और राज्य पुलिस के दो कार्मिकों की हत्या की गई तथा कुछ शस्त्र और गोला बारूद भी लूटा गया । अमरपुर-ओम्पो सीमा पर तईचलोंग में 5-7-1984 को घात लगाकर किए गए एक अन्य हमले में आदिवासी उग्रवादियों द्वारा के० रि० पु० बल के चार कार्मिकों की हत्या की गई थी । 10-7-1984 को दक्षिणी जिले में उदयपुर उप मंडल के अन्तर्गत कृष्णबट्टपारा में के० रि० पु० बल के एक 14 सदस्यीय गश्ती बल पर घात लगाई गई। 4-7-1984 को जब त्रिपुरा विधान सभा के उपाध्यक्ष अपने सशस्त्र रक्षक के साथ कमालपुर जा रहे थे तो कुछ अज्ञात उग्रवादियों ने होबाईबारी वन कार्यालय के निकट उपाध्यक्ष के वाहन की ओर गोलियां चलाई ।

(ग) 1984 में आज तक के० रि० पु० बल के 10 कार्मिकों की हत्या की गई है जबकि 1983 में किसी की हत्या नहीं की गई थी।

(घ) कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है :—

(I) जमाति के आत्म समर्पण और ए०टी०पी०एल०ओ० के समाप्त होने के बाद टो० एन० वी० जो त्रिपुरा में कार्यरत उग्रवादियों का केवल अकेला दल है, अपने वर्तमान सैनिक नेतृत्व के अन्तर्गत स्वयं को पुनर्गठित करने के प्रयत्न कर रहा है।

(II) उस क्षेत्र में अन्य उग्रवादी दलों से टो० एन० वी० को समर्थन और सहायता मिलना।

(III) "करो" तथा शस्त्र और गोला बारुद एकत्र करने के लिए पुलिस और वन कर्मचारियों और गैर-आदिवासियों द्वारा डाराना और हमला करना।

स्वर्ण मन्दिर से उग्रवादियों का सफाया

1495. श्री भागेन्द्र झा :

श्री भीखा भाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण मन्दिर परिसर से उग्रवादियों द्वारा छिपाए गए हथियारों आदि का पूरी तरह सफाया कर दिया गया है और भविष्य में परिसर के अन्दर इस प्रकार की गतिविधियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) स्वर्ण मन्दिर परिसर से उग्रवादियों का सफाया कर दिया गया है तथा छिपाए गए अधिकांश हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। परिषर में मलबे से कुछ हथियार और गोला बारूद बरामद हो रहे हैं।

सातवीं योजना के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन और संचार को उच्च प्राथमिकता

1496. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और योजना आयोग ने, पर्वतीय लोगों की परिवहन सम्बन्धी आधारभूत ढांचे (रेल लाइनों, सड़कों और पुलों सहित) और संचार को उच्च प्राथमिकता देने और इन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्र में शामिल करने की मांग पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्राथमिकता से मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने और योजना अवधि में नई परियोजनाएं शुरू करने हेतु पर्याप्त वित्तीय आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा और क्या यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पहाड़ों के प्रत्येक पंचायत गांव में 15 किलोमीटर की दूरी के भीतर कम से कम एक डाकघर और एक टेलीफोन हो; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ?

योजना मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के नीति पत्र में सुझाव दिया गया है कि विकास में क्षेत्रीय विषमताओं की समस्या का हल, विभिन्न स्तरों पर सातवीं योजना के अभिन्न अंग के रूप में किया जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए, पहाड़ी क्षेत्र से सम्बन्धित एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है जो वर्तमान नीति पुनरीक्षा करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो परिवर्तन का सुझाव देगी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राजस्थान में विदेशियों की गिरफ्तारी

1497. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से लगे हुए राजस्थान के जिलों में जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ख) इन जिलों में हाल ही में कितने विदेशी गिरफ्तार किए गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पाकिस्तान की सीमा से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं और क्या इस बारे में किये गए प्रबन्ध पर्याप्त है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से सैनिक तनात किए जाते हैं।

अर्थव्यवस्था तथा प्रबन्ध ढांचे में परिवर्तन

1498. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीव्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग के एक

सदस्य ने इस बात पर जोर दिया है कि आर्थिक तथा प्रबन्ध ढांचे में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) : जी, हां। योजना आयोग के एक सदस्य द्वारा यह संकेत किया गया था कि अर्थव्यवस्था के त्वरित विकास के लिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना की नीति में, वर्तमान संसाधनों के प्रबन्ध में व्यापक दक्षता; विद्यमान क्षमताओं का पूर्ण उपयोग; उत्पादकता की दर में वृद्धि; गत्यावरोध और कमी को दूर करना; उत्पादक रोजगार पैदा करना; सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में व्यापक और अधिक दक्षता और निष्ठा; हमारी प्रबन्ध और प्रशासनिक व्यवस्था का परिवर्तन करने के लिए जिससे कि उन्हें योजना के सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवेदनशील बनाया जा सके, सुनिश्चित और ठोस उपायों का निर्धारण; योजना का विकेन्द्रीकरण और विकास में जनता की पूर्ण भागीदारी; तथा तकनीक के उन्नयन और आधुनिकीकरण पर बल दिया गया है। इन सबको प्राप्त करने के लिए, अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन करना आवश्यक हो सकता है यद्यपि ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं।

(ग) सातवीं योजना 1985-90 का नीति पत्र सभा पटल पर रखा जा चुका है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 12 और 13 जुलाई, 1984 को हुई इसकी सैंतीसवीं बैठक में अनुमोदित किया जा चुका है।

पोलीटेक्नीकों और आई०टी०आई० में अध्ययन कर रहे उनके बच्चों के शिक्षा शुल्क की वापसी

1499. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विद्यालय जाने वाले बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पोलीटेक्नीकों तथा आई०टी०आई० में अध्ययन कर रहे उनके बच्चों की फीस भी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग) शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकारी मान्यता प्राप्त, सहायता

प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त मिडिल, हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों तथा तकनीकी तथा अन्य व्यावसायिक स्कूलों में तदनुरूपी कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करने के सम्बन्ध में अनुज्ञेय होती है। जिन बच्चों ने हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन अथवा उसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है परन्तु हायर सेकेण्डरी अथवा उसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण न की हो उन्हें पालीटेकनीक के प्रथम वर्ष की कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए देय तथा वास्तव में अदा किए गए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है किन्तु शर्त यह है कि शिक्षण शुल्क की ये दरें वही होनी चाहिए जो सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गई है। उन मामलों में जहाँ पालीटेकनीक में दो वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए शिक्षा की संशोधित पद्धति की 10वीं कक्षा न्यूनतम अर्हता है, वहां उपर्युक्त पाठ्यक्रम के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के लिए भी प्रतिपूर्ति स्वीकार्य है। सरकार की वर्तमान नीति के अधीन उपयुक्त स्तरों से ऊपर के स्तरों के लिए शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की कोई योजना नहीं है।

दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए अपराधी

1500. श्री निहाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1983 से 15 जुलाई, 1984 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा महीने वार कितने-कितने अपराधी पकड़े गए और उनके विरुद्ध मुकदमे दायर करने पर सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस ने कितने मुकदमों में अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाई और कितने मुकदमें साक्ष्य के अभाव के कारण पुलिस हार गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अपेक्षित आकड़े इस प्रकार हैं :

	1983	
अप्रैल	—	2505
मई	—	3590
जून	—	2406
जुलाई	—	3408
अगस्त	—	5879
सितम्बर	—	2898
अक्तूबर	—	2526

नवम्बर	—	3151
दिसम्बर	—	2242
	1984	
जनवरी	—	2802
फरवरी	—	2922
मार्च	—	3853
अप्रैल	—	4388
मई	—	2421
जून	—	2272
जुलाई	—	1047 (15 जुलाई तक)

सभी आपराधिक मामलों में मुकदमा सरकारी अभियोजकों, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, द्वारा लड़ा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मुकदमों में निजी वकीलों को विशेष लोक अभियोजकों के रूप में लगाया जाता है।

(ख) अपेक्षित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	उन मामलों की संख्या जिनमें अभियुक्तों को दोषी सिद्ध किया गया	उन मामलों की संख्या जिनमें अभियुक्यों को दोष मुक्त किया गया।
1981	11,513	3,488
1982	10,440	2,309
1983	8,173	1,248
1984 (15.7.84 तक)	3,740	352

दिल्ली पुलिस द्वारा वाहनों का रखरखाव

1501. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस के पास उन वाहनों की पृथक-पृथक संख्या क्या है जो सड़क पर चलाये जाने योग्य हैं और जो बेकार पड़े हुए हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तिमाहीवार पेट्रोल, डीजल तथा मोबाइल आयल

का कितनी मात्रा में उपयोग किया गया तथा इन वाहन के रख-रखाव पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अपेक्षित आंकड़े नीचे दिए गए हैं:—

(1) 15.7.1984 को वाहनों की कुल संख्या—1175

(2) उपर्युक्त (1) में से सड़क पर चलाये जाने योग्य वाहन—983

(3) उपर्यक्त (1) में से जो बेकार पड़े है —192

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान तिमाही वार दिल्ली पुलिस के वाहनों द्वारा पेट्रोल डीजल और मोबाइल आयल की उपयोग की गई कुल मात्रा

वित्तीय वर्ष	को समाप्त तिमाही	पैट्रोल	डीजल रुपये में	मोबाइल आयल
1981-82	जून 1981	3,13,095	97,669	11,280
	सित०-1981	3,08,763	1,16,810	10,094
	दिसम्बर-1981	3,13,056	1,15,355	10,123
	मार्च-1982	3,30,362	1,34,024	10,328
	जोड़	12,65,276	4,63,858	41,825
1982-83	जून-1982	3,22,480	1,43,848	10,683
	सित०1982	2,92,826	1,84,573	10,093
	दिसम्बर-1982	3,08,984	2,23,758	10,606
	मार्च-1983	2,97,434	2,33,834	11,323
	जोड़	12,21,724	7,86,013	43,265
1983-84	जून-1983	2,41,797	1,86,630	10,891
	सित०-1983	2,53,885	2,11,293	11,340
	दिसम्बर-1983	3,05,221	2,40,479	12,657
	मार्च-1984	2,90,379	2,43,140	12,699
	जोड़	10,91,282	8,86,542	47,587

पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान, दिल्ली पुलिस के वाहनों के रखरखाव पर किया गया कुल व्यय ।

1981-92	रु० 38,01,980-33 पैसे
1982-83	47,59,304-00 "
1983-84	44,73,415-49 "

रंगीन टेलीविजन सेटों और वी० सी० आर० के निर्माण के लिए लाइसेंस

1502. **श्री नवीन रावणी :**

श्री चिन्तामणि जेना :

श्री अमर सिंह राठवा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में रंगीन टेलीविजन सेटों और वी० सी० आर० के निर्माण हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) भारत में इस क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को अपनी यूनिट स्थापित करने की मंजूरी देने के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(घ) क्या इण्डियन टी०वी० मेन्युफेक्चरिंग ऐसोसिएशन ने इस प्रकार के प्रस्ताव के विरुद्ध कड़ा विरोध प्रकट किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हाँ ।

(ख) रंगीन दूरदर्शन सेटों तथा वीडियो कैसेट रिकार्डरों के विनिर्माण के लिए लाइसेन्स जारी करने के लिए जिन कम्पनियों द्वारा आवेदन किए गए थे उनके ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :—

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	आवेदित क्षमता	स्थिति
क	रंगीन दूरदर्शन सेट		
1.	मेसर्स मरफी इण्डिया लि० बम्बई ।	25,000	अस्वीकृत
2.	मेसर्स "नेल्को" बम्बई ।	25,000	अस्वीकृत
3.	मेसर्स पीको इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि०, बम्बई ।	50,000	अस्वीकृत

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	आवेदित क्षमता	स्थिति
ख.	वीडियो कैसेट रिकार्डर		
1.	मेसर्स मरफी इण्डिया लि० बम्बई	500	प्रतिवर्ष 500 नग के लिए अनुमोदित
2.	मेसर्स "नेल्को", बम्बई	4,000	अस्वीकृत
3.	मेसर्स पोको इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि०, बम्बई ।	50,000	अस्वीकृत

(ग) रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक तथा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार विदेशी साम्यापूंजी वाली कम्पनियों को इस उद्योग में प्रवेश की अनुमति नहीं है । जहां तथा वीडियो कैसेट रिकार्डरों का सम्बन्ध है, नीति की समीक्षा की जा रही है ।

(घ) जी, हाँ ।

(ङ) सरकार ने नी त के अनसार आवश्यक कार्रवाई की है ।

महाराष्ट्र में से एक पृथक विदर्भ राज्य बनाना

1503. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मन्त्री द्वारा की गई माँग की ओर दिलाया गया है कि अविलम्ब एक पृथक विदर्भ राज्य बनाया जाना चाहिए, जैसा कि 16 जुलाई, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स के पृष्ठ 9 पर प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या वर्तमान महाराष्ट्र में से पृथक विदर्भ राज्य बनाने के लिए कोई कदम उठाया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सरकार प्रेस में संगत समाचार देखा है । 5 जुलाई, 1984 को नागपुर में एक सेमिनार का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मन्त्री ने कहा था कि यदि संविधान के अनुच्छेद 371 के उपबन्धों के कार्यान्वयन द्वारा संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते हैं तो विदर्भ के पास राज्य के दर्जे के लिए अपने मामले को फिर से उठाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहेगा ।

(ग) राज्य के पुनर्गठन के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

संविधान के अनुच्छेद 22 का संशोधन

1504. श्री ए०के० राय : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979 में पारित किए गए संविधान के चवालीसवें संशोधन में यह प्रावधान है कि विभिन्न उपबन्धों को लागू करने की तारीखें अलग-अलग हो सकती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अधिनियम के प्रत्येक उपबन्ध की अधिसूचना की तारीखों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुच्छेद 22 के संशोधन को लागू करने की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो विलम्ब के कारण क्या हैं और ऐसा किस निश्चित तारीख तक किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हाँ श्रीमान् ।

(ख) धारा 2,4 से 16 तक 22, 23, 25 से 29 तक, 31 से 42 तक, 44 और 45 को 20.6.1979 को लागू किया गया, धारा 17 और 21 और 30 को 1.8.79 को लागू किया गया और धारा 24 और 43 को 6.9.79 को लागू किया गया ।

(ग) जी हाँ, श्रीमान् ।

(घ) उक्त संशोधन के कार्यान्वियन में निहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार करने में समय लगा । इस उद्देश्य के लिए कोई निश्चित तारीख बताना सम्भव नहीं है ।

लोह और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

1505. श्री चिन्तामणि जेना :

श्री नवीन रावणी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार इस्पात और इस्पात-उत्पादों की बिक्री को अपने नियन्त्रण में लेगी और लघु उद्योगों को जिन्हें मूल्यों में बार-बार वृद्धि के कारण अधिक हानि हुई है; बचाएगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : बिक्री पर पुन: नियन्त्रण लगाने के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है । लोहे और इस्पात के मूल्यों, जो मुख्य उत्पादकों की संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा नियत और घोषित किए जाते हैं, पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, मूल्य नियत करते समय संयुक्त संयंत्र समिति उत्पादन लागत (जिसमें मुख्यत: लोहे और इस्पात के मुख्य उत्पादकों की कच्ची सामग्री और अन्य

आदानों के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई है), देशीय मांग और आपूर्ति, खुले बाजार के मूल्यों, इंजीनियरी साज-सामान के निर्यातकों की सहायता करने के लिए "फंड" बनाने की आवश्यकता और सम्बद्ध मामलों (जिनमें लोहे और इस्पात के मूल्यों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी शामिल है) जैसी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखती है। हाल में मूल्यों में वृद्धि 21-22 जून, 1984 को हुई है और पिछली बार मूल्यों में वृद्धि 23-24 जुलाई, 1983 को हुई थी।

अल्यूमीना-उत्पादों की बिक्री के लिए विदेशी बाजार की खोज

1506. **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेट द्वारा उत्पादित एल्यूमीना की बिक्री के लिए स्थायी विदेशी बाजार ढूंढने में अभी भी कठिनाई हो रही है;

(ख) विदेशी खरीददारों के साथ अब तक सम्पर्क बातचीत शुरू न हो जाने और विश्व बाजार में हाल ही में एल्यूमीनियम के मूल्यों में हुई वृद्धि के बावजूद अभी तक इन बाजारों में खरीददारों का ही बोलबाला होने के क्या कारण हैं; और

(ग) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के उत्पादों के लिए उनके उत्पादन से पहले ही स्थायी बाजार ढूंढने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य-मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) एल्यूमीना एक माध्यमिक उत्पाद है, जिसके लिए हाजिर बाजार (स्पाट मार्केट) में अधिक क्रय-विक्रय सौदे नहीं होते। एल्यूमिना का उपयोग एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन में किया जाता है। एल्यूमिना की किस्म प्रत्येक संयंत्र के लिए अलग-अलग अपेक्षित होती है तथा एल्यूमिनियम धातु उत्पादक दीर्घ कालीन करार करने से पूर्व एल्यूमिना का परीक्षण करना चाहेंगे।

नालको अपने एल्यूमिना के लिए सम्भावित बड़े खरीददारों से सम्पर्क कर रही है। एल्यूमिना का उत्पादन शुरू होने से काफी पूर्व उपयुक्त समय पर एल्यूमिना की बिक्री के लिए विदेशी बाजारों की तलाश के प्रयास जारी हैं।

उड़ीसा आदिवासी उप योजना क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना परिव्यय का अनुमोदन

1507. **श्री के० प्रधानी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए उड़ीसा आदिवासी उप योजना क्षेत्र के वार्षिक योजना परिव्यय का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय मामले की स्थिति क्या है और इस उप योजना के लिए कितनी धनराशि का अनुमोदन किए जाने की सम्भावना है ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) योजना आयोग ने उड़ीसा की राज्य योजना के लिए 400 करोड़ रु० का कुल परिव्यय अनुमोदित किया है। इसमें से 124.56 करोड़ रु० राज्य योजना से जनजातीय उप-योजना के लिए होंगे। इसके अलावा, जनजातीय उप-योजना से लिए 17.39 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति दी गई है।

जनजातीय उप-योजना का उद्देश्य उत्पादकता और कुशलता स्तरों को बढ़ाना है और इसमें भूमि को हस्तान्तरित करना और पैसा उधार देना और ऋणविवशता और व्यापार उत्पादन शुल्क, वन आदि क्षेत्रों द्वारा जनजातियों के शोषण को दूर करने सम्बन्धी उपाय शामिल हैं। चालू वर्ष की योजना में कृषि, बागवानी, भूमि सुधार, सिंचाई, भू और जल संरक्षण, पशुपालन, डेरी विकास, मछली पालन, वन एकीकृत ग्रामीण विकास, ई०आर०आर०पी०, सहकारिता, ग्रामीण विद्युतीकरण, बड़े और मझोले उद्योगों तथा ग्राम और लघु उद्योगों का विकास, सड़कें और पुल, शिक्षा, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास और जल पूर्ति आदि कार्यक्रम शामिल हैं। अलग-अलग परिवारों को गरीबी की रेखा पार करने में समर्थन बनाने के लिए आय सृजित करने सम्बन्धी स्कीमों पर मुख्य बल दिया गया है। परिवारोन्मुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आधार संरचना कार्यक्रमों को उचित प्राथमिकता दी गई है।

मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परमाणु ईंधन तैयार करने का नया तरीका

1508. **श्री राम विलास पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जुलाई, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन तैयार करने के नए तरीके का पता लगाने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर, कलपाक्कम के बारे में है, जिसके कुछ महीनों में चालू हो जाने की आशा है । इस रिऐक्टर में किए गए अध्ययनों का परिणाम अन्ततः यह होगा कि थोरियम का उपयोग किया जा सकेगा ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्थायी करने हेतु वरिष्ठता निर्धारित करने सम्बन्धी अनुदेश जारी किया जाना

1509. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्थायी हेतु वरिष्ठता निर्धारित करने के सम्बन्ध में 6 जनवरी, 1981 को कतिपय अनुदेश जारी किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत सरकार के किसी मन्त्रालय/विभाग के लिए ऐसा कोई विकल्प है कि वह कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों, विशेषकर दिनांक 6 जनवरी, को जारी अनुदेशों की अवहेलना कर सकता है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) दिनांक 6 जनवरी, 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20036/1/80-स्थापना (घ) की एक प्रति संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8512/84]

किन्तु ये अनुदेश उन पदों/सेवाओं के मामले में लागू नहीं होते जहां पदोन्नत अधिकारियों/सीधी भर्ती वालों/विभागीय परिक्षार्थियों आदि को अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए विशिष्ट कोटा निर्धारित किया गया हो ।

भारतीय संविधान का जलाया जाना

1510. **श्री जी०एस० निहाल सिंहवाला** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और पंजाब पुलिस ने भारतीय संविधान को जलाये जाने के कोई मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) और (ख) दिल्ली में इस प्रकार के छः मामले और पंजाब में 25 मामले दर्ज किए गए थे ।

(ग) इन मामलों में दिल्ली में 45 व्यक्ति और पंजाब में 173 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और चालान किया गया। तथापि न्यायालयों से मामले वापस ले लिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक्स पर आधारित उद्योगों की स्थापना

1511. **श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु की उपयुक्तता और उन क्षेत्रों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रानिक्स पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए कोई दीर्घावधि योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले ऐसे उद्योगों का एक निश्चित प्रतिशत इन क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० सजीवी राव) : (क) आज की तारीख तक भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिकी पर आधारित उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में कोई दीर्घावधि योजना नहीं बनाई है। किन्तु, इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिकी उद्योगों की स्थापना से सम्बन्धित औद्योगिक अनुमोदन के लिए आवेदन-पत्रों पर उदारतापूर्वक कार्यवाही की गई है। इसके फलस्वरूप, केवल वर्ष 1983 तथा 1984 में ही संगठित क्षेत्र में 8 पार्टियों को तथा लघु उद्योग क्षेत्र में 10 पार्टियों को औद्योगिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं।

(ख) सातवीं योजनावधि में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों का स्थापना के लिए कोई निश्चित प्रतिशत निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है। तथापि, सरकार की यह नीति है कि इलेक्ट्रानिकी उद्योग का विकास देश के विभिन्न क्षेत्रों में यथा सम्भव व्यापक आधार पर किया जाए।

उत्तर प्रदेश की मांग और योजना राशि का आवंटन

1512. **श्री हरीश रावत : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984-85 के लिए उत्तर प्रदेश की प्रारूप योजना को स्वीकृत करते समय वही मार्गनिर्देश अपनाए गए हैं जो कि बिहार आदि जैसे राज्यों की प्रारूप योजना को स्वीकृत करते समय अपनाए गए; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितनी योजना राशि का प्रस्ताव किया और वस्तुत: उसे कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने वार्षिक योजना 1984-85 के लिए 1665 करोड़ रुपए

के परिव्यय का प्रस्ताव रखा जिसके मुकाबले योजना आयोग ने पहाड़ी क्षेत्र योजना के लिए 98.55 करोड़ रुपए सहित 1601 करोड़ रुपए के परिव्यय की सहमति दी है।

भारत रिफ्रेक्ट्रीज प्रोजेक्ट सम्बन्धी कार्य की धीमी गति

1513. **श्री हरीश रावत** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथोरागढ़ जिले में देवलथाल में प्रस्तावित भारत रिफ्रेक्ट्रीज प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रोजेक्ट पर कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो कार्य की गति को तेजी से करने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) पिथौरागढ़ की परियोजना में कच्चे मेग्नेसाइट और एक रोटरी किलन में मेग्नेसाइट के मृत-तापन के लिए एक संयंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है। भिलाई में भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड के संयंत्र में बेसिक तापसह ईंटों के उत्पादन के लिए डेड बर्न्ट मेग्नेसाइट मुख्य कच्चा माल है। इस प्रकार की तापसह ईंटें बनाने के लिए पिथौरागढ़ का मेग्नेसाइट उपयुक्त पाया गया है। इस परियोजना को 15-9-86 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

कम्पनी ने 4.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का एक खनन पट्टा लिया है। मिट्टी की जांच का कार्य पूरा कर लिया गया है। संयंत्र और बस्ती के लिए गैर-सरकारी भूमि का अधिग्रहण करने का काम पूरा कर लिया गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। सरकारी भूमि अन्तरित करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन दे दिया गया है। खनन क्षेत्र की आंशिक आवश्यकता के लिए अधिग्रहण करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने निर्माण और परिचालन के लिए बिजली की सप्लाई की मंजूरी दे दी है। बिजली की ट्रांसमिशन लाइन और जल सप्लाई की परियोजना के लिए सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। विस्फोटन के इष्टतम प्रावलों का अध्ययन पूरा कर लिया गया है। मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड (मेकन) को रूपांकन इंजीनियरी और परियोजना पर्यवेक्षण के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। सभी मुख्य-मुख्य उपस्करों के लिए तकनीकी विशिष्टियां तैयार कर ली गई हैं। उपस्करों की सप्लाई और निर्माण के लिए कई निविदाएं जारी कर दी गई हैं। खनन कार्यों को समयसूची से पहले ही शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पिथौरागढ़ के कार्यों और भिलाई में तापसह ईंटों को बनाने के कार्य को पहले से इष्टतम स्तर पर लाने में सहायता मिलेगी।

चूंकि रोटरी किलन कम्पलेक्स से सम्बन्धित कार्य के लिए पुनः निविदा जारी करना जरूरी हो गया था। इसलिए इस परियोजना को कार्यान्वित करने में कुछ विलम्ब हुआ है।

परियोजना के कार्य की प्रगति पर सतत् निगरानी रखी जाती है और इस परियोजना को शीघ्रतिशीघ्र पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक्स पर आधारित उद्योगों की स्थापना

1514. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उनके विभाग ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक्स पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इन क्षेत्रों में अब तक इलेक्ट्रानिक्स पर आधारित कितने उद्योग लगाए गए हैं; और

(ग) व्यावसायिक उद्यमियों को इन क्षेत्रों में ऐसे उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एस० एस० संजीवी राव) : (क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में इलेक्ट्रानिकी पर आधारित उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में इलेक्ट्रानिकी विभाग ने स्वयं कोई विशिष्ट कदम नहीं उठाया है। किन्तु, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिकी निगम (अप्ट्रान) नामक राज्य सरकार के एक उपक्रम ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। उद्यमकर्ताओं को सहायता प्रदान करने तथा पिछड़े क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिकी का विकास करने, जिसमें पर्वतीय इलाके भी शामिल हैं, के सम्बन्ध में निगम ने एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है। उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहित करने, मार्गदर्शन देने तथा बढ़ावा देने के लिए अप्ट्रान द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मार्च, 1984 में अल्मोड़ा में इलेक्ट्रानिकी पर उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष के दौरान देहरादून, श्रीनगर, उत्तरकाशी तथा भीमताल में इलेक्ट्रानिकी पर उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अप्ट्रान द्वारा वर्ष 1981 में परामर्शदाताओं के प्रतिष्ठित फर्मों की सहायता से उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों में क्षेत्रीय सर्वेक्षण किए गए। इस सर्वेक्षण में अन्य बातों के साथ-साथ इलेक्ट्रानिकी उद्योग समूह के लिए स्थल तथा उन उद्योग समूहों में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। तदनुसार, अप्ट्रान द्वारा ऐसी इलेक्ट्रानिकी बस्तियों देहरादून, मुनी-की-रेती, भीमताल एवं अल्मोड़ा में स्थापित की जा रही है।

(ख) इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिकी उद्योगों की स्थापना के लिए संगठित क्षेत्र में 8

पार्टियों को तथा लघु उद्योग क्षेत्र में 12 पार्टियों को आशय-पत्र/लघु अनुमोदन जारी किए गए हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड तथा भारत इलेक्ट्रानिकी लि मटेड नामक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी एक-एक यूनिट क्रमशः मुनी-की-रेती तथा कोट द्वार में भी स्थापित कर रहे हैं।

(ग) उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए पर्वतीय इलाकों को सभी प्रकार की पिछड़े क्षेत्र की रियायतें दी जाती हैं। मूल संरचना तथा संचार साधनों की अपर्याप्तता के कारण, देहरादून के सिवाय सभी क्षेत्रों में अभी तक प्रतिक्रिया सीमित रही। देहरादून के लिए अनेक उद्यमकर्ताओं ने रुचि दिखाई है। जब अप्ट्रान द्वारा अल्मोड़ा तथा भीमताल में इलेक्ट्रानिक्स बस्तियों और भीमताल में इलेक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र स्थापित कर दिए जाएंगे तब और अधिक कार्यकलापों की आशा की जा सकती है।

संगमरमर खनन टेक्नोलोजी को आधुनिक बनाना

1515. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या राजस्थान सरका॰ ने अपने खान मन्त्री के इटली और अन्य देशों के दौरे के बाद संगमरमर खनन टैक्नोलोजी को आधुनिकीकरण के बारे में विस्तृत प्रतिवेदन पेश किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय मन्त्रालय ने प्रतिवेदन का अध्ययन किया था और आधुनिक तकनीक लागू करने के बारे में फैसला किया था;

(ग) क्या संगमरमर खनन के संवर्धन और विकास तथा देश में पत्थर उद्योग के समुचय हित का ध्यान रखने के लिए एक अलग "सेल" बनाने पर भी विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे) : (क) राजस्थान सरकार द्वारा संगमरमर खनन प्रोद्योगिकी को अद्धतन करने सम्बन्धी कोई रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन

1516. **श्री आर० प्रभु** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने तमिलनाड के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उस मूल्यांकन के क्या परिणाम हैं; और

(ग) क्या सरकार इस कार्यक्रम की 'प्लान स्कीम' (योजना कार्यक्रम) के रूप में सम्मिलित करने और उसका अन्य राज्यों में भी विस्तार करने पर विचार करेगी ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 20 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रचलन में है । इस स्कीम को योजना और गैर-योजना दोनों के अन्तर्गत प्रचालित किया जा रहा है ।

रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण करने वाली कम्पनियां

1517. **श्री जी० भूपति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में इस समय कितनी कम्पनियां रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण करती हैं;

(ख) यह कम्पनियाँ प्रतिमाह कुल कितने रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण करती हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिक रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त कम्पनियां स्थापित करने की मंजूरी देने का है; और

(घ) क्या सरकार ने जनसाधारण को रंगीन टेलीविजन सेटों के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रोत्साहित करने के लिए उनके निर्माता कम्पनियों को कोई आदेश जारी किए हैं?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) आज की तारीख तक रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण में 19 कम्पनियाँ लगी हुई हैं ।

(ख) इन 19 कम्पनियों से जून, 1984 के महीने में कुल 17,327 रंगीन दूरदर्शन सेटों का उत्पादन हुआ ।

(ग) आज की तारीख तक लगभग 120 लाख रंगीन दूरदर्शन सेटों की कुल क्षमता

के लिए आशय-पत्र/लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अनुमोदन जारी किए गए हैं। इसे देखते हुए, लाइसेंसों का और आगे जारी किया जाना राज्यों के उन पिछड़ इलाकों तक सीमित रखने का विचार है जिनमें सरकार की 'विशेष दूरदर्शन विस्तार योजना' के भाग के रूप में दूरदर्शन के नए ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे और जिनमें अब तक शायद ही रंगीन दूरदर्शन के विनिर्माण के लिए कोई औद्योगिक अनुमोदन जारी किए गए हों।

(घ) जी, नहीं।

रामगुंडम में उद्योगों द्वारा प्रदूषण

1518. **श्री जी० भूपति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या रामगुंडम में तीन मुख्य उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थों के गिरने से प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और क्या अवशिष्ट पदार्थों के बहाव को अन्य दिशा में बदलने के लिए रामगुंडम में तीन मुख्य उद्योगों द्वारा संयुक्त रूप से एक नहर का निर्माण करने और प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त नहर का निर्माण कब शुरु किया जाएगा ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

देश में अभ्रक का भण्डार

1519. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की विभिन्न खानों में विभिन्न प्रकार की कितनी अभ्रक उपलब्ध है;

(ख) इन खानों में (राज्य-वार) अभ्रक का कुल भण्डार कितना है; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में अभ्रक भण्डारों के समुचित उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) भारत में अभ्रक की चार किस्में पायी जाती हैं। ये हैं, मस्कोवाइट, फ्लोगोफाइट लेपिडोलाइट तथा बायोलाइट इनमें से प्रथम तीन वाणिज्यिक महत्व की हैं तथा बिहार, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इनका विदोहन हो रहा है।

(ख) चूंकि अभ्रक की प्राप्ति अनियमित तथा जटिल किस्म की होती है, इसलिए देश में अभ्रक के निक्षेपों का सही आंकलन करना कठिन है।

(ग) अभ्रक परम्परागत रूप से निर्यात प्रधान खनिज है। अभ्रक निर्यात से

अधिकतम लाभ कमाने के लिए, 10 वर्ष पहले खनिज और धातु व्यापार निगम को सहायक कम्पनी के रूप में भारतीय अभ्रक व्यापार निगम (मिटको) की स्थापना की गई थी। हाल के वर्षों में मिटको मूल्य सम्बद्ध अभ्रक उत्पादों को अधिक मूल्यवान कर उनके निर्यात में वृद्धि करने की कोशिश कर रहा है। मिटको ने अपने वर्तमान गढ़ाई संयंत्र तथा अभ्रक शोधन कठिनाइयों के अतिरिक्त बारीक अभ्रक पाउडर की इकाइयों तथा रजतमय अभ्रक संधारित्र (कैपेसी टेटर्स) इकाइयां स्थापित की हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में भी अनेक अभ्रक गढ़ाई इकाइयां हैं।

सातवीं योजना अवधि के दौरान विदेशी सहायता

1520. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) व्यापक सातवीं योजना के लिए कितनी विदेशी सहायता (देश वार) प्राप्त की जाएगी ?

योजना मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 को नीति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 12 और 13 जुलाई, 1984 को अनुमोदित की जा चुकी है। इस दस्तावेज में सातवीं योजना की मुख्य नीतियां निर्दिष्ट हैं, और इसमें विकास के प्रत्येक क्षेत्रक से सम्बन्धित मुख्य मुद्दों का क्षेत्रक-वार सार भी कुछ विस्तार से बताया गया है।

(ग) विदेशी सहायता की मात्रा का प्राक्कलन सम्पूर्ण संसाधन-वृद्धिकारक कार्य के भाग के रूप में किया जाता है। इस समय यह तैयार की जा रही है। तथापि, विदेशी सहायता का वास्तविक स्तर जिसे प्राप्त करना है, विदेशी सहायता संघ (कन्जोरटियम) और भारत के बीच हुए वार्षिक विचार-विमर्श पर निर्भर करता है।

सहायकों से अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति के लिए पदोन्नत हुए एवं सीधी भरती वाले कर्मचारियों के बीच एक समान सेवावधि के बारे में आदेश

1521. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 नवम्बर, 1983 को कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय परिषद् (जे० सी० एम०) की हुई बैठक में यह निर्णय किया गया था कि सहायक ग्रेड से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के लिए दोनों ही ग्रुपों अर्थात् पदोन्नत कर्मचा-

रियों तथा सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों के लिए 8 वर्ष की समान वास्तविक सेवा अवधि आवश्यक होगी;

(ख) क्या उपरोक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं तथा अत्यधिक विलम्ब के कारण कर्मचारियों में असन्तोष उत्पन्न हो गया है; और

(ग) साधारण विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उपरोक्त आदेशों को शीघ्र जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) कर्मचारी पक्ष की इस मांग पर कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के लिए पदोन्नत तथा सीधी भर्ती दोनों ही प्रकार के सहायकों के लिए ८ वर्ष की एक समान सेवा-अवधि निर्धारित की जानी चाहिए, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की दिनांक 6 नवम्बर, 1983 को आयोजित की गई विभागीय परिषद (जे० सी० एम०) की बैठक में विचार विमर्श किया गया था।

(ख) तथा (ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है और सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ विचार विमर्श पूरा हो जाने के प्रश्चात् इस मामले को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

भावनगर स्थित "शिप ब्रेकिंग यार्ड"

1522. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भावनगर स्थित शिप ब्रेकिंग यार्ड जहाज तोड़ने वालों को जहाज न दिए जाने के कारण बन्द होने के कगार पर है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि "शिप ब्रेकिंग" उद्योग में बिजली की खपत नहीं होती है और न ही इसके लिए भट्ठी के तेल का आयात किया जाता है बल्कि यह पुनः प्रयोग में लाया जा सकने वाला "स्क्रैप" मुहैया करता है और इस प्रकार प्रतिवर्ष काफी विदेशी मुद्रा बचाता है;

(ग) क्या भावनगर में शिप ब्रेकिंग यार्ड अनेक स्थानीय लोगों को रोजगार भी देता है; और

(घ) भावनगर स्थित शिप ब्रेकिंग यार्ड के जहाज तोड़ने वालों को जहाज न दिए जाने के कारण क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (घ) जी, नहीं। मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लि० (एम० एस० टी० सी०) ने अलंग

(भावनगर)में जहाज तोड़ने वाली इकाइयों को वर्ष 1983-84 के दौरान पंजीकृत कराई गई मांग पर वर्ष 1984-85 में 8 जहाजों का आवंटन पहले से कर रखा है और दो जहाजों का आवंटन कर रही है। एम० एस० टी०सी० ने, जो तोड़ने के लिए विदेशी ध्वजपोतों का आयात करने के लिए माध्यम अभिकरण है, वर्ष 1984-85 के लिए एम० एस० टी० सी० के पास जहाज तोड़ने वालों के पंजीकरण के लिए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा तोड़ने के लिए विदेशी ध्वज पोतों/जहाजों की सप्लाई के लिए मांग के पंजीकरण हेतु सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए हैं। अलंग के लिए मांग के पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं और जहाजों का आवटन इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) जहाज तोड़ने वाले उद्योग में फर्नेस आयल की खपत नहीं होती है। इस उद्योग को औद्योगिक विद्युत शक्ति की आवश्यकता बहुत कम है। लेकिन पुराने जहाजों के आयात पर काफी विदेशी मुद्रा खर्च होती है।

पुनर्वेलन योग्य स्क्रेप प्राप्त करने के लिए पुराने जहाजों के आयात की योजना बनाते समय उन पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा और पुनर्वेलन योग्य सामग्री (इस्पात बनाने/प्रोसेस करने के विभिन्न वैकल्पिक तरीकों से पुनर्वेलन योग्य स्क्रेप की प्राप्ति भी शामिल है) में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की तुलनात्मक बचत को ध्यान में रखा जाता है। आयातित पुराने जहाजों की मात्रा के बारे में निर्णय लेते समय तैयार वेलित उत्पादों की समग्र मांग तथा वैकल्पित देशीय स्रोतों से इस्पात की उपलब्धि तथा देश में इस्पात बनाने की वर्तमान सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने सम्बन्धी बातों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) जी, हां।

उड़ीसा में कलिंग आयरन वर्क्स की लौह अयस्क की खपत

1523. **श्री हरिहर सोरन :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बारबिल स्थित कलिंग आयरन वर्क्स के लौहपिंड, संयंत्र में गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क की औसत वार्षिक खपत कितनी रही;

(ख) कलिंग आयरन वर्क्स, बारबिल ने अपने संयंत्रों के लिए आवश्यक लौह अयस्क कौन-कौन सी लौह अयस्क खानों से प्राप्त किया; और

(ग) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य-मन्त्री (श्री एन०के०पी०साल्वे) : (क) 1981-

82 से 1983-84 के वर्षों में कलिंग आयरन वर्क्स के बारबिल स्थित कच्चा लोहा बनाने के कारखाने में लौह-अयस्क की औसतन वार्षिक खपत 99,925 मी० टन थी।

(ख) और (ग) इस समय कलिंग आयरन वर्क्स निम्नलिखित सम्भारकों की खानों से लौह अयस्क प्राप्त कर रहा है :—

			(महीने में जितनी मात्रा के लिए आर्डर दिया गया)
1.	मेसर्स उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लि०,	—	5,000 मी० टन
2.	मेसर्स डी० आर० पटनायक	—	3,000 मी० टन
3.	मेसर्स प्रगति प्राइवेट लिमिटेड	—	2,000 मी० टन
4.	मेसर्स एस० सी० पाथी	—	500 मी० टन
5.	मेसर्स के० सी० प्रधान	—	500 मी० टन
6.	मेसर्स ट्रेडिंग सिन्डिकेट	—	500 मी० टन
		कुल :	11,500 मी० टन

उड़ीसा में लौह अयस्क खरीदने वाले इस्पात संयंत्र

1524. **श्री हरिहर सोरन :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के उझंर जिले में वांसपाणि वडविल और गन्धभादन खनन क्षेत्रों से खनन क्षेत्रों से लौह अयस्क और मैंगनीज खरीदने वाले इस्पात संयंत्रों के नाम क्या है;

(ख) इन प्रत्येक इस्पात संयंत्रों द्वारा उपरोक्त खनन क्षेत्रों के वष 1982-83 और 1983-84 में कुल कितने टन लौह अयस्क और मैंगनीज खरीदा गया;

(ग) क्या इस्पात संयंत्रों द्वारा इन खनन क्षेत्रों के लौह अयस्क की वसूली में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस्पात संयंत्रों के लिए लौह अयस्क और मैंगनीज की वसूली में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) "सेल" के दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर (इस्को) के इस्पात कारखाने लौह-

अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन की मार्फत अगृहीत खानों (नान कैप्टिव माइन्स) से लेते हैं।

(ख) वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में "सेल" के प्रत्येक कारखाने (भिलाई को छोड़कर) द्वारा उड़ीसा—बिहार क्षेत्र से खरीदे गए लौह-अयस्क और मैंगनीज अयस्क की कुल मात्रा इस प्रकार है :—

इकाई : लाख टन

	लौह अयस्क		मैंगनीज अयस्क	
	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	3.1	3.4	0.14	0.27
राउरकेला इस्पात कारखाना	7.0	3.4	1.45	1.23
बोकारो इस्पात कारखाना	1.7	1 6	1.24	0.80
इस्को	4.8	1.7	0.31	0.20
कुल :	16.6	10.1	3.14	0 50

क्योंझर जिले में बांसपाणी बारबिल और गन्धमर्दन खनन क्षेत्रों से लिए गए लौह-अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) जी, हां। इस्पात कारखानों द्वारा लौह-अयस्क के डलों की खरीद में कमी मुख्यत: इस्पात कारखानों को अपनी खानों में उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण हुई है। गृहीत खानों की क्षमता के उपयोग को इष्टतम स्तर तक लाने के लिए गृहीत खानों से लौह-अयस्क की सप्लाई में वृद्धि की गई है। अगृहीत खानों से लौह-अयस्क की खरीद में कमी इसलिए हुई भी है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1983-84 में तप्त धातु के उत्पादन में कमी हुई है।

"सेल" के इस्पात कारखानों की लौह-अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क की आवश्यकता "सेल" की तप्त धातु के उत्पादन की योजना पर निर्भर है। इसके अलावा जहां तक लौह-अयस्क का सम्बन्ध है अगृहीत खानों से लौह-अयस्क की प्राप्ति उनकी गृहीत खानों के उत्पादन पर निर्भर करती है। फिर भी "सेल" ने उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन से लौह-अयस्क की खरीद 120,000 टन से बढ़ाकर 150,000 टन करना स्वीकार कर लिया है।

परमाणु ईंधन तैयार करने की नई विधि

1525. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में पहली बार भारत ने कारबाइड प्लूटोनियम का प्रयोग करके परमाणु ईंधन तैयार करने की एक नई विधि विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो नई विधि से क्या लाभ होगा; और

(ग) बिजली उत्पादन की लागत में किस प्रकार कमी आएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। भारत विश्व का ऐसा पहला देश होगा जो किसी फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर की पूरी क्रोड़ को ईंधन-युक्त करने के लिए प्लूटोनियम से समृद्ध मिश्रित कार्बाइड काम में लाएगा।

(ख) क्योंकि परम्परागत किस्म के आक्साइड ईंधन की तुलना में कार्बाइड ईंधन में भारी परमाणु का घनत्व अपेक्षाकृत ज्यादा होगा और उसके भौतिक गुणधर्म भी बेहतर होंगे इसलिए परम्परागत किस्म के ईंधन की तुलना में उसका ब्रीडिंग का अनुपात अधिक होगा और उसका रैखिक एवं विशिष्ट विद्युत सीमांक भी ऊंचा रहेगा।

(ग) फास्ट रिऐक्टरों में कार्बाइड ईंधन के प्रयोग का परिणाम यह होगा कि विखंडनशील सामग्री की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी और डबलिंग टाइम भी घट जाएगा जिससे परमाणु बिजली के आर्थिक पक्ष में उल्लेखनीय सुधार होगा।

किसी विभागीय जांच में नियम 14 के अन्तर्गत जांच अधिकारी का काम और उसकी भूमिका

1526. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विभागीय जांच में जिसके लिए अनुशासनात्मक नियमों के नियम 14 के अन्तर्गत आदेश दिए गए हैं जांच अधिकारी का काम, अधिकार और भूमिका क्या होती है;

(ख) क्या इसकी प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) विभागीय जांच का कार्यक्षेत्र क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से विभागीय जांच करने के उद्देश्य से जांच अधिकारी की नियुक्ति अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा ही की जाती है। जांच अधिकारी के कार्यों और उसकी भूमिका के अन्तर्गत निर्धारित तारीख (तारीखों) को साक्षियों की परीक्षा और जिरह के माध्यम से आरोपित अधिकारी तथा सरकार के प्रस्तुत कर्त्ता अधिकारी को अपने मामले में दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समन जारी करना और अनुशासनिक

प्राधिकारी को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल होता है। केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली के नियम 14 में वह-विस्तृत प्रक्रिया दी गयी है जिसका जांच अधिकारी द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए। वह किन्हीं दस्तावेजों/साक्षियों के प्रस्तुत किए जाने/बुलाए जाने की अनुमति देने/न देने अथवा एकतरफा कार्रवाई करने जैसे मुद्दों के सम्बन्ध मे लिखित कारण बताते हुए निर्णय ले सकता है।

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 भारत के राज पत्र में प्रकाशित की जा चुकी है।

(ग) जांच का कार्यक्षेत्र यह है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियमावली के नियम 14 तथा 15 में दिए गए सांविधिक उपबन्धों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए आरोप की सच्चाई का पता लगाया जाए।

अखिल भारतीय सिख छात्र संघ का "ब्लेक बिग्रर्ड" सांकेतिक नाम से काम करना

1527. **श्री जगपाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपी खबर की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रतिबन्धित आल इण्डिया सिख स्टुडेन्टस फैडरेशन (ए०आई०एस०एस०एफ०) ने राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए अपना सांकेतिक नाम "ब्लेक बिग्रर्ड" रख लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सरकार को इस विषय पर प्रकाशित समाचार की जानकारी है जो 13 जुलाई, 1984 के हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित हुआ था।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस बारे में निकट से निगरानी रखी जा रही है।

सातवीं योजना में मुद्रा स्फीति की सम्भावित दर

1528. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान मुद्रा-स्फीति की सम्भावित दर के अनुमान क्या है; और

(ख) सातवीं योजना में जिसका वित्तीय स्वरूप छठी योजना के दुगने से भी अधिक है, मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए क्या नीति अपनाने का विचार है ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सातवीं योजना की वित्त-व्यवस्था, जहां तक सम्भव हो सके, अस्फीतिकारी रूप में करने की आशा है। जैसा कि नीति पत्र में कल्पना की गई है, कृषि उत्पादन, रोजगार, और उत्पादकता में वृद्धि पर संकेन्द्रित कार्यनीति के आधार पर 5 प्रतिशत से अधिक की संवृद्धि दर से और अस्फीतिकारी वित्त-व्यवस्था की कार्यनीति, से यह आशा की जाती है कि सातवीं योजना पर किसी भी सम्भावित स्फीतिकारी दबाव पर काबू पा लिया जायेगा। सरकारी क्षेत्रक में ससाधन जुटाने सम्बन्धी ब्यौरे, सातवीं योजना प्रारूप को तैयार करने के समय तैयार किए जाएंगे।

पांचवीं और छठी योजना में वे परियोजनाएं जिन पर निर्धारित समय और लागत से अधिक समय और लागत लगी है

1529. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित जानकारी सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाओं की उन परियोजनाओं की विस्तृत सूची क्या है जिन पर मूल निर्धारित समय से 2 वर्ष अधिक समय लगा और मूल अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत अधिक खर्च हुआ है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में विशेषकर सातवीं योजना की परियोजनाओं के लिए, इसे रोकने के हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) योजना परियोजनाओं की संख्या बहुत अधिक है तथा जो सूचना मांगी गई है वह विस्तारमय है। इसका संकलन करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह उस प्रयोजन के अनुरूप नहीं है जिसे प्राप्त किया जाना है।

(ग) योजना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए सुझाव, योजना दस्तावेज के अध्याय "योजना कार्यान्वयन, प्रबोधन और मूल्यांकन" में दिए गए हैं।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि

1530. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में वर्तमान आस्तियों की फालतू क्षमता का उपयोग करने और/अथवा उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) इस बेहतर उत्पादकता का देश में मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) विशेषकर बिजली उत्पादन और कोयला उत्पादन की दिशा में कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सातवीं योजना की तीन मूल प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता उत्पादकता है। कृषि, उद्योग और ऊर्जा जैसे विकास के विभिन्न क्षेत्रकों में और परिवहन तथा सिंचाई जैसे आधार संरचनात्मक क्षेत्रकों में उत्पादकता पर बल के सम्बन्ध में "सातवीं पंचवर्षीय योजना—1985-90 की नीति" नामक दस्तावेज में ब्यौरेवार बताया गया है जो सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है।

(ख) उत्पादन निष्पादन में माल और सेवाओं दोनों ही के सम्बन्ध में कुशलता के बढ़े हुए स्तरों से कीमतों में वृद्धि को रोकने में सहायता मिल सकती है। इससे इकाई की लागत को कम करने में सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन, कीमतों में वृद्धि अनेक अन्य उपादानों से भी हो सकती है और इन पर केवल उत्पादकता के ही उच्च स्तरों को प्राप्त करके नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें अथवा आयातित पूंजीगत माल इसके उदाहरण हो सकते हैं।

(ग) विद्युत क्षेत्रक में, जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाई गई हैं। 140 मे० वा० की सृजन क्षमता वाली और इससे नीचे की सभी वर्तमान इकाइयां 200 मे० वा०/210 मे० वा० की क्षमता के कुछ ऐसे जेनरेटिंग सेट भी इसके अन्तर्गत आ जाएंगे जिनका निष्पादन पिछले तीन वर्षों में संतोषजनक नहीं रहा है। इसका उद्देश्य संयंत्रभार उपादान के वर्तमान औसत स्तर को 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करना है।

जहां तक कोयले के उत्पादन का सम्बन्ध है, कोयला खनन क्षेत्रक में कुशलता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) बड़े पैमाने पर चयनित यांत्रिकरण;

(2) विवृत (ओपन कास्ट) खानों के लिए और अधिक बड़ा भाग;

(3) उन्नत आधुनिक शिल्पविज्ञान की शुरूआत; और

(4) यांत्रिकरण तथा नफासत के वांछित स्तर में मजदूरों के सहायक होने के लिए उनकी कुशलता के उन्नयन के वास्ते अन्तः गृह प्रशिक्षण।

(5) वर्तमान संयंत्र और उपस्कर का अधिक अच्छा उपयोग।

दिल्ली में अनभिज्ञात और अनसुलझे हत्या/डकैती के मामले

1531. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में हुई हत्याओं और डकैतियों में से अनभिज्ञात और अनसुलझे मामलों की संख्या क्या है;

(ख) ऐसे घटिया कार्य-निष्पादन के क्या कारण हैं; और

(ग) अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान सूचित किए गए हत्या और डकैती के मामलों की संख्या जो अनसुलझे रहे हैं, नीचे दी गई है :—

	1981	1982	1983
हत्या	48	43	70
डकैती	9	10	5

(ख) और (ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1981 में 72 प्रतिशत, 1982 में 80 प्रतिशत और 1983 में 66 प्रतिशत हत्या के मामले और 1981 में 6 प्रतिशत, 1982 में 54 प्रतिशत और 1983 में 66 प्रतिशत डकैती के मामले सुलझाए गए हैं, कार्य-निष्पादन को घटिया नहीं कहा जा सकता । शेष मामलों को हल करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

अवर श्रेणी लिपिकों की उच्च श्रेणी लिपिक के पदों पर और उच्च श्रेणी लिपिकों की सहायक के पदों पर पदोन्नति

1532. **श्री के० लकप्पा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के मन्त्रालयों में 50 प्रतिशत अवर श्रेणी लिपिकों को उच्च श्रेणी लिपिक के पदों पर और 40 प्रतिशत उच्च श्रेणी लिपिकों को सहायक के पदों पर पदोन्नत करने सम्बन्धी कोई नियम मौजूद हैं जैसा कि कुछ समय पहले घोषित किया गया था;

(ख) क्या भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों विभागों में उपर्युक्त नियम अनुपालन सख्ती से किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत पुर्जों का आयात

1533. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या प्रधान मंत्री वर्तमान टी० वी० सेट निर्माता एककों का विस्तार किए जाने के सम्बन्ध में 17 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3804 में और टी० वी० कम्पनियों द्वारा ग्राहकों की शिकायतों पर कार्यवाही न करने के बारे में 24 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4888 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि औद्योगिक लाइसेंस नीति के अन्तर्गत किन पुर्जों के आयात की अनुमति दी गई है और इस प्रकार के आयात लाइसेंसों पर क्या शर्तें लगाई गई हैं और 24 अगस्त 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4794 में उल्लिखित आश्वासन को लागू करने में सरकार की पिछली असफलता पर विचार करते हुए उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए इन लाइसेंसों पर सी० टी० वी० के खुदरा/मूल्य/वारन्टी अवधि के सम्बन्ध में कोई शर्तें क्यों नहीं लगाई गई हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : आयात व्यापार नियंत्रण नीति (1984-85) के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत निम्नलिखित संघटक-पुर्जों के आयात की अनुमति दी गई है :

i) 36 सेंटीमीटर तथा 20 किलोवाट से अधिक के ई०एच०टी० ट्रांसफार्मर (फोकसिंग विभवमापी (पोटेंशियोमीटर) सहित अथवा उसके बगैर)

ii) उच्च वोल्टता के फोकसिंग विभवमापी

iii) आंतरिक बिक्षेत्रण क्वाइल

iv) लुमिनेन्स डिले लाइन

v) क्रोमेन्स डिले लाइन

vi) दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के सॉकेट

vii) एस०ए०डब्ल्यू० फिल्टर

Viii) सिरेमिक फिल्टर

ix) संगलनीय प्रतिरोधक

X) आयात व्यापार नियंत्रण नीति के परिशिष्ट 3 क और 4 क के अन्तर्गत आने वाले एकीकृत परिपथों से भिन्न अन्य एकीकृत परिपथ ।

उपर्युक्त संघटक-पुर्जों के अलावा सरकार ने अर्हक दूरदर्शन एककों को प्रति रंगीन दूरदर्शन सेट के लिए 200 रुपए के पैक-मूल्य पर अन्य रंगीन दूरदर्शन संघटक-पुर्जों (विवरण के रूप में संलग्न ब्यौरे वार सूची के अनुसार) के आयात हेतु आयात लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया है । प्रत्येक एकक को जारी किया गया आयात-लाइसेंस सम्बन्धित एकक की 6 माह की उत्पादन आवश्यकताओं के बराबर है ।

आयात लाइसेंस पर कोई विशेष शर्त (आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार वास्तविक प्रयोगकर्त्ता सम्बन्धी शर्तों के सिवाय) नहीं लगाई जा रही है। जहाँ तक, रंगीन दूरदर्शन सेटों के फुटकर मूल्यों तथा समाश्वासन-अवधि का सम्बन्ध है, सरकार का विचार है कि इस मामले में इस चरण पर अधिक से अधिक केवल प्रतिस्पर्धात्मक दबाव से ही उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जा सकती है।

विवरण

200 रु० प्रति रंगीन दूरदर्शन सेट के पैक-मूल्य के अन्तर्गत आयात के लिए अनुमोदित रंगीन दूरदर्शन सघटक-पुर्जों की नई ब्यौरेवार सूची (जुलाइ, 1984)

क्र० सं० वस्तु	आयात व्यापार नियंत्रण (आई०टी०सी०) नीति का परिशिष्ट	परिशिष्ट में प्रविष्टि सं०
1. इलेक्ट्रानिकी समस्वरित्र के लिए नियंत्रण इकाई/प्रचालन इकाई	3 ए	576
2. अग्नि निरोधी ताँबा युक्त लैमिनेट	3 ए	133
3. कनेक्टर	4 ए	489 (2)
4. ई०एच०टी० केबल	4 ए	489 (4)
5. थर्मिस्टर (पी०टी०सी०)	4 ए	489 (22)
6. उच्च वोल्टता के संधारित्र	4 ए	489 (6)
(क) विद्युत अपघटनी संधारित्र		
(ख) प्लास्टिक फिल्म संधारित्र		
(ग) सिरेमिक सधारित्र		
7. डायोड	3 ए	573 (1)
8. ट्रांजिस्टर, पावर तथा आर०एफ०	3 ए	573 (1)
9. पल्स ट्रांसफार्मर	3 ए	432 (2)
10 आर०एफ०/आई०एफ० कायल	3 ए	573 (1)
11. प्लास्टिक बहिर्वेधित/मोल्डेड/तयार पुर्जे	4 ए	447

नोट : परिशिष्ट 4 ए के अन्तर्गत आने वाली अतिरिक्त वस्तुओं की अनुमति भी, यदि आवश्यक हो तो, 200 रुपए प्रति सेट की आयात नीति की समूची कीमत के अन्तर्गत दी जा सकती है।

मुस्लिम सम्प्रदाय की युवा लड़कियों का अरब नागरिकों से विवाह के लिए बाध्य किया जाना

1534 **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या गृह मन्त्री मुस्लिम सम्प्रदाय की युवा लड़कियों को अरब नागरिकों से विवाह के लिए बाध्य किए जाने के बारे में 2 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9583 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुस्लिम सम्प्रदाय की युवा लड़कियों को अरब नागरिकों से (सांगली में) विवाह के लिए बाध्य किए जाने के मामले की अब तक कोई जाँच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

प्रधान मन्त्री और केन्द्रीय मन्त्रियों द्वारा महाराष्ट्र के दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

1535. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री और केन्द्रीय मन्त्रियों ने महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के दंगाग्रस्त जिलों का दौरा किया था; और

(ख) इस सम्बन्ध में उनके मौके पर किए गए अध्ययन के क्या परिणाम रहे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) प्रधान मन्त्री ने 31 मई को भिवन्डी का दौरा किया। अन्य केन्द्रीय मन्त्रियों ने भी दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया । इन दौरों से लोगों में विश्वास बहाल करने में मदद मिली ।

बम्बई दंगाक्षेत्र में पाकिस्तानी-राष्ट्रिकों का निर्धारित अवधि से अधिक रुकना

1536. **श्री दौलत राम सारण** :

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक लाख से अधिक पाकिस्तानी राष्ट्रीक बम्बई में और इसके उप-नगरों में जहां हाल में दंगे हुए थे, निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुके हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने लोग भारत में विधिवत रूप से वीसा की मियाद बढ़वाकर/अनुमति लिए बिना निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुके हुए हैं तथा देश में उनकी ऐसी गतिविधियों की जांच करने के लिए जो भारत विरोधी भी हो सकती हैं, का तन्त्र मौजूद है;

(ग) क्या सरकार ने यह जानकारी प्राप्त करने के कोई प्रयास किए हैं कि क्या भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुका हुआ कोई पाकिस्तानी राष्ट्रीक भिवंडी और बम्बई में हाल में हुए साम्प्रदायिक दंगे से सम्बन्ध रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, 1980 से मई, 1984 की अवधि के दौरान केवल 8194 पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का, जो बम्बई आए थे, भारत से चले जाने की अभी पुष्टि नहीं हुई है । इसमें वे भी सम्मिलित हैं, जो न्यायिक मामलों या दीवानी मुकदमों में ग्रस्त हो सकते हो, जिनके समय-बढ़ोत्तरी के अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही हो, जिन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई हो, आदि । राज्य प्राधिकारी निश्चित समय से अधिक समय तक ठहरे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए उचित निगरानी रख रहे हैं और उनके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई करते हैं ।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

पेंशनभोगियों को पेंशन की देयताओं पर ब्याज की अदायगी

1537. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जुलाई 1984 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में पेंशनर विन्स ड्यूज आफ्टर 17 यिअर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस आशय के अनुदेश जारी करने का है कि अब से किसी भी कारण रोकी गई देयताओं पर "ब्याज" की अदायगी की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या आदेश की प्रति सभापटल पर रखी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्तसम्बन्धी कारण क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां । इस समा-

चार में उल्लिखित व्यक्ति राज्य सरकार का एक पेंशनभोगी है। प्रत्येक राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अपने पेंशन नियम बनाने के लिए सक्षम है। जहां तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, वे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 द्वारा शासित होते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशों में भेजे गए सांस्कृतिक शिष्ट मंडल

15 8. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या विदेश मन्त्री 5 अप्रैल 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6504 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने सांस्कृतिक शिष्ट-मंडलों और दलों को विदेशी दौरों पर जाने की अनुमति दी गई और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे दौरों पर लागू होने वाली सरकार की नीति/मार्गनिर्देशी सिद्धान्त क्या हैं;

(ग) क्या कुछ देशों में इस प्रकार का दौरा करने पर प्रतिबन्ध अथवा रोक लगाई गई है और यदि हाँ, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं, और इस प्रकार का प्रतिबन्ध/रोक लगाने के कारण/औचित्य क्या हैं, और

(घ) उपर्युक्त अवधि में इस प्रकार के दौरों के लिए नामंजूर किए गए आवेदनों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में नामंजूरी के क्या कारण थे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध "क", "ख", "ग" और "घ" में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8513/84]

(ख) और (ग) ऐसी यात्राएं विदेशों में भारतीय संस्कृति का परिचय देने के उद्देश्य से की जाती हैं। इस प्रकार से आदान-प्रदान उन देशों के साथ किए जाते हैं, जिनके साथ हमारे द्विपक्षीय सम्बन्ध/समझबूझ/सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम हैं या द्विपक्षीय समझौते हुए हैं।

(घ) किसी देश की यात्रा पर प्रतिबन्धों या पाबन्दियों के आधार पर कलाकारों के किसी भी आवेदन पत्र को रद्द नहीं किया गया है।

श्रीलंका में किराए के सैनिक भेजने वाले बाहरी देश

1539. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

श्री अमर राय प्रधान :

श्री के० प्रधानी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाहरी देशों द्वारा श्रीलंका में किराए के सैनिक भेजने पर सहमत हो जाने के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के पास क्या जानकारी है; और

(ग) क्या सरकार को विश्वास है कि इस प्रकार के किराए के सैनिकों का उपयोग भारत में गड़बड़ी पैदा करने हेतु नहीं किया जाएगा ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) (क) और (ख) जी हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीलंका ने ब्रिटिश और इस्रायली सुरक्षा तथा आसूचना विशेषज्ञों की सहायता मांगी है।

(ग) इस बात से सरकार चिन्तित है क्योंकि विदेशी सुरक्षा और खुफिया कार्मिक की हमारे समुद्री किनारों के इतने विकट उपस्थिति से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सरकार निरन्तर सतर्कता बरत रही है।

भारत में आने वाले श्रीलंका के तमिल लोगों की संख्या

1540. **श्री एन० के० शेजवलकर** :क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने तमिल लोग श्रीलंका से भारत में आए हैं; और

(ख) वहां से डर कर भारत आने वाले तमिल लोगों के परिवहन, खान-पान और उन्हें बसाने पर भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जुलाई, 1982 और जून, 1984 के बीच श्रीलंका से भारत आने वाले तमिलों की संख्या 51,161 है।

(ख) 1983-84 के दौरान राहत और पुनर्वास पर 749.88 लाख रुपए की राशि खर्च हुई।

ब्रिटेन में एक भारतीय राजनयिक की हत्या

1541. **श्री के० प्रधानी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मिघंम (ब्रिटेन) में पिछली फरवरी में मारे गए एक भारतीय राजनयिक रवीन्द्र म्हात्रे के अपहरणकर्ताओं और मारने वालों के बारे में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी सुराग का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको पकड़ा गया है और सजा दी गई है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) स्वर्गीय श्री रवीन्द्र म्हात्रे के अपहरण और उनकी हत्या के बारे में ब्रिटिश जांच अभिकरणों को जांच-पड़ताल के दौरान बहुत ठोस सुराग मिले हैं ।

(ख) इस जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है । इसमें से 2 पर गलत तरीके से कैद रखने और हत्या का आरोप लगाया गया है जबकि बाकी चार पर अगवा करने और जुर्म में सहायता देने और उकसाने का आरोप लगाया गया है ।

इस मामले में आरोप-पत्र पेश किया जा चुका है और 10 जुलाई, 1984 को न्यायालय की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ।

विदेश मंत्रालय में पदोन्नति में गत्यावरोधक

1542. श्री एम० एस० के० सतियेन्द्रन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश मन्त्रालय में 1958 में भर्ती हुए श्रेणी दो के वैयक्तिक सहायकों को अभी तक अगली श्रेणी में पदोन्नति नहीं की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि निदेशकों को वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक उपलब्ध कराए जाने की नई योजना जो कि केन्द्रीय सचिवालय रेलवे बोर्ड में पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है, विदेश मन्त्रालय में लागू नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो पदोन्नति में इस गत्यावरोधक को दूर करने और वैयक्तिक सहायकों के जो कि हतोत्साहित और निराश होते जा रहे हैं पदोन्नति के अवसरों में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) उच्चतर वर्गों में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर पदोन्नतियां की जाती हैं । इस मन्त्रालय में 1958 में और उसके बाद नियुक्त वर्ग II के वैयक्तिक सहायकों में से अधिकांश को पदोन्नत किया जा चुका है तथा वर्गII के शेष वैयक्तिक सहायकों की पदोन्नति के बारे में रिक्त स्थानों के आधार पर विचार किया जाएगा ।

(ख) निदेशक के स्तर के अधिकारियों के लिए वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक की सेवा उपलब्ध कराने की नई योजना पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन के प्रतिनिधि पर पाबन्दी लगाया जाना

1543. श्री बी०वी० देसाई : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1984 में पृथकतावादी सिख नेता का साक्षात्कार प्रसारित करने पर "ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन" के विरूद्ध भारत द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और किए जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या भारत में "ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन" के प्रतिनिधि पर कोई पाबन्दियां लगाई गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) क्या उसने अमृतसर में सैनिक कार्यवाही के दौरान भारत की घटनाओं के बारे में "ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन" को पूरी गलत सूचना भेजी थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) प्रश्न में जिस आक्रामक इन्टरव्यू का उल्लेख किया गया है उसे बी०बी०सी० रेडियो 4 पर "वर्ल्ड एट वन न्यूज प्रोग्राम" में दिखाए जाने के तत्काल बाद ही यूनाइटेड किंगडम में हमारे मिशन ने इस मामले को ब्रिटिश सरकार के साथ उठाया था।

(ख) से (घ) ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। यह आपत्तिजनक इन्टरव्यू बी०बी०सी० की घरेलू सेवा पर प्रसारित किया गया था और भारत स्थित उनके प्रतिनिधियों की रिपोर्टों से इसका ताल्लुक नहीं था।

उग्रवादियों को पाकिस्तान द्वारा हथियारों की सप्लाई

1544. **श्री बापू साहिब परूलेकर :**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि पंजाब में उग्रवादियों से पकड़े गए हथियार पाकिस्तान के हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने पाकिस्तान से कोई बातचीत की है और उस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि हां, तो कब तथा किन-किन अधिकारियों ने इस बातचीत में भाग लिया था ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर परिसर से और पंजाब में अन्य जगहों से बरामद किए गए कुछ हथियारों पर पाकिस्तान के निशान थे। पाकिस्तान के प्रवक्ताओं ने पंजाब के उग्रवादियों को हथियार सप्लाई किए जाने से इन्कार किया है लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान से भारत को हथियारों की तस्करी होने की सम्भावना को स्वीकार किया है।

(ख) और (ग) पंजाब में उग्रवादी गतिविधियों से और उन्हें प्रोत्साहित करने में पाकिस्तान का सम्बन्ध होने पर हमारी चिन्ता से उन्हें कई अवसरों पर अवगत कराया गया है। लेकिन पाकिस्तान के प्रवक्ताओं ने ऐसे किसी सम्बन्ध से इन्कार किया है।

बंगला देश में निहित सम्पत्ति की बिक्री

1545. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बांगला देश ने अपना वेस्टिड एवन्डंट प्रोपर्टी एक्ट लागू करने का निर्णय किया है, जिसके परिणामस्वरूप बांगला देश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित 8 लाख एकड़ से अधिक भूमि और 62,000 मकानों की (मुआवजा दिए बिना) बिक्री की जाएगी;

(ख) क्या बांगला देश अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बद्ध बांग्ला देशी सह-शेयर-धारियों को भी उनके बंध स्वामित्व से वंचित कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो प्रभावित व्यक्तियों को इससे होने वाले नुकसान के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या उन्हें पर्याप्त मुआवजा देने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(ङ) बांग्ला देश ने अब तक कितने मूल्य की सम्पत्ति बेच दी है और उसके तदनुरूप भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) बंगलादेश सरकार ने अक्तूबर और दिसम्बर, 1983 में निहित सम्पत्ति के निपटान के उद्देश्य से आवश्यक प्रबन्ध करने के निदेश जारी किए थे तथा विभिन्न स्तरों पर इस सम्पत्ति का निपटान करने वाले प्रशासनिक निकायों की शक्तियां बतायीं थीं। बंगलादेश की अखबारों में छपी खबरों के अनुसार शत्रु सम्पत्ति प्रतिरोधक समिति (एनीमी प्रापर्टी एसिसटेंट कमेटी) के सदस्यों के साथ 22 जून, 1984 को हुई एक बैठक में बंगलादेश के राष्ट्रपति ले० जनरल एच० एम० इरशाद ने निर्देश दिया था कि निहित सम्पत्ति के निपटान से सम्बन्धित सभी कार्यवाइयां तत्काल रोक दी जाएंगी और ऐसी हिदायत दी जायेगी कि कोई और सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति न घोषित की जाए। समझा जाता है कि अभी तक ऐसे कोई आदेश नहीं जारी किए गये जिनमें ये हिदायत दी गई हों।

(ख) से (घ) निहित सम्पत्ति से सम्बन्धित नियमों के अनुसार, सहभागीदार,

किराएदार और पट्टेदार तरजीही बरताव के हकदार हैं। सम्पत्ति अन्यथा व्यक्तियों को तभी बेची जा सकती है जबकि वे सम्पत्ति का आंकलित मूल्य चुकाने में असमर्थ हों अथवा पात्र दावेदारों के चुनावों को लेकर कोई विवाद हो। जब हमने निहित सम्पत्ति का प्रश्न बंगलादेश सरकार के साथ उठाया तो हमें यह बताया गया कि ये आदेश भेदभाव रहित हैं और प्रशासनिक सुविधा के लिए जारी किए गए हैं तथा इनसे अल्पसंख्यकों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा और न कोई बेदखली होगी। बंगलादेश प्राधिकारियों ने हमें यह भी आश्वासन दिया है कि वैध मालिकों के हितों को, उनका भी जो अब भारत में है, ध्यान में रखा जाएगा। तथापि अल्पसंख्यक समुदाय के बंगलादेशी सह-भागीदारों को सम्पत्ति से वंचित किए जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति देने के किसी प्रस्ताव की जानकारी सरकार को नहीं है।

(ङ) सरकार को बंगलादेश सरकार द्वारा बेची गई निहित सम्पत्ति के मूल्य की जानकारी नहीं है और उनसे बंगलादेश सरकार से इस सम्बन्ध में सूचना मांगी है।

सोवियत संघ द्वारा पाकिस्तान को जनरेटरों की सप्लाई

1546. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

श्री भीम सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि सोवियत संघ ने पाक अधिकृत कश्मीर में मंगला पनबिजली केन्द्र के लिए पाकिस्तान को 2 जनरेटर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में सोवियत संघ की सरकार के साथ वार्ता हुई है;

(ग) यदि हां, तो यह वार्ता कब हुई और इस पर सोवियत संघ की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) जांच-पड़ताल से पता चला है कि सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ ने पाकिस्तान के मगला पनबिजली केन्द्र के लिए कोई जनरेटर नहीं दिया है।

(ख) से (घ) सरकार इस विषय पर सोवियत सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

कश्मीर के बारे में श्रीलंका के राष्ट्रपति का वक्तव्य

1547. **प्रो० मधु दण्डवते :**

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जे० आर० जयवर्द्धने ने हाल में भारत का दौरा किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने 2 जुलाई, 1984 को नई दिल्ली में एक सम्वाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने सम्वाददाता सम्मेलन में यह वक्तव्य दिया था कि भारत ने इतने वर्षों से कश्मीर समस्या का समाधान नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) राष्ट्रपति जयवर्धने ने जम्मू और कश्मीर का उल्लेख एक ऐसे मसले के रूप में किया था जो अभी भी संयुक्त राष्ट्र के समक्ष है ।

(घ) भारत सरकार के प्रवक्ता ने हमारी प्रतिक्रिया निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त की : "हैरानी की बात है कि कश्मीर का उल्लेख किया गया । जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और जहां तक हमारा सम्बन्ध है, यह एक ऐसा मामला है जिसका हमेशा के लिए फैसला हो चुका है ।"

नाइजेरिया में भारतीयों के लिये रोजगार का संकट

1548. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या विदेश मन्त्री दिनांक 1 जून, 1984 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित नाइजेरिया में भारतीयों के लिए रोजगार का संकट के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संकड़ों भारतीय अध्यापकों को नाइजेरिया में वहां से चले जाने के नोटिस दे दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बहुत से भारतीय कामगर गत छः महीनों से भी अधिक समय से अपने पैसे को अपने घर नहीं भेज सके; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) बताया जाता है कि विद्यमान धनाभाव के संदर्भ में नाइजीरिया में कुछ राज्य सरकारों ने सभी प्रवासी अध्यापकों को, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, आमतौर से संविदा की सहमत शर्तों के अन्तर्गत संविदा समाप्त करने के नोटिस जारी किए हैं ।

(ख) ऐसा लगता है कि नाइजीरिया में विदेशी मुद्रा की जो कठिनाईयां महसूस की जा रही हैं उसी के तहत वहां की सरकार ने किफायतसारी के एक आम उपाय के रूप

में नाइजीरिया से बाहर धन भेजने पर पाबंदी लगा दी है जो खासतौर पर भारतीयों पर ही नहीं लगाई गई है।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि नाइजीरिया से भारतीय राष्ट्रिकों को भारत सुरक्षित लौटने में कोई खतरा नहीं है। जब आवश्यकता पड़ती है, हमारा मिशन, नाइजीरिया में कार्यरत भारतीयों की वास्तविक शिकायतों को संबद्ध प्राधिकारियों के साथ शीघ्र उठाता है।

हथियारों पर खर्च कम करना

1549. **श्री एन० डेनिस :**

श्री के० मालन्ना : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्गुट आंदोलन के देशों ने भारतीय प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया है कि वे निर्गुट आंदोलन के अध्यक्ष (चेयरमैन) की अपनी कार्यविधि के दौरान विकासशील तथा विकसित देशों द्वारा हथियारों के खर्च में कमी करने के लिए कुछ करें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में भारत के प्रधान मन्त्री को यदि कोई सुझाव दिए गए तो वे क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) और (ख) सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में निरस्त्रीकरण, विशेष रूप से नाभिकीय निरस्त्रीकरण, चिन्ता का एक मुख्य विषय था और अन्तिम राजनीतिक घोषणा में एक पूरा अध्याय इस प्रश्न के बारे में है। इस शिखर सम्मेलन के बाद "नाम" की अध्यक्षता के रूप में प्रधान मन्त्री और "नाम" के सदस्य राज्यों के तथा अन्य देशों के नेताओं के बीच हुए पत्रों के आदान-प्रदान में भी यह एक प्रमुख विषय था। पिछले वर्ष सितम्बर में प्रधान मन्त्री द्वारा आयोजित न्यूयार्क परामर्शों में इस प्रश्न पर फिर विचार-विमर्श हुआ। इन सभी विचार-विमर्शों का उद्देश्य निरस्त्रीकरण के उपायों पर अमल शुरू करना था जिसके परिणामस्वरूप आमतौर से अस्त्रों के खर्च में कमी आएगी।

भारतीय दूतावासों के सामने सिखों द्वारा प्रदर्शन

1550. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री के० मालन्ना :

श्री एन०ई० होरो :

प्रो० अजित कुमार मेहता

श्री बी०डी० सिंह

श्री रशीद मसूद : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को अमृतसर में सेना तैनात किए जाने के विरुद्ध विदेशों

में भारतीय दूतावासों के सामने सिखों की टोलियों द्वारा पदर्शन करने से सम्बन्धित कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन उग्रवादियों का पता लिया गया है तथा उनकी भारत विरोधी गतिविधियों सम्बन्धी मामलों को सम्बन्धित देशों की सरकारों के साथ उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन उग्रवादियों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित ब्यौरा दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार को इन संगठनों और उनके नेताओं के बारे में सामान्यतः जानकारी है जो उग्रवादी और आन्दोलनात्मक स्थितियों को अख्तियार करते हैं। ये गतिविधियां संबद्ध देशों की सरकारों की जानकारी में लाई गई हैं। उन घटनाओं की पृष्ठभूमि भी स्पष्ट कर गई है जिनके कारण की अमृतसर में सेना की तैनात की गई।

(ङ) भारत में प्रवेश करने वाले सभी विदेशियों के लिए वीजा अपेक्षित है। अपने मिशनों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को वीजा देने से इन्कार कर सकते हैं जिनकी गतिविधियों से भारत में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति भंग हो सकती है।

विवरण

देश/स्थान	प्रदर्शन की तारीख	प्रदर्शनकारियों की अनुमानित संख्या
1	2	3
यू०के०		
I) लंदन	5.6.84	100—150
	6.6.84	100
	7.6.84	250
	8.6.84	150
	9.6.84	60—70
	11.6.84	50—60
	12.6.84	35

1	2	3
	17.6.84	50
	30.6.84	40
	7.7.84	40
	15.7.84	50
II) बरमिंघम	6.6.84	40—50
	7.6.84	150
	8.6.84	350
	13 से 15.6.84	100 प्रतिदिन
	17.6.84	3000
	18 से 22.6.84	100 प्रति दिन
	26.6.84	50
	27.6.84	50
	3.7.84	40 —50
	4.7.84	40—50
	14.7.84	300
	15.7.84	3000
III) गलास्गो	7.6.84	60
	9.6.84	300
IV) लिवरपूल	8.6.84	250—300
जर्मन संघीय गणराज्य		
I) बोन्न	30.6.84	200
II) हम्बर्ग	7.7.84	150
III) पश्चिमी बर्लिन	7.6.84	9
	7.6.84	45
स्वीडन : स्टाकहोम	7.6.84	35
	15.6.84	60
डेनमार्क : कापनहागन	8.6.84	60
	11.6.84	60
नीदरलैंड : द हेग	12.6.84	130
नार्वे : ओस्लो	14.6.84	400
	7.7.84	100
कनाडा :		
I) ओटावा	7.6.84	120

1	2	3
	17.6.84	200
II) टोरोन्टो	7.6.84	500
III) वैनकूवर	4.6.84	75
	5.6.84	50
	6.6.84	250
	7.6.84	250
	8.6.84	70
	9.6.84	20
	10.6.84	15,000—20,000
	15.7.84	100
संयुक्त राज्य अमरीका :		
I) वाशिंगटन	8.6.84	200
	22.6.84	250
II) न्यूयार्क	7.6.84	1
	8.6.84	30
	11.6.84	1,000
	11 से 17.6.84	8—10 व्यक्तियों ने 24 घंटे सतर्कता बरती
	21.7.84	80
III) सान फ्रांसिस्को	11.6.84	800
ईरान : तेहरान	7.6.84	150
नेपाल : काठमांडू	8.6.84	100
थाईलैंड : बैंकाक	8.6.84	200
सिंगापुर :	10.6.84	10
	12.6.84	50
मलयेशिया : कुआलालम्पुर	8.6.84	25 व 30
इंडोनेशिया : जकार्ता	13.6.84	27
हांगकांग :	8.6.84	400
आस्ट्रेलिया :		
I) कैनबरा	12.6.84	250
II) सिडनी	8.6.84	30
न्यूजीलैंड : वेलिंगटन	8.6.84	9

अमरीकी अधिकारियों की चीन तथा एशियान के सदस्य देशों की यात्रा

1551. श्री माधव राव सिंधिया :
श्री आनन्द सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एशिया में विशेष रूप से "एशियान" के 6 सदस्य देशों में रूसी सेना की उपस्थिति तथा विस्तार को रोकने के उद्देश्य से अमरीकी अधिकारियों और राजनयिकों की चीन तथा "एशियान" के सदस्य देशों की हाल की यात्राओं की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उनकी यात्रा के परिणामों की जानकारी है और जहां तक इस क्षेत्र में बड़ी परमाणु शक्तियों की सैनिक उपस्थिति का सम्बन्ध है सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) सरकार को अमरीका के राजनीतिज्ञों और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की चीन और एशियन राष्ट्रों की हाल ही की यात्राओं की जानकारी है। हाल ही की घटनाओं में, राष्ट्रपति रीगन, संयुक्त राष्ट्र संघ में राजदूत श्रीमती किर्क पैट्रिक और चीन में राजदूत कवैंडी और साथ ही विदेश मंत्री शुल्ज, व्यापार प्रतिनिधि ब्रुक और एशियन राष्ट्रों में राजदूत किर्क पैट्रिक की यात्राएं भी शामिल हैं।

ऐसा समझा जाता है कि इनमें से कुछ यात्राओं में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों, जिसमें पूर्व-पश्चिम सम्बन्ध शामिल हैं, पर विचार विमर्श किया गया। विश्व में, विशेषकर इस क्षेत्र में तनाव को घटाने की आवश्यकता पर भारत सरकार के विचार सुविदित हैं और सदन की मेज पर पहले ही रखे जा चुके हैं।

श्रीलंका में तमिलों को हुई हानि

1552. श्री शिव शरण वर्मा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में तमिल मूल के हताहत होने वाले व्यक्तियों की अलग-अलग कुल संख्या क्या है और उनकी भी संख्या क्या है जिनकी दुकानें और मकान जलाये गए थे और वहां पर अब तक कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति की क्षति हुई है;

(ख) भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और यह समस्या कब तक हल होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार को इस सम्बन्ध में तुरन्त कठोर कार्यवाही करने का परामर्श दिया है और यदि हां, तो उस पर श्रीलंका की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) श्रीलंका के सरकारी सूत्रों के अनुसार, श्रीलंका में जातीय हिंसा के दौरान अनुमानत: कुल मिलाकर 326 नागरिक मारे गए। इस बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि इन मृतकों में कितने भारतीय मूल के राज्य विहीन व्यक्ति थे और कितने श्रीलंका के तमिल। अनुमान है कि इस गड़बड़ी के दौरान लगभग दो अरब श्रीलंका रुपये की सम्पति को नुकसान पहुंचा।

(ख) और (ग) श्रीलंका की जातीय समस्या का राजनीतिक समाधान खोजने में अपनी सदाशयता से काम लेने का प्रस्ताव भारत सरकार ने किया था। इस वर्ष के शुरू में जिस सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसकी कार्रवाई चल रही है।

लन्दन में भारतीय उच्चायोग पर हमला

1553. श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री मूल चन्द डागा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन में सिखों के एक दल ने पंजाब में हुई घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन करते हुए भारतीय उच्चायोग की इमारत की खिड़कियों को तोड़ दिया था और इमारत को आग भी लगाने की कोशिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ब्रिटिश सरकार द्वारा उन प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उन व्यक्तियों के नाम क्या है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है और उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) 5 जून, 1984 को सुबह लगभग 9.30 बजे कुछ बदमाश लन्दन स्थित भारत के हाई कमीशन की इमारत के मुख्य द्वार और कौंसली द्वार पर आए और इमारत की सामने तथा बाजू की खिड़कियों के सभी शीशे तोड़ डाले। उन्होंने एक पर्दे को जलाकर तथा बेसमेंट के एक कमरे में पैराफीन की एक बोतल और चिथड़े फेंक कर इमारत को आग लगाने की भी कोशिश की। सौभाग्य से बोतल नहीं टूटी और इसलिए आग नहीं लगी।

(ग) पुलिस ने 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 4 को सबूत के अभाव में केवल पूछताछ कर छोड़ दिया गया और शेष 5 व्यक्तियों पर "क्रिमिनल डैमेज एक्ट" 1971 की धारा 1 (3) के अधीन "जीवन क्षति के उद्देश्य से नुकसान पहुंचाने" का आरोप लगाया गया। इन गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम हैं—परमजीत सिंह सोहल, सोहनसिंह खुनखुन, जोगिन्दर सिंह बल, कर्मजीत चड्डा और मनमोहन सिंह बजाज।

पंजाब के उग्रवादियों द्वारा विदेशों में शरण मांगा जाना

1554. **श्री जगपाल सिंह :**
श्री बाला साहिब विखे पाटिल :
प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री त्रिलोक चन्द्र :
श्री राम स्वरूप राम : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे कई खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों ने जिनको पंजाब में हिंसा/हत्याओं के विभिन्न मामलों में तलाश है बाहर के कुछ देशों में शरण माँगी है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) सरकार को यह बात मालूम है कि पश्चिमी यूरोप और उत्तर अमरीका के कतिपय देशों, विशेषकर कनाडा और जर्मन संघीय गणराज्य में भावी आप्रवासियों की बड़ी संख्या ने भारत में राजनीतिक उत्पीड़न के नाम पर और राजनीतिक शरण की माँग करते हुए उन देशों में स्थायी रूप से रहने का प्रयास किया है। सम्बन्धित देशों में हमारे मिशनों ने वहां की सरकारों को स्पष्ट किया है कि भारत में राजनीतिक उत्पीड़न का कोई सवाल नहीं है और राजनीतिक शरण की माँग अनुचित और झूठी है। उन्होंने का है कि ये अधिकांश व्यक्ति भावी आप्रवासी हैं जो इस बहाने अपने आवास की अवधि बढ़ाना चाहते हैं।

जहाँ तक सरकार की जानकारी है किसी को भी राजनीतिक शरण प्रदान नहीं की गई हालांकि उन्हें उस समय तक वहां रहने की अनुमति दी गई है जब तक उनके मामलों पर सम्बन्धित देश के कानून के अनुसार फैसला नहीं हो जाता। हो सकता है कि शरण मांगने वाले इन व्यक्तियों में से कुछ को हिंसा और हत्या जैसे मामलों में भारत में तालाश हो जैसा कि बब्बर खालसा, बानकुवर का तलविन्दर सिंह परमार, और यू० के० दल खालसा का मुख पंच, जसवंत सिंह ठाकेदार।

श्रीलंका की जातीय समस्या का राजनीतिक हल

1555. **श्री चित्त बसु :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में जातीय समस्या का शान्तिपूर्ण राजनीतिक हल खोजने के लिए गत दो महीने के दौरान कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके क्या परिणाम रहे ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) श्रीलका में जातीय समस्या के राजनैतिक समाधान खोजने के उद्देश्य से इस वर्ष जनवरी में राष्ट्रपति जयवर्धने ने जो सर्व दलीय सम्मेलन बुलाया था वह पहली जून को बैठक के बाद स्थगित कर दिया गया था। विचार-विमर्श 23 जुलाई को पुनः शुरू हुआ। 30 जून से 2 जुलाई तक भारत अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जयवर्धन ने प्रधान मंत्री के साथ श्रीलका की जातीय समस्या पर विचार-विमर्श किया।

(ख) अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। हमने श्रीलका के राष्ट्रपति से जोर देकर यह बात कही है कि इस समस्या का राजनीतिक समाधान शीघ्र निकाला जाना जरूरी है।

ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के कार्यक्रमों में चौहान का प्रसारण

1556. **श्री रामविलास पासवान :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी

श्री चिंता मणि जेना :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री के० लक्कप्पा :

श्री रामावतार शास्त्री :

श्री पी० के० कोडियन :

श्री दिगम्बर सिंह :

प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री रशीद मसूद :

श्री वी० डी० सिंह :

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1984 के दौरान ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन ने डा० जगजीतसिंह चौहान और तथाकथित खालिस्तान के अन्य स्वयं घोषित नेताओं को अपने कार्यक्रमों में प्रसारण की अनुमति दी थी जिन्होंने भारत विरोधी विषैले और खतरनाक भाषण दिये और प्रधानमन्त्री को मारने तथा भारत में आतंकवाद भड़काने की धमकी भी दी थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस प्रकार के भारत विरोधी प्रचार का प्रतिकार करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) 12 जून, 1984 को बी० बी० सी० रेडियो 4 पर "वर्ल्ड एट वन" कार्यक्रम में डा० जगजीत सिंह चौहान का इन्टरव्यू लिया गया था। इस इन्टरव्यू के दौरान उसने कहा कि सिख इतिहास में जिस किसी ने धार्मिक स्थानों को हाथ लगाया है उसे जिन्दा नहीं छोड़ा गया और कुछ ही दिनों में यह खबर आएगी कि श्रीमती गांधी और उनके परिवार की गर्दन उड़ा दी गई है। उसने यह भी कहा कि वह नहीं चाहता कि ब्रिटेन में कोई हिंसा हो, "हमें यह लड़ाई वहां अपने घर में जारी रखनी होगी और यही हमें करना है और इसी का प्रबन्ध हमें करना है।"

(ख) भारत सरकार भड़काने वाले और अत्यन्त आपत्तिजनक ऐसे बयानों की निन्दा करती है। लन्दन में और नई दिल्ली में भी ब्रिटिश सरकार को इस सम्बन्ध में राजनयिक माध्यमों द्वारा हमारे विचारों से अवगत करा दिया गया है। ब्रिटेन के विदेश मन्त्री ने इस इन्टरव्यू के लिए खेद व्यक्त किया है और डा० चौहान के बयान को "अति आपत्तिजनक" बताया है। ब्रिटेन का गृह कार्यालय कानून के सम्भावित उल्लघन के लिए डा० चौहान के बयान की जाँच कर रहा है। भारत सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। बी० बी० सी० से भी विरोध प्रकट किया गया है।

(ग) लन्दन स्थित हमारा हाई कमीशन प्रेस और विभिन्न व्यक्तियों से सम्पर्क रखते हुए ऐसे आपत्तिजनक प्रचार का प्रतिकार कर रहा है। हमने विभिन्न भारतीय संगठनों और व्यक्तियों को वीडियो कैसेट और आडियो कैसेट भी बांटे है जो पंजाब में सरकार की कार्रवाई का औचित्य स्पष्ट करते हैं और सही स्थिति बताते हैं।

भारतीय विद्यार्थियों पर अमरीकी अप्रवासी विधेयक का प्रभाव

1557. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30-6-1984 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि अमरीकी अप्रवासी विधेयक से अमरीका स्थित भारतीय विद्यार्थियों के हितों को नुकसान होगा;

(ख) क्या उसमें यह भी बताया गया है कि विधेयक में यह भी व्यवस्था है कि अमरीका में ज्योंही कोई विदेशी विद्यार्थी अपना अध्ययन पूरा करता है उसे वापस अपने देश में जाना होगा और अमरीका में रोजगार के लिए आवेदन करने से पहले उसे कम से कम दो वर्षों तक अपने देश में रहना होगा;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) वहां अध्ययन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कमद उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) अमरीकी कांग्रेस के हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्ज ने 20 जून, 1984 को एक नया आप्रवासन बिल पारित किया। अमरीकी सीनेट ने 18 मई, 1983 को लगभग इसी प्रकार का एक बिल पारित किया था। चूंकि इनमें फर्क है इसलिए इस बिल को अन्तिम रूप देने के लिए एक हाउस सीनेट सम्मेलन बुलाना आवश्यक है। इस बिल पर अमरीका में ही विरोध है। यदि यह नया आप्रवासन बिल अन्तिम रूप से अनुमोदित हो जाता है, तो इसके अनुसार विदेशी छात्रों को संयुक्त राज्य अमरीका में नौकरी करने के लिए आवेदन करने से पहले अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद दो वर्ष के लिए अपने देश लौटना पड़ेगा। लेकिन इस बिल के उक्त नियम में विशेष अपवादों की व्यवस्था होगी जिसके परिणामस्वरूप हो सकता है कि बहुत से भारतीय छात्र इससे प्रभावित न हों।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चीन की एटलस में अन्य देशों के राज्य क्षेत्रों को अपने राज्य के रूप में दिखाया जाना

1558. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री क० प्रधानी :
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री बी० डी० सिंह :
श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि चीन ने एक ऐतिहासिक पुस्तकमाला प्रकाशित की है, जिसमें पड़ोसी देशों में बड़े भागों को राज्य क्षेत्रों के रूप में दर्शाया गया है अपने और इसके पहले दो खण्डों में न केवल अकसाई चीन के बल्कि लद्दाख, हिमाचल के भागों और पूर्वी नेपाल और सम्पूर्ण सिक्किम, दार्जिलग, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को मंगोलिया का भाग दर्शाया गया है तथा वर्तमान सोवियत संघ के बड़े भाग, उत्तरी बर्मा और उत्तरी वियतनाम को ऐतिहासिक चीन का भाग दर्शाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) चीन की यह एटलस आठ खंडों में है। इसका उद्देश्य इतिहास के विभिन्न कालों में चीन की प्रादेशिक सीमा का विस्तार दिखाना है। यह ऐतिहासिक अध्ययन सही है अथवा नहीं, यह बात सम्बन्धित देशों के लिए वैचारिक स्तर पर खंडन और प्रतिकारी अध्ययन का विषय हो सकती है। यह समझना कुछ मुश्किल है कि चीनी प्राधिकारियों ने इस समय ऐसा प्रकाशन क्यों निकाला है।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हमने 1960 की वार्ता के दौरान और उसके बाद भी इन दावों का विस्तार पूर्वक खंडन किया है और चीनी प्राधिकारी इस मामले में भारत की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

भारत के साथ बिना राजनयिक सम्बन्धों वाले देश

1559. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिनके साथ अभी तक हमारे कोई राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं तथा इस प्रकार के देशों में वे कौन-कौन से देश हैं जिनके साथ न तो हमारे व्यापारिक सम्बन्ध हैं और न ही सांस्कृतिक अथवा आर्थिक सम्बन्ध हैं, तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे कौन-कौन से देश हैं जिनसे हमारे इस प्रकार के सम्बन्ध हैं। और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) जिन देशों के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं, उन देशों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

i) दक्षिण अफ्रीका : किसी प्रकार के कोई सम्बन्ध नहीं है।

ii) इस्राईल : कोई सांस्कृतिक अथवा आर्थिक सम्बन्ध नहीं है। निजी पार्टियों की मार्फत थोड़ा बहुत व्यापार होता है। "एपेक्स" व्यापारिक एवं निर्यात निकायों को कहा गया है कि इस्राईल के साथ व्यापार करने से अरबों द्वारा बहिष्कार किया जा सकता है। बम्बई में इस्राईल का एक कौंसलावास है जो 1950 से काम कर रहा है। इसका कार्यक्षेत्र केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है। भारत का कोई भी कौंसली विंग अथवा किसी अन्य प्रकार का मिशन इस्राईल में नहीं है।

iii) ताईवान : भारत दो-चीन की नीति का समर्थन नहीं करता, इसलिए उसने केवल चीन लोक गणराज्य के साथ राजनयिक सम्बन्ध कायम किए है।

तथापि हम ताईवान के व्यापारियों और पर्यटकों को, विशेष रूप से ताईवान में रहने वाले चीन मूल के तीर्थयात्रियों को भारत यात्रा की अनुमति देते हैं।

iv) अल्बानिया : 1956 में राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का फैसला कियागया था लेकिन राजदूतों का आदान-प्रदान नहीं हुआ है। इस समय हमारे व्यापारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध नहीं हैं।

v) हाईती :
vi) होंडुरस :
vii) डोमिनिकम गणराज्य : समवर्ती प्रत्यायन के माध्यम से राजनयिक सम्बन्ध बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। इस समय व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्बन्ध अत्यन्त न्यून है।

परमाणु क्षेत्र में पाकिस्तान को चीन की मदद

1560. **श्री बी०वी० देसाई।**
श्री राजेश कुमार सिंह :
प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री रशीद मसूद :
श्री के० मालन्ना : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 22 जून, 1984 को विभिन्न भारतीय समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए थे कि सेनेटर क्रेन्सटन ने अमरीकी सेनेट में यह सनसनी खेज जानकारी दी है कि सरकारी स्रोतों ने उन्हें बताया था कि पाकिस्तान चीन की मदद से परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पहले ही प्राप्त कर चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी सेनेटरों द्वारा प्रकट किए गए कुछ सरकारी दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि होती है कि अमरीकी सरकार अच्छी तरह जानती है कि चीन पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने में मदद कर रहा है;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस मामले में अमरीका और चीन के साथ बातचीत की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान के नाभिकीय अस्त्र कार्यक्रम को विकसित करने में चीन की संभावित सहायता का संकेत देने वाले कई जिम्मेदार अमरीकी अधिकारियों के वक्तव्यों को और सरकार का ध्यान समय-समय पर दिलाया जाता रहा है।

(ग) और (घ) इस मामले में भारत के विचार अमरीका सरकार और चीन लोक गणराज्य की सरकार को अच्छी तरह मालूम है ।

श्रीलंका के तमिलों के विरूद्ध इस्तेमाल के लिए ब्रिटेन तथा इसराईल के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना

1561. **श्री बी०वी० देसाई :**

श्री अमर रायप्रधान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका ने देश के तामील भाषियों के विरूद्ध प्रयोग में लाने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए ब्रिटिश अथवा इजराईल से विभिन्न विशेषज्ञों की सेनाओं को उपयोग में लाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का श्रीलंका तमिलों की रक्षा के लिए उनकी सहायता हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीलंका ने ब्रिटेन और इस्रायल से सुरक्षा और आसूचना विशेषज्ञों की सेवाएं माँगी है ।

(ख) इस बात से सरकार चिन्तित है क्योंकि विदेशी सुरक्षा एवं आसूचना कार्मिक की उपस्थित से श्रीलंका में जातीय समस्या भड़क सकती है ।

(ग) भारत सरकार ने श्रीलंका में जातीय समस्या के राजनीतिक समाधान की आवश्यकता पर बार-बार बल दिया है क्योंकि तमिल अल्संख्यकों में विश्वास और सुरक्षा की भावना पुनः लाने का यही एकमात्र रास्ता है ।

जम्मू एण्ड काश्मीर लिबरेशन फ्रंट तथा मुस्लिम कान्फ्रेंस द्वारा लन्दन में भारत विरोधी गतिविधियाँ

1562. **श्री बी०वी० देसाई :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पंजाब की घटनाओं के बारे में ब्रिटेन में सिक्खों को गुमराह करने के लिए जम्मू एण्ड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट तथा जम्मू एण्ड कश्मीर मुस्लिम काम्फ्रेंस द्वारा लन्दन में अदा की जा रही भूमिका को गम्भीरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटिश सरकार से बार-बार अनुरोध किया गया था कि इन समूहों की गतिविधियों को रोका जाए; और

(ग) यदि हां, तो क्या बार-बार अनेक अनुरोधों तथा विरोध प्रकट किये जाने के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यूनाईटेड किंगडम में भारत के खिलाफ उग्रवादी सिख तत्वों तथा जे० एंड के० लिब्रेशन फ्रंट और जे० एंड के० मुस्लिम कांफ्रेंस की अवांछनीय गतिविधियों की ओर समय-समय पर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। ब्रिटिश सरकार का कहना यह है कि वे कोई कार्रवाई तभी करेंगे जबकि ये गतिविधियां ब्रिटिश कानून के खिलाफ हो।

अमरीका में भारतीयों द्वारा पजाब की स्थिति के बारे में जानकारी के अभाव के सम्बन्ध में प्रकट किया गया विरोध

1563. श्री बी०बी० देसाई :

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1984 के महीने में अमरीका में भारतीयों द्वारा पंजाब की स्थिति के बारे में जानकारी न मिलने के विरोध में अमरीका में भारतीय दूतावास में विरोध प्रकट किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों में नियुक्त हमारे अधिकारियों को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी कि सैनिक कार्यवाही की अवधि के दौरान वे किस प्रकार के दिशा निर्देशों का पालन करें;

(ग) यदि हां, तो दूतावासों को तथ्यों की जानकारी न उपलब्ध करने के क्या मुख्य कारण थे, जिससे कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को सामान्य रूप से लोगों की प्रतिक्रिया का पता चल सकता;

(घ) क्या अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों में कुछ विदेशी समाचार पत्रों द्वारा तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया और एक भिन्न तस्वीर प्रस्तुत की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दूतावासों को पंजाब की घटनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए क्या कदम उठाए गए थे; और

(च) क्या भविष्य में विदेशों में स्थित सूचना केन्द्रों को भारत में किसी विशेष प्रकार की घटनाओं की पूरी जानकारी देने तथा तथ्यों से अवगत कराने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएंगे ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) जून के महीने में, संयुक्त राज्य अमरीका में रहने वाले भारतीयों की ओर से पंजाब की घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने की काफी माँग रही। इस मांग के उत्तर में समय पर और सही-सही जानकारी देने के लिए दिल्ली में तथा संयुक्त राज्य अमरीका स्थित भारतीय राजदूतावास और महाकांसुलावासों ने विशेष प्रयास किए। वितरण के लिए मुद्रित सामग्री, समाचार बुलेटिन, श्रव्य दृश्य कैसेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध किए गए। इस सामग्री के कारगर उपयोग को सवंधित करने के उद्देश्य से इसका वितरण प्रमुख व्यक्तियों और भारतीय एसोसिएशनों को दिया गया जिनमें विभिन्न भारतीय संचालित टेलीविजन तथा रेडियो चैनैल और समाचार-पत्र भी शामिल हैं। इन कोशिशों के परिणामस्वरूप, पंजाब की स्थिति सम्बन्धी जानकारी भारतीयों की काफी तादाद को उपलब्ध कराई गई, जोकि ऐसे व्यक्तियों की संख्या से काफी अधिक थी, जिनसे हमारे मिशनों के प्रचार क्रिया-कलापों के माध्यम से सामान्य तौर पर सम्पर्क किया जाता है।

(घ) और (ङ) कुछ विदेशी समाचार-पत्रों ने पंजाब की स्थिति के बारे में सही-सही तथ्य प्रकाशित नहीं किए हैं। विदेशी प्रचार माध्यमों द्वारा भारतीय घटनाओं के बारे में पक्षपातपूर्ण और गलत समाचार प्रकाशित करना जरा भी असामान्य बात नहीं है। इस गलत बयानी, पर काबू पाने के लिए, मुख्यालय ने विदेश स्थित राजदूतावासों और जनता को नियमित रूप से सही जानकारी उपलब्ध कराई, उन्हें विशेष समाचार बुलेटियों और श्रव्य व दृश्य सामग्री द्वारा दिन प्रतिदिन की घटनाओं से अवगत कराया जाता रहा।

(च) मंशा यही है कि जिस तरह इस वर्ष जून में जानकारी देते रहने की पूरी-पूरी कोशिश की जाती रही है, उसी तरह भविष्य में भी जानकारी दी जाती रहे।

चीन द्वारा पाकिस्तान को युद्ध विमानों की सप्लाई

1564. **श्री निहाल सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने पाकिस्तन को युद्ध विमानों की सप्लाई करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में चीन की सरकार से बातचीत की है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर नजर रखे हुए है, जिनसे भारत की सुरक्षा पर असर पड़ सकता हो।

पाकिस्तान से अपहरणकर्ताओं की वापसी

1565. **श्री चित्त महाटा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इण्डियन एयर लाइन्स की एयर बस के अपहरणकर्ताओं पर पाकिस्तान में मुकदमा चलाया जाएगा परन्तु उन्हें लौटाया नहीं जायेगा, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) और (ख) बताया जाता है कि 9 जुलाई, 1984 को इस्लामाबाद में यात्री भारतीय पत्रकारों के साथ साक्षात्कार में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा था कि चूंकि दोनों देशों के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है इसलिए अपहरणकर्ताओं को भारत वापस नहीं भेजा जा सकता और उचित समय में उन पर मुकमदा चलाया जायेगा ।

सरकार ने अपहरणकर्ताओं को भारत वापस भेजने के लिए पाकिस्तान की सरकार से औपचारिक रूप से सम्पर्क किया जो बृहस्पतिवार, 5 जुलाई, 1984 को एयर बस अपहरण करके लाहौर ले गए थे ।

साउथ एशियन रिजनल कोआपरेटिव की बैठक

1566. **श्री चित्त महाटा** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल ही में मालदीव में आयोजित साउथ एशियन रिजनल कोआपरेशन की बैठक में भाग लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त दौरे के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) जी हाँ, तत्कालीन विदेश मन्त्री श्री पी०वी० नरसिंह राव, ने 10—11 जुलाई, 1984 को मालदीव में आयोजित दक्षिण एशियाई देशों के विदेश मन्त्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया था।

(ख) मालदीव बैठक के समक्ष मुख्य कार्य थे—दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग शिखर सम्मेलन की तारीख और स्थान निश्चित करने पर विचार करना । 1985 की अन्तिम तिमाही में ढाका में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग शिखर सम्मेलन आयोजित की सिफारिश करने का निर्णय किया गया। इस बात पर भी सहमति हुई कि मई, 1985 में थिम्पू में आयोजित होने वाली विदेश मन्त्रियों की अगली बैठक, शिखर सम्मेलन की तैयारी बैठक होगी । यह महसूस किया गया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अपेक्षाकृत कम समय में ही काफी प्रगति हुई है । इस बात पर जोर

दिया गया कि और प्रगति होने पर संक्रियात्मक क्रियाकलापों और विशिष्ट परियोजनाएं तैयार करने पर शीघ्र बल दिया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, बैठक में भारत का यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया कि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मन्त्रियों के स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के कार्यक्रमों की प्रगति पर ज्यादा अच्छी तरह निगाह रखने और उनमें तालमेल स्थापित करने से सम्बद्ध अनेक निर्णय लिए गए। इस क्षेत्र के देशों के बीच दूरसंचार और विमान सम्पर्कों को बेहतर बनाने से सम्बद्ध एक कार्यसूची में थी। दूरसंचार व परिवहन सम्बन्धी तकनीकी समितियों से यह कहा गया कि वे इन विषयों से सम्बद्ध प्रस्तावों पर विचार करें और अपनी सिफारिशें स्थायी समिति को प्रस्तुत करें।

विश्व की आर्थिक स्थिति के विषय पर उपयोगी विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में विकासशील देशों की बिगड़ती हुई आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर चिन्ता व्यक्त की गई और यह आग्रह किया गया कि सातवें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन तथा 77 देशों के समूह के द्वारा प्रस्तावों पर सक्रियरूप से अमल किया जाए। अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऐसोसियेशन के साधन बढ़ाने की आवश्यकता का विशेष उल्लेख किया गया और अध्यक्ष से यह अनुरोध किया गया कि वे औद्योगीकृत देशों के नेताओं को दक्षिण एशियाई देशों की चिन्ताओं से अवगत करा दें।

पाकिस्तानी मीडिया द्वारा भारत-विरोधी प्रचार

1567. श्री दिगम्बर सिंह :
श्री सुभाष चन्द यादव :
श्री राम विलास पासवान :
श्री राम बिहारी बहेरा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 16 जून, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स", नई दिल्ली में "पाक टी० वी० टेल्स इनसाइटेड जवान्स आन बार्डर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के पाकिस्तान के दावे के विरूद्ध पाकिस्तान को कोई विरोध पत्र दिया गया अथवा राजनयिक स्तरों के माध्यम से उसका ध्यान इस मामले की ओर दिलाया गया; और

(ग) यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पाकिस्तान के प्रचार माध्यमों द्वारा जिनमें टेलीविजन भी शामिल है,

पंजाब की घटनाओं को एकतरफा, शरारतपूर्ण पक्षपातपूर्ण और द्वेषपूर्ण ढंग से पेश करने के सम्बन्ध में हमारी चिन्ता और रोष से विदेश सचिव ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के राजदूत तथा इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय को अवगत करा दिया था। उन्हें बताया गया कि पाकिस्तानी प्रचार माध्यमों द्वारा, जिनमें टेलीविजन भी सम्मलित है, प्रदर्शित द्वेष की भावना अहस्तक्षेप की नीति के अनुरूप नहीं है और द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों के अनुकूल भी नहीं है।

अपनी हाल ही की पाकिस्तान यात्रा के दौरान सूचना व प्रसारण मंत्री श्री एच० के०एल० भगत ने भी पाकिस्तान के नेताओं के साथ यह मामला उठाया था।

पाकिस्तान के प्राधिकारियों का यह कहना है कि पाकिस्तानी टेलीविजन ने भारत की घटनाओं के बारे में समाचार देने में समुचित सावधानी बरती और उसकी यही कोशिश रही कि प्रतिष्ठित समाचार एजेंसियों की खबरों को ही उनका आधार बनाया जाए। लेकिन, पूरी तरह एकतफा और विकृत चित्र प्रस्तुत करने के लिए विदेशी टी०वी० अभिकरणों की सामग्री का चयन करने में उन्होंने जो द्वेष भाव अपनाया है, उससे उनकी यह बात सिद्ध नहीं होती।

विदेशों में उग्रवादियों की गतिविधियां

1568. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण मन्दिर में सेना के प्रवेश के विरुद्ध विदेशों में कुछ सिखों के विरोध के फलस्वरूप कोई अप्रिय घटना सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि यह सब अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में आतंकवादियों की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया था ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) और (ख) जी हाँ। लंदन, बैंकूवर, टोरंटो, हेम्बर्ग और सिडनी स्थित हमारे मिशनों तथा केन्द्रों के बाहर 6 जून के बाद से विरोध प्रकट किया गया है और कुछ प्रदर्शन हुए हैं, जहाँ सम्पत्ति को कुछ क्षति पहुंची है। उत्तरी अमरीका, पश्चिमी यूरोप, आस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ अन्य नगरों में भी प्रदर्शन किए गए हैं। कुछ स्थानों पर तो, चन्द उग्रवादियों ने बहुत ही आक्रामक प्रचार किया है।

(ग) प्रेस से सम्पर्क करके और अनेक एसोसिएशनों तथा चुनिंदा व्यक्तियों में दृश्य श्रव्य कैसेटों के वितरण द्वारा सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है। विदेशों में भारतीय प्रचार-माध्यमों द्वारा राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री के आकाशवाणी तथा दूरदर्शन

प्रसारणों का व्यापक प्रचार किया गया है। प्रधान मन्त्री ने उन देशों के शासनाध्यक्षों को भी लिखकर घटनाओं की पृष्टभूमि स्पष्ट की हैं, जहां भारतीय मूल के लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं।

श्री एल० के० झा की विकसित देशों की यात्रा

1569. **श्री आनन्द सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों की भारी ऋण ग्रस्तता को देखते हुए हाल ही में श्री एल० के० झा० को प्रधान मन्त्री के विशेष दूत के रूप में कई विकसित देशों की यात्रा पर भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या था और उसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) प्रमुख औद्योगिक देशों के लन्दन शिखर सम्मेलन से पर्व श्री एल० के० झा ने प्रधान मन्त्री के निजी दूत के रूप में लन्दन, वाशिंगटन, ओटावा, पेरिस, बोन और रोम की यात्रा की। वे अपने साथ सम्बंध सरकारों के शासनाध्यक्षों के नाम प्रधानमन्त्री के पत्र ले गए थे। जिनमें उत्तर दक्षिण में मौजूदा गतिरोध की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया था और ऐसी बातचीत में गति लाने की जरूरत पर जोर दिया गया था।

(ख) श्री एल० के० झा की इस यात्रा का उद्देश्य यह था कि प्रमुख औद्योगिक देशों के नेताओं को उत्तर-दक्षिण मसलों के बारे में भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराया जाए और इन समस्याओं पर कुछ बातचीत शुरू करने की सम्भावना का पता लगाया जाए। इस बारे में हमारे सुझावों की ओर लन्दन शिखर सम्मेलन में काफी ध्यान दिया गया और इस प्रश्न पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए लन्दन के शिखर सम्मेलन के बाद ब्रिटेन की प्रधानमन्त्री के निजी दूत ने दिल्ली की यात्रा की।

शिखर सम्मेलन में जारी की गई लन्दन आर्थिक घोषणा में विकासशील देशों की चिन्ताओं और उनकी कठिनाईयों को अभिव्यक्ति मिली है तथा पारस्परिक निर्भरता की सच्चाई को स्वीकार किया गया है। तथापि, इसमें मुद्रा, वित्त और विकास सम्बन्धी मसलों पर निरन्तर बातचीत के लिए वर्तमान ब्रेटन वुड्स संस्थाओं की मूल भूमिका की पुनर्पुष्टि की गई है और उत्तर-दक्षिण वार्ता में मौजूदा गतिरोध को दूर करने के किसी नए प्रयास का आश्वासन नहीं दिया गया है। समग्र रूप से, यह घोषणा विकासशील देशों से सम्बद्ध मसलों के बारे में बहुत आशाप्रद नहीं है।

उग्रवाद निवारक अधिनियम और आपातकाल विनियमन अधिनियम 15-ए के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय न्याय आयोग के विचार

1570. **श्री चित्त बसु** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जनेवा स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्याय आयोग द्वारा हाल में "श्रीलका" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि उग्रवाद निवारक अधिनियम और आपात्काल विनियमन, 15-ए, कानून की दृष्टि से न्यायोचित नहीं है और वास्तव में देश के सामने संकट की तुलना के समनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या प्रधान मन्त्री ने गुट निरपेक्ष आन्दोदन के अध्यक्ष की हैसियत से श्रीलंका सरकार की प्रतिक्रिया से अवगत करा दिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) (क) जी हाँ, सरकार ने यह रिपोर्ट देखी है।

(ख) और (ग) पिछले वर्ष सरकार ने राजनयिक माध्यम द्वारा श्रीलंका सरकार को आपात विनिमय 15-ए के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता से अवगत करा दिया था। सरकार ने हाल ही में इस प्रकार की खबरें देखी हैं कि श्रीलंका की सरकार ने इन विनियमों में कुछ संशोधन किए हैं।

पृथकतावादी गतिविधियों के बारे में प्रधान मन्त्री का ब्रिटेन की प्रधान मंत्री को पत्र

1571. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या विदश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने ब्रिटेन की प्रधान मन्त्री श्रीमती मारग्रेट थैचर को ब्रिटेन में "खालिस्तानियों" जैसे भारतीय पृथकतावादी ग्रुपों की गतिविधियो पर अंकुश लगाने में उनकी सरकार का सहयोग प्राप्त करने के लिए कोई निजी पत्र लिखा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर ब्रिटेन की प्रधान मन्त्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) पंजाब की हाल की घटनाओं के सन्दर्भ में और साथ ही इस बात को देखते हुए कि भारत मूल के व्यक्ति जिनमें सिख भी शामिल है, बड़ी संख्या में विदेशों में रहते हैं और भारत में होने वाले मसलों के बारे में राजनीतिक गतिविधियाँ करते हैं, प्रधानमन्त्री ने इन घटनाओं की पृष्ठ भूमि को स्पष्ट करते हुए ब्रिटेन की प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा था। ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने इन पर अपनी समझदारी व्यक्त की है।

बंगला देश द्वारा निहित सम्पत्ति की बिक्री

1572. **श्री सनन्त कुमार मंडल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश की सैनिक सरकार ने भारतीयों की सम्पत्ति की बिक्री न करने सम्बन्धित भारत की दलील को संक्षिप्त विचार करने के बाद रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो ढाका सरकार की इस कार्यवाही पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) परस्पर मैत्री-सम्बन्धों को बनाए रखने के हित को ध्यान रखते हुए ढाका को राजी करने हेतु इस मामले में सरकार का आगे कार्यवाही करने का क्या विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) ढाका स्थित भारतीय हाई कमीशन ने 14, दिसम्बर, 1983 को दिए गए निहित सम्पत्ति के बारे में बंगला देश विदेश कार्यालय को एक औपचारिक नोट दिया था; भारत सरकार को उसके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

(ग) बंगला देश की प्रेस रिपोर्टों से पता चला है कि शत्रु सम्पत्ति प्रतिरोधक समिति (एनीमी प्रापर्टी रेसिसटंस कमेटी) के साथ 22 जून, 1984 को हुई एक बैठक में बगलादेश के राष्ट्रपति ले० ज० एच० एम० इरशाद ने यह निर्देश दिया था कि निहित सम्पत्ति की बिक्री से सम्बन्धित सभी कार्यवाही तत्काल रोक दी जाएगी और यह हिदायत जारी की जाएगी कि कोई और सम्पत्ति निहित सम्पत्ति न घोषित की जाए। समझा जाता है कि अभी तक ऐसी कोई हिदायतें जारी नहीं की गई है।

सरकार इस सम्बन्ध में घटनाओं पर सावधानी से नजर रख रही है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए बंगलादेश प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए हुए है कि निहित सम्पत्तियों को उनके मालिकों की सहमति के बिना अथवा दोनों सरकारों के बीच क्षतिपूर्ति के प्रश्न का समाधान हुए बिना न बेचा जाए।

डामणजूडी में "नेलको" परियोजना की स्थापना के दौरान विस्थापित किये गये आदिवासी परिवारों का पुनर्वास

1573. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डामणजूडी में "नेलको" परियोजना की स्थापना के समय कोरापुट जिले के लगभग 700 आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो अधिकारियों ने उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की है और उन्हें कब तक फिर से बसा दिया जाएगा और कहाँ बसाया जाएगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) दामनजोड़ी में अनुसूचित जाति के 266 परिवारों सहित 581 परिवारों के विस्थापित हो जाने की सम्भावना हैं। रिक्तियों की संख्या और उनकी अनुपयुक्तता को देखते हुए नाल्को का कार्यक्रम प्रत्येक विस्थापित परिवारों के एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजगार देने का काम 20 जून, 1984 तक नाल्को द्वारा दामनजोड़ी सैक्टर के अकुशल श्रेणी पदों पर 40 स्थानीय विस्थापित व्यक्तियों को और 5 अर्द्धकुशल श्रेणी पदों पर सीधे ही रोजगार दिया जा चुका है। 919 स्थानीय व्यक्ति विभिन्न ठेकेदारों के पास काम कर रहे हैं। विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है ताकि उन्हें रोजगार के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। भूमि के लिए मुआवजा तथा प्रत्येक विस्थापित परिवार को अपने निजी मकान बनाने के लिए 2500 रुपये की अदायगी के अलावा, उनकी सहायता के लिए 96 अस्थायी कामचलाऊ शेडों का भी निर्माण किया गया है।

उत्तर प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

15/ 4. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के उन जिलों के क्या नाम हैं जिनका योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा दौरा किया गया है और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा अन्य पहलुओं का मूल्यांकन करने के बारे में रिपोर्ट दी है;

(ख) इन रिपोर्टों में (एक) ब्लाक अधिकारियों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही और उनके द्वारा ब्लाकों के लिए तैयार की गई समूहवार वार्षिक योजनाएं, (दो) लक्ष्य में रखे गए परिवारों को प्राप्त हुए वास्तविक लाभ (तीन) परम्परागत कारीगरी, प्रवृत्ति और अनुभव तथा साथ ही उनकी विपणन और आय पैदा करने की क्षमता पर आधारित लाभकारी योजनाओं की खोज, और (चार) ग्राम पंचायतों/सभा को विश्वास में लिए बिना आमतौर पर ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा लाभार्थियों का पता लगाने के बारे में इन रिपोर्टों में किस प्रकार का उल्लेख किया गया है; और

(ग) ऋण आवेदनों (बैंकों द्वारा 5000 रु० तक के और 5000 रु० के) के निपटाने और लाभार्थियों द्वारा ऋणों की वापस अदायगी के बारे में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के क्या निष्कर्ष हैं ?

योजना मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) इसमें उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर और मिर्जापुर जिले शामिल हैं। मूल्यांकन अध्ययन के लिए चुने गए राज्यों और जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) इन जिलों से एकत्रित क्षेत्रीय आँकड़ों की अभी जाँच पड़ताल की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है ।

विवरण

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन
चुने गये राज्यों और जिलों की सूची

राज्य	जिले
1	2
1. पंजाब	1. फिरोजपुर
	2. संगरूर
2. हरियाणा	1. करनाल
	2. जींद
3. हिमाचल प्रदेश	1. उना
	2. कुल्लू
4. जम्मू और कश्मीर	1. जम्मू
	2. अनन्तनाग
5. राजस्थान	1. बीकानेर
	2. जोधपुर
6. मध्य प्रदेश	1. झाबुआ
	2. बस्तर
	3. दमोह
	4. बतूल
7. उत्तर प्रदेश	1. सुलतानपुर
	2. मिर्जापुर
8. बिहार	1. समस्तीपुर
	2. पलमाऊ
9. आंध्र प्रदेश	1. गुन्तूर
	2. विजयांग्राम
10 कर्नाटक	1. उत्तर कन्नड़
	2. मैसूर

1	2
11. पश्चिम बंगाल	1. दार्जिलिंग
12. उड़ीसा	1. कोरापुट
	2. सुन्दरगढ़
13. तमिलनाडु	1. कन्याकुमारी
	2. मदुरै
14. केरल	1. कन्नौर
	2. किलोन
15. महाराष्ट्र	1. उष्मानबाद
	2. थाणे
16. गुजरात	1. खेरा
	2. राजकोट

दिल्ली में बन्दूक राइफल्स आदि के लिए लाइसेंस

1573. **श्री निहाल सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने 1 जनवरी, 1984 से 30 जून; 1984 तक बन्दूकों राइफलों, रिवालवरों और पिस्तौलों के लाइसेन्स के लिए आवेदन किया और कितने व्यक्तियों को लाइसेन्स दिए गए तथा कितने व्यक्तियों को लाइसेन्स नहीं दिए गये;

(ख) क्या एक पुलिस उपायुक्त ने जिसे लाइसेन्स जारी करने के लिए अधिकृत हैं, पर्याप्त जाँच किए बिना ही एक विशेष सिख समुदाय को लाइसेन्स जारी किए हैं जबकि जिन अन्य व्यक्तियों को निम्न स्तर से लेकर लाइसेन्स जारी करने की सिफारिश की गई है उन्हें उन हथियारों के लाइसेन्स अभी तक नहीं दिए गए जिनके लिए उन्होंने आवेदन किया और इसके बजाय उन्हें दूसरे हथियारों के लाइसेन्स दे दिए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच करवाएंगी और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1-1-84 से 30-6-84 तक की अवधि के दौरान, कुल 2658 व्यक्तियों ने अग्नेय-शस्त्र लाइसेन्स (गन, राइफल, रिवाल्वर और पिस्तौल सहित) के लिए आवेदन किया जिनमें से 761 को लाइसेंस दिया गया और 693 के आवेदन/अन्य मामले अस्वीकार कर दिए गए थे लम्बित पड़े है ।

(ख) लाइसेन्स उचित जांच के बाद ही जारी किए गए हैं । 6 मामलों में जहां आवेदकों ने पिस्तौल/रिवाल्वर के लाइसेन्स के लिए आवेदन किया था, आवेदनों पर उचित विचार करने के बाद रद्द कर दिया गया, लेकिन उन्हें छोटे शस्त्रों के स्थान पर, प्रत्येक मामले में बताए गए कारणों से राइफल/गन के लिए लाइसेन्स लेने की सलाह दी गई थी ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

मेसर्स मैटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन कलकत्ता द्वारा पोत की खरीद

1576. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स मैटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन, कलकत्ता ने नौवहन मन्त्रालय को यह सूचित किया है कि पोत एम०वी० असंतासिस को स्क्रेपिंग के लिए मेसर्स पोलासिया कैरियर्स लिमिटेड लन्दन से खरीदा गया था, यदि हां, तो कब;

(ख) क्या उक्त निगम को यह पता है कि यह पोत किराए (चार्टर) पर था और इसमें तूतीकोरिन में माल लादा गया था और वह माल नवम्बर, 1980 के अन्त में कलकत्ता में उतारा गया था;

(ग) क्या मेसर्स स्टील इंडस्ट्रियल केरल लिमिटेड ने यह कहा कि उक्त पोत, मेसर्स इफेसो मैरी टाइम कम्पनी, पासामा से खरीदा गया था;

(घ) यदि हां, तो वास्तविक विक्रेता कौन है बिक्री से सम्बन्धित बिल क्या है तथा इफेसो मैरी टाइम कम्पनी और पोलासिया कैरियर्स लिमिटेड के साथ तय हुई शर्तों का ब्यौरा क्या है और उनकी तुलना में उक्त पोत की समुद्र सम्बन्धी देनदारियां क्या है; और

(ङ) असंतासिस पोत के स्वामित्व में किस स्थिति में, कब और कहां, परिवर्तन आया और इसकी स्क्रेपिंग के लिए नौवहन महानिदेशक की पूर्वानुमति क्यों नहीं ली गई तथा इसे मेसर्स मैटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन, कलकता और स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केरल के पास पंजीकृत क्यों नहीं किया गया था ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं लेकिन इस्पात विभाग ने दिनांक 6 अगस्त, 1982 को नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय को सूचित किया था कि एम०एस०टी०सी० ने स्क्रेप बनाने के लिए मेसर्स पोलासिया कैरियर्स लिमिटेड, लन्दन से एम०वी० अन्सतासिस खरीदा है ।

(ख) मेसर्स पोलासिया कैरियर्स लिमिटेड से जहाज खरीदते समय एम०एस०टी

सी० को यह मालूम नहीं था कि जहाज भाड़े पर लिया हुआ है। इस जहाज में ट्यूटिकोरन बन्दरगाह पर माल लादा गया और नवम्बर, 1980 में कलकत्ता बन्दरगाह पर माल उतारा गया। मेसर्स पोलासिया कैरियर्स लिमिटेड तथा एम०एस०टी०सी० के बीच दिनांक 10 दिसम्बर, 1980 को हुए करार के ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया था कि सुपुर्दगी के समय जहाज किसी को भाड़े पर नहीं दिया गया होगा और न ही उसमें कोई माल होगा। बिक्रेता ने जहाज की सुपुर्दगी एन्कोरेज बेपोर बन्दरगाह पर करनी थी तथा खरीददार को भी इसी बन्दरगाह पर जहाज की डिलिवरी लेनी थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मेसर्स पोलासिला कैरियर्स लिमिटेड तथा एम०एस०टी०सी० के बीच दिनांक 10 दिसम्बर, 1980 को हुए करार के ज्ञापन की शर्तों के अनुसार विक्रेता ने दिनांक 18 दिसम्बर, 1980 को बेपोर एन्कोरेज बन्दरगाह पर स्टेट इंडस्ट्रियल्स केरल लिमिटेड (सिल्क) को उपर्युक्त जहाज डिलिवरी दे दी थी। आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार माध्यम अभिकरण एम०एस०टी०सी० ने 'सिल्क' द्वारा संपार्श्विक कार्य की पूर्ति तथा जहाज की वास्तविक सुपुर्दगी की बात को विचार में लाए बिना खुले समुद्र में बिक्री के आधार पर दिनांक 13 दिसम्बर, 1980 को जहाज का स्वामित्व अधिकार स्टेट इंडस्ट्रियल्स केरल लिमिटेड (सिल्क) को सौंप दिया था।

विदेश ध्वज पोतों का स्क्रैप बनाने के लिए महानिदेशक, नौवहन की अनुमति लेना अथवा उनके पास पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है।

इस्पात संयंत्रों में कोकिंग कोयले की कमी

1577. **श्री बी०वी० देसाई :**

श्री एन०ई० होरो : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 में देश में बड़े इस्पात संयंत्रों को लगभग 9 लाख टन कोकिंग कोयले की कमी का सामना करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को 7 लाख टन कोकिंग कोयले का आयात करना पड़ा था;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अनुसार अगले वर्ष 10 लाख टन से अधिक कोयले की कमी होगी;

(घ) यदि हाँ, तो कोकिंग कोयले की कमी का इस्पात उद्योग पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) इन कारखानों को कोकिंग कोयला उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार इस्पात कारखानों को सप्लाई करने के लिए कोकिंग कोयले का आयात करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हाँ, तो कितने कोयले का ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 1983-84 में देशीय स्रोतों से बढ़िया किस्म के कोककर कोयले की उपलब्धि 73.55 लाख टन होगी जबकि 'सेल' (इस्को भी शामिल) की बढ़िया किस्म के कोककर कोयले की मांग 84.21 लाख टन होगी। उपलब्धि में 10.66 लाख टन का अन्तर आयात द्वारा पूरा किए जाने की सम्भावना है। जून से सितम्बर, 1983 के दौरान देशीय तथा आयातित कोककर कोयले की उपलब्धि संतोषजनक नहीं थी और कोक ओवन पुशिंग की दर को विनियमित करना पड़ा। वर्ष 1983-84 के दौरान 4.63 लाख टन कोककर कोयला आयात किया गया।

(ग) अनुमान है कि वर्ष 1984-85 में "सेल" के इस्पात कारखानों की बढ़िया किस्म के कोयले की माँग तथा देशीय स्रोतों से इसकी उपलब्धि में 6.63 लाख टन का अन्तर रहेगा।

(घ) कोककर कोयले की कमी तथा स्टाक में तेजी से आ रही गिरावट को देखते हुए "सेल" के कारखानों को जून, 1983 से सितम्बर, 1983 तक कोक ओवन पुशिंग की दैनिक दर पर प्रतिबन्ध लगाने पड़े। परिणामस्वरूप कोक तथा मैस की कमी हो गई जिससे कच्चे लोहे तथा विक्रेय इस्पात के उत्पादन में कमी हो गई।

(ङ) से (छ) सरकार ने कोककर कोयले की उपलब्धि में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे—नई शोधन शालाओं की स्थापना करना, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए खनन कार्यों में सुधार करना और कोयले की क्वालिटी में सुधार करने के लिए कोयले को साफ करने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकियां अपनाना। इसके अलावा कोककर कोयले की तात्कालिक कमी को पूरा करने के लिए सेल 4 लाख टन कोककर कोयला आयात कर रही है।

गोंडा और बंगलौर में डिजिटल "स्विचिंग" कारखानों के लिए प्रौद्योगिकी का आयात

1578. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोंडा और बंगलौर में स्थापित किए जाने वाली "डिजिटल स्विचिंग कारखानों के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने का निर्णय किया है यद्यपि स्वदेशी पुर्जा निर्माता इन वस्तुओं का निर्माण करने में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो प्रौद्योगिकी का आयात किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्वदेशी पुर्जा निर्माताओं के साथ इस मामले पर विचार विमर्श के पश्चात् इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हाँ। सरकार ने अंकीय स्विचन उपस्कर के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने का निर्णय किया है। सरकार ने भारतीय टेलीफोन उद्योग को कनेक्टर्स, रिले, संकर परिपथ, मुद्रित परिपथ बोर्डों ट्रांसफार्मरों तथा क्वाइल आदि जैसे कुछ किस्म के इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों का स्वयं भारतीय टेलीफोन उद्योग की गोंडा स्थित यूनिट में आंतरिक विनिर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ख) सरकार ने इन संघटक-पुर्जों के आन्तरिक विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने से सम्बन्धित भारतीय टेलीफोन उद्योग के प्रस्ताव को मुख्यतः दो कारणों से स्वीकार किया है। पहला तो यह कि यह महसूस किया गया कि इन संघटक-पुर्जों के विनिर्माण के लिए स्वदेशी उत्पादन का आधार इतना पर्याप्त नहीं हो सकेगा जो अंकीय स्विचन उपस्कर विनिर्माण कार्यक्रम के फलस्वरूप इन संघटक-पुर्जों की बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ने वाली मांग को पूरा कर सके। दूसरा यह कि इस बात का भी सुनिश्चय करना आवश्यक है कि ये संघटक-पुर्जे अपेक्षित गुणवत्ता के स्तर के बनाए जाएं क्योंकि ऐसे इलेक्टानिक स्विजन उपस्कर में एक्सचेंज की गुणवत्ता इसमें प्रयुक्त होने वाले संघटक-पुर्जों की गुणवत्ता पर बहुत अधिक निर्भर है।

(ग) तथा (घ) सरकार ने इस मामले में हमारे देश के संघटक-पुर्जा विनिर्माताओं के साथ अनेक मचों पर विचार-विमर्श किया जिनमें इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा अप्रैल, 1984 में आयोजित संगोष्ठी शामिल है। ऐसे विचार-विमर्शों के आधार पर सरकार ऐसे अति विशिष्ट संघटक-पुर्जों का उपस्कर-विनिर्माण संयंत्रों, आदि में आन्तरिक उत्पादन के लिए तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए कुछ संघटक-पुर्जों की नई उत्पादन क्षमता स्थापित करने के प्रश्न पर काफी सतर्कता पूर्वक विचार करना चाहती है।

———

12.00 म०प०

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, सारे देश में हरिजनों के साथ अत्याचार और कत्ल वगैरह सब कुछ हो रहा है। एक कमीशन मुकर्रर हुआ था···

अध्यक्ष महोदय : बागड़ी जी,···

श्री मनीराम बागड़ी : मेरी पूरी बात सुन लें और लड़ना हो तो लड़ लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्यों लड़ूं और काहे को सुनूं ?

(व्यवधान)

श्री सूरजभान (अम्बाला) : हरिजनों के प्रश्न पर कोई बहस नहीं है : जब से यह सरकार बनी है, कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस नहीं हुई है, पौने पांच साल हो गए हैं और 3 साल से कमिश्नर भी नहीं आया है ।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागडी : यह हल्के से टालने वाली बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं हल्के से टाल नहीं रहा हूं । कल एडवाइजरी कमेटी में फैसला किया है,...

श्री मनीराम बागड़ी : एडवाईजरी कमेटी का फैसला यह हुआ है कि हरिजन कमीशन पर बहस न हो...

श्री हरीश कुमार गंभवार (पीलीभीत) : मैंने इस पर एक कालिंग अटेंशन नोटिस दिया है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : बहस नहीं होती है, रायबरेली पर एडजार्नमेंट मोशन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगर आप आज न बोलें तो क्या हर्ज है ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पढ़कर सुना दूं आपको ?

हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में यह है—

"समिति यह भी सिफारिश करती है..."

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई रुकावट नहीं डाली आपको बहस में । अब भी बहस के लिए जगह खाली है । इस पर भी तसल्ली नहीं होती तो इस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कशन करा लो । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप हैं, तय कर लें, मुझे क्या एतराज है ?

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब रोका है ? मैंने तो नहीं रोका इस बहस को ।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए, आप बिना मतलब अगर अपना समय जाया करना चाहते हैं तो कर लीजिए । मैंने आपको कह रखा है···

श्री मनीराम बागड़ी : आप बिना मतलब मत कहिये, यह सबसे ज्यादा मतलब की बात है···

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी मतलब की बात कर रहा हूं कि आप इस मतलब की बात पर बिना मतलब का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं ?

(व्यवधान) **

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक तो कल आपने यह तय किया है । अब आप क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम अलग-अलग डिसकशन चाहते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके और मेरे चाहने से नहीं होगा । सबके कानसेन्सस से होगा । हम हमेशा इसी तरह काम करते आ रहे हैं । आखिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी किस लिए बनी है ? उसमें आपोजीशन के भी मेम्बर हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका मेम्बर उसमें है । आपका वहां रिप्रेजेन्टेशन है । अगर आपका उपयोग न करना चाहें, तो मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने रोका नहीं है । कल मीटिंग में इसको रख लीजिए । मैं सहमत हूं । मैंने कब रोका है ? सरकार ने भी कभी मना नहीं किया है । हम सारे फैसले कानसेन्सस से करते हैं । जो कुछ आप लोग कहते हैं, वह हम करते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समझा नहीं सकता । आप बाद में समझ लें ।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

12.05 म०प०

सभा–पटल पर रखे गए पत्र

विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946, और विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : श्री वेंकटसुब्बय्या की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3क के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) विदेशियों विषयक (छूट) संशोधन आदेश, 1984, जो 13 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 441 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का० आ० 449 (अ), जो 16 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा विदेशियों विषयक (छूट) आदेश, 1957 को रद्द किया गया है।

(2) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 की धारा 6 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण (छूट) संशोधन आदेश, 1984, जो 13 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 442(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण (छूट) दूसरा संशोधन आदेश, 1984, जो 16 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 450(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8502/84]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1984, जो 28 जुलाई, 198- के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 786 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 1984, जो 28 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 787 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई : देखिए संख्या एल०टी० 8503/84]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : श्री जनार्दन पुजारी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 518 (अ), और 519 (अ), जो 19 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 1000 सी० सी० से अनधिक इंजन क्षमता की इंधन-मितव्ययी मोटर कार के विनिर्माण में मूल उपस्कर के रूप में प्रयोग करने हेतु 'साइड डो ग्लास' के विनिर्माण के लिए अपेक्षित 'फ्लोट ग्लास' को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल सीमा शुल्क और उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क तथा 15 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक उपसंगी सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

(दो) सा०का०नि० 526(अ), जो 20 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 32/83 —सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि 'फार्मिक एसिड' को इस अधिसूचना के प्रभाव-क्षेत्र से निकाला जा सके जिससे 'फार्मिक एसिड' पर मूल सीमा शुल्क को 100 प्रतिशत मूल्यानसार की सांविधिक दर तक बढ़ाया जा सके ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8504/84]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत, आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 24 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 527(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 8505/84]

———

प्रो० के०के० तिवारी (बक्सर) : एक बहुत ही अजीब स्थिति बन गई है। इस सभा के एक मानीय सदस्य, श्री जगन्नाथ कौशल जो विधि मन्त्री भी हैं, को आंध्र प्रदेश विधान सभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। आपने एक बार पहले यह विनिर्णय दिया था कि इस सभा के किसी सदस्य को अपने कार्य के निर्वहन के दौरान दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

———

12.06 म०प०

राज्य सभा से संदेश

महा सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेश को सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 31 जुलाई, 1984 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 23 जुलाई, 1984 को पारित किए गये, विद्युत (आपूर्ति) संशोधन विधेयक 1984 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

———

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ड्राउट हो गया है···

अध्यक्ष महोदय : उसमें यह भी तय हुआ था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : वहां पर ड्राउट हो गया है, नहरों में पानी नहीं है, ट्यूबवैलों में बिजली नहीं है। इसमें आप क्या तय करवा रहे हैं ? धान की फसल नहीं बोई गई है।

अध्यक्ष महोदय आप अपने नमायंदे से पूछ लीजिए। इस पर भी बहस हो रही है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : बहस तो बाद में होगी। आप सरकार से कहें कि वह ट्यूबवैलों की बिजली फौरन चालू करवा दे।

(व्यवधान)

श्री इब्राहीम सलेमान सेट (मंजेरी) : जनाब, आपने वादा किया था कि पंजाब

और जम्मू-काश्मीर के बाद भिवंडी के फसादात पर डिसकशन होगा। लेकिन वह नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप रिपोर्ट को पढ़ लेते। वह भी आ रहा है।

(व्यवधान)

12 09 म०प०

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

78वां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 78वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.09-1/2 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

64वां प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 31 जुलाई, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 64वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं चलेगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : एक-एक मिनट सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह बात गलत है। आप बकार की बातें कर रहे हैं। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)††...

अध्यक्ष महोदय : अखबार में तो रोज छपता है। आप कोई चीज मुझे लिख कर दीजिए। ऐसे गाड़ी नहीं चल सकती है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं पूछ सकते। यह नियमों के विरुद्ध है। ये श्रीमान् बिना जरूरत के दुर्व्यवहार कर रहे हैं।

---

†† कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैंने बताया आप अनर्गल बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)††...

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कार्य सूची के बारे में हम में से कुछ सदस्यों ने संसदीय कार्य मन्त्री से कल बात की थी। वह बात वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में है। हमने अनुरोध किया था कि इसे कुछ सप्ताह तक विलम्बित किया जाए। हम में से बहुत सदस्य यहां नहीं हैं। इसको अध्ययन करने के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा आपके मतानुसार करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गंगवार जी, अब आप गलत बात कर रहे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आप सब की सुन रहे हैं मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस लिए कह रहा हूं कि आप मेरे विचाराधीन हैं। अगर ठीक होगा तो कर लूंगा। आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : सब कह रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं कहने दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप कानून के अधिकार से नहीं कह सकते जो आप कहना चाहते हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : ये सब लोग जो कह रहे हैं वह कानून के अधिकार से कह रहे हैं जिनको आप ने एलाऊ किया है ?

अध्यक्ष महोदय : बिलकुल एलाऊ नहीं किया। श्री शास्त्री ने जो कुछ भी कहा है, उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के बारे में...

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप से अर्ज कर दिया, विनती कर दी...

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार : अच्छा, तो मैं खड़ा रहूंगा जब तक आप बोलने नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : जरूर खड़े रहिए। जब मैं कह रहा हूं कि मेरे विचाराधीन है, मैं सुन लूंगा, मैं कर दूंगा तो बिना वजह आप खड़े हैं।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप का ठीक ढंग से मैं पेश करूंगा तब आप कहेंगे। आपने जो

†† कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिया है उस पर मैं विचार करूंगा । और आप क्या कहना चाहते हैं ? बिना वजह आप यह धींगामुश्ती कर रहे हैं । मैं हाथ जोड़कर कहता हूं तो समझ में नहीं आती है बात और कानून की रू से कहता हूं तब समझ में नहीं आती है । मैं क्या करूं ?

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, उत्तर भारत में गन्ने की फसल में···

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए । मैं करवा दूंगा ।

श्री राम लाल राही : जो कीड़े गन्ने में लग गए हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप की बात सही हो सकती है । लेकिन ऐसे नहीं चलेगा । आप लिखकर दे दीजिए, मैं करवा दूंगा ।

···(व्यवधान)††···

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है । आप बिना जरूरत के सारी बात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं । यह बहुत बुरी आदत है । मैं आपकी सहायता करने की कोशिश में हूं और आप सारी बात बिगाड़ने की कोशिश करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब इन भले आदमी को कौन समझाए ? मैंने आपसे कहा कि आप लिखकर दीजिए, मैं करवा दूंगा ।

श्री राम लाल राही : धन्यवाद ।

(व्यवधान)

श्री राम लाल राही : आप किसान की बात ध्यान से सुनते हैं, इसलिए मैंने कहा ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय :

कि इस रूप भेद के अध्यधीन, पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

समिति यह सिफारिश भी करती है कि नियम 193 के अन्तर्गत आगामी सप्ताह के दौरान (1) साम्प्रदायिक दंगों और (2) हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों पर अत्याचारों सम्बन्धी दो विषयों पर पृथक-पृथक चर्चा की जाए ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए कि इस रूप भेद के अध्यधीन, कि निम्नलिखित के लिए निर्धारित समय—

†† कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(एक) पंजाब राज्य की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की मांगों सम्बन्धी चर्चा तथा मतदान का समय बढ़ा कर एक घण्टे से दो घण्टे किया जाए, तथा

(दो) वित्त आयोग के आठवें प्रतिवेदन तथा उस पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन, जिसे, 24 जुलाई, 1984 को सभा-पटल पर रखा गया, सम्बन्धी चर्चा का समय बढ़ा कर 6 घण्टे से 10 घण्टे किया जाए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सिफारिश की है कि साम्प्रदायिक दंगों और हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों पर अत्याचारों के बारे में नियम 183 के अन्तगत एक साथ अगले सप्ताह चर्चा की जाए। मेरा इतना ही आग्रह है—जैसा कि मैंने और सूरजभान जी ने लिखकर भी दिया था—कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का मामला अलग है और कम्युनल रायट्स का मामला अलग है। इन पर डिस्कशन का आपस में कोई सम्बन्ध नही है। यदि खानापुरी ही करनी हो कि बहस हो गई तो फिर मुझे कुछ भी कहना नहीं है लेकिन अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि सदन के समय का सदुपयोग हो और डिस्कशन का कुछ रिजल्ट निकले तो मेरा आग्रह है, बी०ए०सी० के सदस्यों से भी मेरा आग्रह है—उनकी नीयत पर मै कोई दोषारोपण नहीं करता, समयाभाव के कारण उन्होंने दोनों विषयों को एक साथ क्लब कर दिया है—यह हरिजन आदिवासियों का जो मामला है इस पर कमीशन की रिपोर्ट के साथ अलग से चर्चा आप करवा दें और कम्युनल रायट्स पर आप अलग से चर्चा करवाएं। यही मेरा संशोधन है जिससे सदन के अन्य सदस्य भी अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष जी, इस पर संशोधन देने की विशेषता तो डा० स्वामी की रही है लेकिन मैं भी संशोधन दे रहा हूं, मेरा निवेदन यह है कि कुछ अनुपात तो होना ही चाहिए। आपने पांडिचेरी के बजट पर एक घण्टे का समय रखा है और पंजाब के बजट के लिए भी एक घण्टे का समय दिया है। दोनों का क्या अनुपात है ? अभी-अभी हमने पंजाब के ऊपर विशेष चर्चा की है। इतना मूल्यांकन तो होना ही चाहिए कि वहां पर जो पग उठाए गए हैं और जो उपाय किए गए हैं उनका क्या परिणाम निकला है और हिन्दू-सिख के बीच सद्भाव कैसे कायम होगा—इन बातों पर यहां चर्चा होनी ही चाहिए पंजाब के बजट के अवसर पर, इसलिए पंजाब के बजट के लिए अधिक समय रखा जाना चाहिए। एक संशोधन तो मैंने इस सम्बन्ध में दिया है।

मेरा दूसरा संशोधन वित्त आयोग पर चर्चा के सम्बन्ध में है। मेरे विचार से वित्त आयोग पर चर्चा करते समय हमें कई बातों पर विशेष रूप से विचार करना होगा। राज्यों को ओवर ड्राफ्टों के सम्बन्ध में ऋण राहत का सुझाव देने में आधारभूत उपाय सुझाने, आयोग के पांचवें वर्ष का सातवीं योजना अवधि के साथ तालमेल नहीं बिठाने के कारण केन्द्र और राज्यों को अपने-अपने योजना संसाधनों की जानकारी नहीं होना तथा

संघ सरकार राजस्व अंशों और सहायता अनुदान के सम्बन्ध में आयोग के प्रतिवेदन को एक पचाट के रूप में मानने के स्वीकृत सिद्धान्त का पालन करने की आवश्यकता आदि पर चर्चा के लिए 6 घण्टे का समय अपर्याप्त है। आप पहले जो समय रखते हैं चर्चा के लिए उसको फिर बाद में बढ़ाना पड़ता है तो आप पहले ही 10 घण्टे की चर्चा चलाने की बात को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं। यही मेरा संशोधन और निवेदन भी है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : अध्यक्ष जी, बिजनेस एडवाईजरी कमेटी ने यूनानिमसली तय किया था कि इन दोनों विषयों को एक साथ लिया जाए। पासवान जी की भावनाओं को मैं समझता हूं लेकिन बी०ए०सी० में यह यूनानिमसली तय हुआ था कि इनको इकठ्ठा लिया जाए। सवाल समय का ही है। फिर भी पासवान जी ने जो कुछ कहा है उसको मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पास कम्युनिकेट कर दूंगा।

इसी प्रकार से प्रो० मेहता जी ने जो कहा है उसमें भी सवाल समय का ही है। सभी के कन्सेन्सस से यह समय तय किया गया है। उनकी भावनाओं को भी मैं वहां तक पहुंचा दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, सात तारीख का डिस्कशन तो तय हो ही चुका है। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक अगले सप्ताह ही हो पायेगी इसलिए जो नियत समय है उस दिन आप कम से कम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के सम्बन्ध में डिस्कशन करवा ही दीजिए। कहीं ऐसा न हो जाए कि मांगने के लिए गए थे दो चीजें और मिली एक भी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही तय करेगी।

श्री राम विलास पासवान : मेरा निवेदन है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का डिस्कशन तो आप 7 तारीख को करवा ही दीजिए और कम्युनल रायट्स पर डिस्कशन कब होगा उसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अगली मीटिंग में तय कर लिया जाए।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम कैसे कर सकते हैं ? हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं।

श्री राम विलास पासवान : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अगली बैठक कब होगी ?

अध्यक्ष महोदय : एक तो कल ही हुई है, अगले सप्ताह फिर होगी।

श्री राम विलास पासवान : इसका मतलब यह है कि फिर 7 तारीख को डिस्कशन नहीं हो पायेगा।

अध्यक्ष महोदय : डिस्कशन हो रहा है। आप पढ़िये तो पता लगेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : दोनों विषय एक साथ मिले हुए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नेवस्ट-वीक शार्टेज आफ टाइम की वजह से सारा सामने रखा है।

श्री राम विलास पासवान : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मामला जायेगा, तो डिसकशन कैसे होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, इसको अलग-अलग कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : टाइम नहीं है, वाजपेयी जी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : टाइम नहीं है, तो टाइम निकालना पड़ेगा। दोनों विषयों पर एक साथ बहस न्याय करेगी। आप साम्प्रदायिक दंगे पहले ले लीजिए, फिर बाद में जनजातियों का मामला आ जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : कहने को बात तो उतनी है। मेरे ख्याल में सारा फैसला सोच समझ कर किया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को मामला मत सौंपा करो।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं तो उसमें साथ था। लेकिन अध्यक्ष जी यह बहुत जरूरी है।***(व्यवधान)***समय कम होने की वजह से मजबूरी में है।***(व्यवधान)***

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, सन 1952 से लेकर इस पार्लियामेंट में ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप एक गई खतरनाक परम्परा जोड़ने जा रहे हैं। आप शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स व काम्यूनल रायट्स पर बहस, दोनों को समान कर रहे हैं। ***(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : उचित समझा गया। यह कैसे हो सकता है कि श्री राम विलास पासवान हमेशा ठीक हैं और अन्य गलत हैं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप उस पर अलग बहस करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : आपकी कमेटी में सारा तय किया है। सोच-समझकर किया है।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : कम्बाइन्ड डिबेट कराने का क्या मतलब है।...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के समक्ष रखूंगा। मैं श्री राम विलास पासवान के संशोधन को मतदान के लिए रखूंगा।

श्री राम विलास पासवान : आप इस सम्बन्ध में एक अलग से बैठक बुला लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीन सदस्य : आप इस पर बोट मत करवाइए। (**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : जो बिसनेस एडवाइजरी कमेटी में आया है, मैं उसको शिरोधार्य करता हूं। आप वह भी नहीं चलने देंगे तो मैं कहां जाऊं। किसको कहूं, यह माने या न माने। हाउस को कहूं।

श्री राम विलास पासवान : हाउस को कहिए। ...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे मतदान के लिए रख रहा हूं।

...(**व्यवधान**)...

श्री राम विलास पासवान : ऐसा गलत काम आज तक नहीं हुआ है। आप अध्यक्ष हैं आप चेयर पर हैं, यदि ऐसी गलत परम्परा होगी तो आपके नाम से इसका उल्लेख हमेशा किया जायेगा। (**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता यह गलत क्यों हैं।

श्री राम विलास पासवान : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है और आप ही चेयरमैन हैं। ...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

श्री राम विलास पासवान : तमाम वरिष्ठ नेता यहां पर बैठे हुए हैं। आप उन नेताओं की राय ले लें। आज तक के इतिहास में ऐसा नही हुआ कि शैड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का डिसकशन साथ हुआ हो। (...**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री राम विलास पासवान द्वारा रखे गए संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव में—अन्त में निम्नलिखित जोडा जाए" :—

"रूप भेद के अध्यधीन, पैरा—3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

"समिति यह भी सिफारिश करती है कि नियम 193 के अन्तर्गत (i)

साम्प्रदायिक दंगों, (ii) हरिजनों और पिछड़े वर्गों पर अत्याचार इन दो विषयों पर अगले सप्ताह अलग-अलग चर्चा कराई जाए।"

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, मैं नम्रतापूर्वक यह अनुरोध करता हूं कि आप कृपया मत विभाजन के आदेश को वापस लें और पुनरीक्षा करें। हम कार्य मन्त्रणा समिति के प्रतिवेदन पर मत—विभाजन नहीं चाहते हैं। इस मामले पर कार्य मन्त्रणा समिति में विचार किया जाएगा। महोदय, आप उस आदेश को वापस ले लीजिए और मत—विभाजन रद्द कीजिए। यह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं आना चाहिए। (व्यवधान) महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी थी। किसी गलतफहमी की वजह से ऐसा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न है। जब किसी कार्य के लिए दीर्घाएं खाली की गई हैं तो हम अपना निर्णय वापस ले सकते हैं। परन्तु जब हमने किसी उद्देश्य विशेष के लिए दीर्घाएं खाली करवाई है तो हमें उनका दृष्टिकोण अवश्य ही जान लेना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : परन्तु आपको 'मत विभाजन' कहना होगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वह विचाराधीन नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : सदस्य यहां आए हैं। प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत आपको यह प्रश्न पूछना पड़ेगा कि मत—विभाजन कराया जाए या नहीं। यदि इस समय भी सदस्य पुनः मत विभाजन का आग्रह करते हैं तब नियमों के अनुसार आपको मत विभाजन के लिए आदेश देना पड़ेगा। परन्तु मान लीजिए आप प्रश्न पूछते हैं और हम इस पर सहमत हो जाते हैं कि मत विभाजन नहीं होना चाहिए तो महोदय, यह उचित नहीं है। सरकार सहमत है और हम सहमत हैं। आप कृपया सारे मामले पर पुनः विचार कीजिए। मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि आप कृपया मत विभाजन के अपने आदेश को वापस ले लेंगे। हम इसके लिए आग्रह नहीं करते हैं। दूसरी ओर बैठे सदस्य भी इसके लिए आग्रह नहीं करेंगे। हम इस सारे मामले पर कार्य मन्त्रणा समिति में पुनः विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव में—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"रूप भेद के अध्यधीन पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"समिति यह भी सिफारिश करती है कि नियम 193 के अन्तर्गत (i) साम्प्रदायिक दंगों (ii) हरिजनों और पिछड़े वर्गों पर अत्याचार इन दो विषयों पर अगले सप्ताह अलग-अलग चर्चा कराई जाए।"

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले को पुनः कार्य मन्त्रणा समिति के पास भेजा जाए और मत विभाजन की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे यह समझता हूं कि श्री राम विलास पासवान और अजित कुमार मेहता अपने संशोधन वापस ले रहे हैं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

श्री एच०के०एल० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव में "प्रतिवेदन से सहमत है" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"प्रतिवेदन से इस रूप भेद के अध्यधीन सहमत है कि प्रतिवेदन का पैरा संख्या 3 समिति को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि प्रस्ताव में "प्रतिवेदन से सहमत है" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।"

"प्रतिवेदन से इस रूप भेद के अध्यधीन सहमत है कि प्रतिवेदन का पैरा संख्या 3 समिति को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : मैं अब यथा संशोधित प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 31 जुलाई, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 64वें प्रतिवेदन से इस रूप भेद के अध्यधीन सहमत है कि प्रतिवेदन का पैरा संख्या 3 समिति को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

12.33 म०प०

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) की नीति–पत्र के बारे में चर्चा

अध्यक्ष महोदय : योजना मन्त्री श्री प्रकाश चन्द्र सेठी ने निम्नलिखित सूचना दी है :

"कि यह सभा 30 जुलाई, 1984 को सभा-पटल पर रखे गए 'सातवीं पंचवर्षीय योजना का नीति-पत्र 1985-90' पर विचार करती है।"

मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और एक विशेष मामले के रूप में उन्हें आज ही प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है। वह आज केवल प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे लेकिन इस पर चर्चा बाद में होगी।

योजना मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि यह सभा 30 जुलाई, 1984 को सभा पटल पर रखे गए 'सातवीं पच-वर्षीय योजना का नीति-पत्र 1985-90' पर विचार करती है।

———

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे। प्रो० अजित कुमार मेहता।

12.34 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिरसा भगवान की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की आवश्यकता

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, विद्वज्जनों, निस्पृह समाज सेवियों, राष्ट्रीय नेताओं, बहादुरों एवं स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की भारतीय डाक-तार विभाग की परम्परा रही है परन्तु उसका ध्यान अनजाने वन्य प्रदेश के अंधकार में रहकर देश और समाज के हित में अपना जीवन बलिदान करने वाले वीर बिरसा भगवान की ओर नहीं गया है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि छोटा नागपुर के गिरिजनों के बीच उनका नाम भगवान कह कर बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है और यहां के लोक गीतों में उनको याद किया जाता है।

बिहार राज्य में छोटा नागपुर के उलीहातु गांव में बिरसा भगवान का जन्म 15-11-1874 में हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा बरजू जर्मन स्कूल में हुई तथा वह 1866

से 1890 तक चाईबासा जर्मन मिशन स्कूल में रहे। उन्होंने छोटा नागपुर के प्रसिद्ध भूमि आन्दोलन में भाग लिया। कहा जाता है कि उनके इसाई धर्म स्वीकार करने पर उनका क्रिश्चयन नाम दाउद तथा उनके पिता का मसीह दास रखा गया किन्तु उनको मिशन के तौर तरीके पसन्द नहीं आये और वह फिर अपने पुराने धर्म में लौट आए। आनन्द गांव के आनन्द पाण्डे से वैष्णव धर्म की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने गोवद्ध के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया।

उन्होंने जनजाति में राजनैतिक चेतना का संचार कर 1899 में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जिसकी आग सारे वन प्रदेश में फैल गई। रांची के कमिश्नर एच०सी० स्ट्रीटफील्ड और केमस्केम रोज इसे निर्दयतापूर्वक कुचलने मे असमर्थ रहे। 15-12-1899 को सेरलकब पहाड़ी पर मुंडा लोगों की गुप्त बैठक पर भारी हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना और पुलिस ने हमला कर दिया। जन-जाति के वीरों ने अपने परम्परागत हथियार, तीर कमान से उनका मुकाबला किया। इसमें औरतों बच्चों समेत बहुत से लोग मारे गए। फरवरी, 1900 को बिरसा भगवान को गिरफ्तार कर चुटिया जेल में बन्द कर दिया गया जहां तरह-तरह की यन्त्रणा के कारण 9-6-1900 को उनकी मृत्यु हो गई।

सरकार से मेरी मांग है कि जनजाति के इस महान् और स्वतन्त्रता सेनानी के सम्मान में डाक टिकट जारी करे।

(दो) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्यविद्यालय, शिलांग में अध्यापन सम्बन्धी पदों में मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम के जनजातीय व्यक्तियों की प्रतिशतता बढ़ाने की आवश्यकता

श्री बाजूबन आर० खारलुखी (शिलांग) : महोदय, अन्य बातों के अतिरिक्त पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय की रोजगार नीति की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गयी समिति ने टिप्पणी की गई है कि अध्यापन सम्बन्धी पदों के तीन संवर्गों में मेघालय तथा नागालैण्ड और संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम से अर्हता-प्राप्त जनजातीय उम्मीदवारों की नियुक्ति बिलकुल नगण्य है।

12.36 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय की स्थापना, अन्य बातों के अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय लोगों की बौद्धिक प्रगति और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए की गई है। तथापि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी जनजातीय लोगों के खिलाफ भेदभाव की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। नियुक्ति के लिए नई दिल्ली में इंटरव्यू का आयोजन करने की वर्तमान पद्धति एक सुदृढ़ आधार है जिससे जनजातीय उम्मीदवारों के वैध दावों के प्रति विश्वविद्यालय की उदासीनता का संकेत मिलता है और विश्वविद्यालय के अध्यापन

व्यवसाय में आने के अवसर से उन्हें वंचित करने के लिए इस पद्धति को जान-बूझकर अपनाया गया समझा जा रहा है ।

सरकार को पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले मेघालय, नागालैंड और मिजोरम से जनजातीय उम्मीदवारों के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापन पदों में नियुक्ति करने सम्बन्ध में संशोधन करना चाहिए और तदनुसार प्रतिशतता में वृद्धि करना चाहिए ।

(तीन) डूंगरपुर-बांसवाड़ा तथा देश के अन्य भागों में "नहरुआ कृमि" के कारण एक बीमारी का बहुत फैल जाना

श्री भीखाभाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं निम्न-लिखित मामला उठाता हूं ।

देश के कुछ भागों में तथा विशेषकर दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर-बांसावाड़ा जिलों में "नहरुआ कृमि" के रूप में जाने जाने वाली बीमारी से होने वाली दर्दनाक पीड़ा का बहुत कम डाक्टरों को मालूम है ।

इसका प्रभाव भीतरी भाग में रहने वाले आदिवासियों में सर्वाधिक है । इसका मानव शरीर पर अपंग और अपाहिज करने वाला प्रभाव पड़ता है । पानी से उत्पन्न इस रोग से बहुत से लोग पीड़ित हैं जो इस देश में प्रचलित अन्य रोगों की तुलना में विशेष किस्म का है ।

यह धागे के समान कृमि है जो शरीर के प्रत्येक भाग पर असर डालता है और जब यह शरीर के किसी भाग के सधिस्थल में पहुंच जाता है तो इससे रोगियों का पंगु होना और अपाहिज होना निश्चित है । सर्वेक्षण से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न के दिए गए हाल के उत्तर में भी इस बीमारी को रोग सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया था । यह उष्ण-कटिबन्ध क्षेत्र की एक बीमारी है । इस बीमारी का प्रभाव जल के स्रोतों के दूषित और गंदा हो जाने पर अधिकतम हो जाता है । न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्रीय सरकार ने अब तक कोई अनुसंधान कार्य अथवा जांच-पड़ताल की है ।

सरकार द्वारा अथवा किन्हीं औषधि निर्माताओं द्वारा अब तक किसी विशिष्ट औषधि का आविष्कार अथवा निर्माण नहीं किया गया है । इस बीमारी के उन्मूलन के लिये सर्वेक्षण करने, अनुसंधान कार्य करने और विशिष्ट औषधि का पता लगाने के लिए तत्काल ध्यान देने की जरूरत है । दोनों निवारक और उपचारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना होगा और इस जघन्य खतरनाक बीमारी के उन्मूलन के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए ।

(चार) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को हिमाचल प्रदेश के छोटे पहाड़ी कस्बों में आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री कृष्ण दत्त सुल्तान पुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पूरे देश के राज्यों में आई०आर०डी० का प्रोग्राम हर विकास खण्ड में भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारें चला रही हैं। जिसमें वे सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। और हर विकास खण्ड में लगभग 600 (छः सौ) परिवारों को सुविधाए प्रदान की जाती हैं। मैं भारत सरकार का ध्यान उन लोगों की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि अधिक निर्धन हैं और हिमाचल के छोटे-छोटे नगरों में जहां कारपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी, और स्माल टाउन कमेटी के क्षेत्र में आते हैं, इन्हें किसी प्रकार की आई०आर०डी० द्वारा सुविधा प्रदान नहीं है। और ये लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं इस प्रभावशाली योजना से कोई भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग उक्त कमेटी क्षेत्रों की सीमा में आते हैं का सर्वेक्षण किया जाए और जो सुविधा ग्रामीण निर्धन लोगों को प्राप्त है, उन्हें भी प्राप्त कराई जाए।

(पांच) सारनाथ मन्दिर के निकट अवैध रूप से बने हुए खोखों तथा दुकानों को हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के बौद्ध तीर्थ-स्थल सारनाथ (वाराणसी) उत्तर प्रदेश का सौन्दर्य एवं रमणीकता स्थानीय गुमटियों एव खोखों के कारण नष्ट एवं धूमिल हो रही है। विदेशी यात्रियों एवं पर्यटको से ये दूकानदार मनमाने ढंग से पैसा वसूल करके तथा अभद्र व्यवहार करके राष्ट्र की छबि को विदेशियों की दृष्टि में गिरा रहे हैं। सारनाथ के इस विश्वविख्यात स्थल का, हमारे राष्ट्र नायक स्वर्गीय प्रधान मत्री पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा लाखों रुपया व्यय करके दो हजार पांच सौवीं बुद्ध जयंती पर, उद्धार एवं सुन्दर कायाकल्प कराया गया है। आज भारत-भ्रमण पर आने वाले विदेशी पर्यटक, राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकारी शिष्ट मण्डल 95 प्रतिशत सारनाथ में आते हैं, जिससे हमारे देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और ये विदेशी पर्यटक भारत की प्राचीन संस्कृति एवं बौद्ध तीर्थ-स्थल को देखकर परम संतुष्ट होते हैं। इस स्थल पर राजकीय पथों एवं तीर्थ-स्थलों की सड़क के दोनों किनारे अवैध रूप से सैकड़ों गुमटियां और खोखों का निर्माण करके वहां की सुन्दरता को नष्ट किया जा रहा है और दूकानदार विदेशी पर्यटकों का बसों और कारों से उतरते ही बुरी तरह घेर कर नकली मूर्तियां और अन्य माल खरीदने को बाध्य करते हैं। नगर महापालिका और वाराणसी विकास प्राधिकरण का ध्यान इन अवैध गुमटियों को हटाने हेतु दिलाने पर वे मौन हैं और कोई प्रभावी कार्यवाही अमल में नहीं लाते।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की गम्भीरता को समझते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को तुरन्त निर्देश देकर सारनाथ से अवैध गुमटियों को हटवाए जिससे वहां की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा हो सके।

(छः) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुत बड़े भाग जैसे इटार ग्राम सब डिवीजन, मिदनापुर सब डिवीजन, सदर, खड़गपुर सब डिवीजन में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी है। भारतीय तेल निगम ने किसी से परामर्श किए बिना ही एकपक्षीय रूप से कोटा कम कर दिया है। इससे क्षेत्र के लोगों के लिए अचानक कठिनाई उत्पन्न हो गई है जो परम्परागत रूप से पिछड़ा क्षेत्र है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और क्षेत्र के लोगों की परिहार्य कठिनाई को दूर करने के लिए पुराने कोटे को बहाल करना चाहिए।

(सात) हनुमानगढ़ (राजस्थान) में 100 लाइन वाले एक टेलीफोन बोर्ड की व्यवस्था करने की मांग

श्री बीरबल (गंगानगर) : हनुमानगढ़ टाउन में पिछले दो वर्षों से सौ टेलीफोन लगाने का बोर्ड मंजूर हुआ पड़ा है। हर पल अधिकारीगण कोई न कोई बहाना कर बोर्ड नहीं आने की वजह से नए फोन नहीं दे रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन एक विकासशील कस्बा है जिसमें हर प्रकार के व्यवसाय, कारखाने और काश्तकार हैं तथा और भी जनता के द्वारा टेलीफोन की मांग चलती ही रहती है। करीब 80 लोग तो पिछले दो वर्षों से प्रतीक्षा सूची में रुपये जमा कर बोर्ड लगने की इंतजार में हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए अनरल मैनेजर, टेलीफोन्स, राजस्थान, जयपुर को आदेश देकर जल्द से जल्द सौ लाईन का एक बोर्ड हनुमानगढ़ में भिजवाने की व्यस्था करें। इसके साथ-साथ मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप राजस्थान के जनरल मैनेजर टेलीफोन्स महोदय से पिछले दो वर्षों से मंजूर-शुदा बोर्ड के न लगने की जांच करवाने की कृपा करें।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सचार मंत्री की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

(आठ) केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों के प्रस्तावित आन्दोलन को रोकने हेतु उनके साथ तुरन्त बातचीत करने की आवश्यकता

श्री अजित नाग (सीरमपुर) : पूरे देश में फैले 500 केन्द्रीय विद्यालयों के 25 हजार अध्यापकों की शिकायतें लम्बे समय से चली आ रही है। अब 9 अगस्त, 1984 से इन अध्यापकों ने आल इण्डिया केन्द्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में निर्णय

किया है कि एक आन्दोलन चलाया जाए जिसे कि पहले इस आशा से स्थगित कर दिया गया था कि बातचीत द्वारा समस्या हल हो जायेगी।

ये केन्द्रीय विद्यालय अखिल भारतीय स्थानांतरण वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन कर्मचारियों में असैनिक तथा रक्षा कर्मियों के अतिरिक्त यायावर जन संख्या के विभिन्न वर्ग शामिल हैं तथा इन विद्यालयों के द्रुतगामी गुणात्मक तथा परिणात्मक विकास का अधिकांश श्रेय मुख्यतः अध्यापकों को जाता है। तथापि, यह विडम्बना ही है कि उनकी उचित मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। वे पिछले तीन वर्षों से अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को विभिन्न शांतिपूर्ण आन्दोलनों जैसे कि क्रमिक भूख हड़ताल, सामूहिक आकस्मिक अवकाश, रैलियों, ज्ञापन देना आदि, द्वारा व्यक्त करते रहे हैं, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी एक मुख्य मांग यह है कि केन्द्रीय सेवाओं की भांति उनके लिए भी सामूहिक करार हेतु एक संयुक्त परामर्शदात्री पद्धति आरम्भ की जाए। अन्य उचित मांग यह है कि उनके वेतन संघ शासित प्रदेश दिल्ली आदि के अध्यापकों के समकक्ष होने चाहिए।

माननीय शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री तुरन्त हस्तक्षेप करें तथा केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों की मांगों पर समझौते के लिए बातचीत आरम्भ कराएं ताकि प्रस्तावित आन्दोलन न हो।

(नौ) विदर्भ (महाराष्ट्र) में प्रस्तावित रेल माल डिब्बा तथा सवारी डिब्बा निर्माण कारखाने की स्थापना

श्री विलास मुत्तमवार (चिमूर) : महाराष्ट्र सरकार ने एकमत होकर रेलवे मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि प्रस्तावित रेलवे वैगन एव कोच फैक्ट्री का निर्माण विदर्भ क्षेत्र में किया जाए। योजना आयोग ने बहुत पहले इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही नागपुर के बुटीबोरी एवं वर्धा के पुलगाव क्षेत्रों का रेल अधिकारियों और "राईटस संस्था" द्वारा सर्वे किया जा चुका है। यह दोनों ही स्थान इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है। यदि केन्द्र सरकार चाहती हो कि वह नो-इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट में इसका निर्माण करेगी तो विदर्भ में ही गड़चिरोली महाराष्ट्र का एकमेव नो-इंडस्ट्री जिला है तथा आदिवासी और पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर इसका निर्माण करें। दांडेकर समिति, जो बैकलाग का मूल्यमापन करने के लिए आयी थी, उसने भी विदर्भ में औद्योगिक बैकलाग होने की बात को स्वीकारा है।

विदर्भ क्षेत्र में रेलवे वैगन एंड कोच फैक्ट्री का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ कराया जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से सभी सहुलियत देने के आश्वासन के बाद भी घोषणा न होने से वहां की जनता को आशका है कि उक्त कारखाना किसी अन्य राज्य को न ले जाया जाया जाए। मैं, रेल मन्त्री जी से अनुरोध करूगा कि वह इस बारे में सदन में घोषणा करें कि उक्त रेलवे वैगन एंड कोच कारखाना कब से कार्य प्रारम्भ कर

देगा और किस जगह लगाया जायेगा । इस विषय को लेकर विदर्भ की जनता में उत्सुकता व्याप्त है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनकी भावनाओं का आदर करें ।

(दस) जम्मू और काश्मीर का औद्योगिक विकास

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह जम्मू एवं काश्मीर राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करे । यह राज्य औद्योगिक दृष्टि से इसलिए पिछड़ा हुआ है कि केन्द्र सरकार ने राज्य के विकास के लिए पर्याप्त धन-राशि मुहैय्या नहीं की । शालतेंग, श्रीनगर में एच०एम०टी० की एक इकाई के अलावा केन्द्र सरकार ने राज्य में शायद ही कोई औद्योगिक इकाई स्थापित की हो । राज्य में बड़ी मात्रा में विकास सम्बन्धी संसाधन क्षमता है, लेकिन इसका राज्य के विकास के लिए उपयोग नहीं हुआ है ।

ऐसी धारणा है कि केन्द्र सरकार जम्मू एवं काश्मीर राज्य में उन क्षेत्रों के लिए धन-राशि उपलब्ध कराने पर विचार करेगी, जिनके लिए वह पहले सहायता देने के लिये तैयार नहीं थीं ।

केन्द्र सरकार को एक ऐसी आर्थिक नीति तैयार करनी चाहिए जिससे जम्मू एव काश्मीर राज्य का औद्योगिक दृष्टि से तथा अन्य दृष्टि से विकास हो, चाहे वहां किसी भी दल की सरकार हो ।

(ग्यारह) कोल इंडिया लिमिटेड के प्राधिकारियों की श्रमिक विरोधी नीति

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं कोयला उद्योग में श्रमिकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित बयान देता हूं—

भारतवर्ष के कोयला उद्योग में ज्वाइंट बाइपरटाइट कमेटी आफ कोल इंडस्ट्री द्वारा हुए समझोते दिनाँक 1 नवम्बर, 19 4 के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लागू न करने के कारण 4 एवं 5 जून, 1984 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई, जिसके प्रतिशोध-स्वरूप कोल इण्डिया लिमिटेड ने सभी अस्थायी कोयला श्रमिकों को सेवा-मुक्त कर दिया । इसके अतिरिक्त स्थायी कोयला श्रमिकों को "स्थानांतरण", "निलबन", "नौकरी में खण्ड" (ब्रेक इन सर्विस) आदि की एकतरफा कार्यवाही की ।

भारतवर्ष के सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों ने, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् ही उपरोक्त हड़ताल का आह्वान किया था, किन्तु कोल इण्डिया लिमिटेड का फरमान जारी हुआ कि हड़ताल गैर-कानूनी है, जब कि कलकत्ता एवं जबलपुर उच्च न्यायालयों ने निर्णय (स्टे) दिया कि कोयला श्रमिकों का आठ दिन का वेतन न काटा जाए एवं अस्थायी श्रमिकों को सेवामुक्त न किया जाए ।

मेरा शासन से अनुरोध है कि कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जो कार्यवाही की जा

रही है, उसे अविलम्ब समाप्त करने के आदेश प्रसारित कर देश भर में फैले लाखों कोयला श्रमिकों को न्याय दिया जाए।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : महोदय, मुझे एक मुद्दा उठाना है···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने नियम 377 के अधीन कोई पूर्व सूचना दी है ?

श्री राम प्यारे पनिका : नहीं, श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन ? इस समय सदन में किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। यदि आप ऐसे रिक्त समय में कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं, तो आपको अध्यक्षपीठ की अनुमति लेनी होगी। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। जो कुछ भी मुद्दा आप उठाना चाहते हैं वह आप लिखित रूप में दीजिए, और तदुपरान्त अध्यक्षपीठ की अनुमति से आप इसे उठा सकते हैं।

अब हम विधायी कार्य लेते हैं।

12.54 म०प०

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1984

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : श्री वीरेन्द्र पाटिल की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों को बीमारी, प्रसूति तथा रोजगार के दौरान हुई क्षति जैसी मान्य आकस्मिकताओं में कर्मचारियों को नकद लाभ दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बीमा शुदा व्यक्ति तथा उसके परिवार को वास्तविक चिकित्सा के रूप में चिकित्सा लाभ भी दिया जाता है। यह अधिनियम, जो आरम्भ में ऐसी बारहमासी फैक्ट्रियों पर लागू था जिनमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हों तथा जो निर्माण प्रक्रिया में विद्युत का प्रयोग करती हों, अब शनैः शनैः, क्षेत्र-वार कुछ नए वर्गों के प्रतिष्ठानों पर भी लागू किया जा रहा है। 31-12-1983 को इस अधिनियम के अन्तर्गत देश के 486 केन्द्रों के लगभग 63 लाख कर्मचारी थे। परिवार के सदस्यों को मिलाकर लाभभोगियों की कुल संख्या लगभग 2.81 करोड़ है।

अधिनियम में पिछली बार 1975 में संशोधन किया गया था। उसके बाद अधिनियम के उपबन्धों की कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जो कि एक त्रिपक्षीय निकाय है की एक उप समिति ने समीक्षा की थी और संशोधन के लिए कई सिफारिशें की थीं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के काम-काज की भी 'इन्टक' के श्री वी०आर० होशिंग की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने समीक्षा की है और इस समिति ने भी अधिनियम में संशोधन करने के लिए कई सिफारिशें की हैं। इन दो समितियों की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक विधेयक की आवश्यकता है, जिसका प्रारूप तैयार करने में कुछ समय लगेगा। इसी बीच, मैं कुछ तात्कालिक प्रकृति के प्रस्ताव अधिनियम के लिए आपके सम्मुख रख रहा हूं।

इस समय अधिनियम की व्याप्ति उन कर्मचारियों तक सीमित है, जिनका वेतन 1000 रुपए प्रति मास से अधिक नहीं है। विभिन्न उद्योगों में वर्तमान वेतन स्तर के संदर्भ में यह सीमा बहुत कम लगती है। अब स्थिति और भी बदतर हो गई है क्योंकि वेतन में और वृद्धि की जा रही है। ऐसे भी उदाहरण है जहाँ एक फैक्ट्री में कार्यरत अधिकांश श्रमिक अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं और इसके बहुमूल्य लाभों से वंचित हैं। अतएव, कर्मचारी संघ इस अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए वेतन सीमा को बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने यह सिफारिश की है कि फिलहाल वेतन सीमा बढ़ाकर 1600 रुपए कर दी जाए। तदनुसार, यह प्रस्ताव है कि अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए वेतन सीमा प्रति मास 1000 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दी जाए। इसके अन्तर्गत लाने के लिए वेतन सीमा, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 तथा उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत लाने की वेतन सीमा के समकक्ष हो जायेगी।

अधिनियम की धारा 39 में नियोजकों तथा कर्मचारियों द्वारा उस दर से अंशदान करने का उपबन्ध है जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। कर्मचारियों के अंशदान की वर्तमान दरें वेतन के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं तथा नियोजक का अंशदान कर्मचारी के अंशदान से ठीक दुगना है। अब यह प्रस्ताव है कि कर्मचारी के अंशदान से नियोजक के अंशदान में असबद्ध कर दिया जाए तथा वेतन की एक निश्चित प्रतिशतता की दर से नियोजक तथा कर्मचारी से अंशदान लेने का प्रावधान किया जाए। नियोजक के अंशदान की प्रस्तावित दर कर्मचारी के वेतन का 5 प्रतिशत होगी जबकि कर्मचारी का अंशदान उसके वेतन का 2.25 प्रतिशत होगा। प्रतिशतता के आधार पर अंशदान की वसूली के प्रस्तावित उपबन्ध से नियोजकों व कर्मचारी राज्य बीमा निगम दोनों का लिपिकीय कार्य कम हो जाएगा जिससे अंशदान की राशि का शीघ्र तथा सही निर्धारण करने में सहायता मिलेगी।

कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को राहत देने के उद्देश्य से विधेयक में कर्मचारियों

के अंशदान के भुगतान के लिए छूट की सीमा को 2 रुपए से नीचे से बढ़ाकर 6 रुपए प्रतिदिन से नीचे करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, जो कर्मचारी 6 रुपए प्रतिदिन से नीचे वेतन ले रहे हैं, उन्हें अधिनियम के अन्तर्गत कोई अंशदान जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम की तीसरी अनुसूचि में विनिर्दिष्ट व्यवसायिक रोगों की वर्तमान सूची के स्थान पर संशोधित तथा अधुनातन सूची लगाई जा रही है।

विधेयक में प्रस्तावित कुछ अन्य संशोधन इस प्रकार हैं :—

(1) अधिनियम में विनिर्दिष्ट अंशदान की इकाई 'सप्ताह' से बदल कर 'वेतन अवधि' की जा रही है। इस प्रकार, कर्मचारी के अंशदान की इकाई वह अवधि होगी जिसके लिए सामान्यत: वेतन देय है।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा पदों के सृजन के लिए वेतन सीमा 1200 रुपए के अधिकतम मासिक वेतन से बढ़ाकर 2250 रुपए की जा रही है।

(3) निगम द्वारा विनिमय बनाने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने तथा निगम द्वारा बनाए गए विनियमों को संसद के सम्मुख रखने के लिए प्रावधान किया जा रहा है।

संक्षेप में, इस विधेयक के द्वारा ये महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। प्रस्तावित संशोधन विवादरहित प्रकृति के हैं। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि सदस्य विधेयक का स्वागत करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, संशोधन के लिए कई और सिफारिशें भी हैं। इन सिफारिशों का समावेश करने के लिए हम शीघ्र एक व्यापक विधेयक लाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सदन के विचारार्थ रखता हूं।

1.00 म०प०

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) :-उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। राज्य मन्त्री जी ने अभी-अभी यहां कहा है कि आमतौर पर इसके बारे में कोई विवाद नहीं है किन्तु इसके साथ-साथ मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उन उपबंधों में संशोधन करने के लिए एवं व्यापक संशोधन पेश करने में देरी क्यों की जा रही है जिनके बारे में देश भर के केन्द्रीय कर्मचारी संघों ने आलोचना की है।

महोदय, घनराशि की अधिकतम सीमा बढ़ाकर अब 1600/ रुपये कर दी गई है। आमतौर पर मूल्यों में हुई वृद्धि के संदर्भ में जब हम कर्मचारी वर्ग के जीवन निर्वाह सूचकांक पर ध्यान देते हैं; तो यह राशि कम मालूम पड़ती है। अनेक उद्योगों में द्विपक्षीय माध्यम तथा अन्य साधनों से कर्मचारियों का वेतन 2,000/रु० से अथवा इससे भी अधिक हो गया है। इसलिये 1600/रुपये की राशि अधिक नहीं है। इसलिये, माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस राशि को बढ़ाकर कम-से-कम 2,000/- रुपये कर दिया जाए।

महोदय, श्रमिकों और कर्मचारियों के अंशदान की राशि निगम के पास 400 करोड़ रुपए से अधिक की संचित हो गई है किन्तु इसके साथ ही अधिकांश अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाएं बहुत ही कम हैं। अनेक स्थानों में पर्याप्त स्थान नहीं है, पर्याप्त बिस्तर दवाइयां इत्यादि उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ तक कि आवश्यक संख्या में डाक्टरों की नियुक्ति नहीं की गयी हैं। सभी के सभी अस्पतालों में नाक-कान-गला विशेषज्ञों; चमड़ी विशेषज्ञों और कार्डिओग्राम विशेषज्ञों की आवश्यकता है किन्तु निगम कर्मचारी राज्य-बीमा अस्पतालों में ऐसे डाक्टर नियुक्त करने का कोई उपाय नहीं कर रहा है ।

महोदय, अनेक घातक रोग यथा टी० बी० इत्यादि की चिकित्सा को जानी है किन्तु इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए जो राशि व्यय की जा रही है, वह पर्याप्त नही है। जब निगम के पास पर्याप्त धन है तो वह इतनी कंजूसी क्यों कर रहा है और इस राशि को श्रमिकों की भलाई के लिए क्यों नहीं खर्च कर रहा है ? कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रमिकों के हित के लिए आरम्भ की गई थी। यह भी समाज कल्याण के साधनों में से एक साधन है। इसका लम्बा इतिहास है। इस कल्याण कारी साधन की शुरूआत स्वतन्त्रा प्राप्ति से पहले, अंग्रेजों के राज्यकाल में, इस संबंध में इंगलैंड में बनाए गए कानून के अनुसरण में की गई थी। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के इसके कार्यकरण के ब्यौरे तथा इस विधेयक के उपबंधों पर ध्यान देने से पता चलता है सरकार ने बहुत अधिक कुछ नहीं किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत लगभग 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक ही श्रमिक समाहित हो पाते हैं। निर्माण कार्यों में लगे लाखों श्रमिक, लाखों नैमित्तिक श्रमिक वैधानिक तौर पर वे लोग नैमित्तिक श्रमिक है किन्तु वास्तव में वे लोग नैमित्तिक श्रमिक नहीं हैं—गत 10, 15, 20 और 25 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं। किन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत वे लोग नहीं आते हैं। यदि सरकार इन श्रमिकों के लिए समाज कल्याण उपाय लागू करके, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को उत्सुक हैं तो इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों के श्रमिकों को लाभ प्रदान करने में सरकार को हिचकिचाहट क्यों है ? मुझे नहीं मालूम कि इसके होछे क्या कारण है। सरकार का उद्देश्य, यथा संभव, देश के अधिकांश श्रमिकों को सुविधा प्रदान किये जाने में रुकावट डालने का है। सरकार का ऐसा कुटिल रवैया नहीं होना चाहिए। इस रवैए को बदलना होगा। निगम के गठन के अन्तर्गत, सभापति, उपसभापति, राज्य सरकार के 6 प्रतिनिधि, संघ और संघराज्य प्रदेशों से 20 या 21 प्रतिनिधि, कर्मचारियों की ओर से 5 प्रतिनिधि, श्रमिकों की ओर से 5 प्रतिनिधि संसद सदस्यों में से 3 प्रतिनिधि और महानिदेशक रखने का प्रावधान है इसलिए इससे यह स्पष्ट होता है कि श्रमिकों की ओर से केवल 5 प्रतिनिधि हैं। जब यह योजना चल ही रही है, तो मुझे नहीं मालूम कि सरकार सभी केन्द्रीय कर्मचारी संघों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इच्छुक क्यों नहीं है। केन्द्रीय कर्मचारी संघों ने सरकार को अनेक बार ज्ञापन दिए हैं और समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के दौरान भी, उन्होंने सभी संघों को प्रतिनिधित्व देने को कहा है। इसलिए माननीय मंत्री जी मेरा अनुरोध है कि सभी केन्द्रीय कर्मचारी संघों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कदम उठाए जाएं।

अब, सरकार क्या करती है ? वह अपनी इच्छानुसार कर्मचारी संघ के 5 प्रतिनिधि ले लेती है और चुन लेती है। वह श्रमिक वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है। इस प्रक्रिया को तुरत बदल देना चाहिए। इसी प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में कार्यरत डाक्टरों के वेतन को भी संशोधित किया जाना चाहिए। सामान्यत: कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में तैनात किए गए डाक्टर इन अस्पतालों में काम नहीं करना चाहते हैं। क्यों ? इसलिए कि वेतन बहुत कम है। इतना ही नहीं है वेतन कम होने के कारण वहां कुछ भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन डाक्टरों का वेतन बढ़ा दिया जाए ताकि डाक्टर स्वयेच्छा से आगे आएं और इन अस्पतालों में काम करें। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने चाहिए। उस स्थिति में ही डाक्टर कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में जाने को इच्छुक होंगे।

इसके अलावा, मेरी राय में कर्मचारियों से लिया जाने वाला अंशदान भी समाप्त किया जाना चाहिए। इस समय कर्मचारी का अंशदान अपनी वेतन का 2.25 प्रतिशत है, जबकि नियोक्ता का अंशदान 5 प्रतिशत है। यदि नियोक्त 5 प्रतिशत दे भी रहे हैं, फिर भी वे धन एकत्र कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं किन्तु कर्मचारियों को अपने अल्प वेतन में से इतना अंशदान करना पड़ता है। यदि यह कर्मचारी वर्ग के कल्याण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है तो श्रमिकों से किया जाने वाला अंशदान समाप्त किया जाना चाहिए।

यदि सरकार इस समय इसे स्वीकार नहीं करना चाहती है, तो मेरा अनुरोध है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले श्रमिकों को इस आवश्यक अंशदान से मुक्त रखा जाए। वास्तव में, हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार ने श्रमिकों के वर्ग विशेष के सम्बन्ध में गरीबी की इस रेखा को कहां निश्चित किया है।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : ये श्रमिक उसके अन्तर्गत नहीं आते है····(व्यवधान)···

श्री एम०एम० लारेंस : आपने इन श्रमिकों के जीवन का अध्ययन नहीं किया है; आपने अच्छा वेतन पान वाले कुछ श्रमिकों को देखा है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मौजूदा अधिनियम के अन्तर्गत, 2 रुपए अथवा उससे कम दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कोई अशदान नहीं देना पड़ता। अब, हम इसकी सीमा 2 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए करने जा रहे हैं। एतद्पश्चात् 6 रुपए या 6 रुपए से कम दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कोई अंशदान नहीं करना होगा।

श्री एम०एम० लारेंस : यह पर्याप्त नहीं है। आज 6 रुपए का क्या मूल्य है, वह

20 प्रतिशत भी नहीं रहा है। क्या 6 रुपए रोज पर आपको श्रमिक मिल सकता है ? दूर के लिए प्रस्तावित सीमा को 6 रुपए की बजाय बढ़ाकर 12 रुपए कर देना चाहिए। यह मेरी अपील है। भावना है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को छूट मिलनी चाहिए।

महोदय, भविष्य निधि तथा अन्य साधनों आदि जैसे मामले में प्रबन्धक अनेक प्रकार की धोखा-धड़ी करते हैं। इस सभा में इस प्रश्न को अनेक बार उठाया गया है किन्तु सरकार इन भ्रष्टाचारों को रोकने में असफल रही है। कर्मचारी राज्य बीमा में अंशदान देने के मामले में वे लोग धोखा-धड़ी के तरीके अपनाते हैं। अपने काम के लिए न केवल वे लोग अपने ही अंशदान की राशि का ही उपयोग करते हैं बल्कि श्रमिकों के अंशदान की राशि को भी अपने काम में लाते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए; जो सरकार की शक्ति के अधीन है; न कि निगम बोर्ड की शक्ति के अधीन है; किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है।

इसके अलावा, इस अधिनियम के अन्तर्गत दी गई व्यावसायिक बीमारियों की मौजूदा सूची के स्थान पर संशोधित सूची को रखा जा रहा है जो 1980 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा स्वीकृत की गई व्यवसायिक बीमारियों की संशोधित सूची पर आधारित है। बेंजोन अथवा उसके समान नशीली वस्तुओं से होने वाली बीमारियों को भी इसी सूची में शामिल किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभि समय की यह मान्यता रही है कि जहां कहीं बेंनजोन का इस्तेमाल किया जाता हो वहां सुरक्षा के विशेष उपाय किए जाने चाहिए। किन्तु भारत सरकार उस को मानने को तैयार नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय द्वारा बेंजोन के उपयोग तथा अन्य सामाजिक उपायों के बारे में स्वीकृति तथा सिफारिश के बिना इसे उस सूची में शामिल करने से, मेरे विचार से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसे स्वीकार करने के लिए 'सीटू' के प्रतिनिधियों ने सरकार से अनेक बार अनुरोध किया है, किन्तु सरकार अभी तक उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। सरकार क्यों तैयार नहीं है। क्योंकि सरकार देश के पूंजीपतियों के हितों का पोषण कर रही है। महोदय, हमारा देश पिछड़ा हुआ है। किन्तु हमारे देश के पूंजीपति पिछड़े हुए नहीं हैं। अन्य किसी भी पूंजीपति देश के पूंजीपतियों की तरह और कुछ मामलों में उनसे भी अधिक वे लोग लाभ कमा रहे हैं। इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से सब प्रकार की सहायता दी जा रही है।

किन्तु जब श्रमिक वर्ग का मामला आता है तो वे लोग अनेक तरह के तर्क रखते हैं, यथा, हमारा देश गरीब है, हमारा देश पिछड़ा हुआ है, हम लोग अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय की मान्यताओं को नहीं लागू कर सकते हैं, उसके लिए अभी समय नहीं है, आदि, आदि। महोदय, यह उचित नहीं है। मजदूर वर्ग देश का आदि-प्रवर्तक है और यही

लोग इस देश को आगे ले जा रहे हैं, पूंजीवादी और शोषक नहीं। सरकार को इस पहलू को स्वीकार करना चाहिए। वे इस्पात उद्योग, जूट उद्योग और वस्त्र उद्योग में काम कर रहे हैं। वे देश के विकास के लिए सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। देश की आबादी का एक बडा हिस्सा जिसमें मजदूर और किसान आते हैं देश के लिए धन पैदा करने के लिए कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। इस प्रकार इन दो क्षेत्रों में अर्थात्, मजदूरों और किसानों के लिए सरकार ईमानदारी से कुछ नहीं कर रही है।

अत: मैं यह अनुरोध करता हूं कि एक व्यापक कर्मचारी राज्य बीमा विधेयक प्रस्तुत कीजिए। केन्द्रीय मजदूर संघ को समुचित प्रतिनिधित्व दीजिए; प्रबन्धकों की धोखा-धबी को रोकिए; मजदूर वर्ग को देनदारियों से मुक्त कीजिए विशेषरूप से उनकी अंशदान करने की देनदारी को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, समाप्त कीजिए अधिकतम सीमा 1600 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कीजिए; और 6 रुपये की राशि को बढ़ा कर 12 रुपए कर दीजिए। इस अनुरोध के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री जेवियर अराकल (एर्नाकुलम) : मुझे बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भी इस विधेयक का, जो बुनियादी तौर पर (1) कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाने हेतु मजदूरी की अधिकतम सीमा बढ़ाने और (2) कर्मचारियों के अशदान की दर के दो मुद्दों तक केन्द्रित है, समर्थन करता हूं। इनके अतिरिक्त छः अन्य संशोधनों को भी इस विधेयक में सम्मिलित किया गया है जो स्वागत-योग्य हैं। यह बहुत समय पहले किया जाना चाहिए था। यह राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। खण्ड 2 में कहा गया है :—

> "यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधि-सूचना द्वारा नियत करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों.....आदि के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।"

मैं केवल यह चाहता हूं कि इसे तत्काल क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

महोदय, 1948 के अधिनियम के इस विधेयक का उद्देश्य (1) रुग्णता (2) प्रसूति और रोजगार बीमा है। इस समय 486 केन्द्रों द्वारा 63 लाख कर्मचारियों को सुविधा प्रदान की जाती है। परन्तु कुल लाभार्थी लगभग 2.81 करोड़ है। इसका अर्थ है कि यह निगम मजदूर वर्ग की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है।

परन्तु जहां तक प्रसूति लाभ का सम्बन्ध है, मैं सुझाव देता हूं कि इसे विशेषरूप से सरकार द्वारा अपनाई गई परिवार नियोजन योजनाओं के संदर्भ में सीमित किया जाए। अत: मैं यह सुझाव देता हूं कि निगम द्वारा इस सुविधा को कुछ बार के लिए अथवा सम्भवत: दो बार के लिए सीमित कर देना चाहिए। मेरे विचार में निगम को इस पर गौर करना चाहिए।

मुझे वर्ष 1982-83 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट देखने का अवसर मिला। इसमें इन समस्याओं पर, अर्थात् सुस्त निरीक्षण, 30.99 लाख रुपए की वसूली न की गई पृथक पृथक देय राशि और 1296.13 लाख रुपए की अप्रतिपूर्व क्षति की राशि, प्रकाश डाला गया है। ये बड़ी राशियां हैं।

जैसा कि लारेंस ने अभी कहा है कि इस निगम का प्रशासन, प्रबन्ध और इसके द्वारा प्रदत्त लाभ जनसाधारण की चर्चा के विषय हैं विशेषरूप से इसके लाभार्थियों की चर्चा के विषय हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने 1982-83 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को आधार बनाकर क्या कार्यवाही की है। क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो जनसाधारण के लिए अत्यन्त लाभकर होगी।

वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि :

> "तथापि केन्द्रीय सरकार के अधीन विभागीय उपक्रमों को इस अधिनियम के प्रवर्तन से साधारणतया इस आधार पर छूट प्राप्त है कि सरकारी नियमों के अधीन उसके कर्मचारियों को उपलब्ध चिकित्सीय और अन्य असुविधाएं इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध असुविधाओं से अधिक अनुकूल हैं, अतः उन्हें किसी अभिदाय के लिए संदाय करने की आवश्यकता नहीं है।"

इस संदर्भ में मैं सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि केरल में एल्लूर स्थित उद्योग मण्डल के रेअर अर्थस लिमिटेड के कर्मचारियों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें इस योजना से मुक्त रखा जाए क्योंकि जैसा कि वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है, उन्हें अन्यथा जो लाभ मिलने थे वे कहीं अधिक हैं और इस निगम द्वारा नाममात्र की सेवा प्रदान की जा रही है। इस निगम द्वारा रेडियो-धर्मी बीमारियां या रोग जो कुछ भी आप उन्हें कहते हैं, सम्मिलित नहीं किए गए। निस्सन्देह, तीसरी अनुसूची (भाग क, ख और ग) में आपने कुछ बीमारियों का उल्लेख किया है। परन्तु मैं यह अनुरोध करता हू कि उस यूनिट में रेडियो-धर्मिता के कारण होने वाले रोगों का नाम उनमें नहीं है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना से छूट की मांग करते आ रहे हैं। मेरे विचार में उस पर अवश्य ही गौर किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्रालय इस बारे में उदार दृष्टिकोण अपनाएगा। और छूट दे देगा जैसा कि एल्लूर स्थित रेअर अर्थस लिमिटेड उद्योग मण्डल के कर्मचारी संघ ने अनुरोध किया है।

श्री के०ए० राजन (त्रिचूर)। क्या प्रबन्धक इससे सहमत हैं ?

श्री जेवियर अराकल : मंत्रालय को यह सब कहने दीजिए। क्या आप इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं ?

श्री के० ए० राजन : जी हां, परन्तु मैं जानना चाहता हूं।

श्री जेवियर अराकल : मैं इसी पर जोर देना चाहता हू। उन कर्मचारियों को

जिन्हें अन्यथा केन्द्र और राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत अधिक लाभ प्राप्त हैं, छूट प्रदान की जानी चाहिए जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा है, इस निगम के औषधालयों हस्पतालों और संस्थानों द्वारा वास्तव में जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं वे कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे अंशदान के अनुरूप नही हैं और वहां बहुत सी अनियमिताए हो रही हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें निगम से उन्हें जो सेवा प्राप्त होती है, वे कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं । अतः उन श्रेणियों के कर्मचारियों को छूट दी जानी चा हए। मुझ आशा है कि माननीय मंत्री महोदय संसद के अगलेस त्र में एक व्यापक विधेयक लाएंगे। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी वृहत सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें देश का सभी मजदूर वर्ग आता है। यह योजना पिछले कई वर्षों से चल रही है। यदि आप योजना के कार्य चालन को देखें तो आप पायेंगे कि केवल नियोजक और मजदूर ही इस योजना के अंशदाता हैं। परन्तु अन्य देश में अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी हैं। यदि आप उनका अध्ययन करें तो देखेंगे कि सरकार द्वारा भी कुछ अंशदान दिया जाता है। परन्तु दुर्भाग्यवश यह केवल एक ऐसी बड़ी योजना है जिसमें लाखों औद्योगिक मजदूर आते हैं और केन्द्र सरकार एक पैसा का भी अंशदान नहीं करती हैं।

इस निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु मजदूर वर्ग की सुरक्षा की देखभाल के संरक्षक के रूप में, सरकार को इस कानून में आवश्यक संशोधन करने हेतु निर्णय लेना हैं ताकि वे भी इस योजना में अंशदान करें। यदि आप यूरोप के देशों में तथा अन्य कई स्थानों में बनाई गई विभिन्न योजनाओं को देखे तो आप पाएंगे कि सरकार द्वारा भी अंशदान किया जा रहा है। परन्तु जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि दुर्भाग्यवश केवल यही एक योजना है जिसमें सरकार द्वारा एक पैसा भी नहीं दिया जाता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने निगम की वित्तीय स्थिति के बारे में भी पूछा है। यह पहले से कहीं बेहतर है परन्तु अब यह कई कारणों से बहुत अच्छी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते है कि नियोजक द्वारा दिए जा रहे अंशदान के इलावा सरकार भी अंशदान करें।

श्री के० ए० राजन : जी हाँ। सौभाग्य से इस योजना का उद्देश्य अच्छा है परन्तु यह बदनाम हो गई है क्योंकि यह ठीक ढंग से नहीं बनाई गई है। यदि यह ठीक ढंग से बनाई गई होती तो इसे मजदूरों की शुभकामनाएं प्राप्त होती। यदि आप कर्मचारियों की राय लें कि क्या वे इस योजना से बाहर जाना चाहते हैं या क्या वे अपने संस्थान की अलग से योजना बनाना चाहते हैं या क्या वे योजना में बने रहना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि उत्तर नकारात्मक होगा। यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के कारण नहीं है। इस योजना की प्रमुख कमी चिकित्सा पक्ष का प्रशासन है। अधिनियम के अनुसार, यह राज्य

द्वारा चलाई जा रही है। प्रत्येक राज्य को अपना प्रशासन चलाना है और इसमें सहभागी बनाना है। यह योजना बहुत ही गलत ढंग से चलाई जा रही है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामान्य प्रयोजन समिति है। यह समिति यह जानने के लिए कि योजना किस सीमा तक क्रियान्वित की जा रही है, इस योजना ने कितनी प्रगति की है, और किस प्रकार काम कर रही है राज्यों का दौरा करती है। वर्ष 1982-83 के दौरान इस समिति ने कई राज्यों का दौरा किया था, दक्षिणी राज्यों का और 3, 4, 5 उत्तरी राज्यों का दौरा किया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इस प्रतिवेदन का अध्ययन किया था और इसे पारित कर दिया था। यदि आप उप-समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से युक्त हस्पतालों के निर्माण पर करोड़ों रुपये व्यय किए जा रहे हैं चाहे यह कर्नाटक में हो या तमिलनाडु में या कहीं भी हों परन्तु उनका उपयोग कर्मचारियों के बेहतर इलाज के लिए नहीं किया जा रहा है।

बहुत ही सुन्दर शल्य (आपरेशन) कक्ष हैं सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्जित हैं परन्तु सभी निष्क्रिय हैं। उन औषधालयों एवं अस्पतालों में एम्बुलेंस गाड़ियां हैं। परन्तु चालकों की नियुक्ति न करने की वजह से ये एम्बुलेंस गाड़ियां बेकार पड़ी हैं। ये सभी बातें सामान्य प्रयोजन उप-समिति के प्रतिवेदनों में बताई गई हैं। यह मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है। मन्त्री महोदय, इस बारे में जानते हैं। इन अस्पतालों में बहुत से अधातित उपकरण हैं। इन उपकरणों को काम में लाने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं की गई है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के मामले में भी यही स्थिति है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्थाओं में सुधार करें (को कारगर बनाएं)।

इस देश में दो अथवा तीन राज्य ऐसे भी हैं जो पिछले कई सालों से प्रादेशिक बोर्डों का भी गठन नहीं कर सके। मैं उन्हें यहां पर बताना नहीं चाहता क्योंकि, आखिरकार किसको इन सब बातों पर ध्यान देना है, और यह कौन देखेगा कि क्या यह चिकित्सा मामलों पर क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि दुर्भाग्यवश अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है। सामान्य प्रयोजन समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है, और जब तक यह लागू नहीं की जातीं कुछ भी नहीं होगा।

चिकित्सा क्षेत्र में प्रशासन के बारे में मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा बताना चाहूंगा। दिल्ली में यह एक विशेष तरीके से लागू किया जा रहा है। कतिपय अन्य क्षेत्रों में चिकित्सकों का पैनल है और इस प्रकार की बातें हैं। जब तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वयं ही कुछ अखिल भारतीय चिकित्सा संवर्ग नहीं बनाती, तो मेरे विचार से चिकित्सा क्षेत्र की इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। मैंने देखा है कि कुछ राज्यों में ई०सी० आई० में कार्य करने को कोई भी चिकित्सक राजी नहीं है। केरल में हमने यह स्पष्ट कर

दिया है कि किसी भी चिकित्सक को कम से कम तीन वर्ष तक ई०एस०आई० में कार्य करना चाहिए, अन्यथा वे अन्य लाभों तथा उन सभी बातों के हकदार नहीं होंगे । किन्तु इस योजना में कोई भी चिकित्सक नहीं जा रहा है। सुयोग्य चिकित्सक, विशेषज्ञ और विख्यात चिकित्सक वहां नहीं जाते हैं । वे अन्यत्र कहीं जाते हैं । वे मेडिकल कालेजों और अन्य स्थानों पर जाते हैं । कुछ ई०एस०आई० अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी नहीं है किन्तु अगर मैं इसे साधारण रूप में कहूं तो वहां अनुभवी चिकित्सक नहीं हैं । श्रमिकों के लिए क्या बचा है ? अब श्रमिक बीमारी की छुट्टी के लाभ उठाने के बारे में बहुत चिन्तित हैं । प्रमाण-पत्रों का घोटाला भी होता है । हम जानते हैं बीमारी की छुट्टी का लाभ उठाने के लिए कितने पैसे खर्च किए जाते हैं । कम से कम सात मामलों को मैं जानता हूं जिनमें दवाईएं बाहर से खरीदी गई थीं और राशि की प्रतिपूर्ति अभी तक भी नहीं की गई है । बहुत से मामले हैं । आप उप-समिति के प्रतिवेदनों को देख सकते हैं जो कि प्रस्तुत कर दिये गए हैं । या तो विशेषज्ञ होने चाहिए अथवा ई०एस०आई० को चिकित्सकों का अखिल भारतीय संवर्ग बनाना चाहिए ताकि सही चिकित्सक होंगे और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में समन्वय का भी अभाव है। अगर अस्पताल में उपकरण खराब हो जाता है तो प्रक्रिया यह है—जो कि जटिल है—कि सी०पी०डब्ल्यू०डी० अथवा पी० डब्ल्यू०डी० को जानकारी दें और वे मूल्य का आंकलन करते हैं और अपना समय लेते हैं और इस दौरान उपकरण बेकार पड़े रहते हैं । जब तक आप अखिल भारत स्तर पर चिकित्सकों का संवर्ग बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाते तो कोई भी सुधार नहीं होने वाला है । निगम इस गम्भीरता से नहीं लेता है और श्रमिक भी इसे सहज ही ले रहे हैं। किन्तु इन सभी बातों के लिए श्रमिकों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए । जब तक आप निगम के प्रशासन को, विशेष रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में, कारगर नहीं बनाते, जोकि इस समय निराशाजनक है, कुछ भी नहीं होने वाला है । अतः बहुत सी समितियों ने इन बातों को देखा है । पुनरीक्षण समिति ने भी इसका अध्ययन किया है इसने कुछ सिफारिशें की हैं और ई०एस०आई० ने भी उन पर विचार किया है और उसने भी कुछ सिफारिशें की हैं। परन्तु जो कुछ भी उपाय किए जाएं उन्हें गम्भीरता से लिया जाना चाहिए यह एक बड़ी योजना है । इसमें सीजनल और नान-सीजनल कारखाने, गैर-सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कर्मचारी आते हैं । अतः श्रमिक इस योजना से अत्यधिक चिन्तित हैं । ये कमियां हैं जोकि हमने योजना के कार्यकरण में देखी है ।

जो संशोधन लाए गए हैं उनके सम्बन्ध में, वर्तमान विद्यमान योजना में ये सुधार हुए हैं । अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में, पहले यह राशि 500 रुपए थी इसके बाद इसे बढ़ा कर 1000 रुपए किया गया और अब इसे बढ़ा कर 1600 रुपए करने का प्रस्ताव है । ये 1600 रुपए की सीमा सिर्फ यहां पर ही लागू नहीं है अपितु यह सभी श्रमिक नियमों जैसे कि मजूरी अधिनियम, उपदान अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम इन सभी पर भी लागू है । मैं 1600 रुपए की सीमा की पुनीतता को नहीं समझ सका । देश में संगठित क्षेत्र में

सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग में कितने लोग 500—1000, 1000—1500 तथा 1500—2000 के वर्ग में हैं ? अगर आप प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हुए हाल ही के मजूरी समझौते को देखें तो आप पायेंगे कि अधिकतर श्रमिक इस योजना के बाहर होंगे। इस प्रकार के मामलों में मेरा नम्र निवेदन है कि यदि उन श्रमिकों द्वारा उठाए जा रहे लाभ बेहतर है अथवा उनके पास अधिक सुविधाएं हैं या ई०एस०आई० में दी जा रही सुविधायों से अधिक सुविधायें हैं, उस प्रतिष्ठान को इस योजना से निकाल देना चाहिए। बहुत से कारखानों में इसी प्रकार का अनुरोध है। अगर वे ई०सी०आई० में दी जा रही सुविधाओं से अच्छी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं तो क्यों ई०एस०आई० आए और अपने ऊपर बोझ डाले ? यह देश के कमजोर वर्गों को मिलना चाहिए। इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए।

2 रुपए की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया गया है। मैं इस कार्य का स्वागत करता हूं। इस प्रणाली से जोकि स्वीकार कर ली गई है लिपिकीय कार्य के समय और कागजी कार्यवाही में काफी बचत हो सकेगी। इसमें कर्मचारी की ओर से 2.25 प्रतिशत योगदान होगा और 2.5 प्रतिशत दूसरी ओर से। इस सभी बातों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि चिकित्सा और प्रशासन के मामले में स्थिति में सुधार लाया जाना चाहिए। जब तक आप चिकित्सकों का अखिल भारतीय संवर्ग नहीं बनाते अथवा अपने-अपने राज्य में अपने राज्य संवर्ग के साथ एक प्रकार का समायोजन करना या प्रत्येक राज्य को सिफारिश करनी चाहिए कि हर एक चिकित्सक को कम से कम तीन वर्ष तक ई०एस०आई० हस्पताल में कार्य करना चाहिए तब तक इस योजना को श्रमिकों का सहयोग नहीं मिलेगा। यह योजना श्रमिकों के कल्याण के लिए लाई गई है। इस योजना में राशि लगाई जा रही है। परन्तु दुर्भाग्यवश श्रमिकों को अभी भी इस योजना के बारे में गलत प्रभाव है। इसीलिए श्रमिक सिर्फ छुट्टी के प्रमाण-पत्र के लिए कर्मचारी राज्य बीमा के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें बड़ों पर अन्य चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एंप्लाई स्टेट इंशोरेंस अमेंडमेंट बिल का समर्थन करता हूं। जिन भावनाओं को लेकर यह बिल प्रस्तुत किया गया है, वे स्वागत योग्य हैं। आक्यूपेशनल सिकनेस और एक्सीडेंट्स में जो नुकसान होता है, उसके लिए जो कंपेसेशन की व्यवस्था की गई है, यह भी स्वागत योग्य है। नान सोजनल फैक्ट्रीज को भी इसमें कवर किया जा रहा है, यह भी स्वागत योग्य कदम है। एक हजार से 1600 तक लिमिट बढ़ाई गई है, यह भी अच्छा कदम है। मैं समझता हूं कि सरकार ज्यों-ज्यों इस स्कीम को बढ़ाएगी त्यों-त्यों मजदूरों को ज्यादा लाभ होगा। एग्जम्शन लिमिट दो रुपए से 6 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है, यह भी स्वागत योग्य है। मेरा सुझाव है कि आपने जो मिनिमम वेज तय कर लिया है, उस मिनिमम वेज तक अगर इस लिमिट को

ले आएं तो ज्यादा बेहतर होगा। इस सम्बन्ध में आपको आवश्यक कदम उठाएं। ऑक्यूपेशनल डिसीजेज के सम्बन्ध में भी प्रावधान किया गया है। अगर इसकी वजह से मजदूर बीमार होता है तो उसको भी इससे कंपसेशन मिलता है। इससे मजदूर को बहुत बड़ा लाभ होता है। कुछ आब्जेक्ट्स इसमें रह गई हैं, उनको भी आपको देखने की जरूरत है और उनके सम्बन्ध में विचार करने की जरूरत है। बाकी सुझाव मैं बाद में दूंगा। पहले इसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

स्टेट एश्योरेंस कांट्रीब्यूशन स्कीम जो है, वह आप किस तरह से लागू कर रहे हैं। इसको लागू करने की क्या व्यवस्था हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टेट एप्लाएज इयोरेन्स में जो फैक्ट्रीज कवर होती हैं, उन फैक्ट्रीज के मजदूरों की तरफ से जो कांट्रीब्यूशन काटी जाती है, उसके बारे में भी आपने जिक्र किया है। एप्लायर की तरफ से 5 परसेन्ट और एप्लाई की तरफ से 2.25 परसेन्ट दिया जाएगा। यह कांट्रीब्यूशन जमा भी होता है या नहीं ? इस व्यवस्था को ठीक तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। बहुत सी जगह मजदूर के कांट्रीब्यूशन को भी जमा नहीं कराया जाता है। हमारे यहां मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में 8—10 लाख रुपया जमा नहीं कराया है। उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। अपना कांट्रीब्यूशन भी उन्होंने जमा नहीं किया है और मजदूर का जो कांट्रीब्यूशन लिया, उसको भी खा गए हैं। हालांकि 100 परसेन्ट पेनल्टी का प्रावधान है लेकिन पेनल्टी तो दूर आपने तो उनसे मूल राशि भी वसूल नहीं की है। मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में सख्त से सख्त कार्यवाही करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की बेइमानी का अवसर न मिले। इसका एक नुकसान यह भी होता है कि मजदूर जब ई०एस०आई० की डिसपेंसरी में इलाज के लिए जाता है तो उसका इलाज यह कह कर नहीं किया जाता कि तुम्हारी फैक्ट्री की तरफ से कांट्रीब्यूशन नहीं आया है। इसलिए इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार सिक इंडस्ट्रीज के जो मजदूर बेकार हो रहे हैं, उनके बारे में भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बेईमानी से जिन इंडस्ट्रीज को सिक कर दिया जाता है और इंडस्ट्रीज बन्द होती हैं, उसके लिए भी निश्चित तरीके से कोई न कोई प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे मजदूरों को फायदा मिल सके।

दूसरा आप कांट्रीब्यूशन जमा करने के लिए जो नोटिस भेजते हैं, उसका भी कोई असर नहीं होता है। इसकी वजह से मजदूरों का नुकसान होता है और डिसपेंसरी को सुविधा भी उसको नहीं मिल पाती है। इस तरीके से मजदूर परेशान हैं क्योंकि उनको दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही हैं। कंपनसेशन और छुट्टियां भी उनको नहीं मिलती हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सारी सहूलियतें उनको उपलब्ध हो सकें। श्री राजन ने भी अभी कहा कि अस्पताल में डाक्टर्स उपलब्ध नहीं होते। उनको प्राईवेट प्रेक्टिस करने की इजाजत नहीं दी जाती है और वेतन भी थोड़ा मिलता है। इसलिए, वे

अस्पताल में जाने की कोशिश नहीं करते हैं और जो चले जाते हैं, वे अपना कर्तव्य नहीं समझते । हर मजदूर के साथ झगड़ा करने की कोशिश करते हैं । उनकी नीयत मजदूरों को परेशान करने की रहती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद की हैसियत से क्या आप किसी कर्मचारी राज्य बीमा हस्पताल में गए हैं ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं तो अपने क्षेत्र में मजदूर संगठन का अध्यक्ष हूं इसलिए मेरा रोजमर्रा का उनके साथ ताल्लुक पड़ता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्पेंसरीज में डाक्टर्स और नर्सेस की व्यवस्था ठीक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मजदूर अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं और सिर्फ चिकित्सक ही अपना कार्य ठीक नहीं कर रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : दवाइयां एवेलेबल नहीं होती हैं । दो-दो चार-चार मील की दूरी से मजदूरों को आना पड़ता है । मरीजों को लाने-ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं है जबकि आपके पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है । उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए ताकि जो सुविधाएं आप दे सकते हैं, वह उनको मिल सकें। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका ई०एस०आई०सी० की डिस्पेन्सरीज में इलाज नहीं हो सकता । वे लोग हास्पिटल्स के लिए रैफर कर देते हैं । हास्पिटल वाले कीमती दवाई लिख देते हैं । ये दवाइयां भी डिस्पेन्सरी में उपलब्ध नहीं होती हैं । मजदूरों को कहा जाता है कि बाजार से खरीद लो । जिसके पास पैसा नहीं है, उसको बाजार से दवाई खरीदनी पड़ती है । उसके बाद उसका पेमेन्ट दो-दो साल तक नहीं होता है । इसलिए, इस व्यवस्था को माकुल करना चाहिए। टी०बी० जैसी बीमारी के लिए खुराक और दवाई के लिए काफी खर्चा करना पड़ता है । बाजार से दवाइयां लेनी पड़ती हैं, जिनका पेमेन्ट उनको नहीं होता है । सैक्शन-6 के अन्दर आपने कानून में प्रावधान किया है । उसको मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं । धारा 47 में कहा गया है :

> "कोई व्यक्ति किसी लाभ-अवधि के दौरान बीमारी के लिए बीमारी के लाभ का दावा करने के योग्य होगा यदि उसके सम्बन्ध में उसी अंशदान अवधि को दिनों की संख्या के आधे दिनों के लिए अंशदान देय है ।"

इस प्रकार के मामले हैं, जिसमें कंट्रीब्यूशन ही आपके पास जमा नहीं हुआ हो । जो इंडस्ट्रीज आपके पास जमा नहीं कराती है, ऐसी हालत में इन लोगों को कहां से पैसा उपलब्ध होगा ? सैक्शन-7 के सब-सैक्शन-ए में मैटरनिटी बेनिफिट की बात कही गई है । जब कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होता है तो मैटरनिटी बेनीफिट कहां से मिलेगा ? इस मामले में आपको अपने विभाग को सख्ती से काम करने के लिए आदेश देने पड़ेंगे । पूंजीपतियों

का लिहाज रखने से व्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगी। उसका नुकसान ही होगा और उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा।

अब मैं आपसे औक्यूपेशनल डिसीजिज के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। इसमें दो-तीन खास चीजों का समावेश नहीं किया गया है और मैं चाहता हूं कि आप उनको भी इसमें समाविष्ट करें। हमारे यहां माइका की इंडस्ट्री है, माइका की फैक्टरी भी है और खानें भी हैं। परन्तु इस बिल में फैक्टरीज तो कवर हो जाती हैं परन्तु माइका की खान कवर नहीं होतीं। उसके कारण जो औक्यूपेशनल डिसीजिज होती हैं, उनके सम्बन्ध में आपने इस बिल में कोई प्रावधान नहीं किया। वहां मजदूरों को टी०बी० या दूसरी इसी किस्म की कई बीमारियां हो जाती हैं। उनकी रोकथाम के लिए इस बिल में व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से सौफ्ट स्टोन को भी आपने इस बिल में शामिल नहीं किया है। सौफ्ट स्टोन फैक्टरीज में भी जब मजदूर पाउडर आदि बनाते हैं। तो उसके धूल आदि उड़ने के कारण उनमें औक्यूपेशनल डिसीजिज पैदा हो जाती हैं। माइका और सौफ्ट स्टोन निकालने का काम हमारे यहां बहुत बड़ी मात्रा में होता है। परन्तु उनको आपने औक्यूपेशनल डिसीजिज में नहीं लिया। कम से कम मेरे जिले में 20—25 हजार मजदूर इनके अन्दर काम करते हैं। इसलिए आपको इसे भी इस बिल की परिधि में कवर करना चाहिए ताकि वहां पर भी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके।

एक मेरा सुझाव और है, आपने इस बिल को फैक्टरीज के ऊपर तो लागू कर दिया, परन्तु माइन्स में भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। उन खानों में काम करने वाले बेचारे गरीब मजदूरों को किसी जगह भी इन्कलूड नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि माइन्स के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। खानों के लिए आपने एम्पलाईज स्टेट इन्शयोरेंस स्कीम लागू नहीं की है। इसलिए मेरा सुझाव है कि माइन्स में भी इस स्कीम को लागू किया जाना चाहिए ताकि उन मजदूरों को भी इस स्कीम का लाभ मिल सके और वे तमाम सुविधाएं उनको भी उपलब्ध हो सके जो फैक्टरीज में काम करने वाले मजदूरों को उपलब्ध हैं। मेरे जिले में माइका की माइन्स हैं, सौफ्ट स्टोन की माइन्स हैं, एस्बैस्टोज की खानें हैं, खड़िया की खानें हैं, सैंड स्टोन, जिंक की माइन्स हैं, संगमरमर की खानें हैं और अन्य कई प्रकार की खानें हैं। इन माइन्स में हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। सिर्फ मेरे जिले में ही इनकी संख्या 50 हजार से अधिक है। लेकिन इतने बड़े चंक को आपने बिल्कुल छोड़ रखा है। उनके बैनिफिट के लिए—आपने इस बिल में कोई प्रावधान नहीं रखा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय, आप उनके लिए भी इसमें कुछ व्यवस्था करवाईये, जिससे इन मजदूरों को भी इस स्कीम का लाभ मिल सके।

मैं चाहता हूं कि आप इस स्कीम को अच्छी तरह से चलाइए। आपने स्टेट गवर्नमेंटस के ऊपर इनकी इम्पलीमैंटेशन का कार्य सौंप रखा है। लेकिन वे उसकी व्यवस्था ठीक से नहीं चला पा रही है। न समय पर वहां दवाइयां पहुंचती है, न पैसा

पहुंचता है और न वहाँ डाक्टर उपलब्ध होते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इस व्यवस्था को आल इन्डिया लेवल पर कैडर बनाकर चलायें, आल इन्डिया लेवल पर अपनी व्यवस्था बनाईए ताकि उसके जरिए से स्कीम को सही तरीके से इम्पलीमेंट किया जा सके। यदि आपने इस स्कीम को स्टेटस गवर्नमेंटस के पास ही रखना है तो इसके लिए वहाँ अलग डिपार्टमेंट कायम किया जाना चाहिए ताकि वह इसको सही रूप से चला सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हू।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य को लेकर यह बिल इस सदन में पेश किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन एक प्रश्न जरूर है कि सरकार बहुत दिनों के बाद कभी-कभी होश में आती है, सोते से जागती है और फिर कुछ अमैंडमेंटस लेकर जाती है। एकबारगी में ही सारा काम नहीं करती है, कुछ अमैंडमेंटस लेकर एक बार आती है तो उसके बाद फिर कुछ समय बाद, जब श्रमिकों की चिन्ता हुई या इलेक्शन्स के दिन नजदीक आये तो कुछ दूसरे अमैंडमेंटस लेकर आती है। लेकिन इस बिल की मशा सही है।

मान्यवर, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्यों कि आप भी ट्रेड यूनियन नेता हैं कि यूरोप के अन्दर सोश्यल सीक्यूरिटी जैसी बहुत बड़ी व्यवस्था बनी हुई है। वहां की सरकार इस पर काफी पैसा खर्च करती है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है कि हम लोगों को सोश्यल सीक्यूरिटी की गारन्टी दे सकें। वहाँ किसी भी बूढ़े आदमी को इस बात की कोई चिन्ता नहीं होती कि उसका बुढ़ापा कैसे कटेगा। कोई न कोई उसकी व्यवस्था बन जाती है। लेकिन हमारे यहाँ मजदूर ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं, कुछ तो फैक्टरियों में काम करते हैं, कुछ खानों में काम करते हैं, जहाँ कई तरह की ओक्यूपेशनल डिसीज हो जाती है। फिर आप की चिकित्सा व्यवस्था भी बड़ी विचित्र है। जैसा अभी माननीय राजन साहब कह रहे थे, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। यदि आप किसी ई०एस०आई० की डिस्पेंसरी में जा कर देखें तो वहाँ बड़ी भारी दुर्व्यवस्था आपको मिलेगी। कहीं डाक्टर नहीं हैं तो कहीं दवाई नहीं है। परन्तु उसको ठीक करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कार्यवाही नहीं की जाती। जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जाएगा, इन डिस्पेंसरियों की व्यवस्था में सुधार नहीं आ पाएगा। मैं चाहता हूं कि सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि आप का सीधा सुपरवीजन उन पर बने। सिर्फ राज्यों के उपर छोड़ देने से व्यस्था ठीक नहीं चल सकती। यदि आप सही मायनों में चाहते हैं कि इनकी व्यवस्था ठीक हो तो आप को कोई ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिसके परव्यू में आकर वे अपने कर्तव्य के प्रति वफादार बने रहे। बिना भय प्रीत नहीं होती है।

अन्त में मैं एक, दो सुझाव देता हूं। एक तो सरकार को इस योजना के अन्दर अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए ताकि सुचारु रूप से इस का संचालन हो सके। दूसरे जहां तक

कंट्रीब्यूशन की बात है, जैसा व्यास जी ने कहा कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री मालिक ने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो अभी कानून में यह है कि यदि एक सर्टेन पीरियड में रकम जमा नहीं की गई तो आप मालिक पर पैनाल्टी लगा देंगे। मेरा कहना है कि मोनीटरी क्षति पहुंचा कर आप मालिकों मो काबू नहीं कर पायेंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की बात सोचनी चाहिये।

हमारे यहां बहुत सी छोटी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनके दवाखानों की हालत यह है कि मालिक और उनमें मिल कर वहां की ऐसी व्यवस्था चलती है जिससे मजदूर परेशान हो जाता है और दवाखानों का काम केवल मेडिकल सर्टिफिकेट देना रह गया है मजदूर को, और इसमे भी भ्रष्टाचार है। इसको आप को रोकना चाहिए तभी स्कीम का लाभ मजदूरों को मिल पायेगा, अन्यथा नहीं। जो व्यवस्था इस वक्त है उससे आप अपना मकसद अचीव नहीं कर सकेंगे। यदि इस योजना का लाभ मजदूरों को पहुंचाना है तो इसका इमप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो, तभी काम बनेगा। बस मुझे यही निवेदन करना है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। 16 जुलाई, 1984 को मन्त्री जी ने कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में जो कहा है, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

> "कर्मकार प्रतिकर अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में व्यापक संशोधनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और सम्बद्ध विधेयकों को तत्काल इस सदन में पुर:स्थापित किए जाने की सम्भावना है।"

अपने मंत्रालय के साथ सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को सूचना देते हुए, केन्द्रीय श्रम मन्त्री श्री वीरेन्द्र पाटिल ने कहा था कि उपदान और खानों से सम्बन्धित संशोधित अधिनियम पहले ही से लागू किए जा चुके हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधन के सम्बन्ध में मन्त्री ने कहा था कि श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधित्व की वर्तमान सीमा को 5 से 10 तक बढ़ाने, स्थायी अपंगता के कारण समय से पूर्व सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति की वास्तविक आयु तक चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने और इस योयोजना को छोड़ने वाली संस्थाओं पर रोक लगाने के बारे में प्रस्ताव दिये गए थे। यह बात आपने कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में कही। और आज जो बिल ला रहे हैं, इस सेशन में जो आप बिल यह ला रहे हैं, इसके बाद क्या दूसरा बिल आ पाएगा? आपने एश्योरेंस दिया था कंसल्टेटिव कमेटी के सामने कि इस सदन में जो बिल आयेगा उसमें यह बातें होंगी, और वह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन वह बातें इसमें नहीं हैं। जो भी चीजें आप अभी लाये हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वह चीजें मौजूद नहीं हैं जो कि होनी चाहिए।

इस एक्ट से लाभ क्या-क्या हैं ? ये हैं :—(1) रुग्णता लाभ, (2) अपंगता लाभ, (3) निर्भरता लाभ, (4) प्रसूति लाभ, (5) अंत्येष्टि सम्बन्धी लाभ। लेकिन कितने लोग जानते हैं इसको ? सबसे बड़ा सवाल यह है एक स्टडी टीम ने इसको रिव्यू किया, उन्होंने यह बताया कि लोग केवल दो बातें जानते हैं अभी।...

2.00 म० प०

इन चीजों को आप नहीं जानते। कुछ लोग तो इग्नोरेंट हैं कि हमें यह मदद मिलती है। दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की यह कार्य प्रणाली है। हाल ही में इस पर एक मूल्यांकन रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट में यह लिखा है कि जो इन लाभों के बारे में नहीं जानते हैं, वे 19.03 प्रतिशत हैं। जो केवल दो लाभों के बारे में जानते हैं वे 33.64 प्रतिशत हैं।

आज पहला सवाल यह है कि आपकी इस स्कीम को जानने वाले कौन हैं ? जब तक आप इसे सरल भाषा में, जिस प्रान्त से आप आए हैं, उस भाषा में, अलग-अलग भाषाओं में इसका अनुवाद कराकर मजदूरों में नहीं बटवायेंगे, प्रचार नहीं करवायेंगे तब तक लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते। लोगों को मालूम नहीं है कि यह स्कीम है और इससे ये-ये लाभ हैं। यह बात लेबर लीडर्स को भी नहीं मालूम है।

यह लाभ की जानकारी के बारे में है। जब अस्पताल में भर्ती मरीजों और अन्य लाभार्थियों से कि वे उन्हें दिए जा रहे लाभों में से कितनों के बारे में जानते हैं तो उन्होंने कहा, केवल एक।

मैनी आफ दैम को जब आप बात कर रहे हैं, मजदूरों को मालूम ही नहीं है कि परसेंटेज में क्या-क्या लाभ इस स्कीम के अन्तर्गत मिलने चाहिए और क्या-क्या उनके हक हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इन बातों को प्रान्तीय भाषाओं में ट्रांस्लेशन कराके वर्कर्स में इस स्कीम को बांटें तब वह लाभान्वित होंगे।

एक सवाल यह आता है कि लोगों की क्या राय है इसके पीछे ? अस्पताल में भर्ती तीन चौथाई मरीज योजनाओं के अधीन दिए जा रहे लाभों से संतुष्ट थे। अस्पताल में भर्ती लगभग 50 प्रतिशत मरीज डाक्टरों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं थे और केवल एक तिहाई ऐसे मरीज कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में उन्हें दिए जा रहे भोजन और सहायता से संतुष्ट थे। अस्पताल में भर्ती मरीजों ने कहा कि वे लाभों से संतुष्ट नहीं हैं।

2.03 म० प०

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए]

आज न तो डाक्टरों से उनको लाभ है और न खाना मिलता है। ई०एस०आई० के हस्पतालों में डाक्टर्स की सर्विसेज कितनी पूअर हैं, यह इवैल्यूएशन रिपोर्ट में आपके आंकड़े हैं।

मैं तो मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह एक बार मेरे क्षेत्र पाली में चलें, वहाँ बहुत बड़ा मिल है और बहुत से मजदूर हैं। आपने एलान किया है कि गांव में जो अन-आर्गेनाइज्ड लेबर है उसके लिए भी आप लागू करेंगे। आप अन-आर्गेनाइज्ड लेबर की बात करते हैं, आर्गेनाइज्ड के लिए ही आप नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ तो यह हालत है कि उड़ीसा के डाक्टरों को यहाँ पर लगा रखा है जो कि वहां पर काम नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर मन लगाकर काम करने का सवाल नहीं है।

जैसा बताया गया है कि वहां 17 परसेंट दवाएं एवेलेबल हैं। जब दवाइयां नहीं हैं तो जो स्कीम आप चलाते हैं, यह क्या पेपर पर है ? इस तरह की स्कीम किस काम के लिये हैं ? न दवाएं हैं, न डाक्टरों का ट्रीटमैंट है तो इस स्कीम का लोगों को कहां क्या लाभ होता है ? इस स्कीम का उद्देश्य ही लाभ पहुंचाना है। इससे पांच बेनिफिट्स उठाए जा सकते हैं : सिकनेस बेनिफिट, डिसएबलमेंट बेनिफिट; डिपेंडट्स बेनिफिट, मेटर्निटी बेनिफिट और फ्युनरल बेनिफिट, मगर लोगों को इनमें से एक या दो बेनिफिट्स का ही पता है।

यह भी बताया गया है कि दादा लोग, गुंडा एलिमेंट्स, ई० एस० आई० के डाक्टरों पर हावी हो जाते हैं, डाक्टर लोग उनसे डरते हैं और वही सब लाभ उठाते हैं। यह भी कहा गया है कि कुछ लोग डाक्टरों की सहायता से सिकनेस के आधार पर ज्यादा छुट्टी लेते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : डाक्टर पैसा लेकर सर्टिफिकेट देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में काफी तरक्की हुई है ! गरीब लोग क्यू में खड़े रहते हैं और दादा लोग सारा फायदा उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ई०एस० आई० की व्यवस्था बहुत खराब है। मन्त्री महोदय को इन सारी बातों का पता होगा। उन्होंने जगह-जगह कहा है कि इस स्कीम का विस्तार किया जायेगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ हो। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मिसयूज को रोकने के लिए ई०एस०आई० के बेनिफिट्स में कमी की जायेगी।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, यह बिल्कुल ठीक है। मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वह इस बारे में एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाएंगे। इसलिए उन्हें एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाना चाहिए और इस स्कीम को माइन्ज वगैरह सब जगह लागू करना चाहिए।

* **श्री ईरा मोहन (कोयम्बटूर)** : सभापति महोदय, मैं, अपनी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, जो मेरे माननीय मित्र, श्रम राज्य मन्त्री द्वारा पुरःस्थापित किया गया है, के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

* तमिल भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

किसी गरम चर्चा के लिए किसी विवादास्पद उपबन्धों रहित यह अहानिकारक विधान है। जिन माननीय सदस्यों ने मेरे से पहले भाषण दिया है उन सभी का यह मत था कि श्रम मन्त्री द्वारा मूल अधिनियम में व्यापक संशोधन किए जाए और मेरा भी यही मत है। परन्तु मुझे काम करने वाले मजदूरों की भलाई के लिए बनाए गए इस संशोधन विधेयक की प्रशंसा करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना लगभग 2 6 लाख लोगों को लाभ दे रही है और इसे 486 केन्द्रों में लागू किया जा रहा है। 163 लाख मजदूरों इस योजना के अधीन लाया गया है।

इस संशोधन द्वारा सरकार मासिक आय की सीमा 1000 रु० से बढ़ाकर 1600 रु० कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक संख्या में मजदूर इस योजना का लाभ उठा सकें। इस बात का स्वागत करना होगा। इसके साथ-साथ हमें आज क पैसे के मूल्य को भी ध्यान में रखना होगा। मासिक आय की सीमा 1000 रु० से 1600 रु० तक बढ़ाने के बारे में निर्णय, एक दो वर्ष पहले लिया जाना चाहिए था। यह उस समय के पैसे के मूल्य के अनुरूप होता। इस बढ़ोत्तरी से हमारी मुद्रा के वर्तमान मूल्य का पता चलना चाहिए। केवल तभी काम करने वाले मजदूरों को लाभ मिल सकेगा। मेरा विनम्र अनुरोध हैं कि इस मासिक आय की सीमा 2000 रु० तक बढ़ायी जाए। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय श्रम मन्त्री, जो श्रमिकों की समस्याओं का व्यावहारिक रूप से समाधान करते हैं, इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

इस विधेयक में एक उपबन्ध है जिसके माध्यम से मजदूरों के योगदान और नियोजकों के योगदान के लिए प्रतिशत प्रणाली आरम्भ की गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं। नियोजक 5 प्रतिशत योगदान देंगे जबकि मजदूर 2.5 प्रतिशत योगदान देंगे। थोड़ी देर पहले माननीय श्रम मन्त्री ने बीच में बोलते हुए यह कहा था कि जिन मजदूरों को 6 रु० दैनिक मजूरी मिलती है, उन्हें अपना 2.5 प्रतिशत योगदान देने की आवश्यकता नहीं है। निःसन्देह इससे मजदूरों को बहुत लाभ होगा। परन्तु मैं उस आधार के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं जिस आधार पर यह 6 रु० का निर्णय किया गया है। वैयक्तिक रूप से मैं यह महसूस करता हूं कि इसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की जाँच करें और इस 6 रु० की राशि को बढ़ायें।

जैसा कि मैंने अभी-अभी कहा था, नियोजकों और कर्मचारियों के योगदान का उल्लेख है। परन्तु कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिए सरकार के योगदान का कोई उल्लेख नहीं है। यदि सरकार, मजदूरों के लाभ के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना को देश के कोने-कोने में फैलाना चाहती है तो इस योजना की सफलता के लिए सरकार को भी कुछ

योगदान देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय श्रम मन्त्री वाद-विवाद का उत्तर देते समय कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिए सरकार के योगदान की घोषणा करें।

व्यापक संशोधक विधेयक के लिए आवश्यकता के बारे में, मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने होशिंग समिति का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसी प्रकार से कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने संगठन के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक उपसमिति का गठन किया था और उस उप-समिति ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। परन्तु इन दोनों संगठनों की सिफारिशों को वैधानिक मंजूरी नहीं दी गई है। एक समिति के गठन करने का, उस पर पैसा खर्च करने का और उसकी रिपोर्ट को हमेशा के लिए स्थगित करने का क्या लाभ है ? यह सरकारी समिति है, फिर भी इसकी सिफारिशों को प्रकाश में नहीं लाया गया है। इन विधायी प्रस्तावों, जिनमें ये सिफारिशें भी सम्मिलित की जानी है, को तैयार करने में जो अत्यधिक विलम्ब हुआ है, वह मेरे विचार से ठीक नहीं है। आखिरकार, ये श्रीमान् होशिंग हैं कौन ? वे, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ समिति (आई०एन०टी०यू०सी०) अर्थात केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के श्रमिक स्कन्ध के प्रतिनिधि हैं। मैं चाहता हूं कि होशिंग समिति और कर्मचारी राज्य बीमा योजना निगम की उप समिति की सिफारिशों को शामिल करके एक व्यापक विधान तत्काल सरकार द्वारा पारित किया जाए।

मुझे इस बात की खुशी है व्यवसाय सम्बन्धी खतरों की सूची को व्यापक बनाया गया है और विस्तृत किया गया है। इसके फलस्वरूप अधिक मजदूरों को सहायता मिलेगी। यदि माननीय श्रम मन्त्री कर्मचारी राज्य बीमा योजना को विस्तारपूर्वक लागू करने के लिए प्रयत्न करना आरम्भ कर दें तो उन्हें निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की कार्य-प्रणाली को और उद्देश्यपूर्ण और प्रभावकारी बनाया जाए। हमारे पास परिष्कृत और आधुनिक उपकरणों वाले बड़े-बड़े कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल हैं। दवाईयों की आपूर्ति भी सरकार द्वारा की जाती है। फिर भी उनका कार्य संतोषजनक नहीं है। यदि कोई मशीन खराब हो जाती है तो महीनों इस पर कोई ध्यान नहीं देता। यदि आपरेशन थियेटर में कोई खराबी आ जाती है तो कई महीनों तक इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इससे मजदूरों को इन कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में रुकावट आती है। मेरा सुझाव है कि योग्य और अर्हताप्राप्त डाक्टरों की नियुक्ति की जानी चाहिए और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की पूर्ण कार्य-प्रणाली को पुनर्गठित किया जाए। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं माननीय श्रम मंत्री से अपील करता हूं कि श्रम मन्त्री श्री वीरेन्द्र पाटिल द्वारा काम करने वाले मजदूरों की भलाई के लिए इस प्रकार के श्रम कल्याण के उपायों को कार्यरूप दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (रार्बट्सगंज) : सभापति महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा इस सदन में जो कर्मचारी राज्य बीमा(संशोधन) विधेयक, 1984 प्रस्तुत किया गया है

और जिसको राज्य सभा ने पहले ही पास कर दिया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात सही है कि जिन उद्देश्यों से यह बिल प्रस्तुत किया गया है उससे सभी लोगों ने—चाहे विरोध पक्ष माननीय सदस्य हों या सरकारी पक्ष के—सहमति व्यक्त की है। हमारे श्रम मन्त्री सन् 1980 के बाद इस सदन में कई संशोधन बिल लाए हैं जिनसे खुशी हुई है और इस बिल को प्रस्तुत करते समय तो श्रम मन्त्री ने कहा कि वे एक-एक बहुत विस्तृत, कांप्रिहेंसिव बिल लाने जा रहे हैं। यह हमारी सरकार की नीतियों का ही प्रदर्शन है। यदि आप विश्लेषण करें तो पायेंगे कि 1980 के बाद देश में श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है और मैनडेज का जो नुकसान हुआ है, हड़तालों की वजह से या लेबर अनरेस्ट की वजह से, उनमें भी निश्चित तरीके से कंपरेटिवली कमी आई है हालांकि बिभिन्न अवसरों पर हमारे उधर बैठने वाले भाइयों ने, जोकि औद्योगिक अशान्ति में विश्वास करते हैं, उन्होंने कई बार आल इंडिया स्तर की हड़तालों का काल दिया। हमारी श्रम हितकारी नीतियों का ही यह परिणाम है कि हम सफल होते रहे हैं। हमारे उत्पादन में निश्चित तौर से वृद्धि हुई है।

मैं दो-तीन बातों का और उल्लेख करना चाहता हूं। यह बात सही है, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रम मन्त्रालय कारगर कदम उठा रहा है। जहां तक अस्पतालों का सवाल है, चाहे इधर के बोलने वाले हों या उधर के बोलने वाले हों ई०एस० आई० डिसपेंसरीज में जो दवायें उपलब्ध होनी चाहिए, वह नहीं हैं। जिस तरह से ट्रिटमेंट की सुविधायें होनी चाहिए, वह नहीं हैं। कहीं-कहीं पर तो एम्बूलेंस तक नहीं हैं। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि आपने डाक्टरों की अस्पतालों में व्यवस्था स्टेट में गवर्नमेंट्स को दे दी है। हमारा क्षेत्र इन्डस्ट्रियल बैल्ट होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दो-तीन सुपर थर्मल पावर स्टेशन्स हैं—सिंगरौली, रिहन्द और उनपरा आदि। तीन सीमेंट फैक्ट्रीज चुनार, चुरक व डाला आदि हैं। जब हम यह देखते हैं कि माननीय श्रम मन्त्री जी चाहते हैं और श्रम मन्त्रालय चाहता है तो सारी सुविधाएं मौके पर क्यों उपलब्ध नहीं होती है। मै आपको बताना चाहता हूं कि दो साल पहले माननीय श्रम मन्त्री जी ने हम लोगों के निवेदन पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र रेनुकोट में ई०एस०आई० अस्पताल का शिलान्यास किया। उस वक्त हम लोगों ने कहा कि इसको कम से कम साल भर के अन्दर बना दीजिए। तो वहां पर स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कहा कि इसको इतनी देर में नहीं हम जल्दी बना रहे हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस अस्पताल की आज तक नींव तक नहीं डाली गई है। इसलिए मेरा सुझाव है कि ई०एस०आई० अस्पताल वगैरह की सारी सुविधा आपको अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो इंजीनियरिंग स्टाफ, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन स्टाफ सब अपने यहां अलग से रख लें। यदि स्टेट गवर्नमेंट के लोग, वहां का पी०डब्ल्यू०डी० का विभाग, निर्माण विभाग हमारी आशाओं के अनुरूप काम नहीं करते हैं, तो कोई जरूरत उनसे कहने की नहीं है। मैं मांग करता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को सख्ती के साथ लिखें कि वह जल्दी से जल्दी उन अस्पतालों का निर्माण कराए। वहां पर इस तरह की परिस्थिति होने से बहुत असंतोष है।

माध्यवर, अभी जो लेबर समझौता हुआ है, उसमें 1600 रु० से अधिक की सीमा नहीं रखी गई है। हम यह आशा रखते हैं कि काम्प्रिसैसिव बिल आ रहा है, उसमें इस सीमा को बढ़ायेंगे। आपको इस सुविधा को नीचे के सबके तक ले जाना चाहिए। जैसे ईंट-भट्ठे में काम करने वाले मजदूर, एग्रो-लेबर, इन तक आप को इस सुविधा का लाभ पहुंचाना चाहिए। अनआर्गेनाइजड़ लेबर में भी काफी असंतोष है। जो आर्गेनाइजड़ लेबर है, वह तो वोकल होती है। अनआर्गेनाइजड़ लेबर के लिए आप ने तमाम एक्ट्स बनाये हैं और उनको आप कार्यान्वित करने जा रहे हैं। बिचौलिए जो बेचारे देहातों में काम करते हैं, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों हम लोग नेता हो गए हैं। इस लिए हमारी मांग है कि जो अमूक है, जो बोल नहीं सकता है, जिनमें नेतृत्व का अभाव है, उनके लिए आप को कदम उठाना चाहिए। बड़ी खुशी की बात हैं कि आप व्यावसायिक बीमारियों के लिए पहली बार व्यवस्था करने जा रहें हैं। हमारे यहां पर सीमेंट फैक्ट्री एल्यूमिनियम फैक्ट्री है, जहां पर टी०बी० की शिकायत रहती है, आप वहां पर क्यों टी०बी० का क्लीनिक नहीं खोलते हैं। होता क्या है, जब वह बीमारी होती हैं तो लोगों को दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है, जिससे उनको बहुत कठिनाई होती है। इस लिए हम चाहते हैं कि टी०बी० के लिये भी अलग से क्लिनिक की व्यवस्था की जाय।

हमारे यहां कई तरह की माइन्ज है। जैसे लाइम-स्टोन की माइन्ज है, उसमें जो मजदूर काम करते हैं वे इन सुविधाओं से वंचित हैं उन को भी इसमें शामिल करना चाहिए। हमारे यहां कुछ इण्डस्ट्रीज हैं, जैसे रिहन्द पावर हाउस है, वहां के लोगों ने मांग की है कि हमको इन सुविधाओं से अलग किया जाय, इस लिए कि ई०एस०आई० के दवाखानों में उन को समय से दवा नहीं मिलती है तथा अन्य सुविधायें भी नहीं मिल पाती हैं। जो उत्पादन वाली फैक्ट्रीज हैं, चाहे वे प्राइवेट सैक्टर में हों या पब्लिक सैक्टर में हों, उनके बारे में हम को कई शिकायतें मिली हैं। अभी डागा जी भी इसका उल्लेख कर रहे थे - वहां डाक्टर मजदूरों से मिल जाते हैं और शादी-व्याह के मौके पर झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हैं। अभी जैसा सुझाव दिया गया है, मैं भी उससे सहमत हूं कि वहां सी०एम०ओ० के कैडर अफसर से काउन्टर सिगनेचर करवाना अनिवार्य हो ताकि झूठे सर्टिफिकेट देने वाले डाक्टरों पर अंकुश लग सके। कई जगहों पर जहां प्राइवेट इण्डस्ट्रीज होती हैं, वहां डाक्टर्स यह कोशिश करते हैं कि हम उसी जगह पर बने रहें, चूंकि वहां पैसा चलता है और हजारों की आमदनी डाक्टरों को अलग से होती है, इस लिये वे वहां से जाना नहीं चाहते।

इन सब बातों की ओर आप का ध्यान दियाते हुए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप जो काम्प्रीहैन्सिव बिल ला रहे हैं उस में इन सारी कमियों को दूर करें और अस्पतालों की संख्या को बढ़ायें। जैसे हमारे यहां मिर्जापुर जिले में 18 फैक्ट्रीज हैं लेकिन ई०एस०आई० का अस्पताल केवल एक जगह चुर्क में है। वहां दो साल से डाक्टर

नहीं हैं । इस काम को कौन करेगा ? स्टेट गवर्नमेंट वाले इसमें कुछ नहीं करते है । मेरा अनुरोध है कि आप डाक्टरों का एक आल इण्डिया कैडर बनायें । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी आज ही घोषणा करें कि वे डाक्टरों और इंजिनियरों का आल इण्डिया कैडर बनायेंगे ।

सभापति महोदय, मैं इन्टक की उत्तर प्रदेश शाखा का उपाध्यक्ष हूं । मैं देखता हूं कि आप ने लेबर से सम्बन्धित जितने कानून बनाये हैं उनका आम तौर पर कार्यान्वियन नहीं किया जाता हैं । राज्य सरकार उनका सही तौर से कार्यान्वियन नहीं कर रही है । केन्द्रीय सरकार की जो मंशा है, हमारी प्रधान मंत्री जी की जो मंशा हैं, हमारे श्रम मंत्री जी की जो मशा है उसके अनुसार कार्यान्वियन नहीं करते हैं । इस लिए मैं चाहता हूं कि हर राज्य में एक मोनिटरिंग सेल कायम किया जाना चाहिए । आप हर राज्य में एक डायरेक्टर नियुक्त करें जो वहाँ देखे कि कानूनों का सही तरीके से कार्यान्वियन हो रहा है या नहीं हो रहा है । आज जो कानून आप बनाते है उनका पालन नहीं होता है, राज्य सरकारें और औद्योगिक संस्थान दोनों पालन नहीं करते हैं ।

हमारे यहां सैकडों पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज हैं जिन में सरकार का 30 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है । लेकिन जो बुनियादी सवाल है, लेबर को जो कठिनाईयां हैं और उनसे सम्बन्धित जो कानून है उनको सही तरीके से लागू किया जाय । मजदूरों का प्राविडेंट फण्ड का पैसा, इंशोरेंस का पैसा जमा होता रहता हैं और समय पर जमा नहीं कराया जाता है । अगर आप द्वारा नियुक्त अधिकारी सही तरीके से काम करें और वह पैसा समय से जमा हो तो उस पर सूद भी बढ़ेगा और पैसा भी सुरक्षित रहेगा । जैसे हमारे यहां हिण्डालको में इस मद से बहुत पैसा जमा होता है । हमें देखना चाहिए कि वह समय से जमा हो, साथ ही हमें वहां पर कुछ अधिक रुपया खर्च करना चाहिए । अस्पताल की वहां पर बहुत ज्यादा कठिनाई है । जिस इण्डस्ट्री से हमें ज्यादा पैसा आए वहां लेबर की दवादारू के लिए तथा अन्य सुविधाओं के लिए अधिक पैसा खर्च करना चाहिए । डागा जो इवैल्यूएशन कमेटी का सारा रिकार्ड बतला रहे थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं यह अवश्य चाहता हूं कि वहां पर अधिकारियों को नियुक्त किया जाए जो सही तरीके से मानिटरिंग करें और लेबर लाज के सही कार्यान्वियन के लिए जिम्मेदार हों ।

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : सभापति महोदय, यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, यह सन् 1948 का जो बिल है उसका संशोधन करने के लिए लाया गया है । बीच में एक मर्तबा सन् 1975 में, जब आपातकालीन स्थिति चल रही थी, तब भी मामूली संशोधन लाए गए थे और 1975 में भी श्रम मन्त्री जी ने इसके उत्तर में कहा था कि एक सम्यक विधेयक इस सम्बन्ध में अतिशीघ्र लाया जाएगा । आज उस आश्वासन को 9 वर्ष हो गए हैं और आज भी हम यह बात सुन रहे हैं कि एक सम्यक् विधेयक सब बातों पर विचार करते हुए शीघ्र लाया जाने वाला है । सन् 1948 में और आज सन् 1984

में जमीन आसमान का अन्तर हो गया है सब प्रकार की बातों में चाहे श्रमिक जगत हो और चाहे आर्थिक ढांचा हो। मुझे याद आता है कि विक्टोरिया रानी छाप का रुपया सन् 1947, 1948 में एक रुपए मूल्य का था लेकिन आज वह 42 रूपए में बिकता है।

सभापति महोदय : कहां मिलता है ?

श्री बाबूराव परांजपे : सराफा मार्केट में सब जगह मिलता है। मैं आपको बता रहा था कि कितना बड़ा अन्तर हो गया है। एक रुपए की कीमत 42 रुपए हो गई है। अब इसमें 1 हजार रुपए से बढ़ा कर 600 रुपए करने का प्रस्ताव है और कुछ लोग कहते हैं कि इसको 2000 रुपए होना चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि इस पर इस बात को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए कि सन् 1948 में हालात क्या थे और आज क्या हैं।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि वैसे तो मजदूरों और श्रमिकों के कल्याण के लिए यह विधेयक और संशोधन लाए जाते हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि इसका सारे का सारा लाभ कारखाने के मालिकों को मिलता है। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं और मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग एक बड़ा उद्योग है, जिसमें प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया बीड़ी मालिक वसूल करते हैं मजदूरों से परन्तु उसका 15 परसेन्ट पैसा भी सरकारी खजाने में जमा नहीं होता है। यह मध्य प्रदेश शासन में मानी हुई चीज है। मजदूरों के हित के लिए पैसा लिया जाता है लेकिन बीड़ी मालिक मजदूर की गाढ़ी कमाई का पैसा खींच लेते हैं और मजदूर अपने अधिकार से वंचित रह जाता है। सारे कानून जो मजदूरों के लाभ के लिए बनते हैं, उनका लाभ मालिक उठा ले जाते हैं। एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि अगर मालिक किसी प्रकार की कोई गलती करता है या कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए उसको 6 महीने सजा का प्रावधान है मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि जब वे जवाब दें तो कृपया यह बताएं कि आज तक कितने मालिकों को कानून के अन्तर्गत सजा मिली है और कितनों को हथकड़ी लगाकर जेल भेजा गया है। आज तो एक नई प्रथा बन गई है कि किसी आदमी को मैनेजर के रूप में रख लेते हैं और खुदा-न-खास्ते अगर कोई गलत बात हो जाती है और उसके लिए सजा देने की बात आती है, तो मैनेजर को हथकड़ी लगेगी और वह जेल जाएगा और जो मैनेजिंग डाइरेक्टर कम्पनी का है या जो मालिक है, वह बचा रहेगा। इस प्रकार के कानून बने हुए हैं।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : बीड़ी मजदूरों पर तो यह कानून लागू ही नहीं होता है।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : यह बीड़ी मजदूरों पर लागू नहीं होता क्योंकि उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है।

श्री बाबूराव परांजपे : मैंने तो सिर्फ इसका उदाहरण दिया है। मध्य प्रदेश में यह लागू है, इसलिए वहां की बात मैंने कही है। कुल मिलाकर श्रमिक कितना परेशान है और

गरीबी से कितना पिस रहा है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक मजदूर ने अपनी एक उंगली काट ली और इस बात के लिए काट ली की एक स्कीम के अन्तर्गत उसको 6 हजार रुपया मिलेगा। इससे आप कल्पना कीजिए कि गरीबी से आज मजदूर कितना टूट रहा है कि अपने अंग को भी खण्डित करना पसन्द करता है। वह अपने पेट के लिए, अपनी रोटी की समस्या को पूरा करने के लिए अपना अंग भी काट लेता है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि मजदूर कितना परेशान है।

रंगा जी, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको वह ब्यौरा दे सकता हूं। इस स्कीम के अन्तर्गत एक और बात है। डाक्टर और दवाई विक्रेताओं केमिस्ट्स में आपस में साँठ-गाँठ है। अभी चार महीने पहले इस प्रकार के अनेक कांण्ड पकड़े गए हैं। ये दोनों मिल करके मजदूर के नाम से लम्बा-चौड़ा बिल बना कर रुपया वसूल कर लेते थे। इसमें कुछ दादा लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं है। जो मजदूरों के दादा होंगे वे इस प्रकार से गलत कार्य करते होंगे। इस प्रकार से यह योजना गलत हाथों में जा रही है।

सरकारी आँकड़ों के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत 4 सौ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। परन्तु वास्तविकता क्या है ? जैसा कि प्रवक्ताओं ने बताया कि अगर कहीं अस्पताल की बिल्डिंग है तो उसमें झाड़ु लगाने वाला नहीं है। अगर कहीं प्रसूतिगृह है तो उसमें लेडी डाक्टर नहीं हैं। अगर प्रसूतिगृह बना हो और उसमें लेडी डाक्टर न हो तो उसका क्या उपयोग हो सकता है और किस तरह से उन प्रसूतिगृहों द्वारा हम औरतों और बच्चों का कल्याण कर सकते हैं। अगर कहीं डाक्टर हैं तो दवाइयां नहीं हैं।

आप योजना तो बना रहे हैं परन्तु उसका उपयोग मजदूरों को नहीं हो पा रहा है। आजकल मजदूर की क्या हालत है ? आज उसकी हालत पाँच पांडवों के बीच में फंसी द्रौपदी की तरह की है। पहला पांडव तो हमारा श्रम मन्त्रालय है। दूसरा पांडव वह कारपोरेशन है जो कि श्रम मन्त्रालय ने बनाया है। तीसरा पाँडव कौंसिल है। ये तीन पाँडव हुए। चौथा पाँडव राज्य शासन का श्रम विभाग और पाँचवा पांडव राज्य शासन का स्वास्थ्य विभाग जिसके अधीन डाक्टर आते हैं। पैसा केन्द्रीय शासन से आता है और राज्य शासन उसको खर्च करते हैं। इन पाँच पांडवों के बीच में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है।

मैं तो श्रम मन्त्री जी से कहूंगा, जैसा कि सुझाव भी आया है कि डाक्टरों का एक अखिल भारतीय केडर हो जो कि राज्य शासन के पचड़े में न हो। डाक्टरों को वहां से निकालिए। मैं यह भी चाहूंगा कि वर्षों से जो मजदूरों की भलाई की योजनाओं में देर हो रही है, आने वाले वर्षों में आप एक बिल ला कर श्रमिकों का पूरा कल्याण करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति जी, यह जो कर्मचारी राज्य बीमा

संशोधन विधेयक, 1984 प्रस्तुत हुआ है, इसका मैं समर्थन करता हूं। इस विधेयक में विशेष तौर से श्रमिकों के कल्याण के लिए संशोधन लाए गए हैं। इस बिल के द्वारा 1,000 रुपए मासिक प्राप्त करने वालों की सीमा बढ़ाकर 1600 रुपए मासिक कर दी गई है। वास्तव में यह एक सराहनीय कदम है। यह जो इस बिल में प्रावधान किए गए हैं और सीमा बढ़ाई गई है, उसके लिए पूरा परिपालन होना चाहिए। तभी मजदूरों के हित में एक बहुत बड़ी बात हो सकती है।

हम मजदूरों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, श्रमिकों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। परन्तु वास्तव में ये लाभ उन तक पहुंचते हैं या नहीं यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम जिस उद्देश्य से कानून बनाते हैं, उन कानूनों के द्वारा उस उद्देश्य की पूर्ति होती है या नहीं, उसको देखना भी बहुत जरूरी होता है। यह भी जरूरी होता है कि जो सुविधाएं हम मजदूरों के लिए जुटाते हैं वे उनको मिलनी चाहिए और उन सुविधाओं की मजदूरों को जानकारी भी होनी चाहिए कि उनके लिए क्या-क्या सुविधाएं हैं।

अभी डागा साहब कह रहे थे वास्तव में उनका कहना सही है। सरल भाषा में और स्थानीय भाषा में इस कानून का प्रचार करके मजदूरों को बतलाया जाए कि उनको बीमारी में, प्रसव के समय और दुर्घटना के समय इस इस प्रकार से लाभ मिल सकता है।

इसी प्रकार 6 रुपए मजदूरी पाने वाले को एग्जेम्शन दिया गया है। यह तो एक मजाक सा लगता है। जबकि मिनिमम वेजेज 9 रुपए तय कर दिया गया है और कई प्रांबिसेस में तो 10 रुपए तक कर दिय गया है। 6 रुपए में तो हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में भी कोई मजदूरी करने को तैयार नहीं होता। इस लिए इसका लाभ अगर आप वास्तव में देना चाहते हैं तो इस 6 रुपए को बढ़ाकर 12 रुपए कीजिए। तभी मजदूरों को इसका लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार आप 5 परसेंट एम्प्लायर से कांट्रीब्यूशन लेते हैं और मजदूर से 2.25 परसेंट लेते हैं। इस 2.25 परसेंट यह तय किया जाना चाहिए कि इतनी मजदूरी पाने वाले का इतना परसेंट कांट्रीब्यूशन होगा, 1000 रुपया पाने वाले का इतना परसेंट कांट्रीब्यूशन होगा और 1600 रुपए पाने वाले के लिए 2.25 परसेंट कांट्रीब्यूशन होना चाहिए।

इसी प्रकार जो अस्पताल हैं, उनका लाभी तभी मजदूरों को मिल सकता है जब उसमें आधुनिक युग के सभी प्रकार के इन्वेस्टीगेशन की सुविधाएं हों। मास्टर आफ सर्जरी, मास्टर आफ मेडीसन और अन्य सभी प्रकार के प्रबन्ध हों तभी उसका लाभ मजदूरों को वास्तविक रूप से मिल सकता है। इनकी व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जैसे जोधपुर में, जयपुर में अस्पताल हैं। इसी प्रकार अन्य जगहों पर भी अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस तरह से हम इस कल्याणकारी राज्य को आगे बढ़ा सकगे। इसी प्रकार से आपने बताया है कि इसको कुछ आगे बढ़ा कर

और कानून लाना चाहते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि यह तो सम्भवतः लास्ट सेशन है वर्तमान लोकसभा का 10 जनवरी तक यह लोकसभा स्टैंड कर सकती है । इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसी सेशन में उसको लाइए । तभी उसका लाभ आप मजदूरों को दे पायेंगे । तभी मजदूरों का कल्याण होगा ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मुझे प्रसन्नता है कि हमारे विचारार्थ एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है । सभा के सभी पक्षों के सदस्यों ने विधेयक पर पहले ही अपनी स्वीकृति अथवा अपना समर्थन दे दिया है ।

यह एक मान्य तथ्य है कि अधिकाधिक औद्योगीकरण के साथ किसी भी सरकार को, जो कमजोर वर्गों के लिए काम करती है, मजदूरों के लिए सुरक्षा उपायों पर अधिक ध्यान देना चाहिए । इसे ध्यान में रखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा योजना आरम्भ की गई थी किन्तु, यद्यपि इस योजना का उद्देश्य मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, इसका क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है । (व्यवधान) उपलब्ध सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं, उदाहरण के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है । जैसा कि कई सदस्यों ने कहा है, विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं ।

जैसा कि श्री डागा ने मूल्यांकन प्रतिवेदन से उद्धृत किया है । औषधियां भी अच्छी नहीं मिलती हैं । इन अस्पतालों में असंतोषजनक हालात के बारे में कई उदाहरण हैं । भ्रष्टाचार के भी कई उदाहरण हैं । अतः इस योजना के प्रशासन में सुधार के लिए एक सुविचारित उपाय किया जाना चाहिए ।

सुधार के प्रयोजन के लिए धनराशि की कमी का प्रश्न नहीं है क्योंकि निगम के पास निधि की कमी नहीं है । किन्तु चूंकि इस योजना में सामाजिक सुरक्षा सेवा की व्यवस्था है, अतः केन्द्रीय सरकार को इसमें अंशदान करना चाहिए और यह अंशदान इस योजना में सुधार के रूप में होना चाहिए ।

चिकित्सा विशेषज्ञ क्यों उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं ? इसका कारण यह हो सकता है कि डाक्टर और दूसरे लोग, उन्हें जो वेतनमान दिए जाते हैं उनसे आकर्षित नहीं होते । यदि हम वास्तव में ऐसी स्थिति बनायें जिसमें विशेषज्ञ कर्मचारी राज्य बीमा योजना में आकर्षित हों तो उन्हें अधिक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए . उस स्थिति में केन्द्रीय अंशदान आवश्यक हो सकता है । यदि आप वह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं कि इस योजना में सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिए तो केन्द्र सरकार की भी यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है । यदि उसमें कुछ व्यय भी होता है तो इसके लिए केन्द्र सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सेवाओं में सुधार हो सके और इस योजना के उद्देश्य पूरे हो सकें ।

दूसरा मुद्दा यह है कि यद्यपि अधिकाधिक औद्योगिकीकरण हो रहा है, असंगठित उद्योग में श्रमिकों की संख्या काफी अधिक है। मैं समझता हूं कि प्रो० रंगा इस बात से प्रसन्न होंगे यदि मैं यह कहूं कि कृषि श्रमिक सबसे अधिक पीड़ित हैं तथा समाज के निम्नतम वर्ग में आते हैं। राज्य सरकारों द्वारा जो मजदूरी निर्धारित की जा रही है, अधिकांश मामलों में उसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित करते समय, मैं समझता हूं कि चिकित्सा सम्बन्धी व्यय को हिसाब में नहीं लिया जाता है। अत: हमारी आबादी के एक बहुत बड़े भाग को जो हमारे समाज के निम्नतम स्तर पर है, इस लाभ से वंचित किया जा रहा है, जबकि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार है। कृषि श्रमिकों को इस अधिकार से वंचित रख कर आप उन्हें मूलभूत अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। यदि आपका विचार इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का है कि उन्हें इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो इसे संगठित क्षेत्र के सभी वर्गों को दिया जा सकता है। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि जब मौसमी श्रमिकों को इसमें शामिल किया जा रहा है तो कृषि श्रमिकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि सरकार का विचार इसमें विस्तार करने का है तो इसमें कृषि श्रमिकों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

हम हमेशा यह मांग करते रहे हैं कि कृषि श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय कानून होना चाहिए। इसका आशय यह है कि कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय कानून होने से उन्हें कुछ सामाजिक सुरक्षा मिल सकती है और इसे राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अत: मैं कहूंगा कि सरकार को इसे कृषि श्रमिकों पर भी लागू करना चाहिए और कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय कानून से कुछ लाभों की व्यवस्था हो सकती है।

अन्त में मैं कहूंगा कि मूल्यांकन प्रतिवेदन पर आगे कार्यवाही की जानी है। मूल्यांकन-प्रतिवेदन से कुछ भ्रामक तथ्य उद्धृत किए गए हैं। क्या मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने के लिए कोई तंत्र है? क्या आगे कोई कार्यवाही की जानी है? क्या इस प्रकार की आगे कोई कार्यवाही अभी की जानी है।

जहां तक एक व्यापक विधेयक लाने का सम्बन्ध है; मैं नहीं जानता कि क्या सरकार हमें यह आश्वासन दे सकती है कि यह वर्तमान लोक सभा पारित करेगी।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय सभापति जी, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इस समय जो एम्पलाईज स्टेट इन्श्योरेंस एक्ट, 1948 में कुछ और अमेंडमेंट लाने के वास्ते बिल पेश है, उसके तहत मजदूरों को मिलने वाले बैनिफिटस को बढ़ाया जा रहा

है । मैं उसका समर्थन करता हूं । लेकिन सरकार के सामने एक सुझाव देना चाहूंगा ।

आपने 1975 से पहले क्लाज 2 के अन्तर्गत 500 रुपए तक की जो सीलिंग हुआ करती थी, उसको 1975 के बाद बढ़ाकर एक हजार रुपए कर दिया गया है और वर्तमान बिल के तहत उसी सीलिंग को एक हजार छः सौ रुपए कर देने का प्रावधान किया है । वैसे तो यह अमैंडमैंट श्रमिकों के हित में है, लेकिन मैं यहां एक गुजारिश करना चाहता हूं । क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह से सेन्ट्रल गवर्नमैंट के एम्पलाईज को मिलने वाला डीयर-नैस एलाउंस प्राइस इन्डैक्स के साथ लिंक्ड किया हुआ है, प्राइस इन्डैक्स में आठ प्वाइंट की बढ़ोत्तरी होने पर उनको एक किश्त ड्यू हो जाती है, उसी तरह से क्लाज 2 में आपने जो 1600 रुपये की सीलिंग रखी है···तो कोई स्टेज आयेगी जब इसको दूसरे बिल से बढ़ाना पड़ेगा । इसलिए मेरा कहना यही है कि आपको इसको प्राइस इंडैक्स से लिंक करना चाहिए । जिस तरह सेक्शन 39 में डी०—लिंक किया है ऐम्प्लायर कंट्रीब्यूशन फ्रौम ऐमप्लाईज कंट्रीब्यूशन, उस पर आपने परसेंटेज फिक्स किया है, इसलिए ऐसा कोई तरीका निकाल लें जिससे बार-बार अमेंडमैंट ले कर न आना पड़े । बाकी यह बिल ठीक है और इसका मैं समर्थन करता हूं ।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : सभापति महोदय, मैं कर्मचारी रक्षा बीमा संशोधन विधेयक, 1984 का हार्दिक समर्थन करता हूं । इसके अन्दर 2.6 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, जब कि 8 करोड़ श्रमिक हैं । इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभ मिल सके ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि 5 प्रतिशत वसूल किया जाता है मजदूरों से लेकिन मिल मालिक जमा नहीं करते । यह गलत बात है जो श्रमिकों के लिए हानिकारक है । अस्पताल की बात जो बताई गई कि यहां पर प्रशिक्षित डाक्टर नहीं होते और विशेषज्ञ नहीं होते, यह भी विचारणीय विषय है और इसके लिए जैसा माननीय राम प्यारे पनिका ने सुझाव दिया है कि अखिल भारतीय सेवा होनी चाहिये, यह परमावश्यक है, क्योंकि लेडी डाक्टर का न होना और विशेषज्ञ का न होना यह एक अभाव है, इसको दूर करने का प्रयास होना चाहिए । अस्पताल संतोषप्रद ढंग से काम नहीं करते हैं । हमारे डालमिया नगर में अस्पताल है ई०एस०आई० का जहां पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है 3, 4, 5 साल से । इसलिए यदि केन्द्रीय सरकार इसको अपने संरक्षण में ले ले, प्रान्तीय सरकार से ऐसे अस्पतालों को अपने हाथ में ले ले तो सुव्यवस्था हो सकेगी और काम ढंग से हो सकेगा । वहां पर अच्छे कुशल चिकित्सक होंगे और श्रमिकों को अधिकाधिक लाभ होगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : इस विधेयक पर चर्चा में कुल 12 सदस्यों ने भाग लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है और साथ ही उन्होंने कतिपय सुझाव दिये हैं और कर्मचारियों के लिए बने अस्पतालों की असंतोषजनक दशा के बारे में शिकायत की है। लगभग सभी सदस्यों ने सुझाव दिया है कि यथा-संभव शीघ्र एक व्यापक विधेयक बनाया जाना चाहिए।

प्रो० एन० जी रंगा (गुंटूर) : यह सुझाव तो हमेशा ही दिया जाता है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यकरण की समीक्षा के लिए एक उप समिति की नियुक्ति की गई थी और मैं समझता हूं कि 1981 में निगम के कार्य-करण का अध्ययन करने के लिए श्री होसिंग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और निगम के कार्यकरण में और सुधार लाने के लिए सिफारिश करने के लिए कहा गया है। हमें उप-समिति और होशिंग समिति दोनों की सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं। सिफारिशों पर विचार

3.00 म० प०

किया गया है। मैं माननीय सदस्यों को केवल यही कह सकता हूं कि इन सिफारिशों के आधार पर, जिन पर विचार किया गया है, एक व्यापक विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। मुझे आशा है कि विधेयक बहुत जल्दी ही तैयार हो जाएगा। मैं समझता हूं और मेरा यह प्रयास रहेगा कि यदि सम्भव हुआ तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह विधेयक चालू सत्र में ही पुरःस्थापित किया जाये।

माननीय सदस्य, श्री लारेंस ने, जो अभी यहां उपस्थित नहीं हैं, सुझाव दिया है कि मूल्यों में तेजी से आ रही गिरावट को देखते हुए 1600 रुपये की अधिकतम सीमा पर्याप्त नहीं है और इसे कम-से-कम 2000 रुपये होना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को यही कह सकता हूं कि 1600 रुपये की सीमा स्थायी नहीं है। हमने यह इसलिए रखी है कि अन्य श्रमिक कानूनों में भी अधिकतम सीमा 1600 रुपये ही है। उदाहरण के लिए उपदान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, बोनस अधिनियम और अन्य अधिनियमों में यह 1600 रुपए है। मैं जानता हूं मजदूरों का स्तर बढ़ रहा है और चाहे मैं चाहूं या न चाहूं, अधिकतम सीमा से वृद्धि करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही हमें यह बढ़ाकर 2000 रु० अथवा 2500 करनी है। केवल एकरूपता के लिए हमने 1600 रुपये की यह अधिकतम सीमा रखी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इसे इतना ही रख रहे हैं। समय आने पर यह बढ़ा दी जायेगी क्योंकि इसे अन्य श्रमिकों कानूनों में बढ़ा दिया जायेगा।

जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, उनके बारे में अनेक माननीय सदस्य यह ठीक ही महसूस करते हैं कि सेवाएं सन्तोषजनक नहीं हैं। मैं श्री चित्त बसु से इस बात पर सहमत हूं कि निगम द्वारा उपलब्ध की गई चिकित्सा सुविधाएं सन्तोषजनक नहीं हैं। डाक्टर

उपलब्ध नहीं हैं, विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं । आवासीय सुविधा नहीं है अथवा अथवा औषधियां अथवा अच्छी औषधियां उपलब्ध नहीं हैं । जैसाकि माननीय सदस्यों को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, हमें भी ऐसी ही शिकायतें मिलती रहती हैं । इस अधिनियम के अन्तर्गत एक निगम स्थापित किया गया है और यह एक त्रिपक्षीय निकाय है । मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक निगम के प्रशासन का सम्बन्ध है, सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर सकती है । निगम में कर्मचारियों, नियोजकों और राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं । निगम के अंन्तर्गत एक स्थायी समिति है । वह भी एक त्रिपक्षीय निकाय है । एक चिकित्सा लाभ परिषद है । अतः निगम के प्रशासन का दायित्व निगम तथा स्थायी समिति, जोकि एक त्रिपक्षीय निकाय है, पर है । अतः जहां तक इस संगठन के कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इसके दो कार्यक्रम हैं—एक चिकित्सा लाभ कार्यक्रम है और दूसरा नकद लाभ कार्यक्रम है । नकद लाभ कार्यक्रम सीधे निगम ही संचालित करता है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रुग्णता लाभ, प्रसूति लाभ, अपंगता लाभ, आश्रितों को लाभ एवं अन्त्येष्टि व्यय जैसे अन्य अनेक कार्यक्रम हैं । जहां तक नकद लाभ कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इसका प्रशासन सीधे निगम के हाथ में है और चिकित्सा लाभ के अन्तर्गत अस्पताल सुविधाएं, औषधालय, डाक्टर, अर्द्ध-चिकित्सा कर्मचारीवृन्द, औषधियां तथा इससे सम्बद्ध सभी सुविधाओं का व्यवस्था करना, जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, राज्य सरकारों का दायित्व है और यदि किसी राज्य विशेष में कोई कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा तो मेरे विचार से कोई भी माननीय सदस्य इसके लिए भारत सरकार को दोष नहीं दे सकता क्योंकि हमारी वहां कोई सुनवाई नहीं है ।

श्री राम प्यारे पनिका : किन्तु हम यह चाहते हैं कि आप इसकी ओर ध्यान दें और यदि आवश्यकता हो तो आप इस विधेयक में संशोधन भी कर सकते हैं ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं उस बात पर आ रहा हूं । इसीलिए ही मैंने यह बात कही है कि चिकित्सा लाभ राज्य सरकार का दायित्व है । औषधालय चलाने, कर्मचारियों, औषधियों, तथा अन्य इस प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं पर जो भी व्यय होता है, इसका तरीका यह है कि कुल व्यय का आठवां भाग राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है और 7/8वां भाग कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है । अब, प्रश्न यह है कि क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कोई अस्पताल विशेष उचित तथा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है अथवा नहीं, क्या वहां की सेवाएं सन्तोषजनक हैं अथवा नहीं ? समूचे देश में दिल्ली में केवल एक अस्पताल है जोकि सीधे निगम के नियंत्रण में है, शेष सभी अस्पताल औषधालय आदि राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं । यह सम्बद्ध राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह सभी अस्पताल कुशल और ढंग से चलाये जाए तथा उन लोगों के लिए संतोषजनक ढंग से कार्य करें जिनके लिए वे स्थापित किये गए हैं ।

हम यह भी जानते हैं कि इन अस्पतालों के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं । अतः

निगम में ही एक समिति है—यह भी त्रिपक्षीय समिति है, श्री राजन इसके बारे में भली-भांति जानते हैं—यह सामान्य प्रयोजन समिति है। इस समिति के सदस्य समय-समय पर राज्यों का दौरा करते हैं और यह पता लगाते हैं कि यह अस्पताल प्रभावी एवं सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं, क्या वहां उचित ढंग से औषधियां उपलब्ध की जा रही हैं और क्या कार्मिकों को अच्छी औषधियां दी जा रही हैं। अगर उनमें कोई कमियां अथवा अन्य अनियमितताएं हैं तो वह समिति निगम को सिफारिशें करती हैं। निगम अपने सुझाव अथवा प्रतिवेदन सरकार को अथवा हमारे मंत्रालय को भेजता है और इनके मिलने पर यदि किसी राज्य सरकार विशेष की ओर से कोई कमियां पाई जाती हैं तो हम उस मामले को उस राज्य सरकार के साथ उठाते हैं और उनसे उन कमियों को दूर करने तथा ई० एस० आई० अस्पताल से कुशल एवं सन्तोषजनक सेवा उपलब्ध करने का अनुरोध करते हैं। इस सम्बन्ध में यही प्रक्रिया है।

एक माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया है कि कर्मचारियों एवं नियोजकों को जो प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। वह पर्याप्त नहीं है और निगम और स्थायी समिति, दोनों में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जहां तक इस सुझाव का सम्बन्ध है, मेरे विचार से इसकी होशिंग समिति ने भी सिफारिश की है और हमने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। अतः कर्मचारियों एवं नियोजकों के प्रतिनिधियों की संख्या 5 से बढ़ा कर दस करने सम्बन्धी प्रस्ताव को व्यापक विधेयक में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत इसमें प्रत्येक के प्रतिनिधियों की संख्या 5 है। हम इस 5 की संख्या को बढ़ा कर दुगना कर रहे हैं। तैयार किए जा रहे व्यापक विधेयक में हम यह संख्या 5 से बढ़ा कर दस कर रहे हैं। एक बार इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद इस निगम में कर्मचारियों के दस और नियोजकों के दस प्रतिनिधि होंगे।

एक माननीय सदस्य ने कहा है और यहां तक कि श्री चित्त बसु भी यही समझते हैं कि ई० एस० आई० में पैसे की कोई कमी नहीं है। वे समझते हैं कि ई० एस० आई० के पास बहुत पैसा है। मैं सदन को विश्वास में लेकर निगम की वित्तीय स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। ई० एस० आई० की वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

1983-84 में उसकी आय 181 करोड़ रुपये थी। यह आय अंशदान से हुई है। किन्तु इस वर्ष के दौरान उसका व्यय 229.68 करोड़ रुपये हुआ। आय की तुलना में व्यय बहुत अधिक है। 1984-85 में अनुमानित आय 180 करोड़ रुपये होगी और व्यय 241.48 करोड़ रुपये होगा।

माननीय सदस्य यह पूछ सकते हैं कि इस घाटे को कैसे पूरा किया जा रहा है। इस घाटे को कतिपय आरक्षित निधियों से पूरा किया जा रहा है। सौभाग्य से निगम के पास आरक्षित निधि है। निगम में 381 करोड़ रुपये की आरक्षित निधि है। यह 381 करोय रुपये की निधि

अंशतः सरकारी प्रत्याभूतियों में तथा अंशतः सार्वाधिक जमा के रूप में है। निगम को इस पर ब्याज मिल रहा है और इससे वह अपना व्यय पूरा कर रहा है।

श्री चित्त बसु : अतः निगम अनेक राज्य सरकारों से बेहतर स्थिति में है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : वित्तीय कठिनाइयों के कारण चिकित्सा लाभ पर प्रति व्यक्ति व्यय निर्धारित है। सभी राज्य सरकारों द्वारा यह मांग की जा रही है कि इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। हम वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे नहीं बढ़ा सकते।

श्री डागा यहां उपस्थित नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनमें से कितने सदस्य इन लाभों से अवगत हैं। मैं केवल माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि यह कहना सही नहीं है कि सदस्य इन लाभों के बारे में नहीं जानते क्योंकि नकद लाभ के अन्तर्गत व्यय बढ़ रहा है। यह सीधे श्रमिकों को प्राप्त होता है। यदि वे इस बारे में नहीं जानते तो वे इतना पैसा कैसे प्राप्त करते हैं ? नकद लाभ के रूप में निगम बहुत खर्च कर रहा है। पिछले वर्ष अर्थात् 1983-84 में इसने 98.88 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। इस वर्ष 100.54 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यह सभी जानते हैं कि योजना के अन्तर्गत कौन-से लाभ उपलब्ध हैं। वे न केवल इसका लाभ ले रहे हैं, श्री चित्त बसु भी मेरे साथ सहमत होंगे, वे अनुचित लाभ उठा रहे हैं। अतः प्रचार का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

मेरे मित्र श्री अराकल ने जो बात कही है मैं अब उस पर आता हूं कि यदि कोई प्रतिष्ठान बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें इस अधिनियम की परिधि से बाहर क्यों नहीं रहने दिया जाता। मेरे विचार से इस बात से सभी अवगत हैं कि वर्तमान अधिनियम में इस सम्बन्ध में उपयुक्त प्रावधान हैं कि यदि कारखाने अथवा प्रतिष्ठान अथवा किसी प्रकार के कर्मचारी अपने प्रतिष्ठान से बेहतर लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो सम्बद्ध सरकार को इस प्रकार के कारखानों और प्रतिष्ठानों को इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने का अधिकार है। वे उन्हें जाकर समझा सकते हैं और इस सम्बन्ध में छूट ले सकते हैं। इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री जेरियर अराकल : मैं एक बात के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान लीजिए कि सरकार तो इसके लिए सहमत है किन्तु प्रबन्धक इसके इच्छुक नहीं हैं, जैसा कि मैंने बताया है, इस सम्बन्ध में इस प्रकार की समस्याएं हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : छूट के लिए न केवल प्रबन्धकों को, बल्कि श्रमिकों को भी इसके लिए सहमत होना होगा। कुछ मामलों में प्रबन्धक तो सहमत हो जाते हैं किन्तु श्रमिक सहमत नहीं होते। वे कहते हैं, "हम इस सुविधा से सन्तुष्ट नहीं हैं।" इसलिए यदि इसके लिए दोनों सहमत हो जाते हैं तो सरकार को छूट देने में कोई कठिनाई नहीं होती है।

साथ ही एक माननीय सदस्य ने इन डाक्टरों के लिए एक अखिल भारतीय संवर्ग बनाने

की बात कही है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि ई० एस० आई० अस्पतालों के डाक्टरों को पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा है। मैं यह नहीं जान सका कि इस बात से उनका क्या अर्थ है क्योंकि ई० एस० आई० अस्पतालों में कार्यरत डाक्टर तो राज्य सरकार के डॉक्टर होते हैं। दिल्ली में ही एक ऐसा अस्पताल है, जोकि हमारे नियंत्रण में है। किन्तु उन्हें केन्द्र सरकार के वेतनमान ही मिल रहे हैं। अतः जहां पर भी डाक्टर हैं उन्हें निम्न कोटि का नहीं माना जा रहा है। उन्हें तो प्रेक्टिस बन्दी भत्ता तथा अन्य भत्तों के अलावा 200 रुपये का अतिरिक्त ई० आई० एस० भत्ता भी मिल रहा है। किन्तु एक यह सुझाव है कि हम ई० एस० आई डाक्टरों का एक अखिल भारतीय संवर्ग क्यों नहीं बनाते ? मुझे बताया गया है कि ई० एस० आई० की समीक्षा समिति ने भी इस सम्बम्ध में सिफारिश की है। इस पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर विचार किया जायेगा।

माननीय सदस्य, श्री व्यास खान श्रमिकों, साफ्ट-स्टोन खान श्रमिकों आदि को मिलने वाली सुविधा के बारे में कह रहे थे और उनका यह विचार था कि श्रमिकों का 10 अथवा 15 दिन ही इलाज किया जाता है। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमार व्यक्ति एक वर्ष में 91 दिन की अवधि के लिए रुग्णता लाभ के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, तपेदिक के रोगी के लिए यह लाभ 309 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। अतः यह कहना सही नहीं है कि उन्हें 10 अथवा 15 दिन का ही चिकित्सा लाभ मिलता है। उनको बीमारी के अनुसार लाभ मिलता है। मैं श्री व्यास को, जो इस समय यहां उपस्थिति नहीं हैं, बताना चाहता हूं कि इस समय खान कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं। किन्तु खदान श्रमिकों को कल्याण निधि के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं।

अन्त में, श्री पनिका ने यह शिकायत की है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक अस्पताल पूरा नहीं किया गया है।

श्री राज प्यारे पनिका : उस पर तो अभी कार्य भी आरम्भ नहीं किया गया है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अथवा राज्य लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य आवास बोर्ड द्वारा करवाता है। इस कार्य के लिए हमारी अपनी कोई एजेन्सी नहीं है। इसके लिए हमें राज्य लोक निर्माण विभाग अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पर निर्भर करना पड़ता है। यह एजेन्सियां आमतौर पर इस निगम के निर्माण कार्यों को कम प्राथमिकता देती हैं। विलम्ब का प्रमुख कारण यही है। रेणुकूट अस्पताल का मामला राज्य सरकार के साथ ऊंचे स्तर पर उठाया जा रहा है। ऐसी आशा है कि इस अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है।

संक्षेप में, यही बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं और मैंने उनका यथासम्भव उत्तर देने का प्रयास किया है। सामूहिक तौर पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सभी सदस्यों ने इस उपाय का

स्वागत किया है और जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है उनके प्रति मैं पुनः अपना आभार व्यक्त करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथापारित रूप में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

खंड 2 से 15

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 15 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि मेरे माननीय मित्र को यह श्रेय मिला है कि उनके नेतृत्व में यह विधेयक सदन द्वारा सर्वसम्मति से पास किया जा रहा है और मुझे आशा है कि वह शीघ्र ही इस सत्र की समाप्ति से पूर्व एक अधिक व्यापक विधेयक पुरःस्थापित करने में सफल हो सकेंगे जैसे कि उन्होंने पेशकश की है और श्री चित्त बसु और बहुत से अन्य मित्रों ने कहा है ।

इस सदन के विभिन्न दलों की ओर से जिस तरीके से भाषण दिए गए हैं, उसके बिलकुल स्पष्ट है और मैं विपक्ष से भी आशा करता हूं कि वे यह कहने में मेरा सहयोग देंगे कि जहां तक

औद्योगिक श्रमिकों का सम्बन्ध है यह सरकार उनके हित के लिए आवश्यक कल्याणकारी उपायों का पूरी तरह से समर्थन कर रही है। दूसरी बात यह है कि कृषि श्रमिकों के प्रति उनका रवैया इतना ज्यादा संतोषजनक नहीं है। कृषि श्रमिकों के बारे में इन वर्षों में, कई दशकों से, मैं समर्थन कर रहा हूं कि इस प्रकार के कल्याणकारी विधान, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए हैं, का उपयुक्त रूप से समायोजन किया जाना चाहिए और इसे कृषि श्रमिकों पर भी लागू करना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है, चाहे यह कांग्रेस सरकार हो अथवा गैर-कांग्रेस सरकार हो। अब समय आ गया है कि श्रम प्रशासन सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ सहयोग करे और सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की खामी दूर हो।

जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है मुझे खुशी है कि प्रत्येक चरण में त्रिपक्षीय समितियां हैं। मेरे माननीय मित्र श्रम मंत्री ने यह ठीक ही कहा था कि हमें अपनी ओर से इस बारे में शिकायत करते जाना ठीक नहीं है जबकि ये त्रिपक्षीय समितियां श्रमिकों के हितों की देख-रेख के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि नियोजक अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से पूरा करे और यदि इसमें कोई खामी है तो श्रमिकों की ओर से है। यहीं पर मैं अपने माननीय मित्र राज्य मंत्री, जो कुछ समय पूर्व श्रम विभाग के प्रभारी थे, से सहमत हूं कि हमारा श्रमिक वर्ग संतोषजनक रूप से संगठित नहीं हैं। श्रमिकों के लिये कुछ सलाहकार हैं। लेकिन ये सलाहकार भी प्रभावी नहीं हैं। देश के अधिकांश भागों में कृषि श्रमिक बिलकुल संगठित नहीं हैं। यही एक कारण है जिसकी वजह से मैंने सुझाव दिया कि पूरे देश में अवैतनिक श्रमिक संगठनकर्ता होने चाहिए, कम से कम प्रत्येक समिति के लिए एक संगठनकर्ता होना चाहिये जिसका कार्य श्रमिकों की सहायता करना होगा और उपलब्ध श्रमिक कल्याण के अत्यन्त जागरूक रहना होगा और सभी स्तरों पर, सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थाओं में उनका समर्थन करना होगा और स्वयं को संगठित करने में उनकी सहायता करनी होगी। मुझे खुशी है कि योजना आयोग ने इस सुझाव को मान लिया है और सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। मेरे विचार से यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो देश में लगभग एक तिहाई समितियों में इन अवैतनिक श्रमिक संगठनकर्ताओं को नियुक्त करने के लिए अब सरकार की एक योजना है। लेकिन ये लोग सरकारी अधिकारी नहीं होने चाहिए। वे सभी स्थानीय संस्थाओं तथा विभिन्न अन्य संगठनों, जो देश में श्रमिकों की देख-रेख करते हैं, के पदेन सदस्य होने के हकदार हैं।

तीसरे मैं, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम को कृषि श्रमिकों पर भी लागू कराना चाहता हूं। लद्दाख से निर्वाचित मेरे मित्र श्री नामग्याल द्वारा एक बहुत अच्छा सुझाव दिया गया है कि यह पर्याप्त नहीं है कि मुद्रा-स्फीति के अनुपात में श्रमिकों को इन सुविधाओं का दावा करने के लिए हकदार बनाने हेतु उनकी कुल आय में वृद्धि करने के लिए सरकार समय-समय पर आगे आती रहे। यह एक अच्छी बात होगी यदि पुरःस्थापित किए जाने वाले आगामी विधेयक में एक खंड जोड़ा जाये कि प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार श्रम मंत्रालय को यह होगा कि वह मूल्यों में

वृद्धि और धनराशि के मूल्य गिरावट के अनुसार वृद्धि करे और इससे अधिकतम सीमा में परिवर्तन करने के लिए इसी प्राधिकरण को मदद मिलेगी मानो यह सरकार द्वारा किया गया एक सांविधिक निर्णय हो। इस प्रकार के निर्णय संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए ताकि यदि किसी परिवर्तन की जरूरत हो अथवा किसी फेरबदल की मांग हो, तो संसद द्वारा इन पर कार्यवाही की जा सके।

मेरे माननीय मित्र श्री राम प्यारे पनिका ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है और इसलिए मैंने इसका समर्थन किया था और यह एक अच्छा सुझाव है कि एक वर्ष में अथवा तीन वर्षों में एक बार सरकार द्वारा एक पैम्फलेट प्रकाशित किया जाना चाहिए जो उनकी स्थानीय भाषा में हो जिससे श्रमिकों को पता चल कि ये सभी विधान उनके हित और सुरक्षा के लिए क्या हैं। विभिन्न स्थितियों के अनुसार ये सभी विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी सुविधायें उन्हें उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि श्रमिक अपने तथाकथित मित्रों, सरकारी अथवा गैर-सरकारी, संगठित अथवा असंगठित, पर पूरी तरह से निर्भर न रहे, और वे इन विभिन्न सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, जहां तक इन्हें देने का सम्बन्ध है, इन मांगों को करने के लिए आत्म-निर्भर बन सकें।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार और कांगेस को श्रेय जाता है कि इस देश में हमारी कांग्रेस सरकार श्रमिकों के लिए वही कर रही है जो इंग्लैंड में सभी श्रमिक पार्टियां श्रमिकों के हित के लिए कर रही हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हमारे माननीय वरिष्ठ साथी प्रो० एन० जी० रंगा ने सुझाव दिया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कृषि श्रमिकों और असंगठित श्रमिकों पर लागू किया जाना चाहिए। निःसंदेह यह एक बहुत अच्छा सुझाव है क्योंकि श्रमिकों के लिए हमारे जो भी विधान और सामाजिक सुरक्षा उपाय हैं, इन विधानों और सामाजिक सुरक्षा-उपायों का लाभ केवल संगठित श्रमिकों को मिल रहा है और असंगठित श्रमिकों को बहुत कम लाभ मिलता है तथा हमारे देश में कुल श्रमिक बल में से केवल 10 प्रतिशत श्रमिक बल संगठित क्षेत्र में है और 90 प्रतिशत श्रमिक बल असंगठित क्षेत्र में है। इस योजना को कृषि क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र पर लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं।

वर्ष 1972 में निगम ने इस कार्यक्रम पर विचार करने और इस योजना के अधीन चिकित्सीय तथा अन्य सुविधायें देने के लिए निगम का एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक भावी योजना समिति गठित की थी और उन्होंने तीन चरणों में एक कार्यक्रम तैयार किया।

इस समिति द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में इन सुविधाओं को बिजली से चलने वाले कारखानों, जिनमें 10 से 19 तक श्रमिक कार्य कर रहे हैं, तथा बिजली के

बिना चलने वाले कारखानों, दुकानों, सिनेमाघरों, जिनमें प्रीव्यू थियेटर भी शामिल हैं, सड़क, मोटर परिवहन और समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों, होटलों तथा रेस्तरां, जिनमें 20 अथवा इससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हों, में लागू किया जाये। दूसरे चरण में समिति ने संगठित खानों तथा बागानों को शामिल करना चाहा। तीसरे चरण में समिति ने योजना को असंगठित तथा अर्द्ध-असंगठित क्षेत्र में लागू करना चाहा, जिसके बारे में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जहां तक इस समिति द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के तीन चरणों का संबंध है, समिति ने पहले चरण को भी शामिल नहीं किया है, दूसरे और तीसरे चरण को शामिल करने का तो सवाल ही नहीं। जहां तक तीसरे चरण का संबंध है जो इस योजना को असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों पर लागू करने के बारे में है और यह अधिकांशतया कृषि क्षेत्र में है, सरकार ने इस पर विचार किया है और इसकी जांच की है और यह स्वीकार किया है कि सामाजिक सुरक्षा लाभ को असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों पर लागू करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही यह महसूस किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम असंगठित क्षेत्र में प्रवेश करने की स्थिति में नहीं है। अतः यह महसूस किया गया कि हमें यह राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए कि वे उपयुक्त विभागीय उपक्रमों की स्थापना करके इस क्षेत्र में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करें। यह सरकार का विचार है क्योंकि असंगठित क्षेत्र फैला हुआ है और हम इतना बड़ा और विशाल संगठन नहीं रख सकते हैं, इसमें व्यावहारिक कठिनाइयां हैं।

माननीय प्रो० रंगा ने सुझाव दिया है कि हम श्रमिकों के लिए जो कुछ कर रहे हैं, उसका पैम्फलेट छाप कर प्रचार क्यों नहीं करते हैं? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक अन्य कार्यक्रम भी है और वह श्रमिकों में चेतना और जागरूकता पैदा करने के लिए एक संगठन अर्थात् केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड है। एक श्रमिक नेता इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और यह सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत एक सोसायटी है। श्रमिकों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने, उनमें जागरूकता और सजगता उत्पन्न करने के लिए पूरा व्यय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अतः श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए हम औसतन प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर रहे हैं। अतः जागरूकता उत्पन्न करने और श्रमिकों के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं उसका प्रचार करने के लिए पर्याप्त कार्यक्रम हैं। अतःमाननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.33 म० प०

आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन पर चर्चा

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 24 जुलाई, 1984 को सभा पटल पर रखे गये आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले ज्ञापन पर विचार करती है।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 24 जुलाई, 1984 को सभा पटल पर रखे गये आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और उन पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले ज्ञापन पर विचार करती है।"

कुछ संशोधनों के लिए सूचनाएं दी गई हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये—

"और सरकार से आग्रह करती है कि वह आयोग की सिफारिशों को अप्रैल, 1984 से प्रभावी करे।" (1)

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये—

"और खेद व्यक्त करती है कि राज्यों को ओवरड्राफ्टों के संबंध में ऋण-राहत का सुझाव देने में यह आधारभूत उपाय सुझाने में असफल रही है।" (2)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए,—

"और खेद व्यक्त करती है कि संघ सरकार राजस्व अंशों और सहायता-अनुदान के संबंध में आयोग के प्रतिवेदन को एक पंचाट के रूप में मानने के स्वीकृत सिद्धांत का पालन नहीं किया है।" (3)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए,—

"और खेद व्यक्त करती है कि आठवें वित्त आयोग के पांचवें वर्ष का सातवीं

योजना की अवधि के साथ कोई तालमेल नहीं बिठाया गया, जिससे केन्द्र और राज्यों को अपने-अपने योजना संशोधनों को पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त हो सके।" (4)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए —

"और यह यात्री भाड़े से होने वाली रेलों की आय को **राज्य की आय के साथ जोड़ने** में असफल रही है, यद्यपि राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यात्री यातायात के लिए विभिन्न सहायक सेवाएं प्रदान करें।" (5)

सभापति महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी उपस्थित नहीं हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए,—

"और सरकार से आग्रह करती है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को अप्रैल, 1984 के प्रभावी करे।" (7)

सभापति महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया है कि प्रस्ताव और उसके संबंध में प्रस्तुत किए गए संशोधनों पर किसी अन्य दिन चर्चा की जाए और कार्यसूची में सम्मिलित की गई अन्य मदों पर आज चर्चा की जाए। यदि सभा इससे सहमत हो···

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है, हम सहमत हैं।

सभापति महोदय : इस प्रकार इस पर सभी सहमत हैं।

3.35 म० प०

अनुदानों की मांगें (पंजाब) 1984-85

सभापति महोदय : अब हम कार्यसूची में सम्मिलित मद संख्या 10—पंजाब राज्य के वर्ष 1984-85 के लिए बजट के सम्बन्ध में अनुदानों का मांगों पर चर्चा और मतदान करेंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 और 41 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए सूची के स्तम्भ 4 दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1984-85

मांग संख्या	मांग का शीर्षक	19-3-1984 को सदन की स्वीकृति के लिए पेश की गई लेखानुदान मांग		सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1	2	3		4	
		रु०	रु०	रु०	रु०
1.	राज्य विधान मंडल	55,42,000	—	55,43,000	—
2.	मंत्री परिषद्	43,82,000	—	43,83,000	—
3.	न्याय प्रसाशन	2,25,18,000	—	2,25,19,000	—
4.	चुनाव	66,20,000	—	66,19,000	—
5.	राजस्व	5,43,54,000	—	5,43,54,000	—
6.	उत्पाद शुल्क तथा कराधान	2,87,70,000	—	2,87,70,000	—
7.	वित्त	22,81,76,000	—	22,81,76,000	—

1	2	3		4	
8.	लोक सेवा आयोग	9,32,000	—	9,33,000	—
9.	सिविल सचिवालय	2,40,96,000	—	2,40,95,000	—
10.	जिला प्रशासन	3,32,88,000	—	3,32,88,000	—
11.	पुलिस	24,93,47,000	—	24,93,46,000	—
12.	जेलें	1,97,63,000	—	1,97,62,000	—
13.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	2,19,76,000	9,20,000	2,19,77,000	9,20,000
14.	फुटकर सेवाएं	2,52,86,000	—	2,52,87,000	—
15.	पुनर्वास, राहत तथा पुन:स्थापन	30,60,000	—	30,59,000	—
16.	शिक्षा	91,44,12,000	—	91,44,11,000	—
17.	तकनीकी शिक्षा, विज्ञान तथा टैक्नालोजी	1,01,32,000	5,25,000	1,01,31,000	5,25,000
18.	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	35,73,23,000	50,00,000	35,73,23,000	50,00,000
19.	आवास तथा शहरी विकास	1,23,38,000	3,81,96,000	1,23,38,000	3,81,97,000
20.	सूचना तथा प्रचार	91,00,000	—	91,00,000	—
21.	पर्यटन तथा सांस्कृतिक मामले	29,06,000	12,50,000	29,07,000	12,50,000

1	2	3		4	
2.	श्रम, रोजगार तथा औद्योगिक प्रशिक्षण	4,26,93,000	8,41,000	4,26,93,000	8,42,000
23.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	13,18,64,000	82,00,000	13,18,64,000	82,00,000
24.	आयोजन तथा सांख्यिकी	70,69,000	—	70,69,000	—
25.	सहकारिता	3,27,86,000	4,64,83,000	3,27 86,000	4,64,83,000
26.	कृषि	14,43,66,000	1,54,00,000	14,43,66,000	1,54,000
27.	भूमि तथा जल संरक्षण	1,95,75,000	—	1,95,75,000	—
28.	खाद्य	73,56,000	4,36,14,20,000	73,56,000	—
29.	पशु पालन	6,25,62,000	—	6,25,62,000	—
30.	डेरी विकास	29,55,000	—	29,54,090	—
31.	मछली पालन	46,41,000	—	46,41,000	—
32.	वन	5,51,48,000	—	5,51,48,00	—
33.	सामुदायिक विकास	21,79,88,000	—	21,79,89,000	—
34.	उद्योग	5,50,60,000	3,81,00,000	5,50,60,000	3,81,00,000
35.	सिविल विमानन	22,35,000	4,00,000	22,34,000	4,00,000
36.	सड़कें तथा पुल	11,56,62,000	11,15,00,000	11,56,63,000	11,15,00,00

1	2	3		4	
37.	सड़क परिवहन	33,09,37,000	4,50,00,000	33,09,36,000	4,50,00,000
38.	बहुद्देशीय नदी प्रायोजनायें	5,92,35,000	15,83,08,000	5,92,35,000	15,83,08,000
39.	सिचाई, जल निकास तथा बाढ़ नियंत्रण	30,29,83,000	21,34,76,000	30,29,83,000	21,34,75,000
40.	भवन	25,73,31,000	6,92,98,000	25,73,31,000	6,92,98,000
41.	राज्य सरकार द्वारा कर्जे तथा पेशगियां	—	1,30,16,67,000	—	1,30,16,66,000

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, इस सदन ने पंजाब में जो वर्तमान स्थिति है, इसके बारे में विस्तार के साथ और गंभीरतापूर्वक विचार किया है। उस बहस के दौरान पंजाब में साधारण स्थिति कैसे पैदा की जा सकती है, इसके बारे में हमारे दल के नेता माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने विचार आपके सामने रखे थे।

3.36 म० प०

(श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)

पंजाब की जनता के जीवन से सम्बन्धित सवालों को लेकर जो बजट की 41 मांगें पेश की गई हैं, उनमें से कुछ मांगों की चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मांग संख्या-11 जो पुलिस के संबंध में है, उसकी चर्चा करना चाहूंगा। वह मांग, 49,89,76,000 रुपए की मांग है। इसका मैं विरोध करना चाहता हूं और उस विरोध का कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। श्वेत पत्र में इस बात को स्वीकार किया गया है कि पुलिस व्यवस्था पंजाब में पिछले कुछ महीनों से लुंज-पुंज हो चुकी थी। उनके बीच में कोई व्यवस्था ही नहीं रह गई थी। वे, आतंकवादियों को नियंत्रित करने में बिल्कुल नाकामयाब ही नहीं थे बल्कि उनके साथ सांठ-गाँठ कर रखी थी। जो कुछ भी वे करना चाहते थे, उसको करने की उनको छूट देते थे या कनाइव करते थे। आतंकवादियों की हिंसा की वारदातों को रोकने में वे बिलकुल असमर्थ साबित हुए। पुलिस विभाग के अधिकारियों की मिली-भगत सीमा पर, तस्करी के साथ थी। उनको, इधर-उधर आने-जाने से रोक नहीं पा रहे थे। यह व्यवस्था वहां बिलकुल छिन्न-भिन्न हो चुकी थी, इसके बावजूद सरकार वहां इतना पैसा खर्च करना चाहती है। यह नहीं बताया गया है कि इन पैसों का उपयोग करके सरकार पुलिस व्यवस्था में कोई नए सिरे से परिवर्तन चाहती है या नहीं। अगर नयी व्यवस्था नहीं बनायेंगे तो इतना पैसा देना बेकार है। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ जांच-पड़ताल होनी चाहिए कि उनकी गल्तियां कहां थीं ? उन्होंने कहा देश के खिलाफ काम किया और कैसे पृथकवादियों की मदद की, इसकी जांच होनी चाहिए ताकि उनके खिलाफ समुचित कार्यवाही की जा सके। अगर आह ऐसा नहीं करते हैं और पुलिस पर ज्यादा से ज्यादा धन खर्च करने की व्यवस्था करते है तो यह नुनासिब नहीं होगा। नये सिरे से अच्छी पुलिस व्यवस्था को वहां खड़ा करने की जरूरत है। अगर इसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी तो जाहिर बात है, वहां की स्थिति में सुधार लाने में पुलिस की जो भूमिका होनी चाहिए, वह उसको अदा नहीं कर सकेगी। हम सभी जानते हैं कि वहां सेना बहुत दिनों तक नहीं रह सकती। वैसे सेना की वापसी की मांग हम विरोधी दल के कुछ लोग सरकार से करने जा रहे हैं कि स्वर्ण मन्दिर परिसर से सेना को हटाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार अभी उसके लिए तैयार नहीं है। फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि आप बराबर स्थाई रूप से सेना वहां नहीं रखेंगे और पुलिस के बल पर ही आपको निर्भर रहना होगा। अब ऐसी स्थिति होगी तो जाहिर बात है, हमारा पुलिस बल हिम्मत रखने वाला हो, देश-भक्त हो, आतंकवादियों के चंगुल में किसी तरह न जा सके, पृथकतावादियों के खिलाफ डट कर लोहा लेने वाला हो, तभी वह सारे कामों को सही ढंग से अंजाम दे सकेगा। उसमें सारी सामर्थ्य होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जहां आप पुलिस

बल को मजबूत करने पर इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन पुलिस संगठन को आगे किस तरह से चुस्त-दुरुस्त करना है, क्या इस बारे में भी आपकी कोई योजना है। सदन जानना चाहेगा कि आप जिस तरह से उनको पुनर्गठित करना चाहते हैं, उनको किस तरह से अपने पांवों पर खड़ा करना चाहते हैं, कानून और व्यवस्था उनसे किस तरह से करवाना चाहते हैं। आपको सारी बातों की जानकारी सदन को देनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी बताया जाना चाहिए कि जिन लोगों ने आतंकवादियों के साथ, पृथकतावादियों के साथ, राष्ट्र-द्रोह के कामों में हिस्सा लिया, उनके खिलाफ जांच करके आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं।

दूसरा निवेदन मैं कृषि के संबंध में करना चाहता हूं। इस आंदोलन के फलस्वरूप वहां की कृषि व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है और वह अस्त-व्यस्त हो गई है। जहां पहले पंजाब में बाहर से लाखों लोग आकर वहां फसलों की कटाई-बोआई में काम करते थे, इस आन्दोलन की वजह से वे इस बार नहीं आ सके। खुद हमारे सूबा बिहार से लाखों लोग आते थे, जिसका सबूत हम रेलगाड़ियों की छतों पर सफर करते लोगों को देखते थे, जहां उनको बैठने तक की जगह नहीं मिलती थी, उसके बावजूद जैसे-तैसे करके वे लोग पंजाब आते थे और पंजाब के किसानों की मदद करते थे जिसके कारण वहां के किसानों की आर्थिक दशा अच्छी हो गई थी। सारी फसल की बोआई और कटाई का सारा काम उनके जिम्मे था। वहां के किसान अपनी अच्छी उपज के द्वारा हिन्दुस्तान की जनता की भूख मिटाने की कोशिश करते थे, तथा स्वयं के लिए और सरकार को भी ज्यादा से ज्यादा गल्ला देते थे। मगर इस आन्दोलन के कारण इसमें भी रुकावट आई है। मैं चाहता हूं कि कृषि व्यवस्था में जो कमी आई है, सरकार को उसे ठीक करने की तरफ ध्यान देना चाहिए तथा किसानों को फिर से अपने पांवों पर खड़ा करने में सहायता देनी चाहिए।

खेतों में काम करने वाले मजदूरों पर भी इस आन्दोलन का प्रभाव पड़ा है, उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, वहां के किसानों को लाभकारी मूल्य भी मिलना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य देने से हिचकती है। जो दाम वह तय करती है, उसी को कहा जाता है कि यह लाभकारी मूल्य हैं। इसलिए इस आन्दोलन के दौरान किसानों की जो स्थिति बिगड़ी है, उनकी बिगड़ी हुई स्थिति में सुधार लाने का प्रयास होना चाहिए ताकि वहां का किसान फिर से पहली स्थिति में आ सके और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को गल्ला उपलब्ध करवा सके। कृषि व्यवस्था में आई गड़बड़ी को भी सही रास्ते पर लाने में सरकार को योजना बनाकर सहायता देनी चाहिए तथा पैसे का प्रावधान करना चाहिए।

अंत में सभापति जी मैं सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विषय पर कुछ कहना चाहता हूं। इस मद में मेरे ख्याल से अधिक पैसे का प्रावधान करने की जरूरत है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हम पंजाब की बात नहीं जानते, लेकिन हमारी स्टेट में वृद्धा लोगों को पेंशन देने की सरकार ने व्यवस्था की है, हालांकि वह बहुत कम है। 30 रुपये महीना जो देते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

भ्रष्टाचार तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो पैसा देते हैं वह बहुत कम है। आज 30 रु०

की कीमत क्या हो सकती है। हम लोग रोज 75 रुपये लेते हैं लेकिन आप खेत-मजदूर को वृद्धावस्था में या बेवाओं को 30 रुपये महीना देते हैं, यह बिहार में है। पंजाब में कोई व्यवस्था है या नहीं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा विभिन्न रूप में देनी चाहिए।

पंजाब में जिन्होंने देश की सुरक्षा में कुर्बानी की है, आज भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से बराबर कुर्बानी करते रहेंगे, तो जब वह रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन देते हैं, दूसरी सहूलियतें देते हैं। मेरे ख्याल में उनको और सहूलियतें दी जानी चाहिए, उनकी पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए। इस मद में आप ज्यादा धन रखेंगे तभी आप विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा के कार्यों को कर सकेंगे। अभी पंजाब की स्थिति को सामान्य बनने में समय लगेगा और इसके लिए ज्यादा धन की जरूरत पड़ेगी। आपको इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए।

मुझे यही 2-3 बातें आपके सामने निवेदन करनी थीं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इस मद के लिए एक घण्टे का समय आबंटित किया गया है। अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे यथासम्भव संक्षेप में बोलें।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति महोदय, पंजाब के सम्बन्ध में पेश की गई अनुदानों की मांगों का मैं समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं।

इसमें मंत्रि-परिषद् के सम्बन्ध में जो खर्चा निश्चित किया गया है, तो मंत्रि-परिषद् इस समय है नहीं, यह कब अपना कार्य करेगी ? मैं चाहूंगा कि यह जल्दी अपना कार्य करे, इस सम्बन्ध में भारत सरकार निश्चित करे।

निर्वाचन के सम्बन्ध में 132 लाख 39 हज़ार की राशि रखी गई है, यह कौन-से चुनाव पर खर्च किया जाएगा ?

पुनर्वास और राहत-कार्यों के बारे में जो 61 लाख 19 हजार की माँग रखी गई है, क्या यह उन लोगों के लिए है जो वहां घटना चक्र इस समय चला उसमें परेशान हुए, या उजड़े या यह किसी और मद में खर्च किया जायेगा।

पुलिस के बारे से श्री शास्त्री जी ने जो बात कही, यह सही है कि जनता पार्टी के शासन में पुलिस के अन्दर की गई भर्ती में सुधार लाने की आवश्यकता है। पंजाब में जो अकाली सरकार थी, उसमें सुधार लाने सम्बन्धी सरकार क्या करने जा रही है ?

उग्रवादी सिखों के द्वारा जो गतिविधियां चलीं, उस संघर्ष में जिन पुलिस कर्मचारियों ने अपने जीवन की बलि दी है, उनके परिवारों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या योजना बनाई है ? उग्रवादियों को स्वर्ण मन्दिर में से निकालने में जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को राहत

पहुंचाने के सम्बन्ध में इसमें कोई बात नहीं कही गई है। यह पंजाब का बजट है और इन लोगों ने पंजाब के लिए ही बलिदान दिया है। स्वर्ण मंदिर के लिए हिन्दू और सिख एकता को दृष्टि में रखते हुए, राष्ट्रीय अखंडता को ध्यान में रखते हुए हर प्रान्त के सैनिक नौजवानों ने उसमें अपना बलिदान दिया है। हमारा डिफेंस विभाग इस बारे में कुछ करेगा, लेकिन पंजाब सरकार का भी यह दायित्व है कि वह उन सैनिकों के परिवारों की सहायता करे। इस विधेयक में उसका कोई उल्लेख नहीं है। मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि विभिन्न प्रान्तों के हमारे जो सैसिक शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सहायता देने के लिए क्या कोई योजना बनाई गई है, यदि हां, तो वह पेश करनी चाहिए।

अकाली सरकार ने पंजाब के सभी विभागों में बहुत मनमानी और अव्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी थी। कई कार्पोरेशनों में केवल एक जाति के लोग चेयरमैन बनाए गए और उन्हीं लोगों को अंधाधुंध भरती कर दिया गया। पंजाब में अन्य जाति, वर्ग और विचार-धारा के योग्य लोग भी रहते हैं। उनकी सेवाओं से लाभ उठाया जाना चाहिए। केवल एक जाति के लोगों को सारे कार्पोरेशन्ज का चेयरमैन बना दिया जाए, यह उचित प्रतीत नहीं होता। पंजाब में हिन्दू, सिख, आर्य समाजी, सनातनी, निरंकारी और राधास्वामी आदि सब रहते हैं। सरकारी विभागों और कार्पोरेशन्ज की सेवाओं के लिए नियुक्तियां करते हुए उनमें बैलेंस रखना चाहिए। वह बैलेंस अकाली सरकार के समय टूट गया था। क्या सरकार उसमें कोई सुधार लाना चाहती है या नहीं ? मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन बातों का स्पष्टीकरण करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, पंजाब विनियोग विधेयक, 1984 में 41 मदों में भिन्न-भिन्न राशियां दी हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने पुलिस आदि की तरफ इशारा किया है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि यह संसद पंजाब के बजट को पास कर रही है। सरकार को जितनी जल्दी हो सके, वहां की स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पंजाब में राष्ट्रपति शासन या केन्द्र सरकार का शासन लम्बे समय तक रहना हमारे लिए खतरे का कारण बन सकता है। सरकार कोशिश करे कि या तो विधान सभा को बहाल किया जाए या दोबारा चुनाव करा के लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जाये।

पंजाब में आज जो स्थिति है, उसके बारे यहां पर कई बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन फौज के बल पर पंजाब में ज्यादा दिनों तक सामान्य स्थिति नहीं बनाए रखी जा सकती है। मैं मांग करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, फौज को वहां से वापस बुलाया जाए और वहां पर सामान्य स्थिति पैदा की जाए। शासन फौज के हाथ में हो और पुलिस पर भी विश्वास न रहे, दीर्घकालीन दृष्टि से यह स्थिति अच्छी नहीं है।

हमारे जो फौजी स्वर्ण मन्दिर में से उग्रवादियों को निकालते हुए शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को कोई न कोई राहत देने के लिए इस बजट में प्राविजन करना चाहिए। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण, उसके द्वारा देर से कदम उठाने के कारण, हमारे जो भाई

वहां पर सहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सहायता देने के लिए विशेष तौर पर प्राविजन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, तो हमारी फौज का मौरल गिरेगा।

जो मंदिर तोड़े गए हैं, उनको मरम्मत की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर अकाली इसके लिए तैयार हैं, तो उसके लिए भी सहायता-कार्य करना चाहिए? लेकिन जिस ढंग से संता सिंह को सरकार ने वहां ले जाने और कार सेवा कराने का काम किया है उससे आप पंजाब की स्थिति को सामान्य नहीं बना पायेंगे। आपने उनको वहां पर ले जाकर जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। इससे आप देश की एकता और अखण्डता को नहीं बचा पायेंगे। आप वहां पर सिखों द्वारा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेंटी के सदस्यों द्वारा कार सेवा चलाने का काम करें वरना स्थिति यह होगी कि आज संतासिंह के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण किया जा रहा है, वे इसका निर्माण करेंगे और कल जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वहां पर आयेगी तो वे लोग उसको गिराने का काम करेंगे और फिर उसको बनायेंगे। तो यह गिराने और बनाने का काम होगा वह हमारे लिए अच्छा नही होगा। संतासिह कहते है कि पुनर्निर्माण होगा और सिखों के दूसरे प्रतिनिधि कहते हैं कि यदि इसका निर्माण किया गया तो उसको गिराकर फिर निर्माण किया जायेगा। इस प्रकार से एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। इसका कारण यह है कि आपने सिखों को अपने विश्वास में नहीं लिया है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि पंजाब के उद्योग-धंधों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। बहुत से मालिक अपने उद्योगों को पंजाब में छोड़कर चले आए हैं क्योंकि उनको वहां पर चैन से काम ही नहीं करने दिया गया। इसके कारण पंजाब में औद्योगिक प्रोडक्शन में बहुत गिरावट आई है। मेरा निवेदन है कि सरकार प्रोटेक्शन देकर उनके उद्योगों को वहां पर चलवाने का काम करे ताकि औद्योगिक प्रोडक्शन बढ़ सके। सरकार उनको बैंकों से सही रूप में सहायता भी दिलाने की व्यवस्था करे वरना इस देश की जो अर्थ-व्यवस्था है, जिसकी बैक-बोन पंजाब है, वह टूट जायेगी। लुधियाने की जो होजरी का उद्योग है वह भी बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। इस उद्योग को भी पुनरुज्जीवित करने के लिए आप इस बजट में अच्छे प्राविजन लायें वरना पंजाब और इस देश की अर्थ-व्यवस्था सुधर नहीं पायेगी। मैं ज्यादा न कहते हुए वही कहना चाहता हूं कि आप उद्योगों के ऊपर खास नजर रखें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब की कृषि पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वहां के जो इन्नोसेंट किसान हैं—हिन्दू या सिख—वे अपने खेतों और ट्यूबवैलों पर जाकर काम नहीं कर पाये हैं। खेती के संबंध में एक समस्या यह भी रही है कि उसमें जो फिजिकल काम करने वाला लेबर है वह पंजाब का नहीं है बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश से वहां पर जाता था लेकिन इस बार वह वहां पर नहीं जा पाया है। इस कारण भी पंजाब की कृषि प्रभावित हुई है। मेरा निवेदन है कि उस लेबर को सरकार की ओर से गारंटी देकर वहां पर भेजकर काम कराने की व्यवस्था की जाए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : किसके द्वारा सुरक्षा दी जाए? सेना और पुलिस द्वारा नहीं।

श्री जगपाल सिंह : आप बाद में जवाब दीजिएगा ।

आज वहां पर मजदूर जाने के लिए तैयार नहीं हैं । बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर वहां नहीं जा रहे हैं । डेढ़ साल से वहां पर मजदूर नहीं गया है । इस वजह से वहां की कृषि भी प्रभावित हुई है और लाखों मजदूर भी अपने बच्चों का पेट पालने से महरूम हुए हैं ।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : इसके लिए उत्तरदायी कौन है ? इसका उत्तरदायित्व जनता सरकार पर है । (**व्यवधान**)

श्री जगपाल सिंह : इसके लिए आपकी पार्टी और आपकी सरकार जिम्मेदार है । भिण्डरावाले को पैदा करने वाले आप हैं । स्वर्ण मंदिर में आज जो भी स्थिति पैदा हुई है उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर है । जिस स्थिति में आज वहां फौज भेजनी पड़ी है उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी पार्टी और सरकार पर ही है । इसका कारण यह है कि आपने समय पर कोई कदम ही नहीं उठाया । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं ? आपकी भी बारी आयेगी और आप उन्हें उनकी बात का उत्तर दे सकते हैं । कृपया धैर्य रखें ।

4.00 म० प०

श्री जगपाल सिंह : ऐसी बात इसमें नहीं लानी चाहिए । जिस प्रकार की स्थिति वहां पैदा हो रही है, उसको हम भी मानते हैं और आप भी मानते है कि हमारे देश की एकता और अखण्डता को तोड़ने के पीछे साम्राज्यवादी ताकतें हैं । में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि सरकार उचित कदम उठाती तो यह स्थिति पैदा न होती । इस परिस्थिति का मुकाबला रूलिंग पार्टी और विरोधी दलों को इकट्ठे होकर करना पड़ेगा ।

सभापति जी, मैं अपनी बात खत्म करते हुए उन साम्राज्यवादी ताकतों से कहना चाहता हूं कि वे हिन्दुस्तान में अपोजीशन और रूलिंग पार्टी में मतभेद पैदा करके मुल्क को नहीं तोड़ सकते हैं । अगर उन्होंने तोड़ने की कोशिश की तो हम लोग अपोजीशन और रूलिंग पार्टी के मतभेद को भूलकर उनका मुकाबला करेंगे और उनको दुबारा इस धरती पर नहीं आने देंगे । इन शब्दों के साथ मैं पुनः बजट में उन फौजी भाइयों के लिए भी प्रोवीजन की मांग करता हूं । कृषि की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए । स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो इन्डस्ट्रीज हैं, उनको प्रोटैक्शन देकर बढ़ाने का काम करना चाहिए, तभी आपके इस बजट की मंशा पूरी हो सकती है ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं पंजाब की अनुपूरक मांगें, 1984 जो सदन में प्रस्तुत की गई है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

किसी भी देश में और किसी भी प्रान्त में जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक

नहीं होती है, तब तक उस प्रान्त और देश की प्रगति नहीं हो सकती है । हमारी केन्द्रीय सरकार पंजाब के राष्ट्रपति शासन में जिस प्रकार से काम कर रही है, जो कदम उठा रही है, उसकी प्रशंसा सिर्फ हिन्दुस्तान की जनता ने ही नहीं बल्कि दुनिया ने की है । हमारी प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी, ने जो कदम उठाया है, वह ठीक समय पर उठाया है ।

एक तरह तो विरोधी पार्टियां यह कहती हैं कि अकालियों से समझौता करो और जब हमने समझौता करने की कोशिश की और समझौते में कतई कहीं गुंजाइश नहीं रही तब जाकर हमने यह कदम उठाया है और समय पर उठाया है । कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक ढंग की होगी तो हमारे कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में जो रुकावट आ रही है, वह दूर हो जाएगी । इस ओर हम धीमे-धीमे प्रगति कर रहे हैं और आज भी यह परिस्थिति है कि पंजाब में उत्पादन बहुत ही अच्छा हुआ है । उत्पादन की दृष्टि से जिस प्रकार का उत्पादन 1982-83 में हुआ, उसको देखते हुए 1983-84 में उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है । प्रोव्योरमेंट की दृष्टि से पंजाब हमेशा अग्रणी रहा है, अग्रणी था और अग्रणी रहेगा । इन परिस्थितियों में भी हम कानून और व्यवस्था को कायम रखते हुए, लोगों के अन्दर भय को समाप्त करते हुए हम आगे बढ़ते गए । यह सही बात है कि जब कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो उसका असर पड़ता है, अगर यह स्थिति सही होती तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इन्डस्ट्री प्रोडक्शन और भी ज्यादा होता । इसलिए पंजाब आगे बढ़ रहा है और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने हिलिंग टच के बारे में कहा है, हमें उसका प्रयास करना चाहिए । हमें किसी को बुरा कहने की नीति में परिवर्तन करना चाहिए । हमें सुधार की नीति अपनानी चाहिये । पुलिस की कमजोरियां हमें मालूम हैं, इन्टेलिजैंस की कमजोरियां हमें मालूम हैं और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने महसूस किया है कि उनमें परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए हमको यह परिवर्तन करना चाहिए । पुलिस का जो स्क्रूटमेन्ट हो, उसमें राष्ट्रीय विचार-धारा के लोगों को लेने का प्रयास करना चाहिये । एटेट्स में जो आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अफसर हो, उनमें 50 परसेन्ट वहीं के हों और 50 परसेन्ट दूसरी जगहों से आयें । सरकार ने इस सम्बन्ध में जिस नीति की घोषणा की थी, उसका इम्प्लीमेंटशन करना चाहिये, यह एक बहुत अच्छा कदम है । पहले जब हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के ट्रांस्फर का मामला आया तो उस समय उसकी बहुत अलोचना की गई थी, लेकिन अब देख रहे हैं, मैं विशेष रूप से अपने राजस्थान के बारे में कह सकता हूं, सभी एडवोकेट्स अब इसको एप्रीशियेट कर रहे हैं और जनता भी इसको एप्रीशियेट कर रही है । हमारा देश बहुत बड़ा देश है, उसमें किसी प्रान्त में केवल उसी प्रान्त के अधिकारी हों, यह उचित नहीं है । इसका बहुत कुप्रभाव पड़ता है और पहले पड़ा भी है । पंजाब में ही जो पंजाब के आई० पी० एस० और आई० ए० एस० आफिसर्ज थे, उनको जो भूमिका अदा करनी चाहिये थी, वह उन्होंने अदा नहीं की । इसलिये केन्द्रीय सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसके शीघ्र कार्यान्वित की आवश्यकता है ।

हमारी आर्मी ने पंजाब में जो भूमिका अदा की है और जिस प्रकार से त्याग किया है उसके लिये हमें उनके परिवार के सदस्यों को अधिक से अधिक मुआवजा देना चाहिए । वहां की परि-स्थिति एक विशेष परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में हमारी आर्मी के जो जवान और लैफ्टीनेंट्स

सबसे पहले वहां गए, वे मौत के मुंह में गये। इसके लिए उनको पूरी तरह से मुआबजा दिया जाना चाहिए। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको पूरा मुआवजा देकर उनका सन्तोष करें।

भाखड़ा की जो मुख्य नहर है उसमें दो बार दरार पड़ी। पहली दरार पाटने में डेढ़ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और दूसरी दरार पर अभी काम चल रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था; मुझे मालूम हुआ है कि सिर्फ हरियाणा के किसानों को इससे 113 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, राजस्थान को जो नुकसान हुआ है, वह अलग है। दोनों दरारें जो डाली गई हैं, वे इस योग्यता के साथ डाली गई हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेकर डाली गई हैं, जिनसे पंजाब का नुकसान नहीं होता, हरियाणा और राजस्थान का नुकसान होता है। इसकी जांच की जानी चाहिए। इस घटना से हमारे यहां पीने के पानी तथा बिजली पर असर पड़ा है, एग्रीकल्चर में रुकावट आई है। इस नुकसान में हम किसानों की जो भी मदद कर सकते हैं, वह हमें करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आनन्दपुर साहब का जो रेजोल्यूशन है, खालिस्तान का जो नारा है, उनको हमें कतई मंजूर नहीं करना चाहिए और हमें राष्ट्रीय एकता के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। इस प्रकार की जो साम्प्रदायिक शक्तियां हैं, एक्सट्रीमिस्ट शक्तियां हैं, जो इस प्रकार के नारे लगाती हैं, उनका पूरी तरह से मुकाबला करना चाहिए। देश हमारे साथ है, देश की जनता हमारे साथ है, हमारा लक्ष्य बहुत महान है, विशाल है, हम अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। पंजाब की प्रगति होगी, विकास होगा, पंजाब ने हमारी बहुत मदद की है, राजस्थान में जो फैमीन कण्डीशन्ज थीं, उनमें पंजाब ने बहुत मदद की है। हम चाहते हैं कि पंजाब की उन्नति हो, विकास हो और वह देश की उन्नति में बहुत सहायक सिद्ध हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट तथा फाइनेन्स बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण): सभापति महोदय, आज हम पंजाब के बजट पर बहस कर रहे हैं। मैं आरम्भ में ही यह कह देना चाहता हूं कि लोक तान्त्रिक विचारवादी होने के नाते मुझे यहां किसी राज्य के बजट पर बहस करते हुए बड़ा दुःख हो रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान का सामान्यतः संघीय स्वरूप बनाया है यद्यपि इसमें अनेक परिसीमाएं भी हैं। किन्तु यह आशा की गई थी कि राज्य सामान्यतया स्वयं अपना संचालन करेंगे और जन प्रतिनिधि ही राज्य की आर्थिक समस्याओं पर विचार-विमर्श करेंगे। किन्तु यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाध्यकारी परिस्थितियों में हमें इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। अब, जितनी जल्दी असैनिक प्रशासन बहाल होगा। उतना ही अच्छा होगा। जितना जल्दी जन प्रतिनिधि वहां कार्य करने लगेंगे, सरकार कार्य करने लगेगी, हमारे लोकतन्त्र के लिए उतना ही अच्छा होगा। और इसलिए मैं आरम्भ में ही यह कहना चाहता हूं कि वहां पर सद्भावना का वातावरण पैदा करने के लिए सरकार को कम से कम स्वर्ण मन्दिर से सेना अवश्य हटा लेनी चाहिए। मैं सरकार

से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे व्यक्ति से 'कार सेवा' न करवाये जिसे ऐसा करने का कानूनी रूप से अधिकार नहीं है। इससे हमारे सिख भाईयों की भावनाओं को आघात पहुंचेगा और आघात पहुंच रहा है।

अब हम पंजाब पर बहस कर रहे हैं। पंजाब भारत के खुशहाल राज्यों में से एक राज्य है और मैं पंजाब के वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के बजट देख रहा था। यह राज्य राजस्व की दृष्टि से अधिशेष राज्य है। इसके अतिरिक्त, इसकी प्रति व्यक्ति आय भी सब से अधिक है। यह सब इसकी कृषि के कारण है। पंजाब मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी समृद्धि का आधार कृषि है और आज वहां जो पैदा होता है वह हरित क्रान्ति का परिणाम है। हम यह जानते हैं। किन्तु दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि पंजाब में समृद्धि में होते हुए भी गरीबी बनी हुई है।

मैंने अभी हाल में कुछ आंकड़े एकत्रित किए हैं और उनसे यह पता चलता है कि पंजाब में 10 प्रतिशत किसानों का 37.08 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर नियन्त्रण है। 10 प्रतिशत किसानों के पास 37.08 प्रतिशत क्षेत्र है और उनमें से अधिकांश के पास 20 एकड़ से भी अधिक भूमि है। 41.56 प्रतिशत किसानों के पास 49.79 प्रतिशत कृषि भूमि है और 48.44 प्रतिशत किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम की छोटी-छोटी जोतें हैं ओर यह रोग कुल क्षेत्र का 13.13 प्रतिशत से भी कम बैठता है। हरित क्रान्ति के इस इलाके में हम देखते हैं कि राज्य सरकार के ताजा सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार छोटी जोतों वाले अधिकांश लोग, जो वहां की जनसंख्या का 45 प्रतिशत हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। अत: जिन किसानों के पास 20 एकड़ से अधिक जोतें हैं वे समृद्ध हैं। गरीबी कहां है ? वे लोग गरीब हैं जो सीमान्त किसान हैं। जिनके पास 5 एकड़ से कम जोतें हैं पंजाब में अधिकांश लोग गरीब इसलिए हैं कि उनके पास भूमि कम है जो कि उनकी आय का एकमात्र साधन है। केवल यही नहीं। इससे यह पता चलता है कि हरित क्रान्ति का लाभ केवल 10 प्रतिशत कृषक समुदाय द्वारा ही उठाया गया था। आप हरित क्रान्ति अथवा उत्पादन में वृद्धि की बात करते हैं। यह सत्य है कि उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई है, यद्यपि विशेषज्ञों के अनुसार अब इनमें ठहराव आ गया है। किन्तु ऐसे कौन से कृषक परिवार हैं जो महंगे होते जा रहे कृषि आदानों का मूल्य वहन कर सकते हैं ? केवल वही कर सकते हैं जिनके पास बाजार में बेचने के लिए फालतू अनाज होता है। वे कौन-से कृषक हैं ? निश्चय ही ये वे किसान हैं जिनके पास 20 एकड़ से अधिक जोतें हैं। यही कारण हैं कि पंजाब में 10 प्रतिशत लोगों ने ही उस हरित क्रांति से सभी प्रकार का लाभ उठाया है जिसका सतारूढ़ दल द्वारा इतना अधिक प्रचार किया जाता है। विकास तो हुआ है किन्तु किसकी कीमत पर ? इस प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय को देना है !

सभापति महोदय : क्या बंगाल में स्थिति भिन्न है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम अपनी ओर से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार संबंधी कई दूरगामी उपाय किये गए हैं, विधान सभा में हमने एक विधेयक पारित

किया है जिसमें न्यूनतम सीमा को काफी कम किया है, वह विधेयक केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है. मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब की तुलना में वहां स्थिति अच्छी है ।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : वहां सीमा क्या है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह 15 एकड़ थी । इसके बाद हमने इसमें कमी की और भूमि सुधार विधेयक मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन है । जैसे ही केन्द्रीय सरकार इसकी मंजूरी दे देगी, हम भूमि सुधारों को लागू कर देंगे । ये वास्तव में क्षुब्ध कर देने वाले तथ्य हैं कि लुधियाना जैसे विकसित जिले में अधिकाधिक किसान खेती-बाड़ी छोड़ रहे हैं और जनगणना के अनुसार 71-81 के दशक में कृषि सम्बन्धी बेरोजगारी में काफी वृद्धि हुई है । और 1961-71 के दशक में पंजाब में खेती-बाड़ी छोड़ने वाले कास्तकारों की संख्या 7 प्रतिशत थी । जब सीमान्त किसान खेती छोड़ देता है तो वह क्या करें ? अपनी भूमि खोकर, जब उन्हें गांवों में कोई उपयोगी रोजगार नहीं मिल पाता तो वे मुकाबले में नहीं खड़े हो सकते—श्री रंगा आप विशेषज्ञ हैं, आप जानते हैं कि सीमान्त किसान अपनी भूमि क्यों खोते हैं और कैसे वे शहरी मजदूर वर्ग बन जाते हैं—और पंजाब में समस्याएं पैदा कर रहे हैं । अगर उग्रवाद की जड़, किसी को पता लगानी है तो उन्हें इन उजड़े हुए ग्रामीण लोगों में यह जड़ मिलेगी । वे शहरों में नौकरी की खोज में जाते हैं और जब नौकरी नहीं मिल पाती तो उनमें से कुछ उग्रवादी बन जाते हैं । मैं आपके द्वारा दिये गए आंकड़े, सरकारी आकड़ों के आधार पर ही कह रहा हूं ।

भारत के सबसे खुशहाल प्रदेश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है ? 1966 में 9,321 तकनीकी, प्रशिक्षित और व्यावसायिक लोग बेरोजगार थे और आज 64,771 लोग बेरोजगार हैं । 9,00 से बढ़कर 64,000 हो गई है । जहां तक दफ्तरों में काम करने वालों की बेरोजगारी का संबंध है, 1966 में उनकी संख्या 2,713 थी और 1981 में बढ़कर 45,708 हो गई है । इसके अलावा कुल बेरोजगारों की संख्या—मैं कुल पंजीकृत बेरोजगारों के बारे में कह रहा हूं—1966 में 50,578 थी और 1981 में 4,86,081 हो गई । पंजाब में यह स्थिति है । हरित क्रांति वाले प्रदेश, खुशहाली कहे जाने वाले प्रदेश में 45 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं । यह इसलिए हुआ कि बिना भूमि-सुधारों को लागू किए हरित क्रांति पंजाब में थोपी गई । आप राष्ट्र संघ की रिपोर्ट देखें । उनमें कहा गया है कि हरित क्रांति से सामाजिक तनाव उत्पन्न होंगे । क्यों ? सामाजिक तनाव क्यों पैदा होगा ? क्योंकि हरित क्रांति से निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होगी, वे भारत के लोगों को खिला रहे हैं, लेकिन लाभ बहुत कम लोगों को ही मिलेंगे । उन लोगों को मिलेगा जिनके पास फालतू भूमि है, काफी भूमि है । लेकिन गरीब लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । यह राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में कहा गया है । और आज हम देखते हैं कि हरित क्रांति की वजह से ही पंजाब में सामाजिक तनाव है । यह सफलता इस कारण असफल हो गई क्योंकि इससे सामाजिक तनाव पैदा हुआ है और इसके फलस्वरूप हम पाते हैं कि उग्रवाद में वृद्धि हुई है, क्योंकि बेरोजगारी में वृद्धि हुई, नैराश्य में वृद्धि हुई है । पंजाब में यह स्थिति है ।

अब, इस आन्दोलन की वजह से, और मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब की विशेष स्थिति के कारण, वहां कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई है और दुर्भाग्यवश राज्य सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर सकी है। वहां क्या हो रहा है? इसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। जैसाकि मेरे मित्र कह रहे थे, आज पंजाब अपनी कृषि मजदूरों की आवश्यकता के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य प्रदेशों पर निर्भर है। ये लोग, वहां पर बुवाई मौसम और कटाई मौसम में जाते हैं। लेकिन वहां की कठिन परिस्थितियों के कारण, वहां की कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण, पंजाब में अन्य क्षेत्रों से आने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत कम रह गई है। सुरक्षा न होने के कारण, ये लोग वहां जाने से कतरा रहे हैं।

मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल की तरह पंजाब में भी ऋण जमा अनुपात राज्य के हित में नहीं है। माननीय वित्त मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मेरे पास पंजाब से संबंधित आंकड़े हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा, यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वहां पंजाब में सामान्य स्थिति पैदा करे। यह एक काफी खुशहाल प्रदेश है, और जिस समस्या का मैंने अभी-अभी जिक्र किया उसका समाधान करना सरकार का कर्त्तव्य है। जब तक भूमि सुधार लागू नहीं किए जायेंगे, जब तक लोगों को यह विश्वास न हो जाए कि विकास का फल उन्हें मिल रहा है, तब तक असंतोष रहेगा।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : ठीक है। हम आपसे सहमत हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह वित्त मंत्री के लिए है कि वे इस ओर ध्यान दें कि कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि लाभप्रद व्यवसाय नहीं रह गया है। आपको इस बारे में ध्यान देना होगा कि सीमांत किसानों की आर्थिक शक्ति पर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से काफी बुरा असर पड़ रहा है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : इसमें एक वर्ष में दो दफा उर्वरकों के मूल्य घटाये हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : ये कुछ समस्यायें हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री सरकार की नीति को स्पष्ट करें।

अन्त में, मैं मांग करता हूं कि प्रशासनिक उपायों पर निर्भर रहने की बजाय हमें वहां पर बहुत जल्दी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करनी चाहिए।

कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री कह रहे थे कि जब स्वर्ण मंदिर में सेना ने प्रवेश किया, वह क्षण हमारे लिए गौरव का क्षण था। यह गौरव का क्षण नहीं था। यह आवश्यकता हो सकती थी। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। अगर समय रहते, सही उपाय किए जाते, इसकी नौबत ही न आती। जब प्रसासन ठप्प हो गया, जब आप समस्या को नहीं सुलझा पाए, आपने सेना को आदेश

दिया कि कुछ करके दिखाएं। इसमें कोई शक नहीं कि यह आपका कर्त्तव्य था इससे आपकी सरकार की असफलता जाहिर होती है, इससे केन्द्रीय सरकार की असफलता जाहिर होती है। सेना की सफलता से देश में असैनिक प्रशासन की कमियां, असफलता जाहिर होती है। अगर आन्तरिक मामलों के लिए भी आप सेना पर निर्भर करेंगे तो आप यह नहीं कह सकते कि यह गौरव का समय है। यह अंधकार की घड़ी है ? अंधकार इस मायने में कि राजनैतिक ···(**व्यवधान**)

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : हमारी प्रधान मंत्री ने बार-बार सभा के अन्दर और बाहर कहा है कि···(**व्यवधान**)···

सभापति महोदय : आपको भी इस विषय पर बोलने का समय दिया जायेगा। कृपया बाधा न डालें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं कह रहा था कि यह गौरव की घड़ी नहीं है। यह राजनैतिक विफलता है। यह राजनैतिक विपदा है। यह सिविलयन सरकार की विफलता है। यह केन्द्रीय सरकार की विफलता है। इसलिए, इस पर गर्व न करें। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं, कि यथाशीघ्र सामान्य स्थिति पैदा की जाए। वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए और पंजाब के लोगों को पंजाब का भाग्य बनाने दिया जाना चाहिए क्योंकि संविधान में उन्हें अपने क्षेत्र में खुद अपने भाग्य का निर्माण करने का अधिकार दिया है।

धन्यवाद।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, शुरू में ही अपने लायक दोस्त को बता देना चाहता हूं, सदन को याद होगा कि माननीय प्रधान मंत्री ने इस सदन में भी और बाहर भी, जब स्वर्ण मन्दिर में मिलैट्री का प्रवेश कराना पड़ा तो उन्होंने कहा था कि हमें बड़े भारी दिल से यह आदेश करना पड़ा है। मुझे आश्चर्य है कि हमारे सी० पी० एम० के मित्र आज इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं ? यह बात बिलकुल साफ हो गई है कि किसी को इसमें सुख नहीं था लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने वहां पर मिलैट्री का प्रवेश कराकर निश्चित तौर पर एक सामयिक कदम उठाया जिससे न केवल पंजाब की और गुरुद्वारे की पवित्रता ही बचाई बल्कि देश को खण्डित होने से बचा लिया।

माननीय सदस्य ह्वाइट पेपर पर बहस के समय विस्तार से तमाम आलोचना कर चुके हैं, मैं उनसे अपेक्षा करता था कि वह पंजाब के बजट पर बोलेंगे लेकिन वह सारे भारतवर्ष की बात करते हुए अपने बंगाल की तारीफ कर गए। आज सबको मालूम है कि वहां विद्युत उत्पादन की क्या समस्या है। आप कलकत्ते में जाइए, आपको सब पता लग जाएगा। आप आश्चर्य करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के और सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथोरिटी के होने के बाद पश्चिमी बंगाल में बिजली उत्पादन क्षमता में दिन-प्रतिदिन कमी आती जा रही है—(**व्यवधान**) आज वहां की इंडस्ट्री की हालत क्या है ? वहां केवल एक लाभ हो रहा है कि इनके कैडर के लोगों को वहां विभिन्न

स्थानों पर नौकरी में रखा जा रहा है । जो गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम है, स्वतः रोजगार की बात है, एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी० के कार्यक्रम हैं, उनसे इनके कैडर के लोगों को ज्यादा लाभ हो रहा है । यह हकीकत है, अगर इन तथ्यों की जानकारी करनी हो तो यहां से एक कमेटी जा सकती है ।

आज पंजाब का बजट एक असाधारण स्थिति में लोक-सभा में रखा गया है । ये लोग अकालियों का क्यों समर्थन करते हैं । हम कहते हैं कि देश एक है लेकिन ये सी० पी० आई० और सी० पी० एम० के लोग मल्टी नेशनल में विश्वास करते हैं इसलिए ये अकाली दल से मेल रखते है और इन्होंने उनको उकसाया । सोवियत यूनियन और यूनाइटेड अमेरिका की तरह हमारा देश नहीं है । हमारा देश एक है, हमारे यहां विभिन्न भाषाएं हैं, कल्चर हैं, लेकिन हमारा कांस्टीट्यूशन एक है ।

आपको याद होगा कि जब बहस चल रही थी तो आनन्दपुर के प्रस्ताव पर सबने यह कहा कि हमारा समझौता सारे का सारा हो गया था, लेकिन यह केन्द्र सरकार थी जिसने समझौते का डिक्लेयरेशन नहीं किया । उन्होंने ऐसा क्यों कहा ? हम इन लोगों की भावना समझ सकते हैं । ये लोग अपने पोलीटिकल लाभ के लिए ऐसा करते हैं ।

हम इस बजट का समर्थन करते हैं, लेकिन जैसा कि आचार्य भगवान देव ने कहा है, देश के जो सिपाही हरमंदिर साहब की सेंक्टिटी, पवित्रता, को बचाने के लिए मरे हैं, वित्त मंत्री को उनके परिवारों के लिये कुछ प्रावधान करना चाहिए । सारा देश जानता है कि वे वहां पर क्यों शहीद हुए । देश ने उनको जो डायरेक्शन दिया था, उनके अनुसार उन्होंने काम किया । उन्होंने शपथ ली थी कि हम जान का खतरा उठा कर भी हरमंदिर साहब की तरफ बन्दूक का मुंह नहीं करेंगे ।

इसके अलावा आतंकवादियों, उग्रवादियों और अलगाववादियों की कार्यवाहियों से तीन सालों में जो 300 व्यक्ति शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के लिये भी विशेष प्रावधान करना चाहिए ।

यह सही है कि वहां तक अर्थ-व्यवस्था का प्रश्न है, पंजाब सब राज्यों से आगे रहा है । श्री सत्य साधन चक्रवर्ती ने सरकार की नीतियों की आलोचना की है । मैं बताना चाहता हूं कि 1980 में जनता पार्टी ने एक जर्जरित अर्थ-व्यवस्था हमें दी थी । सी० पी० आई० और सी० पी० एम० दोनों जनता पार्टी का समर्थन करते थे ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सी० पी० आई० ने उसका समर्थन नहीं किया ।

श्री राम प्यारे पनिका : इन लोगों के क्या सिद्धांत हैं ? चौधरी चरण सिंह ने केवल दोहरी सभ्यता के प्रश्न पर जनता पार्टी को तोड़ा था । क्या आज आर० एस० एस० का प्रश्न

नहीं है ?—आज भी वह प्रश्न है । लेकिन श्री वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह को लगा कि हम लोगों का अस्तित्व समाप्त होने वाला है, इसलिए आज उनके द्वारा साम्प्रदायिकता और जातीयता का गठबंधन किया गया है । इसी आधार पर वे अगले चुनावों में वोट प्राप्त करना चाहते हैं···(**व्यवधान**)

जनता पार्टी के शासन ने देश की अर्थ-व्यवस्था को जर्जरित कर दिया था, उस अवधि में कृषि-उत्पादन में गिरावट आई थी, औद्योगिक उत्पादन की दर 1.4 परसेंट रह गई थी, जीवनोपयोगी चीजों का हर जगह अभाव था । इसके अलावा विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो गई थी । (व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है । चौधरी चरण सिंह इस सदन के माननीय सदस्य हैं और वह सदन उपस्थित नहीं है । इसलिए उनका नाम लेकर डीफेमेटरी भाषण देने की इजाजत न दें । (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा । अगर कोई असंसदीय बात कही गई है या सभा के सदस्य के प्रति अपमानजनक शब्द इस्तेमाल हुए हैं तो मैं उस पर ध्यान दूंगा ।

श्री जगपाल सिंह : चौधरी चरण सिंह सभा के सदस्य हैं । वह इस समय सभा में उपस्थित नहीं है । इसलिए वह चौधरी चरण सिंह की आलोचना नहीं कर सकते ।

श्री रामप्यारे पनिका : उनको क्लैरिफिकेशन देने का मौका मिलेगा ।

श्री जगपाल सिंह : पंजाब पर चर्चा हो रही है, जनता पार्टी पर नहीं ।

सभापति महोदय : इसी सभा के अन्य सदस्यों का नाम लेना कोई असाधारण बात नहीं है, लेकिन अगर कोई ग़लत टिप्पणी की गई है, अगर सदस्य के विरुद्ध कोई परोक्ष आक्षेप किया गया है तो मैं निश्चित रूप में कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा, लेकिन मैं उन्हें नाम लेने से मना कर नहीं कर सकता । वह आपका नाम ले सकते हैं । वह उनका नाम भी ले सकते हैं ।

श्री रामप्यारे पनिका : मैं चौधरी साहब का बड़ा सम्मान करता हूं लेकिन उनके कार्यों को यहां पर बतलाना आवश्यक है ।

सभापति महोदय : जब दूसरे सदस्य बोल रहे होते हैं तो आप भी बाधा डालते हैं और वे भी अब आप से बदला ले रहे हैं ।

श्री रामप्यारे पनिका : नहीं, ऐसा नहीं है ।

सभापति महोदय : मैं जानता हूं ।

श्री रामप्यारे पनिका : मैं बहुत सही बात करता हूं । मैं यह कह रहा था कि जनता पार्टी

के शासन काल में इस देश की अर्थ-व्यवस्था बहुत ही जर्जर हो गई थी । इस देश की प्लानिंग को रोलिंग प्लान के नाम पर इन्होंने बन्द कर दिया था लेकिन हमारी पार्टी के सत्ता में आने के बाद बावजूद बाढ़ और सूखे के और बावजूद पंजाब में इस प्रकार की स्थिति इन लोगों द्वारा पैदा किए जाने के, इस साल 15 करोड़ टन गल्ला देश में पैदा हुआ है जो कि एक रिकार्ड है । (व्यवधान) आज आवश्यकता इस बात की है कि पंजाब में सद्भावना का वातावरण पैदा किया जाए और हमारी प्रधान तन्त्री के शब्दों में वहां के लोगों के दिलों में जो घाव पैदा हुआ है उसको भरने की नितान्त जरूरत है ।

जगपाल सिंह जी ने सन्ता सिंह का जिक्र किया है । मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार ने प्रयास किया कि स्वर्ण मन्दिर का पुनर्निर्माण हो लेकिन कोई भी सामने नहीं आया और संता सिंह जी वालंटरी कार सेवा करने के लिए सहमत हुए और उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया । उसके बाद अब अकाली दल, पांच जत्थेदार और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने खड़क सिंह को यह काम सौंपा है लेकिन उन्होंने बहुत ठीक कहा है कि जब तक वहां पर सामान्य स्थिति नहीं होगी, जब तक वहां से मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेज नहीं हटाई जातीं तक तक वे कार सेवा का काम नहीं कर सकते हैं । श्रीमन्, इनके नेता चौधरी चरण सिंह भी नहीं चाहते हैं कि स्वर्ण मंदिर से सेना हटाई जाए जब तक कि सामान्य स्थिति नहीं आ जाती. लेकिन ये यहां पर अपने नेता के ही विरोध में बोल रहे हैं ।

श्री जगपाल सिंह : यह गलत इन्टरप्रिटेशन है । मैंने कहा है । कि जितनी जल्दी हो सके वहां पर सामान्य स्थिति लाई जाए । लम्बे समय तक वहां फौज को रखना देश के लिए हानिकारक होगा । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं दो सदस्यों को एक साथ बोलने के लिए कैसे अनुमति दे सकता हूं ? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । एक समय एक ही सदस्य बोलेगा ? जब तक आप नहीं मानेंगे अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री जगपाल सिंह : मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है ।

सभापति महोदय : उन्होंने कोई पर्सनल बात कही नहीं है । फिर पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी बाद में किया जा सकता है, अभी नहीं ।

श्री रामप्यारे पनिका : मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था निरन्तर सुधरती गई है । इसका एक प्रमाण यह है कि आई० एम० एफ० से जो लोन हमें लेना था उसको भी हमने लेना बन्द कर दिया । इस प्रकार आप देखेंगे कि देश की अर्थ-व्यवस्था अच्छी हुई है । पंजाब हमारे देश का एक हिस्सा है लेकिन वहां की हालत पिछले ढाई सालों में बहुत खराब कर दी गई । जनता पार्टी के शासन काल में इसके बिदेश मंत्री ने विदेशों में भी इस देश की प्रतिष्ठा को गिराया था । लेकिन हमारी सरकार देश की प्रतिष्ठा को उठाते हुए पंचवर्षीय योजना के

सारे लक्ष्यों को प्राप्त करती जा रही है। हमारी सरकार 18 खरब का नया प्लान बनाने जा रही है। हमारी सरकार ने हर दृष्टि से देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विदेश मन्त्री थे तो ज्यादातर वे विदेशों में ही रहते थे लेकिन जब हमारी सरकार आई तो विदेश के लोगों में यह कंपटीशन होने लगा कि इन्दिरा जी की सहानुभूति कौन प्राप्त करेगा। हमारे कार्यक्रमों की एक दिशा थी, हमारा एक लक्ष्य था, उसी लक्ष्य पर चल कर हमने सफलता प्राप्त की। जैसी कि कहावत है—कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा—ये सब विभिन्न पार्टियां एक होने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन देश की जनता ने इनको पहचान लिया है, इसलिए ये कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं।

इन चन्द शब्दों के साथ माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो मांगें रखी हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। उग्रवादी लोगों की वजह से जो हमारी अर्थ-व्यवस्था बिगड़ गई थी, नहर को काट दिया गया, उसके लिए केन्द्रीय सरकार को बजट में थोड़ी अलग से धनराशि देनी चाहिए। यह मैं कह सकता हूं कि मुट्ठीभर 15-20 प्रतिशत लोगों के कारण ही वहां पर शेष 85 प्रतिशत लोगों को परेशानी हो रही है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को थोड़ा-सा हाथ इस तरफ भी बढ़ाना चाहिए, ताकि बिगड़ी हुई व्यवस्था सुधर सके।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, अभी जो मैंने भाषण सुना, उससे पता चला कि बिना पंजाब के बारे में कुछ बोले हुए पंजाब के बजट पर कैसे डिसक्शन हो सकता है। क्या पंजाब भारत का भाग है, इसीलिए सारे भारत की हम चर्चा कर लें और चूंकि पंजाब एक भाग है, इसलिए पंजाब की चर्चा हो गई है।

सभापति जी, पंजाब के श्वेत पत्र पर चर्चा होने के समय में बहुत सुझाव दिए गए, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। किन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि पंजाब की समस्या का जो निदान निकाला गया है, वह वास्तविक निदान और स्थायी निदान नहीं है। वहां पर केवल प्रशासनिक समस्या ही नहीं थी, वहां राजनीतिक समस्या थी, तात्कालिक निदान वहां की विधि-व्यवस्था के बिगड़ने पर जो प्रयत्न किया गया, उससे पंजाब की समस्या का समाधान नही निकलेगा। समस्या अभी भी ज्यों की त्यों है, हमें उसका राजनीतिक-समाधान खोजना होगा।

जून के प्रथम सप्ताह में वहां फौजी कार्यवाही की गई, उसकी आवश्यकता थी और ठीक समय पर हुई। परन्तु क्या फौज की वहां उपस्थिति अभी तक आवश्यक है? इस पर हमें सोचना होगा। पाकिस्तान और अन्य विकासशील देशों का उदाहरण हमारे सामने है। हम नागरिक प्रशासन के लिए सेना को निमंत्रित करें तो उसका नतीजा यह निकलता है कि सेना ही नागरिक प्रशासन पर अधिकार जमा लेती है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू है, सब जगह लागू होता है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि सेना के अधिकारी लोग राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त किए गए हों। परन्तु पंजाब में ऐसा हुआ। कोई भी परिस्थिति हो राज्यपाल के सलाहकार के रूप में सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। पंजाब में सैनिक अधिकारियों की

जो नियुक्ति हुई है, इसका क्या परिणाम निकलेगा ? सैनिक अधिकारियों के अन्दर भी नागरिक प्रशासन के प्रति लिप्सा और तृष्णा पैदा होगी । जिस तरह से हम किसी शेर को आदमी के खून का स्वाद दिलायें तो वह उसके बाद नरभक्षी हो जाता है···

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इस किस्म की बात उनको नहीं बोलनी चाहिए । अब तक कई जैनरल्स गवर्नर हुए हैं···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : रिटायर होने के बाद ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : कार्यरत सलाहकार नियुक्त नहीं हुए हैं ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : इसमें क्या गलत बात है । हैदराबाद में जैनरल जे० एन० चौधरी गवर्नर थे ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : हैदराबाद की स्थिति भिन्न थी, वहां पंजाब जैसी स्थिति नहीं थी । हैदराबाद अपने को स्वतंत्र घोषित करना चाहता था, लेकिन पंजाब में ऐसी बात नहीं है । आप गलत उदाहरण न दिया करें ।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : गलत उदाहरण तो आप दे रहे हैं ।

प्रो० सत्यदेव सिंह : प्रो० मेहता ने बिलकुल गलत उदाहरण दिया है···

प्रो० अजित कुमार मेहता : प्रो० सत्यदेव सिंह ऐसी जगह से आते हैं जहां शब्दों की भाषा लोग नहीं समझते हैं, वहां के लोगों को समझाने के लिए किसी अन्य भाषा का प्रयोग किया जाता है । इसलिए वह हमारी बात नहीं समझेंगे ।

मैं निवेदन कर रहा था कि पंजाब में सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के सलाहकार के रूप में हुई है, उन पर विधि-व्यवस्था तथा न्याय जैसे मामलों की जिम्मेदारी डाली गई है, जो कदापि उचित नहीं है । सेना के जवान भी हमारी ही तरह के आदमी हैं, उनके अन्दर भी हमारी ही तरह लिप्सा और तृष्णा जागृत हो सकती है···

प्रो० सत्यदेव सिंह : उनमें राष्ट्रभक्ति ज्यादा है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं आपकी बात को इगनोर करूंगा । मैं कह रहा था कि सेना के जवान भी हमारी तरह के साधारण आदमी होते हैं; उनमें भी हमारी तरह लिप्सा और तृष्णा पैदा हो सकती है । हमारे लिए यह कदापि उचित नहीं है कि उनकी इस भावना को जागृत करने में हम सहायक बनें । सेना के जवानों की एक विशिष्टता यह होती है कि वे अनुशासन-बद्ध होते हैं तथा सामान्य समाज से अलग रखे जाते हैं लेकिन जब उनको इस तरह के नागरिक प्रशासन के कामों में लिया जाता है तो वह अनुशासनबद्धता एक तरह से समाप्त हो जाती है और वे एक

साधारण नागरिक की तरह के बन जाते हैं। साधारण प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है, उसका प्रभाव उन पर भी पड़ता है और वे भी भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमको अपनी सेना को इन कार्यों से अलग रखना चाहिए···

प्रो० सत्यदेव सिंह : प्रो० मेहता सदन में भ्रम पैदा कर रहे हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेना की वहां पर अनिश्चित काल तक उपस्थिति सिखों के मन में अस्थायी क्षोभ पैदा कर सकती है। सेना को न स्थानीय समस्याओं का ज्ञान होता है और न नागरिक प्रशासन का अनुभव होता है। इसलिए नागरिक प्रशासन में लगा देने के बाद स्थानीय समस्याओं का समाधान न कर पाने के कारण वहां के नागरिकों में असंतोष पैदा हो सकता है। लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वहां पर सेना का शासन है, वे देश के अन्य भागों की तरह से नहीं है, बल्कि देश में उपनिवेश की तरह से है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं—जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो बंगला देश, जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, के नागरिकों के मन में यह भावना घर कर गई कि वे तो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं और इस कारण से उनके मन में अलगाववादी भावना पैदा हो गई। अन्ततः पाकिस्तान का वह हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि सेना को नागरिक प्रशासन के कार्य में लगाया जाएगा तो उससे ऐसा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सेना को वहां लम्बे अर्से तक नहीं रखा जाना चाहिए।

मेरा यह भी कहना है कि हमें राज्य सरकार की दक्षता और विश्वसनीयता को लौटाना होगा। सेना के वहां रहते यह संभव नहीं हो पायेगा।

सभापति जी, वहां पर सेना को ज्यादा दिनों तक रखने के पीछे एक मंशा यह भी दिखाई पड़ती है कि सिखों के मन में हिन्दुओं के प्रति क्षोभ है और सेना को वहां से हटा लेने पर उनकी जान को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिन्दू संभवतः वहां अपनी रक्षा न कर पायें। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि वहां की परिस्थिति यह है कि सिखों का क्रोध हिन्दुओं के प्रति नहीं है बल्कि सरकार के प्रति है। इसीलिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए भी वहां से यथाशीघ्र फौज की वापसी जरूरी है। कम से कम स्वर्ण मन्दिर के परिसर से तो यह होनी ही चाहिए।

सभापति जी, भिंडरावाले की मौत से पंजाब के उग्रवादी छिन्न-भिन्न हो चुके हैं। अब हमें इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। हमारे सामने दो विकल्प हैं—या तो उन उग्रवादियों को एकदम समाप्त कर दें अथवा यह सोचें कि ये उग्रवादी सिख सिखों के साधारण नौजवान थे जो भिण्डरावाले के दुष्प्रभाव में आकर गलत रास्ते पर चल पड़े थे और उनको सही रास्ता दिखा कर उन्हें सुधारा जाए। मैं समझता हूं कि दूसरा विकल्प अधिक सहायक और समस्या के समाधान करने में अधिक सार्थक सिद्ध होगा। इस विकल्प को अपनाना चाहिए।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह सर्वविदित है कि पंजाब के दो वरिष्ठ नेताओं में जो कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं, आपसी मतभेद के कारण इस समस्या को बढ़ावा मिला। इसका परिणाम इतना बुरा निकला कि पंजाब में अगलाववादी ताकतें खड़ी हो गईं।

प्रो० सत्यदेव सिंह : अब तो भूतपूर्व मुख्य मंत्री राष्ट्रपति हो गए हैं, अब तो वे वहां की राजनीति में नहीं हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैंने भूतपूर्व मुख्य मंत्री कहा है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। हमारा सुझाव है कि इन दोनों भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों के समर्थकों के बीच का जो मतभेद है, जो झगड़ा है, उसको कम से कम दूर करा देना चाहिए। यह मतभेद और झगड़ा इतना अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए जिससे कि अगलाववादी ताकतों को बल मिले।

मेरा दूसरा सुझाव है कि सिखों के धार्मिक स्थान अकाल तख्त के विषय में हमें व्यावहारिकता से काम लेना चाहिए। यह मैं मानता हूं कि कार सेवा करने का अधिकार सभी को है। परन्तु वह कार सेवा सुनियोजित रूप से सिखों की संस्था के माध्यम से ही करवाई जाए। इससे सिखों को सन्तोष होगा। बाबा सन्ता सिंह जी द्वारा कार सेवा करने से कन्फ्रेन्टेशन की स्थिति पैदा हो गई है और प्रबन्ध समिति ने यहां तक घोषणा कर दी है कि उनके द्वारा किए गए काम को वह गिरा देंगे। इस तरह की कन्फ्रन्टेशन की स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए।

सभापति महोदय : ये सारी बातें तो पंजाब पर हुई चर्चा के समय कह दी गई हैं। अगर आपको पंजाब के बजट पर कुछ बोलना है तो कहिए। सभापति जी, मैं कह रहा था कि पंजाब की

5.00 म० प०

जो स्थिति है, उसमें जल्दी से जल्दी सुधार लाना चाहिए। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में बड़ी तोड़फोड़ हुई है। बहुत-सी जानें गई हैं। इसलिए आवश्यक है कि पुनर्वास के लिए और अधिक राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए। जिन परिवारों को क्षति हुई है, उनको अधिक से अधिक सहायता दी जा सके।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पंजाब की समस्या प्रशासनिक समस्या नहीं थी। यह एक राजनीतिक समस्या थी। इस समस्या का निदान सभी दल के लोग मिल बैठ कर करें। आनन्दपुर साहब के प्रस्ताव को भूल जाइए। विपक्षी दलों का उसको कभी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उस प्रस्ताव को भूल कर समस्या का समाधान निकालिए। तभी उग्रवादियों को हम मुख्य धारा से काट पाएंगे और समस्या का समाधान हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि इस विधेयक के लिए एक घंटा नियत किया गया है। हम पहले ही 1½ घंटा ले चुके हैं। हमारे पास अगली मद है—आधे घंटे की चर्चा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे संक्षेप में बोलें, और मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को पांच मिनट दे रहा हूं। अब श्री हरीश कुमार गंगवार बोलेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार : (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के लोग बड़े बहादुर होते हैं। अपनी बहादुरी का सिक्का उन्होंने हिन्दुस्तान भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जमाया है। सबसे पहले पंजाब को धक्का लगा जब हिन्दुस्तान के टुकड़े होकर पाकिस्तान बना। बहुत बर्बादी हुई। लेकिन पंजाब के लोगों ने अथक परिश्रम करके आज उसको हिन्दुस्तान का नंबर एक का राज्य बना दिया है। उन्होंने उद्योग धंधे स्थापित किए। खेती को अच्छा किया। फौज में सबसे अधिक नौजवान पंजाब ने दिए जिन्होंने हमारी सेवा की। पंजाब उस धक्के को सहन कर गया जो विभाजन में हुआ। उस वक्त पंजाब जल रहा था। आज दूसरा धक्का लगा है इन आतंकवादियों से। इसके लिए पूरी सिक्ख कौम को दोष देना बुरी बात होगी। इससे अधिक कोई गलत बात नहीं हो सकती। यह वह कौम है, जिसने कभी हाथ नहीं फैलाया और भीख नहीं मांगी और हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने में हमेशा मदद की। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि गलती किसने की है। मैं यह मांग करता हूं कि एक उच्चस्तरीय आयोग बनाया जाए, इन तमाम घटनाओं की जांच करने के लिए, जिससे वास्तविकता का पता चल सके। श्वेत पत्र जारी करने या स्पीचेज देने से कुछ नहीं होता है। उच्चस्तरीय आयोग बैठने से पता चलेगा कि किन कारणों से यह सब हो रहा है। जो लोग मारे गए हैं, चाहे वह फौज के हो या आम जनता के लोग हों, उन सबको ज्यादा से ज्यादा पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। अगर उनके मकानों या जायदाद का नुकसान हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी आपको करनी चाहिए जैसाकि और दंगा-ग्रस्त क्षेत्रों में आप किया करते हैं। हमारे जिन फौजियों ने अपनी जान पर खेल कर अपने काम को पूरा किया, उनको भी भारी रकम मुआवजे की उनके परिवारों को देनी चाहिए। लोकप्रियसरकार की स्थापना शीघ्र से शीघ्र की जानी चाहिए। जब तक रिप्रजन्टेटव गवर्नमेंट वहां नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। वार्ता का दौर फिर से होना चाहिए और राजनैतिक मुद्दा बनाकर राजनैतिक रूप से समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर फौज ज्यादा दिनों तक वहां रहेगी तो जैसा और जगह होता है, वही होगा। यह बात तो निर्विवाद सत्य है कि सीमा पर से हथियार आए। इसलिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा को और टाइट करना चाहिए जिससे फिर वहां हथियार न आ सकें। यह साबित करना मुश्किल होता है कि किस देश के जरिए उनको लाया गया। जान भी जाएं तो भी नाम लेना मुश्किल होता है। पंजाब से लेकर राजस्थान तक जितनी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, उस पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। अखबारों में छपा है कि आतंकवादियों के साथ-साथ सी० आई० ए० का भी इसमें हाथ है। इसकी जांच होनी चाहिए। यह पता लगाना चाहिए कि कौन-कौन व्यक्ति इसमें इन्वाल्वड हैं। मैं यह कह सकता था कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह अटर फैल्योर रही है। चार-पांच महीने के बाद तो आप खुद ही हट जायेंगे। बहुत बार आप कहते हैं

कि ठीक समय पर इलाज कर दिया। पैर में दर्द शुरू हुआ तो दर्द की गोली नहीं दी, वह फोड़ा बन गया। उसका इलाज नहीं हुआ तो डाक्टर ने कहा कि पैर काटने से काम चलेगा। आपने पैर काट दिया। यह कौन-सा इलाज हुआ? अगर शुरू में इलाज कर देते तो यह दर्द ठीक हो सकता था। आपने एक टांग काटकर पूरे पंजाब को पंगु बना दिया। अभी, पनिका जी ने कहा कि साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ विरोधी दल वाले मेल करते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि केरल में मुस्लिम लोग के साथ मिल कर किसने सरकार बनाई, बम्बई में शिव सेना के साथ किसने समझौता किया, अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब में किसने सरकार बनाई, अकालियों को बढ़ावा किसने दिया, किसने उनके साथ समझौता किया—कांग्रेस आई ने और इंदिरा गांधी की सरकार ने। इतना ही नहीं, त्रिपुरा में आनन्दमार्गियों के साथ चुनाव समझौता किसने किया और अब परसों या उससे एक दिन पहले अखबारों में निकला है कि आजकल श्रीमती इंदिरा गांधी की आर० एस० एस० के चीफ श्री देवराज से बात हो रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, अखबारों में निकला है। इस समय यहां पर राम प्यारे पनिका जी बैठे हैं, शायद उन्होंने पिछला इतिहास नहीं पढ़ा। उनको सिर्फ बोलने से मतलब है। लेकिन साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ, वोट की खातिर, सरकार बनाने के लिए कांग्रेस आई और श्रीमती इंदिरा गांधी ने जितने समझौते किए हैं, उतने पहले शायद कभी नहीं हुए और जवाहर लाल नेहरू इससे हमेशा अलग रहे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सबसे बड़े साम्प्रदायिक हैं, साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ आप समझौता करते हैं और इसी कारण हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिकता बढ़ती जा रही है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक सदस्य इसी प्रकार बोलता रहा तो मुझे मंत्री को उत्तर देने के लिए कहना पड़ेगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : हाफ-ए-मिनट सर। अब मैं कार-सेवा के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि किसी सदस्य ने इस बजट को पढ़ा है। आप बजट पर नहीं बोल रहे हैं। अन्य कई बातें कही जा रही हैं, जो इस बजट के साथ बिलकुल प्रासंगिक नहीं हैं। मैं बिलकुल निस्सहाय हूं। मैं श्री गंगवार को कैसे समझाऊं?

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं बजट पर बोल रहा हूं। कृपया मेरा भाषण उठाकर देख लीजिए और उसमें से जो पंक्तियां प्रासंगिक नहीं हैं, निकाल दीजिए। महोदय, क्या आपने श्री राम प्यारे पनिका का भाषण सुना है? क्या यह प्रासंगिक है?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री को उत्तर देने के लिए कह रहा हूं। मैं किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। एक घण्टा समाप्त हो चुका है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : किसने इस देश में साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ समझौता करके उनको बढ़ावा दिया। (**व्यवधान**)

अब मैं कार-सेवा के सवाल पर श्रीमन् कुछ कहना चाहता हूं। जब कार-सेवा का मामला आया, तो संता सिंह जी के ज़रिए, यह सरकार कार-सेवा करा रही है। उधर गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओ ये यह झगड़ा मचाया जा रहा है कि संता सिंह जी कार-सेवा नहीं कर सकते, हमें इस सेवा को करना चाहिए, लीगली कार-सेवा करने का हक हमारा है। श्रीमन्, ऐसा लगता है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर, मुख्य मंत्रियों या दूसरे मंत्रियों के लिए ट्रकों में लोगों को ला-लाकर भीड़ इकट्ठी कराई जाती है, उसी तरीके से ट्रकों में इधर-उधर से लोगों को लाकर वहां भी भीड़ जुटाई जा रही है, ताकि कार-सेवा करवाई जा सके। मैं आपसे कहता हूं कि आप जल्दी ही समस्या पर समझौता करवाइये ताकि झगड़े का अन्त हो सके और मिलिटरी को वहां से जल्दी से जल्दी हटाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे। पंजाब के बजट के लिए एक घंटा नियत किया गया है। कोई भी सदस्य बजट पर नहीं बोल रहा है। सभी राजनीत पर बोल रहे हैं। हम विधायी कार्य के सम्बन्ध में समय सूची से काफी पीछे हैं। हमने और कोई कार्य नहीं किया है। (**व्यवधान**) यह ठीक है कि कुछ अन्य बहुत उपयोगी भाषण दिए गए हैं। यदि प्रत्येक सदस्य मुझे आश्वासन दे कि वह पंजाब के बजट पर बोलेगा, तो मैं आप सभी को बोलने की अनुमति दूगा। कोई भी सदस्य तीन मिनट से अधिक नहीं बोलेगा। चर्चा का विषय राजनीति नहीं है। हम पंजाब के बजट पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वहां कोई सरकार नहीं है, और यह केन्द्र का कार्य है। मैं उस पर आपके सुझाव चाहता हूं। आप क्या निकलवाना चाहते हैं, आप उनसे क्या जुड़वाना चाहते हैं; आप किन मुद्दों पर मंत्री महोदय से उत्तर चाहते हैं, और क्या आप उनसे निकलवाने या जुड़वाने की अपेक्षा करते हैं। क्या मैं आपको सिखाऊंगा ? आप सभी इस महान सदन के विद्वान, जानकार तथा माननीय सदस्य हैं।

यदि कोई सदस्य पंजाब बजट के सिवाय किसी और विषय पर बोलेगा तो मैं उसे रोक दूंगा। (**व्यवधान**) वे चर्चा की विषय वस्तु के साथ अप्रासंगिक हैं।

अब श्री सुन्दर सिंह बोलेंगे। वह केवल पंजाब बजट पर तीन मिनट बोलेंगे। उसके सिवाए किसी भी अन्य बात को अप्रासंगिक माना जाएगा।

मुझे किसी पक्ष या किसी सदस्य से कोई लेना-देना नहीं है। चर्चा में कुछ गम्भीरता होनी चाहिए। हम आपके राजनीतिक मुद्दों तथा राजनीतिक समस्याओं को हल नहीं ढूंढ सकते। यह सदन इस उद्देश्य के लिए नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई न्याय है कि उधर के लोग आधे घंटे तक बोलें और अब आप हमें 3 मिनट दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं ।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : डिप्टी स्पीकर साहब, पंजाब के मुताल्लिक मैं कहना चाहता हूं कि टैरेरिस्ट्स ने जो वहां काम किया है, इससे 2, 3 साल से वहां बदअमनी रही है । गरीब लोग वहां पर सहमे हुए थे, वहां इंडस्ट्रीज में कोई काम नहीं हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट्स वहां से भाग रहे हैं । पंजाब में जो इस वक्त गड़बड़ हुई है, उसकी वजह से वहां हालात बहुत खराब हैं । वहां गरीब जमींदार और गरीब किसान बहुत खराब हुए हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है । गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उनके लिए ऐलाट करे ।

जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है, वहां गरीब किसान काम करते हैं जिनकी जमींदारों से भी ज्यादा हालत खराब है । सरकार को हरिजनों के लिए 40 करोड़ रुपया एलाट करना चाहिए जिससे वह वहां जाकर आबाद हों । जो बड़े जमींदार हैं, वह तो शहर में आकर खाते हैं, जो हमारे गरीब आदमी हैं, वह काम करते हैं खेतों में, उनके लिए सहायता करनी चाहिए ।

मैं खुद भी एक जमींदार हूं, मैंने खुद ने काश्तकारी की है । अगर आप पंजाब में लैंड रिफार्म करते तो आपके जमींदारों के बच्चे भी हमारी तरह रोटी के लिए भागते । सैंट्रल गवर्नमेंट कहती हैं कि वह बड़े बहादुर हैं, वह बड़े बहादुर नहीं हैं, उन्होंने पंजाब का सत्यानाश किया है ।

यह जो बड़ी भारी कान्फरेंस यू० एस० ए० में हुई है, न्यूयार्क में वहां के बड़े-बड़े आदमी हिन्दुस्तान के बरखिलाफ नारे लगाते रहे हैं । वहां कहते हैं कि पंजाब अलग चाहिए । वह इंदिरा जी के बरखिलाफ बोलते है । मैं कहता हूं कि जो महात्मा गांधी और पं० जवाहर लाल नेहरू ने काम किए हैं, वे अमर रहें । आज वहां पर लोग हिन्दुस्तान का सत्यानाश करना चाहते हैं । छम्ब जोड़ियां में हमला हुआ तो परिजन वहां गए थे । राजपूत और बड़े जमींदार वहां नहीं गए थे । वहां पर जो मरे हैं, वे सब हरिजन थे । हिन्दुस्तान में मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के पास बहुत जमीनें है । अगर वे जमीनें गरीबों को दे दी जाएं, तो उनकी हालत सुधर सकती है । आप भगवान को कहां ढूढ़ेंगे ? क्या निर्धन, दुःखी तथा दलित भगवान का रूप नहीं हैं ? पहले उनकी पूजा कीजिए । मैं उस भगवान तथा धर्म में विश्वास नहीं करता जो एक विधवा के मुंह से आंसू नहीं पोंछ सकता तथा अनाथ के मुंह में भोजन का कौर नहीं डाल सकता । महात्मा गांधी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में नहीं जाते थे, क्योंकि वह समझते थे कि परमात्मा हर जगह है । इकबाल ने कहा है :

मन्दिर और मस्जिद में समझा है कि तू खुदा है,
खाके-वतन का मुझको हर जर्रा देवता है ।

कहा जाता है कि पंजाब से आर्मी को विदड्रा कर लेना चाहिए । तो फिर लोगों को बचाने का काम कौन करेगा ? मैं कहना चाहता हूं कि जब तक पंजाब की हालत बिल्कुल ठीक न हो जाए, तब तक आर्मी को वहां पर रहना चाहिए । महात्मा गांधी ने कहा है—

"आज विश्व के उद्दान मानस को ऐसे पूर्णतया स्वतंत्र राज्य की अपेक्षा नहीं जो एक दूसरे से झगड़ते हों, बल्कि परस्पर निर्भर मित्र राज्यों का संघ चाहता है।"

हर एक आदमी को उग्रवादियों की मुखालिफत करनी चाहिए थी लेकिन आपोजीशन वाले उनकी मदद कर रहे हैं। इससे उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। आर्मी एक्शन लेने पर सपोर्ट करते और श्रीमती इन्दिरा गांधी को सपोर्ट करते, तो उनको वोट मिल जाते। लेकिन अब उनको कोई वोट नहीं मिलेगा।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम संसद् में पंजाब का बजट डिसकस कर रहे हैं, जबकि 6 अक्तूबर को वहां पर राष्ट्रीय शासन समाप्त होगा। जब आपरेशन ब्लूस्टार वहां पर समाप्त हो गया है और राज्य नार्मल्सी की ओर बढ़ रहा है, इसलिए अब वहां पर राष्ट्रपति शासन को समाप्त करके लोकप्रिय शासन की स्थापना करनी चाहिए, या निलम्बित बिधान सभा को डिजाल्व कर देना चाहिए।

पंजाब एक ऐसा राज्य है, जो कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में देश भर में सबसे आगे था। वहां की पर-कैपिटा इनकम देश के सभी भागों की तुलना में ज्यादा है। लेकिन पिछले तीन वर्षों में उसकी व्यवस्था जर्जर हो गई है, आर्थिक गिरावट आ गई है और केन्द्र सरकार की ओर से उसको आर्थिक सहायता देकर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज वहां की आर्थिक स्थिति बड़ी भयावह, दर्दनाक और गम्भीर बन गई है। यदि सरकार ने पहले से ही ऐक्शन लिया होता तो यह नौबत न आती। पनिका जी ने चौधरी चौधरी चरणसिंह और वाजपेयी जी का नाम लिया लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि बी० जे० पी० के तीस हजार लोगों ने इस बात की मांग की थी कि पंजाब में फौजी आपरेशन की आवश्यकता है पर आपकी सरकार की समझ में नहीं आया (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के जालंधर, अमृतसर, लुधियाना आदि जो शहर हैं वह औद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं परन्तु उनकी हालत बड़ी दयनीय बन गई है। एक करोड़ तो नगरपालिका में ठेकेदारों का बकाया है जो कि मार्च तक उन्हें मिल जाना चाहिए था। पूंजी से जो आय होती थी उसमें भी 50 परसेन्ट की गिरावट आई है। इतनी बदतर स्थिति आज वहां पर हो गई है। जालंधर में एशिया की सबसे बड़ी री-रोलिंग मिल है लेकिन उसका काम भी ठप्प पड़ा है, इसी प्रकार से लुधियाना में वूलेन होजरी का सबसे बड़ा उद्योग है लेकिन वह भी ठप्प पड़ा है। यही स्थिति अन्य जगहों की भी है। सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे।

मेरा यह भी सुझाव है कि वहां पर सैनिक कार्यवाही से जो बरबादी हुई है या जो हत्यायें की गई हैं या जो बैंकें लूटी गई हैं या जो भी अन्य प्रकार की बरबादी की गई है उसको सुधारने के लिए सरकार तुरन्त कार्यवाही करे। जो भी जवान मारे गये हैं उनके आश्रित परिवार जनों को एक-एक लाख रुपए तुरन्त मुआवजा दिया जाए तथा साथ ही साथ राजस्थान नहर के किनारे जमीनें देकर प्राथमिकता के आधार पर उनको बसाया जाए। इसी प्रकार से जो अन्य बेकसूर लोग

वहां पर मारे गए हैं उनके आश्रित परिवार जनों को एक लाख रुपया दिया जाए। जिनकी उम्र 25 से 50 के बीच में थी और जो परिवार को चलाने वाले थे उनके लिए एक लाख का मुआवजा दिया जाए।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि स्वर्ण मंदिर परसर के आसपास जो 800 दूकानें बरबाद हो गई हैं उन लोगों का पीड़ित संघ यहां पर आकर प्रधानमन्त्री से मिला था और उन्होंने मांग की थी कि उनकी भी मदद की जाए। इन 800 लोगों के जो परिवार हैं उनको तुरन्त बसाने की व्यवस्था की जाए तथा उनको उदारतापूर्वक मुआवजा दिया जाए। अनुग्रह भुगतान की व्यवस्था तो तुरन्त की जानी चाहिए। यदि आप उनको गोल्डेन टेम्पल के अगल-बगल अब न रखना चाहें सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो कोई अलग मार्केट बनाकर उनको बसाने की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार से जितने भी उद्योग-धंधे बन्द हुए हैं उनको पुनः चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। इसी प्रकार से जो वहां पर खेती बाड़ी का काम वन्द हुआ है बिजली के अभाव में, वहां पर 80 हजार ट्यूवबेल हैं और साढ़े चार करोड़ रुपए के बिजली केबिल का भुगतान बकाया है जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है उसको रोका जाए। पैकेज प्रोग्राम के आधार पर कृषि तथा औद्योगिक विकास के जो कार्यक्रम हैं उनको द्रुत गति से लागू किया जाए। साथ ही लॉ एण्ड आर्डर में सुधार लाया जाए ताकि फिर से पंजाब एक औद्योगिक प्रान्त बन सके। वहां पर सामान्य स्थिति आ सके, इसके लिए आप हर प्रकार की कार्यवाही करें।

5.30 म० प०

आधे घण्टे की चर्चा

बिजली की आवश्यकता और उत्पादन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करते हैं। अध्यक्षपीठ से पहले ही यह घोषणा हो चुकी है कि जो कार्य-मदें पहले से आज के लिए सूचीबद्ध हो चुकी हैं, हमें उन्हें पूरा करना है। इसलिए, आधे घंटे की चर्चा के बाद हम यह कार्य जारी रखेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : यह कैसे सम्भव है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं। यह आपके ऊपर निर्भर है। यह घोषणा मेरे आने से पहले ही हो चुकी है। आधे घंटे की चर्चा के बाद हम पांडिचेरी के बजट पर भी चर्चा करेंगे।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, आज की आधे घण्टे की चर्चा अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है और जो देश पर बिजली संकट है, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे द्वारा 24 जुलाई को पूछे गए प्रश्न पर जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया था, उससे संबंधित जो पूरक प्रश्न बचे थे, उसके संबंध में यह चर्चा होने जा रही है।

उस दिन राज्य मन्त्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि इस देश में बिजली की आवश्यकता

156 बिलियन यूनिट की है। उसके एगेंस्ट में 140 बिलियन यूनिट बिजली पैदा हो रही है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यदि 16 बिलियन यूनिट बिजली और पैदा हो जाए तो देश की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी। उस प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने विशेषज्ञों की आड़ ली और तीन-चार बातों का जिक्र किया। पहली बात यह है कि बिजली की व्यवस्था करना, उपलब्ध कराना राज्य सरकार का काम है और केन्द्रीय सरकार का दायित्व नहीं है। फिर उन्होंने एक बात और कही, यह कहना संभव नहीं है कि कब तक मांग की पूर्ति हो जाएगी। मैं पहले, उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान खींचना चाहूंगा कि मंत्री जी ने कहा कि बिजली का उत्पादन 85 से 90 प्रतिशत आवश्यकता के अनुसार हो रहा है, यह आंकड़ा मंत्री महोदय को किसने दिया है, किस आधार पर दिया है? यह बात अभी भी मेरे दिमाग में नहीं बैठती है। जिस वक्त मन्त्री महोदय ने यह बात कही थी, तो विरोध पक्ष के लोगों ने उसका प्रतिवाद किया था। इन्होंने कहा था कि छः घंटे बिजली मिलती है, कहीं सात घंटे बिजली मिलती है और यह कहा था कि छः सात घण्टे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संबंध में, जिसका प्रतिवाद हम लोगों ने किया। मैं अभी पिछले दिनों अपनी कान्स्टीचूयेंसी में गया था, वहां महुवा में को-आपरेटिव सोसायटी का कोल्ड स्टोरेज है, जहां किसान अपना आलू का बीज स्टोर करता है। मैं जब वहां गया तो मैंने उनसे इसके बारे में बात की। मैंने उनसे कहा कि मंत्री महोदय कहते हैं कि खूब बिजली मिल रही है, आप बतलाइए कि आपको कितनी बिजली मिल रही है? जो गवर्नमेंट डाक्यूमेन्ट है उसके हिसाब से मैं आपको बतला रहा हूं—20-5-1984 से 26-51-984 तक एक मिनट के लिए भी बिजली नहीं आई। उसके बाद 6-6-1984 से 8-6-1984 तक एक मिनट के लिए बिजली नहीं आई। उसके बाद 12-7-1984 से 19-7-1985 तक बिजली नहीं आई। यह उस कोल्ड-स्टोरेज का हाल है जो प्रखण्ड के हैडक्वार्टर में है और जिसमें ढाई हजार किसान अपना आलू रखते हैं। 8 लाख 31 हजार रुपये के उसके शेयर हैं, 13 लाख 32 हजार रुपये का उस पर सरकारी ऋण है, लेकिन उसको बिजली नहीं मिल रही है, नतीजा यह होता है कि या तो कोल्ड स्टोरेज जहन्नुम से जायगा या किसान, जिसकी सम्पत्ति वहां रखी है, जहन्नुम में जाएगा।

मंत्री महोदय ने बतलाया था कि प्रदेश में पांच छः घण्टे बिजली मिलती है। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा—जब आप यह कहते हैं कि 6 घण्टे बिजली मिलती है तो आप इस बात को मान कर चलते हैं कि चौथाई बिजली मिलती है, यदि यह बात ठीक है तो आप कैसे कहते हैं कि 90 प्रतिशत आवश्यकता के अनुरूप बिजली का उत्पादन हो रहा है? मैंने पार्लियामेंट में एक प्रश्न पूछा था—हिन्दुस्तान में 5,76,916 गांव हैं, इनमें से कितने गांवों में बिजली की व्यवस्था कर दी गई है? मैंने बिहार के बारे में भी प्रश्न पूछा था और जवाब में बुलाया गया कि बिहार में 67,566 गांव हैं, मार्च, 1984 तक इनमें से 32,994 गांवों का बिजलीकरण हो चुका था। इसका मतलब है कि 50 प्रतिशत का भी विद्युतीकरण नहीं हुआ, बल्कि इनमें भी सब जगह बिजली नहीं पहुंच रही है, पोल पहुंच रहे हैं, जहां पोल खड़े कर दिये हैं उन गांवों को भी इनमें गिन दिया गया है। मैं एक और उदाहरण देता हूं—राजस्थान में आवश्यकता है—180 लाख यूनिट्स की, लेकित आपूर्ति हो रही है—केवल 75 लाख यूनिट्स की। मध्य प्रदेश को मांग है 20,358 मेगावाट्स की, आपूर्ति का तो पता नहीं, लेकिन उत्पादन हो रहा है 14,124 मेगावाट्स का।

हरियाणा में 180 लाख यूनिट्स की मांग है और वह भी सिर्फ उद्योग-धन्धों के लिए, लेकिन उसमें सप्लाई हो रही है—सिर्फ 90 लाख यूनिट्स। बरौनी के थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता 255 मेगावाट है, लेकिन उत्पादन हो रहा है—केवल 39 मेगावाट। जब सब जगहों पर डिमाण्ड के अनुरूप केवल 50 परसेन्ट की आपूर्ति हो रही है तब आप किस आधार पर कह रहे हैं कि 16 बिलियन यूनिट्स और हो जाय, 10 परसेन्ट अधिक उत्पादन हो जाय तो आवश्यकता की आपूर्ति हो जायेगी। मैं आपके इस स्टेटमेंट को चेलेंज करता हूं। मंत्री महोदय को जो इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट की ओर से दी गई है, उसमें डिपार्टमेंट ने उनको मिसलीड किया है। आवश्यकता, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अधिक है, जितना उत्पादन इस समय कर रहे हैं, यदि उसका दुगना उत्पादन भी करें, तब भी वह आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगा।

सबसे बड़ी बात यह है—इन्होंने सब स्टेटों की बिजली को लेकर एवरेज निकाल दिया है। कई स्टेट्स में हो सकता है, बिजली का उत्पादन अधिक होता हो। लेकिन मैं बिहार से आता हूं—आप बिहार को लीजिए। मंत्री महोदय स्वयं उत्तर प्रदेश से आते हैं, वे उत्तर प्रदेश को लें, और आप ईमानदारी से बतलाइये कि आपका यह कहना कहां तक सही है। हमारे यहां 29 परसेंट बिजली की कमी है। इसलिए जो आपने आंकड़े दिए हैं वे मुझको कन्विंन्स कहीं कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि आपने गलत आंकड़े दिए हैं, लेकिन यह डिस्कशन इसीलिए उठाया है कि आप ठीक से जांच-पड़ताल करें और सही तथ्य सामने आ सकें। आपके आंकड़े ऐसे होने चाहिए जो लोगों को कन्विन्सिंग लगें।

आपके यहां एक टर्म है टी० आर० डी०, जिसका मतलब है ट्रांस्मीशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन लास। मैं जानना चाहता हूं, जब आप जवाब दें तो मुझे बतलायें, आपने जो उत्पादन बतलाया है उसमें इसको इन्कलूड करके बतलाया है या एक्सक्लूड करके बतलाया है? क्योंकि आप कहते हैं कि आपके यहां 10 से 15 परसेन्ट लास का मार्जिन लेकर आप चलते हैं लेकिन आपके यहां एक्चुअल लास 29 परसेन्ट है। तो 29 परसेन्ट में यह इन्क्लूडेड या एक्सक्लूडेड किए हुए हैं।

दूसरे मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि राजाध्यक्ष कमेटी ने भी कहा है कि जो आइडियल यूटीलाइजेशन आफ कैपेसिटी होता है, वह 55 परसेन्ट का होता है और यह 55 परसेन्ट होनी चाहिए। अभी दो साल पहले आपके यहां यूटीलाइजेशन कैपसिटी 49 परसेन्ट थी और अब यह घट कर हो गया 47 परसेन्ट। इसका मतलब है कि एक साल में एक परसेन्ट। इतनी बिजली यूटीलाइजेशन कैपसिटी के लास का मतलब होता है 500 मेगावाट और 500 मेगावाट प्लान्ट लगाने का मतलब होता है 500 करोड़ रुपये का घाटा और दो यूनिट आप लें तो 6 हजार रुपये का घाटा चल रहा है। राजाध्यक्ष कमेटी ने 55 परसेन्ट रखा था और दो साल पहले जबकि यह 49 परसेन्ट था, अब घटकर 47 परसेन्ट आ गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिजली विकास का स्रोत है और मैं आपको बताऊं कि मैं दो महीने विदेशों में रह कर आया हूं और वहां एक मिनिट, एक सैकेंड के लिए भी बिजली नहीं जाती है। मैं गांव से गांव, यूनाइटेडस्टेट्स, केनाडा और लन्दन में गरीब से गरीब, जो वहां के मुताबिक गरीब है, के यहां रह कर आया हूं और वहां

कोई जानता भी नहीं है कि बिजली गुल हो सकती है, बिजली गायब हो सकती है लेकिन यहां पर बिजली की क्या हालत है। दिल्ली में हम लोग बैठे हुए हैं और दिल्ली में जो बिजली की हालत है, उस पर चर्चा भी हो चुकी है। बिजली विकास का श्रोत है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिजली की कमी के कारण 7 हजार करोड़ रुपए से लेकर 10 हजार करोड़ रुपए का प्रति वर्ष घाटा हो रहा है विभिन्न इंडस्ट्रीज में और आर्थिक जगत में।

मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि बिजली पर आपने क्या खर्च किया है। पहली योजना में पूरी योजना खर्च का 16.3 प्रतिशत खर्च किया है, दूसरी योजना में 11.2 प्रतिशत, तीसरी योजना में 15.6 प्रतिशत और पल्चवीं योजना चलते-चलते आपने 18.6 प्रतिशत खर्च किया है और बिजली के उत्पादन का जो लक्ष्य था, वह प्रथम योजना में 13,000 लाख मेगावाट था जबकि आपने कुल 11,000 लाख मेगावाट उत्पादन किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जहां लक्ष्य था 35,000 लाख मेगावाट था, वहां आपने उत्पादन किया 22,500 लाख मेगावाट, तीसरी योजना में 1961-66 तक जहां 70,400 लाख मेगावाट का लक्ष्य था, वहा आपने उत्पादन किया 47,150 लाख मेगावाट, वार्षिक योजना 1966 से 1969 तक जहां लक्ष्य था 54,300 लाख मेगावाट, वहां आपने उत्पादन किया 43,810 लाख मेगावाट, चौथी पंचवर्षीय योजना में जहां लक्ष्य था 92,600 लाख मेगावाट, उसके एगेन्स्ट आपमे उत्पादन किया 46,100 लाख मेगावाट, और चौथी योजना में 1974 से 1979 के बीच में जहां लक्ष्य 1,25,000 लाख मेगावाट था, उसके एगेन्स्ट आपने 1,02,000 लाख मेगावाट उत्पादन दिया। जहां तक मेरी जानकारी है, 80-85 में 20,263 मेगावाट का लक्ष्य रखा है और पता नहीं कि उत्पाद कितना हो रहा है। इस तरह से आप लक्ष्य को देखें और उत्पादन को देखें तो लक्ष्य के अनुपात में उत्पादन कुछ भी नहीं है। राजाध्यक्ष कमेटी और पार्लियामेंट की इस्टीमेट्स कमेटी ने बार-बार दोहराया है कि यह जो घाटा हो रहा है, यह अपूर्णीय है। जब तक लक्ष्य के मुताबिक उत्पादन नहीं करते हैं, तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है।

अब इस घाटे का कारण क्या है। कमेटी ने जो घाटे का पहला कारण दिया है वह यह है कि अच्छे कोयले की जगह पर गलत कोयला सप्लाई होता है। ऊर्जा मंत्रालय को रेल मंत्रालय के कारण जो नुकसान हुआ वह दस साल में तीन हजार करोड़ रुपये का हुआ। कोयले की जगह पर पत्थर सप्लाई किया गया। आपके बिजली बोर्ड कहते हैं कि हम लक्ष्य के मुताबिक उत्पादन क्यों नहीं कर पाये, इसलिए नहीं कर पाये कि कोयला विभाग को हमें जो कोयला देना चाहिए था वह हमको नहीं दिया गया, इसी कारण से दस साल के अन्दर 3 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब मंत्री जी जवाब दें तो बताएं कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है या नहीं।

समिति की रिपोर्ट में उपकरणों के सम्बन्ध में भी कहा गया है कि वे विलम्ब से मिलते हैं। आपके यहां एक भेल कम्पनी है। क्या उसका उत्पादन आपकी जरूरत के मुताबिक नहीं होता है? क्या भेल की तरह की आप कोई और कम्पनी भी खोलने जा रहे हैं। क्या भेल का उत्पादन ठीक तरह का नहीं होता है जिससे कि आपको उपकरण बाहर से मंगाना पड़ता है? क्या बाहर से उपकरण भेल में ठीक उत्पादन न होने के कारण मंगाये जाते हैं या कमीशन के लिए बाहर से मंगाये

जाते हैं ? इन सबका आप जवाब दें। समिति ने यह भी बताया है कि लोहे और सीमेंट की आपूर्ति समय पर नहीं होती है।

सबसे भयंकर बात यह है कि 1971 में हरिजन और आदिवासी लोग जो आपकी कोयला खानों में काम कर रहे थे उनकी संख्या 29 हजार थी। वह संख्या अब घटकर 15 हजार हो गई है। आपने बाहर से मशीनें मंगाई हैं। आपकी मशीनें कोयला तोड़ तो सकती हैं लेकिन वे कोयला साफ नहीं कर सकती हैं, कोयले से पत्थर को नहीं हटा सकती हैं। आपने 29 हजार गरीब लोगों की संख्या को घटाकर 15 हजार कर दिया, यह आपने उनकी रोजी-रोटी के साथ अन्याय किया है। इस तरह से दस सालों में आपके यहां 3 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

यह बहुत गंभीर मामला है। जब से हम यहां आये हैं, हम यह सुनते आ रहे हैं कि रेल और कोयले विभागों का आपस में कम्बीनेशन नहीं बैठता है। आपका रेल विभाग कहता है कि हमें कोयला नहीं मिल रहा है और आपका कोयला विभाग कहता है कि हमें वेगन नहीं मिल रहे हैं। आपके इन दोनों विभागों में कोआरडिनेशन होना चाहिए जो कि नहीं हो पा रहा है। ये सारी समस्याएं हैं जिनके बारे में विभिन्न समितियों के कहा है।

सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपकी कोई राष्ट्रीय बिजली नीति है या नहीं ? इसकी राजाध्यक्ष समिति ने भी और एस्टीमेट्स समिति ने भी मांग की है। क्या आपके पास कोई लौंग टर्म योजना है या नहीं ? आप एक साल, दो साल की योजना बनाते हैं। क्यों नहीं आप सन् 2000 ईस्वी तक की योजना बनाते हैं कि उस समय तक देश को बिजली की इतनी आवश्यकता होगी और आप उसके लिए कितनी बिजली की आपूर्ति कर सकेंगे ? आप 20-25 साल का प्लान बनाएं। जब आप लौंग टर्म प्लान बनायेंगे तभी आप अपने लक्ष्यों को अचीव कर पायेंगे। इसके लिए मैं इस सदन में आपसे मांग करता हूं। मैं नहीं जानता कि इस सदन के बाद हम इस सदन में होंगे या नहीं होंगे लेकिन मंत्री जी मैं आपके बारे में जरूर चाहता हूं कि आप इस सदन में दुबारा आयें और विरोध पक्ष में रहें। जो मैं कह रहा हूं वह तो सरकार को निर्णय लेना है और वह सरकारी निर्णय होगा। हो सकता है आज आपकी सरकार है, कल को हमारी सरकार हो। लेकिन सरकार का एक निश्चित कार्यक्रम, एक निश्चित योजना होनी चाहिए। आप उस योजना के बारे में एक श्वेत पत्र निकालें। उसमें आप बताएं कि आगामी 20-25 सालों में देश को कितनी बिजली की आवश्यकता होगी और उसकी कितनी पूर्ति आप जल बिजली, कितनी पूर्ति ताप बिजली और कितनी पूर्ति परमाणु शक्ति के द्वारा करने जा रहे हैं। किस-किस स्रोत से आप कितनी-कितनी बिजली उत्पन्न करेंगे।

आपको राजाध्यक्ष समिति ने, एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी-अपनी रिपोर्टें दे दी हैं। उनकी रिकमण्डेशंस के बारे में आपने अब तक क्या किया, यह आपको बतलाना चाहिए। आपने हमेशा नेशनल ग्रिड और क्षेत्रीय ग्रिड का मामला उठाया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी प्रदेश में बिजली एक्सट्रा है, किसी प्रदेश में बिजली की कमी है। यह जो एकदम अपोजिट चीजें हैं इनको दूर किया जाए। इसके लिए जब तक आप क्षेत्रीय ग्रिड नहीं बनायेंगे तब तक यह समस्या दूर नहीं होगी। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप इसको पूरी तरह से केन्द्र

में मिला दें लेकिन मैं यह कहूंगा कि बिजली का सवाल देश का एक अहम सवाल है। इसको आप राज्य सरकारों पर डाल कर अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते। इसे आप बेशक केन्द्र का दायित्व कहिए या और कुछ कहिए। विभिन्न कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दी है। अगर पूर्णतः नहीं ले सकते हैं तो 45 परसेंट ही करें। एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट पर मंत्रालय की तरफ से बताया गया था कि 45 परसेंट हम धीरे धीरे एचीव कर लेंगे। यह 1980-81 की रिपोर्ट है। आज पांच साल हो गए हैं। कितना आपने एचीव किया है। सरकार अपनी जबावदेही से नहीं भाग सकती। बिजली की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। अगर हम इस मामले में आत्म निर्भर नहीं होंगे तो किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं हो सकती है। बाकी चीजों के बगैर आपका काम चल सकता है लेकिन एनर्जी की आवश्यकता हर चीज में पड़ती है। इस मामले में लापरवाही बरती गई तो देश आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि पीछे भागेगा। जैसा कि मैंने आंकड़े से साबित किया है। पहले यूटीलाइजेशन था 49 परसेंट। अब हो गया है 47 परसेंट। मंत्री महोदय ने बतलाया है कि आवश्यकता के अनुरूप 90 परसेंट हमारा बिजली कार्य हो रहा है। 156 बिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता इस देश में है। इसके अनुरूप 140 बिलियन यूनिट पैदा हो रही है। तो यह गलत बात है। आप एवरेज को मत देखिए। जो कठिनाई किसान फेस करता है, कल-कारखाने फेस करते हैं और जन-प्रतिनिधि होने के कारण हमारे पास जो शिकायतें सुनने को आती है, उनकी ओर आपको ध्यान देना है। अपने अफसरों की लगाम भी थोड़ा कस कर रखिए। घोड़ा अगर मजबूत हो और बैठने वाला कमजोर हो तो घोड़ा उसको उठाकर फेंक देता है। अगर बैठने वाला मजबूत हो तो घोड़ा अपनी चाल से चलता है। इसलिए अपने आपको मजबूत कीजिए, यही मैं आग्रह करता हूं।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : माननीय उपाध्यक्ष जी, 24 तारीख को जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था, उस वक्त जो मैंने जवाब दिया था, वह उन तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है जो आंकड़े, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा दिए गए हैं। विद्युत का उत्पादन, वितरण और किन-किन क्षेत्रों में कितनी आवश्यकता है, इसके लिए विशेषज्ञों की मदद लेना नितांत आवश्यक है। इस बात को माननीय सदस्य भी स्वीकार करेंगे। मेहता जी भी इसको मानेंगे क्योंकि वे इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ाते हैं। बल्कि जान टेक्नीकल लोग इस काम को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कहां कितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को तय करने के लिए एक मापदण्ड बनाना होता है और उसके आधार पर आंकड़े तय किए जा सकते हैं। शुरू से ही इलेक्ट्रिक पावर कमेटी आफ इंडिया के नाम से एक समिति बनायी जाती है। इस समिति के अध्यक्ष सेंट्रल इलेक्ट्रिक पावर अथारिटी के चेयरमैन होते हैं। और इसके सदस्यों में मेम्बर प्लानिंग सी० ई० ए०, प्लानिंगकमीशन के जो एडवाइजर हैं, विशेषज्ञ हैं, वे सदस्य होते हैं। इसके अलावा नार्दन रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वेस्टर्न रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सदर्न रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ईस्टर्न रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, नार्थ ईस्टर्न रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जाइंट सेक्रेटरी प्लानिंग, मिनिस्ट्री आफ फाइनांस, ये इसमें होते हैं। इनके अलावा इंडियन स्टेटिस्टिकल-इंस्टीट्यूट का एक प्रतिनिधि भी इस समिति का सदस्य होता है। और इसके बाद

कृषि मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और विद्युत् विभाग का भी एक-एक प्रतिनिधि इस समिति में होता है। विद्युत विभाग का भी एक प्रतिनिधि इसमें होता है। इसके साथ ही साथ डिपार्टमेंट आफ एटोमिक एनर्जी का भी एक प्रतिनिधि इस समिति में होता है। कुछ और अधिकारी होते हैं जो इस समिति से संबंधित होते हैं। इस समिति का कार्य-काल पांच साल के लिए होता हैं। मापदण्ड के आधार पर यह समिति निर्धारित करती है कि हमारी आवश्यकता क्या होगी। इस समिति की संस्तुति होने के बाद सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथारिटी आखिरी फैसला करती है कि इस साल के लिए हमारी क्या आवश्यकता होगी ? जब हम यह कहते हैं कि क्या आवश्यकता होगी तो उससे हमारा तात्पर्य यह नहीं होता कि कल कितनी बिजली की खपत होगी। मिशाल के तौर पर आने वाले साल में एयरकंडीशनर दिल्ली मे ज्यादा लगाए जाए जितने हमने नहीं सोचे थे या दूसरे यंत्र लगाए जाएं तो जाहिर है कि हमने जो असेसमेंट किया है, उसमें थोड़ी गड़बड़ी तो आ ही जायेगी। मुझे यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि देश विभिन्न भागों में बिजली की आवश्यकता की जो ग्रोथ है, उसमें हमारे असेसमेंट से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।

श्री राम विलास पासवान : ऐसा नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आवश्यकता में बढ़ोत्तरी की बात कह रहा हूं। हमारे असेसमेंट से काफी आगे बढ़ गई है। बुनियादी जरूरतों के लिए जहां बिजली की जरूरत है, हमारा जो असेसमेंट होगा, वह इस आधार पर होगा कि हमारे औद्योगिक विकास के लिए कितनी बिजली की आवश्यकता है। इस पर भी आधारित होगा कि कृषि क्षेत्र के लिए बिजली की कितननी आवश्यकता है? यह निर्धारित नहीं होगा कि कितने एयर-कंडीशनर्स हीटर्स या दूसरी सुविधाओं की चीजों का कितना इस्तेमाल किया जायेगा। इस वक्त 12वीं इलैक्ट्रिक पावर कमेटी काम कर रही है। मैं, 11वीं कमेटी की बात कर रहा हूं। यह मामला शायद राज्याध्यक्ष कमेटी के सामने भी आया था। मिसाल के तौर पर पंजाब के बारे में जब असेसमेंट किया जा रहा था तो उस वक्त यह बात ध्यान में नहीं रखी गई थी कि पंजाब का किसान एकदम तेजी के साथ चावल की खेती की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगेगा। बुनियादी असेसमेंट यह था कि मानसून के समय पंजाब में बिजली की आवश्यकता कम होगी। बाद में यह पता चला कि मानसून में कुल बिजली की खपत कृषि के क्षेत्र में दूसरे सीजन से भी ज्यादा हो गई। यह ऐसा फैक्टर था, जिसको इस कमेटी ने अपने कंसीडरेशन में नहीं लिया था। यह आवश्यकता उस समय नहीं थी जब कमेटी ने असेसमेंट किया था। एक बात पर बार-बार जोर दिया जा रहा है कि जितनी हमारी आवश्यकता है, उनका 85 प्रतिशत अगर उत्पादन है तो फिर छह या सात घंटे बिजली क्यों दी जा रही है ? मैंने यह कहा था कि 156 बिलियन यूनिट की आवश्यक्रता निर्धारित की है और 140 बिलियन यूनिट उत्पादन हुआ है। इसलिए माननीय राम बिलास पासवान जी ने हाफ-एन-आवर डिस्कशन मांगते हुए अपने एक्सप्लेनेटरी नोट में जो कारण दिए हैं वे यही हैं कि जब केवल पन्द्रह प्रतिशत कमी है, एक्सप्लेनेटरी नोट में ही नहीं लिखा है, बल्कि यहां पर कहा भी है···

श्री राम विलास पासवान : वही तो मैं जानना चाहता हूं कि आवश्यकता तो 156 मिलियन यूनिट्स की है और आप 85 प्रतिशत कर पाए हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उसी के बारे में तो मैंने बताया कि हमारी एक समिति इस बारे में निर्णय करती है कि साल भर के लिए कितनी आवश्यकता होगी और कितनी उपलब्ध है···

श्री राम विलास पासवान : आप भी तो बताइये कि आप क्या देखते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं यही देखता हूं कि उस समिति और आपमें समन्वय स्थापित कैसे करा सकूं। श्रीमन्, यदि सामने से देखा जाए तो बहुत ठीक सवाल लगता है, लेकिन बिजली के संदर्भ में देखिए तो बहुत सुसंगत सवाल नहीं है। पैराडौक्सिकल इसलिए नहीं है कि हमारे किसानों ने जिस वक्त गेहूं की फसल बोयी होती है, उस वक्त से लेकर गेहूं के कटने तक देहाती क्षेत्रों में बिजली की जितनी आवश्यकता होती है, वह मानसून के महीनों में नहीं होती। सिर्फ मैं मानसून और किसानों की ही बात नहीं करता, आप दिल्ली में ही देख लीजिए, हमारी मई और जून के महीनों में जितनी बिजली की आवश्यकता होती है, वह आवश्यकता अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर महीनों में नहीं है। वह बदलती रहती है।

श्री राम विलास पासवान : उस वक्त एअर-कण्डीशनर चलते हैं तो नवम्बर-दिसम्बर में हीटर चलते हैं···(व्यवधान)···

श्री आरिफ मोहम्मद खां : लेकिन मीटर यह बताता है कि उन महीनों में बिजली की खपत कम है। उस समय, जब गेहूं बोया हुआ हो, तो चार-पांच बार गेहूं को पानी देने के लिए सारे किसानों को एक ही समय पर बिजली चाहिए। इसीलिए उस वक्त बिना राशनिंग के काम नहीं चल सकता। यह सम्भव ही नहीं है कि एक वक्त आप सबको बिजली दे सकें। अगर माननीय राम विलास पासवान जी दिन में तीन बार तीन कप चाय पीते हैं तो कोई जरूरी नहीं उनको पूरे 24 घण्टों में बांट कर पियें, उनके बीच में आठ-आठ घण्टे का अन्तराल रहे, एक साथ भी वे तीनों कप पी सकते हैं, उनको दो-तीन बार में भी पी सकते हैं। हमारी समस्या भी यही है।

श्री राम विलास पासवान : फिर तो आप छः घण्टे तक ही अपने क्वार्टर में बिजली रखिए···

श्री आरिफ मोहम्मद खां : छः घण्टे वाली बात बिजली से सम्बधित नहीं है, क्योंकि बिजली का वितरण करना सम्भव नहीं है। मैं आपके प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। वैसे यह राज्य सरकारों का विषय है और उनकी तरफ से जो जवाब हमें प्राप्त होता है, वही मैं आपके सामने रखता हूं। यहां मेरे मत का प्रश्न नहीं है कि मेरी यह राय है। यह सांवैधानिक मामला है, कानूनी मामला है और बिजली के वितरण का कार्य राज्य सरकारों को देखना है। जब वे इस काम को देखती हैं तो उनसे जो उत्तर मुझे यहां प्राप्त होता है, वही सूचना हम आपको उपलब्ध करवा देते हैं।

जहां तक आपने अपने क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज का प्रश्न उठाया, मैं आपको विश्वास दिलाता

हूं कि मैं प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा। लेकिन आप इसी मामले में देखिए। मिसाल के तौर पर यह पूछें कि वैस्ट बंगाल की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, वहां के जो आंकड़े मैंने आपको बताए, छः घण्टे बिहार में बिजली मिलती है, सात घण्टे उत्तर प्रदेश में, लेकिन वे सारे आंकड़े प्रदेश सरकारों से हमें उपलब्ध होते हैं। उनकी सूचना के अनुसार वैस्ट बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली देने पर कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां 24 घण्टे बिजली उपलब्ध है। मैंने यहां पर अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। वैस्ट बंगाल की कुल कितनी उत्पादन क्षमता है, और वहां कितनी आवश्यकता है, क्या यह सम्भव है कि वे उसका उपयोग दिन-रात नहीं कर सकते, इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए हमको वहां की सरकार पर आश्रित रहना पड़ता है, जो सूचना वे हमें भिजवाते हैं, उस पर ही निर्भर करना पड़ता है और वही मैं आपको यहां दे रहा हूं। यदि आप वाला मापदण्ड वहां पर लागू किया जाए, उसमें दोनों चीजों में कोई तालमेल नहीं बैठेगा कि वहां कितनी आवश्यकता है और कितनी उत्पादन क्षमता है। मगर मेरी मजबूरी है कि मैं वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट के दिए हुए आंकड़ों से आगे या पीछे नहीं जा सकता। लेकिन जो हिसाब राम विलास पासवान जी का है उसके अनुसार इसमें तालमेल नहीं बैठता। इसलिए मैं उनकी बात मानता हूं। जब वे कहते हैं--नौ रैस्ट्रिक्शन--तो हो सकता है कि किसी क्षेत्र को सिर्फ दो ही घण्टे बिजली मिलती हो। क्योंकि गांवों में जब हम ट्यूबवैल लगाते हैं··· ट्यूबवैल को चलाने के लिए 20 घण्टे बिजली की जरूरत नहीं होती। जितनी देर खेत को पानी देना है सिर्फ उतनी देर ही बिजली चाहिए। हर वक्त एक-सी नहीं चाहिए, अलग-अलग चाहिए।

बुनियादी बात के बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में आर्थिक क्षेत्र में हमारे एसेसमेंट के मुकाबले वास्तविक आवश्यकता आगे पहुंच गई है। मैं यह मानता हूं कि बुनियादी तौर पर विकास और प्रगति के कामों के प्रति लोगों के मन में रुचि पैदा हुई। बुनियादी तौर पर हमारे लोगों का साइंटिफिकेट टैम्पर बना है, प्लान डैवलपमेंट के जरिए होने वाले फायदे, विकास के जरिए होने वाले फायदे साधाराण नागरिक तक पहुंचे हैं। छोटे आदमी के मन में भी यह भूख पहुंची है कि साइंस, विज्ञान और प्रगति से जो फायदे होते हैं, उनको मैं हांसिल करूं और उनका इस्तेमाल अपने समाज के विकास के लिए करूं। उससे हमें बहुत खुशी है। असल में उससे हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उससे हिम्मत बढ़नी चाहिए।

1947 के बाद जहां कुल 1500 के करीब गांवों में बिजली थी, आज पूरे देश के 50 प्रतिशत से अधिक गांव में बिजली पहुंच गई है। 1947 के बाद 1300 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता थी जो कि छठी योजना के अन्त तक 13 हजार मेगावाट उत्पादन की क्षमता होगी।

श्री राम विलास पासवान : बिजली पहुंची है कि पोल पहुंचे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जब पोल पहुंचा हैं तो बिजली पहुंचाने में भी दिलचस्पी होगी,

लेकिन जब इतनी बिजली नहीं बन पाती तो इस पर विचार करना पड़ता है। बुनियादी तौर पर यह स्टेट गवर्नमेंट का सबजैक्ट है, केन्द्रीय सरकार को इसमें क्यों आना पड़ा, इसलिए ताकि हम प्रदेश सरकारों की मदद कर सकें और वह लोगों को बिजली पहुंचायें तथा बिजली का इस्तेमाल विकास और प्रगति के लिए हो।

श्री राम विलास पासवान : मैंने दो सवाल किए थे। क्या आपने कोई योजना बनाई है, कोई व्हाइट पेपर निकालने जा रहे हैं कि 20, 25 सालों में कितनी आवश्यकता होगी बिजली की और उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? और नेशनल ग्रिड व क्षेत्रीय ग्रिड के बारे में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने पहले ही बताया कि जैसे इलैक्ट्रिसिटी एनुअल इलैक्ट्रिक पावर सर्वे आफ इंडिया ने 5 साल के लिए आवश्यकताओं का अनुमान लगाया, एसेसमेंट किया था, इस वक्त जो 12वीं कमेटी है, वह उस पर कार्य कर रही है और अगले पांच वर्षों के लिए वह अनुमान लगा रहे हैं। हम 20 साल का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कि आवश्यकता में जो वृद्धि होती है, वह वर्तमान तजुर्बे के मुताबिक आगे पहुंच जाती है। लेकिन सातवीं योजना के अन्त तक हमारा अनुमान है कि हमारे पास उत्पादन क्षमता 70 हजार मेगावाट की होगी। यह शताब्दी पूरी होते-होते हमें उम्मीद है कि 1 लाख 20 हजार मेगावाट की क्षमता होगी।

दूसरी बात आपने रीजनल ग्रिड और नेशनल ग्रिड के बारे में पूछी है।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : अब अनुमान उतना नहीं है। अब जो लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया है, वह उतना नहीं बैठता। यह एक लाख से कम है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने यही तो कहा है। मैंने 80 भी नहीं कहा है। मैंने केवल 70 कहा है। मैंने यही कहा है।

मैंने बताया कि रीजनल इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन दूसरा प्रपोजल है कि इसको रीजनल इलैक्ट्रिसिटी अथोरिटी बनाया जाये।

इस समय जो रीजनल इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बने हुए हैं, उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिससे वह उस क्षेत्र में आने वाले राज्यों को इस बात के लिए बाध्य कर सकें कि आपको इतनी बिजली लेनी है इतनी बिजली दूसरे राज्यों को देनी है जो कि उस क्षेत्र में पैदा होने वाली है। उसके पास इस तरह का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसीलिए बार-बार राजाध्यक्ष कमेटी की बात होती है। इसीलिए हमारे मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति की भी यह राय है कि पावर को सैन्ट्रल लिस्ट में ले लिया जाना चाहिए। लेकिन जब राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई, तो राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विद्रोह कर दिया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं उसको विद्रोह नहीं कहूंगा। उन्होंने इससे सहमति व्यक्त नहीं की और इसका उनको अधिकार है। सरकार के सामने दो मत हैं। हमारी कोशिश यह है कि इस व्यवस्था को ज्यादा संगठित और सुदृढ़ किया जाए, मैनेजमेंट को ज्यादा अच्छा बनाया जाए और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में, औद्योगिक तथा कृषि के क्षेत्र में, जहां भी बिजली की जरूरत है, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जाए।

इसलिए बार-बार नेशनल ग्रिड पर जोर दिया गया है। हम राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, ऊर्जा मंत्रियों, के सामने यह सुझाव ले कर गए थे। राज्य सरकारों के अधीन जो बिजली-उत्पादन के कारखाने आते हैं, उनको छोड़िए, अब तो यह भी मसला है कि कोलियरी पिटहैड्ज पर केन्द्र सरकार के जो सुपर-थर्मल पावर स्टेरेन्ज हैं, चूंकि उनके लिए ज्यादा कोयला चाहिए, इसलिए उस क्षेत्र में पड़ने वाले दूसरे राज्यों के पचास या सौ मेगावाट के कारखानों के छोटे-छोटे प्रोपोजल भी प्रभावित हुए हैं।

इसके अलावा जिस राज्य में सुपर-थर्मल पावर स्टेशन लगा है, उसी क्षेत्र के दूसरे राज्यों से ये शिकायतें आ रही हैं कि उस पावर स्टेशन से हमारा हिस्सा हमें नहीं मिल रहा है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कहां कितना उत्पादन हो रहा है। लेकिन केन्द्रीय सरकार के बिजली के कारखानों में उस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी राज्यों का हिस्सा है और वह उन्हें मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर कर्नाटक और गोआ से शिकायत आई है कि आन्ध्र प्रदेश उनको उनका हिस्सा नहीं लेने दे रहा है और उनको वहां पर सुपर-थर्मल पावर स्टेशन से बिजली नहीं मिल रही है। जिन राज्यों में हमारे-सुपर थर्मल पावर स्टेशन हैं, आपके माध्यम से मैं उनकी सरकारों से अपील करना चाहता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि दूसरे राज्यों का जो हिस्सा है, वह उनके पास पहुंचे।

समस्या यह है कि ट्रांसमिशन लाइन उस राज्य सरकार की है, स्टेशन हमारा है, लेकिन हम किसी तरह भी उन्हें बाध्य नहीं कर पा रहे हैं। उनको डिसिप्लिन करने का तरीका यह है कि हम उत्पादन को गिरा दें। लेकिन यह राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। इसलिए हम यह नहीं करना चाहते हैं। **(व्यवधान)** अगर आप हमारी स्थिति में होते, तो आप कर सकते थे। हम यह काम नहीं करेंगे, भले ही सहमति न हो।

श्री ई० बालानन्दन : विवाद इस ढंग से निपटाया जा सकता है। केन्द्रीय बिद्युत प्राधिकरण का नियन्त्रण अब केन्द्र सरकार के हाथ में है। यदि आप राज्य बिजली बोर्डों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व देते हैं तो यह संघीय बन जाएगा तथा सारी चीज पर वहां चर्चा हो सकती है, ताकि विवाद को निपटाया जा सके। क्या आप इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इन विवादों को हल करना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का कार्य नहीं है। यह सुपर ताप विद्युत केन्द्र में विभिन्न राज्यों के हिस्से के बारे में है। मूल रूप से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ताप बिजली केन्द्रों की स्थापना के बारे में विशेषज्ञ परामर्श तथा

तकनीकी परामर्श देता है। किसी विशेष सुपर ताप विद्युत केन्द्र में किस राज्य का कितना हिस्सा होगा इसका निर्धारण सदैव एक राष्ट्रीय फार्मूले के आधार पर किया जाता है जो सहमति के आधार पर तैयार किया गया है। इसलिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का इस मामले से सम्बन्ध नहीं है। इसलिए हमारा प्रयास है और पासवान जी यदि सहायता दें, उन राज्य सरकारों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें तो हम इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नेशनल ग्रिड को मजबूत किया जाए जिससे कि पूरे देश में इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि सभी जगह ठीक प्रकार से बिजली मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री हरिकेश बहादुर।

नियम यह है कि एक सदस्य एक प्रश्न पूछेगा। इसमें कहा गया है, "किसी सदस्य को, जिसने अध्यक्ष को पूर्व सूचना दी है, तथ्यों पर और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जा सकती है।"

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं नहीं जानता कि आपने यह नियम आरम्भ में क्यों नहीं पढ़ा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रथम वक्ता थे। आप कोई नई चीज पूछ सकते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय ऊर्जा मंत्री हमारे मित्र हैं लेकिन वे जो दावा कर रहे हैं उसको पूरी तरह से मान लेना हमारे लिए सम्भव नहीं है। वे स्वयं इस बात को जानते हैं कि देश में बिजली का एक भीषण संकट है। मैं जिस राज्य में आता हूं उसी राज्य से वे भी यहां पर आते हैं और वे जानते हैं कि खास तौर से किसानों को बिजली के कितने बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि राज्य सरकार बार-बार इस बात को कहती है कि गांवों में सात, आठ या दस घंटे बिजली की सप्लाई प्रतिदिन की जाती है लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि एक सप्ताह में भी सात-आठ घंटे भी बिजली मिल जाए तो हम समझेंगे कि राज्य सरकार जो प्रतिदिन की बात कहती है वह प्रतिदिन नहीं प्रति हफ्ते का हिसाब है। खास तौर से मैं जिस गोरखपुर जिले में आता हूं वहां पर बिजली का भीषण संकट है। उसकी ओर बार-बार राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किए जाने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

जहां तक बिजली बोर्डों के कार्यकलापों का सवाल है, यह अलग बात है कि वह सीधे तौर पर केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं लेकिन आप राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं और उन पर दबाव भी डाल सकते हैं। वैसे हथकन्डे तो कई हैं, आपने सरकारें भी भंग की हैं लेकिन उस बात के लिए तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि दूसरे तरीके भी हैं जिनके द्वारा राज्य सरकारों पर दबाव डाला जा सकता है। आज बिजली बोर्डों में जो घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको आप जब तक नियन्त्रित नहीं करेंगे तब तक इस समय जनता के सामने जो विद्युत संकट है, उसका समाधान नहीं हो सकेगा।

कोयले की खराबी के कारण जो थर्मल पावर प्लान्ट्स हैं वह ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकते हैं। एक कारण तो यह है कि कोयले में एश कन्टेन्ट बहुत है और उस कोयले को जब वॉयलर में इस्तेमाल किया जाता है तो केलोरफिक वैल्यू कम होती है जिसके परिणामस्वरूप जिस क्षमता से बिजली का उत्पादन होना चाहिए वह नहीं होता है। साथ ही साथ वायलर भी खराब होते हैं।

इसलिए मेरा प्रश्न यह है क्या सरकार की ओर से कोयले का कोई परिष्कृत रूप लाने की कोशिश की जा रही है, क्या इसके लिए सरकार के सामने बड़े पैमाने पर कोल वाशरीज स्थापित करने की कोई योजना है ताकि परिष्कृत और संशोधित कोयला पैदा किया जा सके और उसका इस्तेमाल बिजली घरों में किया जा सके ? इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के दो बड़े विद्युत संगठनों—हरदुआगंज और ओवरा में भीषण अग्निकाण्ड हुए जिनमें सैकडों करोड़ का नुकसान हुआ। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज हुई है, सारा देश इनको जानता है और सरकार ने भी इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की है लेकिन आज तक पता नहीं चला ठीक ढंग से कि किनकी लापरवाही से इतने भीषण अग्निकाण्ड हुए जिनमें सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ। इस प्रकार जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, उनको कठोरतम सजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन यह सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि वह किसकी गड़बड़ी की वजह से हो गई है। पता लगा है कि कुछ अधिकारियों के आपसी झगड़े में किसी को बदनाम करने के कारण हुई है। यह तो देशद्रोह जैसी बात हुई-और उसके लिए उसको कड़ा दण्ड देना चाहिए। इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है, उस पर मंत्री जी को प्रकाश डालना चाहिए।

बिजली में अचानक कटौती की वजह से लोगों को काफी नुकसान होता है। ऐसे तमाम नवयुवक जो बैंकों से कर्जा लेकर छोटा मोटा कारखाना लगाते हैं, उनको हर महीने पैसा देना पड़ता है, बैंकों से लिए कर्ज पर उनको ब्याज देना पड़ता है, तो उनको कठिनाई होती है। कारखाने में जो मजदूर काम करते हैं, बिजली के अचानक चले जाने से उनको उन मजदूरों की मजदूरी देनी ही पड़ती है, इसकी वजह से भी उनको नुकसान होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। यदि बिजली की आपको कटौती करनी ही है तो उसकी घोषणा पहले से होनी चाहिए, कि इस समय से इस समय तक बिजली नहीं रहेगी। मैं आपको इसके बारे में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा और कई बार हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि इस प्रकार की परेशानी है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के बारे में पासवान जी ने भी कहा है कि उनके इक्वीपमेंट काम में लाए जा सकते हैं। लेकिन इस दिशा में कोई दिलचस्पी नहीं ली जाती है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के इक्वीपमेंट इस्तेमाल न करके बाहर से सामान मंगाया जाता है, जिस पर देश को विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। कमीशन की वजह से हो या कोई और कारण भी हो सकता है। इसको तो मन्त्री जी ही बतायेंगे। गलत बिल देने की प्रवृत्ति भी है, इस पर अंकुश होना

चाहिए। आजकल यदि किसी का बिल पचास रुपये आता है तो उसका 800 या 1000 रुपये आता है, जबकि आपके यहां इंजीनियर लोग सिर्फ पौने तीन रुपए ही देते हैं।

हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर के बारे में भारत, 1983 में कहा गया है—जल तथा विद्युत आयोग ने 1953-58 में मूल्यांकन से पता चला कि देश में 260 पन-योजनाओं के जरिए कुल ढाई करोड़ किलोवाट बिजली अविरल रूप से प्राप्त की जा सकती है। तकनीकी प्रगति और विद्युत प्रणालियों की स्थिति परिवर्तन के कारण देश में पन बिजली क्षमता की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की जा रही है और प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार देश की पन-बिजली क्षमता 75,000 मेगावाट आंकी गई है। यह तो आपने क्षमता आंकी है। उसके बाद आप फिर कहते हैं—अनेक पन बिजली परियोजनाओं पर काफी काम हो चुका है और अगले कुछ समय के दौरान पूरी होने वाली है। वर्ष के दौरान 10,427 मेगावाट क्षमता वाली 114 पन-बिजली परियोजनाओं का अध्ययन किया गया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस समय 15 मेगावाट तक की स्थापित क्षमता वाली 103 अल्प/छोटी पन बिजली योजनायें चल रही हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 150 मेगावाट है। आप 75 हजार मेगावाट पा सकते हैं जबकि आप 150 मेगावाट प्राप्त कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी कैपेसिटी है, तो उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ताकि बिजली का जो संकट व्याप्त है, वह दूर हो सके। पता नहीं आपने क्यों कुल आवश्यकता 156 बिलियन यूनिट ही समझी है, जबकि यह बहुत अधिक है।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक अर्थःव्यवस्था में विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है। रूस में, 1917 की समाजवादी क्रांति के पश्चात लेनिन ने विद्युत उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यद्यपि हमने 1947 में आजादी प्राप्त की थी, हमारी सरकार देश में विद्युत उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए मास्टर योजना न बना सकी। यही कारण है कि हमें देश के सभी भागों में बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं, देश में विद्युत उत्पादन के संबंध में व्याप्त विद्यमान कठिन स्थिति से सरकार सचेत होगी और देश में विद्युत की मांग के अनुरूप निश्चित ही एक उपयुक्त परियोजना तैयार करेगी। विभिन्न राज्य एवं उनके बिजली बोर्ड विद्युत उत्पादन के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। परन्तु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण रुकावट डाल रहा है जिससे विद्युत उत्पादन की प्रगति धीमी पड़ रही है। मैं आपको पश्चिम बंगाल का एक उदाहरण दे सकता हूं।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पश्चिम बंगाल की 1990-95 के लिए विद्युत मांग निश्चित की है और राज्य बिजली बोर्ड ने भी स्थिति का निर्धारण किया है और दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर विद्युत उत्पादन की दर इसी तरह से चलती रही तो 1990-95 में राज्य की कुल मांग को बिल्कुल भी पूरा नहीं किया जा सकता। अतः राज्य विद्युत बोर्ड ने भीरभुम जिले के भद्रेश्वर में ताप बिजली घर की स्थापना करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है इस ताप बिजली घर में पहले 210 मेगावाट की तीन इकाइयां होंगी और अन्ततः 200 मेगावाट की पांच इकाइयां होंगी। दिल्ली तथा कलकत्ता में जो बैठकें हुईं उसमें सचिव (विद्युत) तथा केन्द्रीय

विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष ने वायदा किया था कि इस परियोजना पर बहुत जल्द ही स्वीकृति दी जायेगी। हम समझते हैं कि सरकार इस परियोजना को आठवीं योजना में शामिल करना चाहती है न कि सातवीं योजना में, और यह भी अफवाह है कि भीरभुम जिले में सरकार एक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का ताप बिजली घर स्थापित करेगी। अगर ऐसी स्थिति है, तो पश्चिम बंगाल के लोगों को इससे सीमान्तिक लाभ होगा। इसलिए राज्य सरकार यह उचित समझती है कि अगर राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तावित विद्युत घर की स्थापना वाक्रेश्वर में की जाती है तो इससे राज्य को काफी हद तक फायदा होगा। अतः इसको दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या इस परियोजना को सातवीं योजना में शामिल किया जायेगा और क्या इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध की जायेगी।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि हमारे देश के विभिन्न भागों में बहुत से पन-विद्युत संयंत्र लगाये जाने का प्रस्ताव है।

जहां तक पश्चिम बंगाल तथा देश के पूर्वी क्षेत्र का संबंध है, अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र में पन-विद्युत परियोजनाएं प्रारम्भ की जाती हैं तो इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल और असम के लोगों को अत्यधिक मदद मिलेगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या उनका देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अधिक पन-विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार है।

राज्य बिजली बोर्डों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उनके प्रस्तावों पर स्वीकृति न दिए जाने से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्या उनका 1948 के विद्युत अधिनियम में संशोधन करने का विचार हैं ताकि राज्य विद्युत बोर्ड केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की पूर्व सहमति के बिना ही पांच करोड़ रुपए तक की लागत की परियोजनाओं को प्रारम्भ कर सकें।

पश्चिम बंगाल में संथालडीह संयंत्र को जो देशी उपकरण की आपूर्ति की गई है वह त्रुटिपूर्ण है। इसी प्रकार के कोलाघाट संयंत्र को भी त्रुटिपूर्ण उपकरण भेजे गए हैं। मैं आपको यह सुझाव नहीं देता कि आप विदेशों से उपकरणों का आयात करें। मेरा सुझाव सिर्फ यह है कि मंत्रालय को अच्छी किस्म के देशी उपकरण का उत्पादन सुनिश्चित करने के उपाय करने चाहिए ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। मैं जानना चाहूंगा क्या मंत्री जी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

साथ ही, अगर देश में विद्युत वित्त तथा विकास निगम स्थापित किया जाए तो यहा राज्य बिजली बोर्डों को धनराशि उपलब्ध करायेगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक विद्युत वित्त और विकास निगम का गठन किया जाना चाहिए जिसे राज्य बिजली बोर्डों को वित्त-पोषित करने का अधिकार प्राप्त हो। क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री जी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे ?

अंत में, यह देखा गया है कि विभिन्न विद्युत संयंत्रों को घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति करने से संयंत्र की मशीनों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर इस विषय को गम्भीरतापूर्वक रेलवे प्राधिकारियों के साथ उठाया जाए तो इस उद्देश्य के लिए अच्छी किस्म के कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। क्या मैं जान सकता हूं, मंत्री जी विद्युत संयंत्रों को अच्छे किस्म के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस विषय को रेलवे मंत्री जी के साथ उठायेंगे ?

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मंत्री जी ने थोड़ी देर पहले विशेषज्ञों के बारे में कहा था। आपका जो कहना है, उसको मैं समझ सकता हूं। मुझे आपके विशेषज्ञों की विशिष्टता को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उनके एसेसमेंट की जानकारी प्राप्त करके ऐसा ही लगा जैसे कि एक गणित के विशेषज्ञ थे। वे अपने परिवार के साथ नदी पार कर रहे थे और उन्होंने नदी की औसत गहराई दो फीट निकाली और नदी पार करने लगे। वे तो नदी पार कर गए लेकिन उधर देखते हैं कि उनके कुनबे का कोई भी व्यक्ति बाकी नहीं बचा। तब उन्होंने कहा कि लेखा-जोखा तो पूरा, तो कुनबा कैसे डूबा।···**व्यवधान**)···

जो बातें कहीं जा चुकी हैं उनको दोहराना मैं आवश्यक नहीं समझता। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात कही है, आपके जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनसे आपकी कितनी बिजली की आपूर्ति हो सकती है ? आपके हाइडल प्रोजेक्ट्स के बारे में कठिनाई यह है कि वे मानसून पर निर्भर करते हैं। अगर उनके जलाशयों में पानी जमा हो जाता है तो वे अपनी क्षमता के अनुसार बिजली पैदा कर देते हैं, पानी जमा न होने पर उनकी क्षमता बेकार हो जाती है। क्या आप इन बड़े-बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स के बजाए छोटे-छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाने का विचार कर रहे हैं ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि राजाध्यक्ष समिति के जो प्रतिवेदन हुए हैं उनके बारे में हाल ही में राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसमें कम या काफी मतभेद रहे। उन मतभेदों को दूर करने की दिशा में और कोई निर्णय लेने की दिशा में आपका क्या प्रयास है ? आप उसमें कहां तक सक्षम हुए हैं ?

ग्रिड स्कीम के बारे में आपने कहा लेकिन अभी पिछले दिनों हमने देखा कि इस सिस्टम के दोषों के कारण सारे उत्तर भारत में बिजली चली गई और अंधकार फैल गया। ग्रिड सिस्टम के जहां अपने गुण हैं, वहां दोष भी। एक लाइन में दोष उत्पन्न होने से दूसरी लाइन में भी दोष आ जाता है। उसी के कारण सारे उत्तर भारत में अंधकार फैल गया। उसको दूर करने के आप क्या उपाय सोच रहे हैं ?

बिजली के संयंत्रों में खराब कोयले की आपूर्ति के कारण बिजली का उत्पादन कम होता है। बिजली विभाग का यह कहना है कि हमें साफ कोयले की आपूर्ति हो। उन्होंने एक वक्तव्य भी

दिया था। लेकिन कोल इंडिया के अध्यक्ष का अभी हाल में दूसरा वक्तव्य आया है कि बिजली के कारखानों को अच्छे कोयले की आपूर्ति की गई है। सरकारी विभागों के वक्तव्यों में इस विरोधाभास का आपके आस क्या स्पष्टीकरण है ? यह मैं जानना चाहूंगा।

परम्परागत स्रोतों और गैर-परम्परागत स्रोतों दोनों से बिजली उत्पन्न हो सकती है। गैर-परम्परागत स्रोतों से बिजली प्राप्त करना हमारी आवश्यकतों के लिए कितना सहायक हो सकता है इसके बारे में आप बताएं ? इसके बारे में आपने क्या सोचा है और क्या उपाय किए हैं ?

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, जैसे-जैसे समय की गति का पहिया आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही हमारी आवश्यकताएं भी आगे बढ़ती जाती हैं। उन्हें पूरा करने के लिए बिजली की उनमें अहम भूमिका है। हमारा देश गरीब है, पिछड़ा है, हमारे साधन सीमित हैं फिर भी बिजली के क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। बिजली की कमी के कारण औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में काम काफी प्रभावित हो रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे बिजली के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं उनका उपयोग करने के लिए निकट भविष्य में क्या प्रभावी और कारगर कदम उठाने जा रहे हैं ? देश में इस समय जितने बिजलीगृह हैं, पब्लिक सैक्टर में और प्राइवेट सैक्टर में, इनमें किस क्षेत्र में हमारी उत्पादन क्षमता बेहतर है।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आम तौर पर यह देखा गया है कि बिजली उत्पादन गृहों में आगजनी, तोड़-फोड़ और चोरियों की घटनाएं होती रहती हैं। जैसे पिछले साल ओबरा बिजलीगृह में आग लगने से पूरा उत्तर प्रदेश अंधकार में डूब गया। इसी प्रकार मेरे जिले के कासिमपुर पावर हाउस में भी इसी तरह की घटनाएं घटीं। ये देखने की आवश्यकता है कि ये घटनाएं क्यों होती हैं। क्या जानबूझकर तो ये घटनाएं नहीं कराई जातीं ? इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है, इस संबंध में सदन को अवगत कराएं।

मेरे प्रश्न का अन्तिम भाग है जो लीक से जरा हट कर है लेकिन देश के और किसानों के हित में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बहुत से भागों में आज सूखा पड़ रहा है। जिसके कारण किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका विभाग इसके लिए कुछ कर रहा है। इस क्षेत्र में नलकूपों को विशेष रूप से बिजली देने की कोई व्यवस्था की जा रही है जिससे किसानों की रोपाई का काम पूरा हो सके ? इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सभापति जी, जितने प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए हैं,

रामविलास पासवान जी के प्रश्नों सहित तकरीबन सभी के ऊपर कुछ न कुछ कह चुका हूं। जो छूट गए हैं, उनके बारे में निवेदन किए देता हूं जो प्रोजेक्ट्स के बारे में या विशेष समस्याओं के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में मैं समझता हूं कि थोड़ा अग्रिम सूचना की आवश्यकता होती है। जैसा कि माननीय गिरि जी ने वैस्ट बंगाल के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा है। इस वक्त मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए मैं उनको बाद में सूचना उपलब्ध करा दूंगा।

एक बात खास तौर से छूट गई थी, पासवान जी ने क्वालिटी आफ कोल के बारे में पूछा था। इसके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। यह बात भी सही है कि बिजली बोर्डों की तरफ से एक ज्ञापन भी दिया गया है जिसके बारे में क्वालिटी के बारे में शिकायत की गई है और जैसा मेहता जी ने कहा कि कोल इंडिया के चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया है, मैं इन परस्पर-विरोधी बयानों में नहीं जाना चाहता। इस बारे में विभाग ने चिंता व्यक्त की है और कोयले की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम निरंतर कोल इंडिया अधिकारियों से सम्पर्क बनाए रहते है। उन पर जोर डालते हैं क्योंकि इसका असर प्लाट लोड फैक्टर पर पड़ता है। उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि किस क्वालिटी का कोयला इस्तेमाल हो रहा है। मुझे खुशी है कि कोल इंडिया के कोयले से सम्बन्धित अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की है कि जब जाइंट इंस्पेक्शन विद्युत विभाग और कोयला विभाग के अधिकारी करेंगे। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। वे मिल कर कोयले की क्वालिटी देखेंगे और कोल प्लांट, वाशरीज और अन्य यंत्र देखेंगे जिनसे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अच्छी क्वालिटी का कोयला विद्युत यूनिटों को उत्पादन करने के लिए भेजा जाए। मैं समझता हूं कि इससे निश्चित ही स्थिति में सुधार आएगा और अच्छा कोयला उपलब्ध होगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : खड़े हुए।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, कृपया आप अपना उत्तर जारी रखिए। हार मत मानिए।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अगर किसी बात के लिए मुझे अग्रिम सूचना दी जायेगी तो मैं अवश्य उसका जवाब दूंगा। हरिकेश जी और पासवान जी ने प्लांट लोड फैक्टर के बारे में प्रश्न उठाए थे। उस वक्त मुझे ध्यान नहीं रहा लेकिन अब उसके बारे में बता देना चाहता हूं। असल में वह कम होना उस वक्त शुरू हो गया था, जब आप लोग इधर आकर बैठ गए थे। 1974-75

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में 52.5 प्रतिशत, 1975-76 में 52.1 प्रतिशत, 1976-77 में 55.9 प्रतिशत, 1977-78 में 51.4 प्रतिशत, 1978-79 में 48.3 प्रतिशत, 1979-80 में 44.7 प्रतिशत, 1980-81 में 44.6 प्रतिशत। 1981-82 से स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। 1982-83 में 49.8 प्रतिशत, 1983-84 में 47.9 प्रतिशत और 1984-85 के लिए हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह पचास प्रतिशत है। कई चीजें हैं जिनको कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर 1980 के बाद लगने वाले नए कारखाने, जिनको स्टैबिलाइज होने में थोड़ा समय लगता है, फौरन उतना प्लान्ट लोड फैक्टर नहीं देते कि जितना कि स्टैबिलाइज होने के बाद देते हैं। उसके बाद कई और कारण हैं। राज्य सरकारों को भी हम बार-बार लिखते हैं कि प्लान्ट लोड फैक्टर को बेहतर किया जाए और ज्यादा अच्छे तरीके से बिजली उपलब्ध करायी जाए। थोड़ी देर पहले मैंने ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में कहा था कि वह पचास प्रतिशत हो गया है, वह सही नहीं था। सही यह है कि 60.7 प्रतिशत हो गया है और 53.62 लाख पम्प सैटों को एनरजाइल्ड किया गया है।

श्री रामविलास पासवान : खराब कितने हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर खराब है तो ठीक करने वाले को बुलाकर ठीक कराए जाने चाहिए। ग्रामीण विद्युतीकरण, माननीय प्रधान मंत्री जी के बीस सूत्री कार्यक्रम का एक हिस्सा है। उस पर हम खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं। हमारा यह निश्चित मत है कि जब तक हम गांवों में विद्युत नहीं ले जाते तब तक जो विकास की कल्पना है, वह पूरी नहीं होगी। 75 प्रतिशत जगह पर बिजली पहुंच गई है। थर्मल यूनिट के मुकाबले में पन-बिजली के जो यूनिट होते हैं, उसके बनने में ज्यादा समय लगता है। हमारी आवश्यकता की इतनी तेजी के साथ वृद्धि हुई कि हमें उन यूनिट्स की तरफ ध्यान देना पड़ा जो जल्दी कमीशन हो जाती हैं। मैं समझता हूं हमारे पास 75 हजार नहीं बल्कि 80 हजार मेगावाट से ज्यादा पन-बिजली उत्पादन की क्षमता है। पहले भी मैंने अपने मंत्रालय की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए यही निवेदन किया था कि अगली पंचवर्षीय योजना में हम पन बिजली पर, ट्रांसमीशन सिस्टम पर ज्यादा जोर देने जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि इसका संतुलित विकास हो सके।

गिरि जी ने कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताया। किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो वह मैं आपको दिलवा दूंगा। लेकिन वैस्ट-बंगाल में मिसाल के तौर पर कोलाघाट परियोजना को ही ले लीजिए, जिसमें 210 मेगावाट की तीन यूनिट्स लगनी हैं। इस परियोजना की स्वीकृति 1973 में दी गई और उस समय इसकी कमीशन की डेट 1978-79 रखी गई थी। लेकिन अभी तक वह कमीशन नहीं हो सकी है। ऐसा लगता है शायद 1985-86 तक कमीशन हो पाए। एक दूसरी परियोजना सांतालदीह है जो 120 मेगावाट की है। उसकी सैक्शन 1968 में दी गई, कमीशन होनी थी 1975-76 में, लेकिन कमीशन हुई 1980-81 में। इसलिए जो पहले से स्वीकृत परियोजनाएं हैं, उनको ओरिजिनल डेट्स पर कमीशन करवाने के लिए आप अपनी सरकार को क्यों नहीं कहते। मैं आपके माध्यम से कहना

चाहूंगा कि इन्हें वहां इस प्रश्न को उठाना चाहिए कि वैस्ट बंगाल सरकार उन परियोजनाओं पर ध्यान दे। वहां तो कई साल से आपकी सरकार है और इस बीच में तो सारी परियोजनाओं को उसे पूरा कर लेना चाहिए था। जहां तक दूसरी परियोजनाओं का आपका प्रस्ताव है, हम उनको भी जल्दी से जल्दी स्वीकृति देने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोल लिंकिंग वगैरह की व्यवस्था को भी हमें देखना पड़ता है। लेकिन पहले से स्वीकृत योजनाओं को तो आप पूरा करवाइये।

आपने 5 करोड़ की सीमा के बारे में भी कहा। उसके सम्बन्ध में इस सदन से और दूसरे सदन राज्य सभा से पहले ही स्वीकृति ले ली गई है और बहुत जल्द ही वह कानून बन जायेगा। पावर फाइनेंस कार्पोरेशन के बारे में हम कह चुके हैं कि यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीना है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं--

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 165/84-के० उ० शु० से 190/84-के० उ० शु० तक की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 1 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसमें ताम्बा, जस्ता, एल्यूमीनियम और सीसा तथा उनके उत्पादों, जो केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क पुनरीक्षित मद संख्या 26-क, 26-ख, 27 और 27-क के अन्तर्गत आते हैं, की शुल्क की प्रभावी दरें अधिसूचित की गई हैं।

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अधिसूचना संख्या 209/84 सी० शु०, जो 1 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनमें एल्यूमीनियम और उसके उत्पादों पर अतिरिक्त सीमा-शुल्क की प्रभावी दरें निर्धारित की गई हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या 210/84-सी० शु० और 211/84-सी० शु०, जो 1 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो अल्प-ईंधन-व्ययी दुपहिया मोटर वाहनों के पुर्जों को, जब उनका आयात ऐसे वाहनों के निर्माता द्वारा "वारंटी" के प्रयोजनार्थ अथवा बिक्री के बाद की "सर्विस"

के प्रयोजनार्थ किया गया हो, 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक के मूल सीमा-शुल्क तथा उस पर नुद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क (प्रति संतुलनकारी शुल्क) और 15 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक के उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

(तीन) अधिसूचना संख्या 212/84-सी० शु०, जो 1 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 10 जनवरी, 1984 की अधिसूचना संख्या 6/84-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि उनमें विनिर्दिष्ट छूटों को 31 मार्च, 1989 तक दिया जा सके ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8511/84]

सभापति महोदय : सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.52 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बृहस्पतिवार, 2 अगस्त, 1984/11 श्रावण, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-53